खण्ड-417, अंक-1
बृहस्पतिवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1917
(3 अगस्त, 1995 ई0)

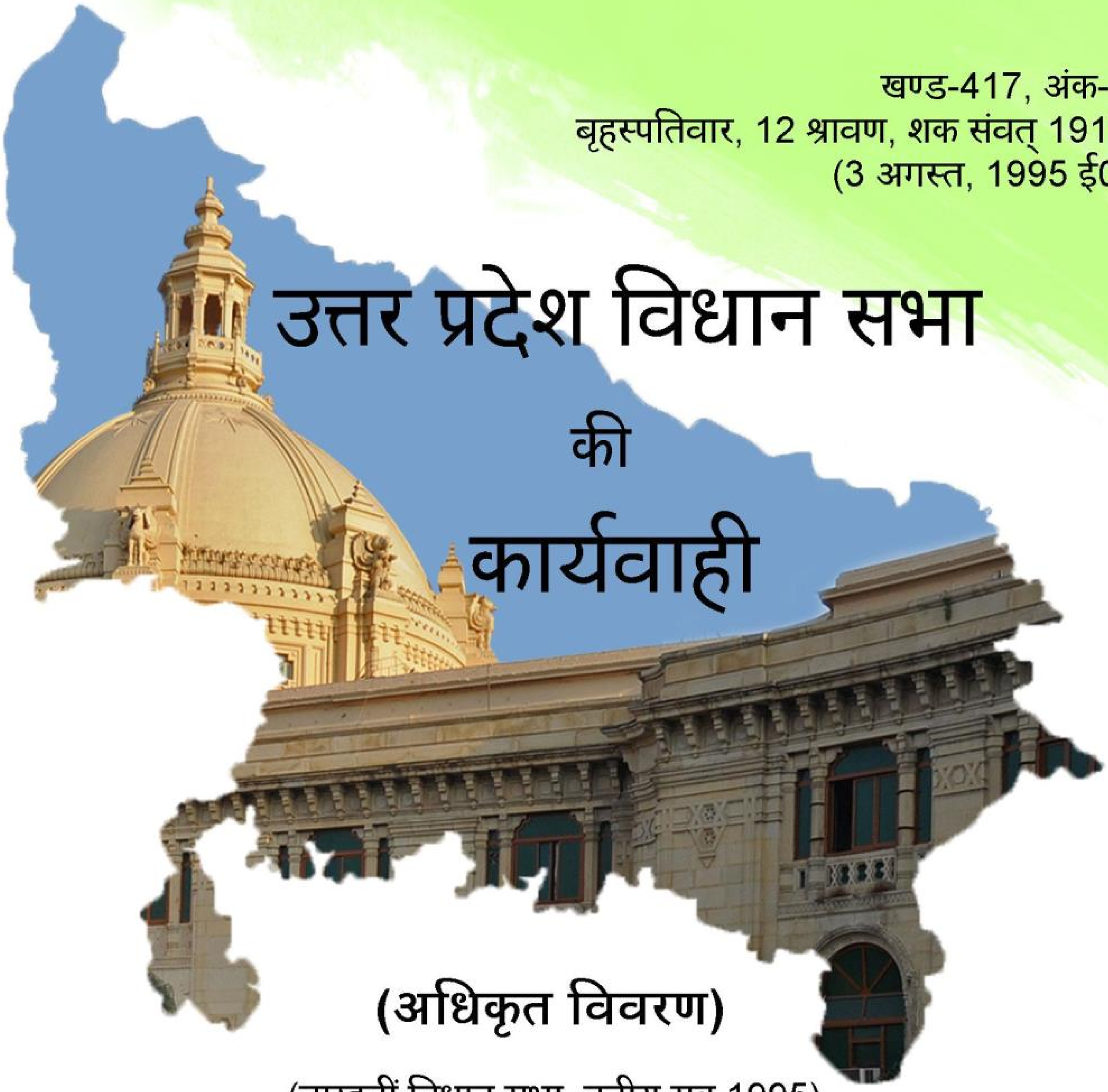

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 417 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदस्यों की सूची	क–ज
मंत्रि-परिषद् एवं अधिष्ठाता-मण्डल की सूची	झ–ट
उपस्थित सदस्यों की सूची ...	ड–ण
प्रश्नोत्तर	1–63
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	63
मोहम्मदापुर मथाना (हरिद्वार) में सोलानी नदी के किनारे शेरपुर खादर तक बांध बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	63-64
महराजगंज सदर में नारायणी नहर के टूट जाने से बाढ़ का संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद मथुरा के गोवर्धन में धार्मिक अवसरों पर लगने वाले मेले की व्यवस्था हेतु धन उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	64-65
जनपद बहराइच की कई कोआपरेटिव कमेटियों व बैंकों के गबन की उच्च स्तरीय जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	65
जनपद आगरा में राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को उक्त मदों में व्यय न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	65
प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कार्यरत प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति संबंधी आन्दोलन होने की आशंका विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	66
उ० प्र० होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड लखनऊ के कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्तों आदि का भुगतान कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्य गंगा केनाल में पानी छोड़े जाने से धन-जन की हानि का मुआवजा दिलाने की मांग	67-68
नियमान्तर्गत न दी गयी सूचना सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न...	68-69
दारूलशफा विधायक निवासों में पानी एवं विद्युत की आपूर्ति अनियमित होने विषयक औचित्य का प्रश्न	69-70
अधिकारियों द्वारा विधायकों के पत्रों का उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	71-73
पूर्व निर्धारित असरकारी दिवस को सदन के तिथिवार कार्यक्रम से हटाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	73-75
सत्र के दौरान जिला स्तरीय बैठकों को बुलाये जाने से विधायकों के विधायी कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	75-76

विषय	पृष्ठ-संख्या
असहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदानित करने के संबंध में मुख्य मंत्री के कथन में विरोधाभास होने विषयक औचित्य का प्रश्न	76-80
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 (विधान परिषद् द्वारा कृत संशोधन सहित पटल पर रखा गया)	80
नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी ...	80
जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड नेवादा के अन्तर्गत पुरखास कटैया सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री उमेश चन्द्र केशरवानी आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	80
जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र चायल के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत उमरक्षा से आधेवीर बाबा होकर गौसपुर तक सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री राम कैलाश आदि की याचिका (उपस्थित की गयी) ...	81
जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत नगर पंचायत सराय आकिल कस्बा में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने विषयक श्री के० एन० रस्तोगी आदि की याचिका (उपस्थित की गयी) ...	81
जनपद इलाहाबाद क्षेत्र चायल के ग्राम पिपरी बाबा तारा मटका बलीपुर टाटा से बादशाहपुर तक मार्ग को बनवाये जाने विषयक श्री राम विशुन गुप्ता आदि की याचिका (उपस्थित की गयी) ...	81
जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत चौराहा से बसेढ़ी होकर आदमपुर सोभना तक का मार्ग पक्का कराये जाने विषयक श्री प्रेम सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	81
जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत हर्रायपुर चौराहे पर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कराये जाने विषयक श्री इन्द्र नारायण सिंह यादव आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	81
जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत भरवारी कस्बे के चार प्रमुख मार्गों को ऊंचा कराकर टूटी नालियों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री यशपाल केशरी आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	81
जनपद इलाहाबाद में चायल क्षेत्र के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा काजू जीवनगंज रेलवे स्टेशन को पार करते हुए जी० टी० रोड तक लम्बे मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री मानिक चन्द्र केशरवानी आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)...	82

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोण्डा में कटरा बाजार तहसील करनैलगंज थाना कौड़िया अन्तर्गत ग्राम सभा कटुआनाला में एक पुलिस चौकी की स्थापना करवाये जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गयी) ...	82
जनपद गोण्डा क्षेत्र कटरा बाजार तहसील करनैलगंज स्थित दुदहा बाजार से कटुवा नाला तक की सड़क को पक्का करवाये जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	82
कार्य-सूची में अंकित प्रस्ताव को अक्षरशः व यथावत पढ़े जाने की मांग...	82-84
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1995 (वापस लेने की अनुमति हो गयी)	84
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित) ...	84
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित) ...	85
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	85-93
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 74-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (जारी)	93
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)	93-97
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 74-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (स्वीकृत)	98-148
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	148-149
वाराणसी जिले के चोलापुर थानान्तर्गत रामगांव में हुए सामूहिक नरसंहार विषयक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि की नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	149-151
गाजियाबाद जिले में पीलिया रोग के भयंकर रूप से फैलने के संबंध में श्री बालेश्वर त्यागी आदि की नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य	151-152

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा नगर में जलोत्सारण की समुचित व्यवस्था न होने तथा एक सफाई कर्मी की नाले में डूबकर हुई मृत्यु के संबंध में श्री रमेशकान्त लवानियां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य ...	152–155
गोवंश वध हेतु प्रदेश से बड़े पैमाने पर की जा रही गोवंश की तस्करी विषयक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि की नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य	155–158
भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश आगरा के पदाधिकारियों के सोलहवें दिन के आमरण अनशन विषयक श्री बदन सिंह आदि की सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का वक्तव्य	159–163
प्रदेश में सरकार द्वारा उद्योगों को सुविधायें एवं प्रोत्साहन देने की नीति से प्रभावित विभिन्न औद्योगिक समूहों/कम्पनियों द्वारा किये गये पूंजी निवेश के प्रस्तावों के विषय में श्री सत्य प्रकाश विकल की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	163–167
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	167–169
नत्थीया	170–177

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

(बारहवीं विधान सभा)

1–अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2–अकबर अली, श्री — जालौन
3–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
4–अखलाख, श्री — मेरठ
5–अखिलेश, श्री — महराजगंज
6–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
7–अक्षयवर भारती, श्री — मऊ
8–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
9–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
10–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11–अनिल कुमार, श्री — सीतापुर
12–अफजाल अन्सारी, श्री — गाजीपुर
13–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
14–अमरनाथ यादव, श्री — वाराणसी
15–अमर सिंह, श्री — अलीगढ़
16–अमर सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
17–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
18–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
19–अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
20–अम्बिका सिंह, श्री — देवरिया
21–अ० रईस, श्री — सुल्तानपुर
22–अरविन्द कुमार, श्री — ललितपुर
23–अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
24–अरिमर्दन सिंह, श्री — हमीरपुर
25–अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
26–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
27–अवनीश कुमार सिंह, श्री — बदायूं
28–अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
29–अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री — उन्नाव
30–अशोक बाजपेई, श्री — हरदोई
31–आनन्द यादव, श्री — देवरिया
32–आर० के० चौधरी, श्री — इलाहाबाद
33–इन्द्रदेव सिंह, श्री — बिजनौर
34–इन्द्रपाल सिंह, श्री — इटावा
35–इन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
36–इरशाद, श्री — आजमगढ़
37–इश्तियाक अंसारी, श्री — गाजीपुर
38–इश्तियाक अहमद, श्री — बाराबंकी
39–उदय प्रकाश, श्री — हमीरपुर
40–उदय भान सिंह, श्री — आगरा
41–उपदेश सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
42–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
43–उमाशंकर यादव, श्री — जौनपुर
44–उर्मिला देवी यादव, श्रीमती — मैनपुरी
45–उर्मिला राजपूत, श्रीमती — फर्रुखाबाद
46–ऊदल, श्री — वाराणसी
47–ऊषा यादव, श्रीमती — एटा
48–ओंकार सिंह, श्री — एटा
49–ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
50–ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
51–ओम प्रकाश गुप्ता, श्री — सीतापुर
52–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर

53–करन सिंह, श्री — मुरादाबाद
54–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
55–कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
56–काशी सिंह ऐरी, श्री — पिथौरागढ़
57–किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
58–किशन लाल, श्री — पीलीभीत
59–किशन लाल दिलेर, श्री — अलीगढ़
60–कृष्ण कुमार नवमान, श्री — अलीगढ़
61–कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री — गाजियाबाद
62–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली गढ़वाल
63–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
64–कोकब हमीद, श्री — मेरठ
65–गजराज सिंह, श्री — गाजियाबाद
66–गजाधर सिंह, श्री — रायबरेली
67–गनपत सिंह, श्री — महराजगंज
68–गया चरण दिनकर, श्री — दांदा
69–गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री — रायबरेली
70–गोपाल काली, श्री — मेरठ
71–गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री — अल्मोड़ा
72–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
73–घनश्याम शुक्ल, श्री — गोण्डा
74–घूरा राम, श्री — बलिया
75–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
76–चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
77–चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री — फर्रुखाबाद
78–चन्द्र मणि कान्त, श्री — बहराइच
79–चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री — मुरादाबाद
80–चन्द्र शेखर, श्री — गाजीपुर
81–चन्द्र शेखर सिंह, श्री — बस्ती
82–चरन सिंह, श्री — मेरठ
83–चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
84–चैनसुख भारती, श्री — जालौन
85–छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
86–छोटे लाल, श्री — हरदोई
87–छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
88–छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
89–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
90–जगदम्बा सिंह, श्री — बस्ती
91–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
92–जगदीश मुनि, श्री — हरिद्वार
93–जगन्नाथ प्रसाद, श्री — खीरी
94–जगरनाथ चौधरी, श्री — जौनपुर
95–जगराम सिंह, श्री — कानपुर नगर
96–जगवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
97–जदुरानी, श्रीमती — हरदोई
98–जमुना प्रसाद मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
99–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
100–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
101–जयराम कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
102–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा
103–जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री — इलाहाबाद
104–जवाहर लाल दिवाकर, श्री — इलाहाबाद
105–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
106–जुगेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
107–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
108–ज्योत्सना, श्रीमती — वाराणसी
109–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
110–तिलक राज बेहड़, श्री — नैनीताल
111–तीरथ राज, श्री — सोनभद्र
112–तुलसीदास राय चन्दानी, श्री — गोण्डा
113–तुलाराम सैनी, श्री — मुरादाबाद

114–तेजपाल सिंह, श्री — बिजनौर
115–तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
116–तेजपाल सिंह पंवार, श्री — हरिद्वार
117–तेज भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
118–त्रिपाल सिंह धामा, श्री — मेरठ
119–दया सिन्धु शंखधर, श्री — बदायूं
120–दरोगा प्रसाद सरोज, श्री — आजमगढ़
121–दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
122–दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
123–दीनानाथ चौधरी, श्री — बलिया
124–दीनानाथ भाष्कर, श्री — वाराणसी
125–दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
126–देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री — ललितपुर
127–दौलत राम, श्री — सीतापुर
128–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
129–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
130–धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री — बुलन्दशहर
131–धामू राम भाष्कर, श्री — फैजाबाद
132–धीरेन्द्र बहादुर सिंह, — खीरी
133–धू राम चौधरी, श्री — हमीरपुर
134–नजमउद्दीन, श्री — इलाहाबाद
135–नन्द किशोर मिश्र, श्री — देवरिया
136–नन्द लाल, श्री — सुल्तानपुर
137–नन्द लाल सिंह पटेल, एडवोकेट, श्री — इलाहाबाद
138–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
139–नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
140–नरेन्द्र सिंह, श्री — मैनपुरी
141–नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
142–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
143–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
144–नरेश अग्रवाल, श्री — हरदोई
145–नवल किशोर, श्री — बुलन्दशहर
146–नसीम भाई, श्री — मऊ
147–नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
148–निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — खीरी
149–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
150–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
151–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
152–परशुराम यादव, श्री — फैजाबाद
153–पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
154–पीतम सिंह, श्री — एटा
155–पुत्तू सिंह यादव, श्री — शाहजहांपुर
156–पूर्णमासी देहाती, श्री — देवरिया
157–पृथ्वी सिंह विकसित, श्री — हरिद्वार
158–प्रणत पाल सिंह, श्री — मथुरा
159–प्रताप सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
160–प्रभा रावत, श्रीमती — गोरखपुर
161–प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
162–प्रवीण सिंह ऐरन, श्री — बरेली
163–प्रीतम सिंह, श्री — देहरादून
164–प्रीतम सिंह, श्री — मुरादाबाद
165–प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री — सिद्धार्थनगर
166–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
167–प्रेम सिंह, श्री — गाजियाबाद
168–फजलुर्रहमान अंसारी, श्री — बहराइच
169–फ्रेन्सिस डब्लू मूर, श्री नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय — इलाहाबाद
170–फौजदार प्रसाद, श्री — मऊ
171–बंशीधर, श्री — नैनीताल

172–बचनू राम पटेल, श्री — वाराणसी
173–बच्ची सिंह रावत, श्री — अल्मोड़ा
174–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
175–बदन सिंह, श्री — आगरा
176–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
177–बनवारी सिंह, श्री — बदायूं
178–बरकत अली खां, श्री — सुल्तानपुर
179–बी० आर० वर्मा, श्री — आजमगढ़
180–बरफिया लाल जुवांठा, श्री — उत्तरकाशी
181–बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
182–बशीर उद्दीन, श्री — हमीरपुर
183–बाबू खां, श्री — हरदोई
184–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
185–बाबू राम वर्मा, श्री — बस्ती
186–बाबू लाल, श्री — उन्नाव
187–बाल गोविन्द राजवंशी, श्री — सीतापुर
188–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
189–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
190–बालेश्वर यादव, श्री — देवरिया
191–बावन सिंह — गोण्डा
192–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
193–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
194–बेचन राम, श्री — गोरखपुर
195–बेनी प्रसाद वर्मा, श्री — बाराबंकी
196–बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
197–ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
198–ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
199–भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
200–भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री — लखनऊ
201–भगवती प्रसाद सागर, श्री — कानपुर देहात
202–भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
203–भागवत पाल, श्री — मिर्जापुर
204–भैरो प्रसाद मिश्र, श्री — बांदा
205–मंजूर अहमद, श्री — बरेली
206–मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
207–मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
208–मदन भइया, श्री — मेरठ
209–मनोरमा, श्रीमती — कानपुर देहात
210–मन्नू लाल कुरील, श्री — बांदा
211–मयंकर सिंह, श्री — बहराइच
212–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
213–मसूद अहमद, डा० — फैजाबाद
214–महबूब अली, श्री — मुरादाबाद
215–महराज सिंह यादव, श्री — इटावा
216–महाबीर सिंह, श्री — बिजनौर
217–महाबीर सिंह, कुंवर — हरदोई
218–महिपाल सिंह यादव, श्री — बरेली
219–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री — आगरा
220–महेन्द्र पाल सिंह, श्री — बिजनौर
221–महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री — फतेहपुर
222–महेन्द्र सिंह माहरा, श्री (महू भाई) — पिथौरागढ़
223–महेश चन्द्र, श्री — कानपुर नगर
224–मातबर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
225–माम चन्द्र लाम्बा उर्फ मेमचन्द्र, डा० — सहारनपुर
226–माया शंकर पाठक, श्री — वाराणसी
227–मारकण्डेय सिंह, श्री — बलिया
228–मित्रसेन यादव, श्री — फैजाबाद
229–मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री — बदायूं
230–मुक्ति नाथ, श्री — देवरिया
231–मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
232–मुनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर

233–मुनीश गौड़, श्री — अलीगढ़
234–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
235–मुलायम सिंह यादव, श्री — फिरोजाबाद
236–मेवा लाल बागी, श्री — वाराणसी
237–मोलई, श्री — गोरखपुर
238–मोहम्मद अरशद खान, श्री — जौनपुर
239–मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
240–मोहर सिंह, श्री — सहारनपुर
241–मोहसिन, डा० — गोरखपुर
242–यश पाल आर्य, श्री — नैनीताल
243–यश पाल चौधरी, श्री — खीरी
244–यश पाल सिंह चौधरी, श्री — सहारनपुर
245–योगेन्द्र कुमार सागर, श्री — बदायूं
246–रंगनाथ मिश्र, श्री — वाराणसी
247–रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, कुंवर — प्रतापगढ़
248–रघुवीर सिंह, श्री — एटा
249–रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
250–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
251–रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
252–रतन पाल पंचौरी, श्री — मुजफ्फरनगर
253–रमाकान्त यादव, श्री — आजमगढ़
254–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — देवरिया
255–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
256–रमेश कान्त लवानियां, श्री — आगरा
257–रमेश चन्द्र चंचल, श्री — फिरोजाबाद
258–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० — चमोली गढ़वाल
259–रमेश बहादुर, श्री — प्रतापगढ़
260–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर — मेरठ
261–रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
262–रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री — देवरिया
263–रवीन्द्र शुक्ल, श्री — झांसी
264–राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
265–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
266–राजकुमार शिवहरे, श्री — बांदा
267–राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
268–राजबली यादव, श्री — आजमगढ़
269–राज बहादुर, श्री — गाजीपुर
270–राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
271–राजवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
272–राजा राम त्यागी, श्री — रायबरेली
273–राजीव कुमार, श्री — नैनीताल
274–राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
275–राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
276–राजेन्द्र प्रसाद, श्री — लखनऊ
277–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
278–राजेन्द्र सिंह, श्री — बिजनौर
279–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
280–राजेश यादव, श्री — बदायूं
281–राजेश कुमार, श्री — वाराणसी
282–राधेश्याम, श्री — बाराबंकी
283–राधेश्याम गुप्ता, श्री — फतेहपुर
284–रानी देव लता, श्रीमती — सहारनपुर
285–राम अचल राजभर, श्री — फैजाबाद
286–राम अधार यादव, श्री — महराजगंज
287–राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
288–राम औतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
289–राम करन आर्य, श्री — बस्ती
290–राम किशोर बिन्द, श्री — वाराणसी
291–राम कुमार वर्मा, श्री — खीरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

292–राम कुमार शुक्ल, श्री — लखनऊ
293–राम कृष्ण वर्मा, इंजी० — मेरठ
294–राम खेलावन, श्री — उन्नाव
295–राम गोपाल, श्री — खीरी
296–राम जीत भारद्वाज, श्री — वाराणसी
297–राम तेज, श्री — बहराइच
298–राम दर्शन यादव, श्री — आजमगढ़
299–राम दवर, श्री — जौनपुर
300–राम दास पाल, श्री — कानपुर देहात
301–राम देव पटेल, श्री — फैजाबाद
302–राम धनी, श्री — गाजीपुर
303–राम नरेश यादव, श्री — रायबरेली
304–राम पाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
305–राम प्रकाश, श्री — बस्ती
306–राम प्रकाश गुप्त, श्री — लखनऊ
307–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — फर्रुखाबाद
308–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
309–राम प्रसाद टम्टा, श्री — अल्मोड़ा
310–राम प्रसाद, श्री — बुलन्दशहर
311–राम प्रसाद, श्री — बस्ती
312–राम बाबू हरित, डा० — आगरा
313–राम मूर्ति सिंह, श्री — शाहजहांपुर
314–राम लखन यादव, श्री — प्रतापगढ़
315–राम लखन वर्मा, श्री — फैजाबाद
316–राम लोटन सिंह पटेल, इन्जी० — मिर्जापुर
317–राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
318–राम वीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
319–राम सजीवन निर्मल, श्री — इलाहाबाद
320–राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
321–राम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
322–राम सेवक सिंह, श्री — इलाहाबाद
323–राम सेवक सिंह, श्री — बदायूं
324–राम स्वरूप, श्री — एटा
325–राम स्वरूप शर्मा, स्वामी — मथुरा
326–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
327–रामेश्वर दयाल, श्री — मैनपुरी
328–रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री — गोण्डा
329–रेखा छागला, श्रीमती — इटावा
330–लक्ष्मी चन्द्र, श्री — बुलन्दशहर
331–लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री — प्रतापगढ़
332–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
333–लाज कृष्ण गांधी, श्री — सहारनपुर
334–लालजी, श्री — वाराणसी
335–लालजी यादव उर्फ जोगी, श्री — जौनपुर
336–लाल बहादुर सिंह, श्री — प्रतापगढ़
337–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
338–वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
339–वासुदेव सिंह, श्री — बुलन्दशहर
340–विक्रम सिंह, श्री — बलिया
341–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
342–विजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
343–विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री — गोण्डा
344–विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
345–विश्वनाथ, श्री — देवरिया
346–विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री — गोण्डा
347–विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
348–विश्वम्भर सिंह, श्री — मथुरा
349–वीर अभिमन्यू सिंह, श्री — फतेहपुर
350–वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
351–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर

352–वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री पीलीभीत
353–वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
354–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
355–शराफत यार खां, श्री बरेली
356–शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती सहारनपुर
357–शशि बाला भारती, श्रीमती खीरी
358–शाकिर, श्री देवरिया
359–शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
360–शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री महराजगंज
361–शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
362–शिव दानी, श्री इलाहाबाद
363–शिव प्रताप यादव, डा० गोण्डा
364–शिव प्रताप शुक्ला, श्री गोरखपुर
365–शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
366–शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री जालौन
367–शिव सागर लाल, डा० उन्नाव
368–शिवेन्द्र, श्री महराजगंज
369–शूरवीर सिंह सजवाण, श्री टिहरी गढ़वाल
370–श्याम किशोर यादव, श्री लखनऊ
371–श्याम देव राय चौधरी, श्री वाराणसी
372–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
373–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
374–श्रीराम, श्री मिर्जापुर
375–श्रीराम पाल, श्री जालौन
376–श्रीराम यादव, श्री जौनपुर
377–संग्राम सिंह यादव, श्री बलिया
378–संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
379–सज्जन पाल सिंह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री एटा
380–सतीश कुमार, श्री बिजनौर
381–सतीश भाटिया, श्री लखनऊ
382–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
383–सत्य प्रकाश, श्री मुरादाबाद
384–सत्य प्रकाश विकल, श्री आगरा
385–सत्येन्द्र सिंह, श्री मुरादाबाद
386–सन्त बक्श रावत, श्री लखनऊ
387–सफदर रजा खां, श्री सुल्तानपुर
388–समई, श्री आजमगढ़
389–समर पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
390–समीर भाटी, श्री गाजियाबाद
391–सरजीत सिंह डंग, डा० मिर्जापुर
392–सर्वराज सिंह, कुंवर बरेली
393–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री मुरादाबाद
394–सावित्री देवी, श्रीमती जौनपुर
395–सियाराम सागर, डा० बरेली
396–सुखदेव, श्री आजमगढ़
397–सुखदेवी, श्रीमती इटावा
398–सुधीर कुमार बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
399–सुन्दर पाल सिंह, श्री सीतापुर
400–सुन्दर लाल दीक्षित, श्री बाराबंकी
401–सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
402–सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री बांदा
403–सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री गढ़वाल
404–सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
405–सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री मुजफ्फरनगर
406–सुरेश पासी, श्री प्रतापगढ़
407–सुरेश प्रताप सिंह चौहान, डा० मुरादाबाद
408–सुरेश संगल, श्री मुजफ्फरनगर
409–सुशीला सरोज, श्रीमती हरदोई
410–सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
411–स्वयंवर चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
412–स्वामी नाथ, श्री देवरिया

413–हरक सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
414–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
415–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
416–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
417–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
418–हरी किशन, श्री — कानपुर देहात
419–हरी शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
420–हरीश कुमार गंगवार, श्री — बरेली
421–हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
422–हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी — रामपुर
423–हाजी मोहम्मद हयात, श्री — मुरादाबाद
424–हीरा मनि पटेल, श्री — इलाहाबाद
425–हृदय नारायण दीक्षित, श्री — उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोती लाल वोरा

मंत्रि-परिषद्

1–सुश्री मायावती, मुख्य मंत्री ।	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, ऊर्जा, सूचना, निर्वाचन, वित्त, संस्थागत वित्त, सार्वजनिक उद्यम, आवास, न्याय, विधायी, गन्ना विकास, चीनी मिलें, औद्योगिक विकास, सिंचाई, आबकारी, पर्यटन, पर्यावरण, कृषि, उत्तरांचल विकास, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, नियोजन, खाद्य, राज्य सम्पत्ति, युवा कल्याण, राष्ट्रीय एकीकरण, इलेक्ट्रानिक्स, चिकित्सा शिक्षा एवं लोक निर्माण ।
2–श्री राम लखन वर्मा	वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग ।
3–श्री आर० के० चौधरी	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग ।
4–श्री राजेन्द्र कुमार	राजस्व
5–श्री अकबर अली	कारागार, होमगार्ड तथा राजनैतिक पेंशन ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6–श्री हृदय नारायण दीक्षित	पंचायती राज एवं संसदीय कार्य
7–श्री अवध पाल सिंह यादव	दुग्ध विकास
8–श्री चौधरी जगवीर सिंह गूजर	सहकारिता
9–श्री श्रीराम पाल	समाज कल्याण
10–श्री सुखदेव राजभर	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा
11–श्री नन्द लाल पटेल	परिवहन
12–श्री चैनसुख भारती	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1–श्री श्याम लाल यादव	श्रम
2–श्री बशीरुद्दीन	अल्पसंख्यक कल्याण तथा मुस्लिम वक्फ
3–श्री राम किशोर बिन्द	नगर विकास
4–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	पशुधन
5–श्री फौजदार प्रसाद	उद्यान

राज्य मंत्री

1–श्री इश्तियाक अन्सारी	
2–श्री अंगद यादव	वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री
3–श्री लाल जी चौहान	
4–श्री नजमउद्दीन	राजस्व मंत्री
5–श्री हीरामणि पटेल	कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री
6–श्री राम विलास बाल्मिकी	
7–श्री भागवत पाल	दुग्ध विकास मंत्री
8–श्री राम अचल राजभर	परिवहन मंत्री
9–श्री जयराम कुशवाहा	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री
10–श्री भगवती प्रसाद सागर	
11–श्री धूराम चौधरी	पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री
12–श्री चौधरी तेजपाल सिंह	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री
13–श्री राम दवर	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

14–श्री घूरा राम	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विज्ञान एवं
15–श्री प्रवीण सिंह ऐरन	प्रोद्योग मंत्री ।
16–श्रीमती सुशीला सरोज	समाज कल्याण मंत्री

नेता विरोधी दल

श्री मुलायम सिंह यादव — समाजवादी पार्टी

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री बी० आर० वर्मा

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना

अधिष्ठाता मण्डल

1–श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा, वाराणसी ।

2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा, सीतापुर ।

3–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा, मिर्जापुर ।

4–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, सदस्य, विधान सभा, इलाहाबाद ।

5–श्रीमती उर्मिला राजपूत, सदस्य, विधान सभा, फर्रुखाबाद ।

6–श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा, सुल्तानपुर ।

7–श्री लालजी यादव उर्फ जोगी, सदस्य, विधान सभा, जौनपुर ।

8–श्री चन्द्र भान मौर्य, सदस्य, विधान सभा, आगरा ।

9–श्री रणजीत सिंह जूदेव, सदस्य, विधान सभा, झांसी ।

10–श्री किरन पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा, बुलन्दशहर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 3 अगस्त, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अखलाख, श्री	मेरठ
अखिलेश, श्री	महराजगंज
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई
आर० के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा
इश्तियाक अंसारी, श्री	गाजीपुर
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
केदारु सिंह फोनिया, श्री	चमोली गढ़वाल
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
जवाहर यादव उर्फ पंडित जी, श्री	इलाहाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पीतम सिंह, श्री	एटा
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बशीर उद्दीन, श्री	हमीरपुर
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	फतेहपुर
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दवर, श्री	जौनपुर
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम देव पटेल, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रकाश, श्री	बस्ती
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लालजी, श्री	वाराणसी
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव सागर लाल डा०	उन्नाव
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
संत बख्श सिंह रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सरजीत सिंह डंग, डा०	मिर्जापुर
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुधीर कुमार बाल्यिान, श्री	मुजफ्फरनगर
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरी किशन, श्री	कानपुर देहात
हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी, श्री	रामपुर
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 3 अगस्त, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में हुए पंचायती चुनाव में चुनाव चिन्ह की विषमता के कारण व उसकी जांच के विषय में जानकारी

**1–श्री ऊदल तथा श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हुए पंचायती चुनाव में प्रधान, सदस्य, बी० डी० सी० सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के लिये एक ही किस्म के निशान सभी बैलेट पेपर में दिये गये थे ? क्या यह सही है कि कहीं-कहीं दो पर्चे एक साथ दिये गये और कहीं-कहीं चारो बैलेट पेपर एक साथ दिये गये ? क्या यह भी सही है कि उम्मीदवारों से ज्यादा निशान पर्चों पर थे और जिला पंचायत के लिये 20 से 30 निशान का बैलेट पेपर वोटरों को दिया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पूरे चुनाव को अवैध करार देगी और चुनाव आयोग को समाप्त करेगी ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न प्रतीकों के विभिन्न संख्या में अलग-अलग मतपत्र छपवाये गये थे तथा विभिन्न पदों अर्थात सदस्य, ग्राम पंचायत, प्रधान, सदस्य, क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के मत पत्रों के रंग अलग-अलग थे ।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश दि० 27-3-95 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिये थे कि मतदान के समय एक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने हेतु चारों मतपत्रों को एक साथ न देकर एक-एक मतपत्र पृथक-पृथक बार मतदान हेतु दिये जायं । राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश दि० 9-4-1995 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिये थे कि जितने प्रत्याशी हैं, उतनी ही संख्या के प्रतीक चिन्ह वाले मतपत्र पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध कराये जायें और यदि प्रत्याशी की संख्या से अधिक प्रतीक चिन्ह वाले मतपत्र हों तो अधिक चिन्हों को काटकर अलग कर दिया जाय ।

निर्वाचन विवादों के निपटारे हेतु ग्राम पंचायत के मामलों में सब डिवीजनल अधिकारी, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के मामलों में जिला जज के न्यायालय में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्वाचन याचिका दाखिल किये जाने की व्यवस्था संगत नियमों में है । जहां तक राज्य चुनाव आयोग को समाप्त करने का प्रश्न है, आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित नहीं है ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश दिनांक 27-3-95 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिये थे कि मतदान के समय एक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने हेतु चारों मतपत्र एक साथ न दिये जायें और दूसरा माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक आदेश यह दिया गया कि जितनी संख्या में लोग वहां खड़े हैं, उतनी ही संख्या के निशान वाले बैलेट पेपर दिये जायें बाकी फाड़ दिये जायें । तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सत्य मानेंगे, क्योंकि मैंने स्वयं वोट दिया । मैं इस साल स्वयं पंचायत के चुनाव में

वोट देने गांव गया था। जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव था, उसके लिये 30 निशान का बैलेट पेपर मुझे दिया गया और इसके अलावा प्रधानों और दूसरे पदों के उम्मीदवार के जो थे, वह भी जितनी संख्या में लोग खड़े थे, उससे ज्यादा दिया गया, यही स्थिति चारों बैलेट पेपर में थी। मैं अपनी बात दता रहा हूं, मुझे चारों बैलेट पेपर एक साथ दिया गया और पूरे बनारस जिले में यही प्रक्रिया अपनायी गयी और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में यही प्रक्रिया अपनायी गयी होगी। मान्यवर, बनारस में वहां के डी० पी० आर० ओ० निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने आदेशों का उल्लंघन किया है। क्या इसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, माननीय ऊदल जी ने अपना निजी अनुभव बताया है, उसे मैं गलत नहीं कह सकता। लेकिन चुनाव प्रक्रिया का पूरा संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये किसी काम के बारे में अपील के लिये उचित प्राविधान है। जहां कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के किसी अधिकारी ने गलती की है, तो उस पर कार्यवाही कराई जा सकती है। लेकिन उन तिथियों में जिस समय निर्वाचन का काम सम्पन्न हो रहा था, वह अधिकारी भी राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन थे, इसलिये उस समय किये गये कार्य के लिये निर्वाचन आयोग से ही प्रार्थना सम्भव हो सकती है, राज्य सरकार से यह सम्भव नहीं है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं निर्वाचन आयोग पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं। निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों को, निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जितनी संख्या में वहां उम्मीदवार खड़े हैं, उतनी ही संख्या में निशान के बैलेट पेपर दिये जायें बाकी फाड़ दिये जायें। यह आपने अपने उत्तर में भी कहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसका पालन बनारस जिले के निर्वाचन अधिकारी, डी० पी० आर० ओ० ने नहीं किया। यही प्रक्रिया सभी जिलों में अपनायी गयी। निर्वाचन आयोग के आदेश का पालन आपके अधिकारियों ने नहीं किया है। इसलिये क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, उस समय अधिकारियों ने जो गड़बड़ी की, उसकी निर्वाचन आयोग को शिकायतें की गयीं, और निर्वाचन आयोग ने इस बात की कहीं-कहीं पर जांच भी करवायी है और आयोग के संतुष्ट होने के बाद कि उसके आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ है, तो आयोग ने सरकार को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा, और कार्यवाही हुई है, और आगे भी होगी।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, प्रश्न के संदर्भ में जो उत्तर दिया गया है उसमें वह सब चीजें बतायी गयी हैं, जो होनी चाहिए और जिन नियमों के तहत चुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन मान्यवर, हम लोगों ने जो प्रश्न दिया था वह इससे संदर्भित है कि तत्कालीन सरकार ने सारे नियमों, प्रक्रियाओं को ताक पर रख कर उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, अपने निहित स्वार्थ को अन्जाम देने के लिये उन्होंने सारे अवैधानिक तरीकों को अपनाकर चुनाव करवा दिये। मान्यवर, आप विज्ञ हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक पोस्टकार्ड का कग्निजेंस लेती है और उस पर कार्यवाही करती है तो क्या उन चुनावों में जो धांधलियां हुई, अनियमिततायें हुई, जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा है और जो अनियमितता उन्होंने स्वयं देखा है, उसको बताया है तो क्या जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक पोस्टकार्ड का कग्निजेन्स लेते हुए कार्यवाही कर सकती है तो इस आदरणीय सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री ऊदल ने जो कुछ स्वयं देखा

उसका कग्निजेन्स लेते हुए इस चुनाव को रद्द कर, सारी अनियमितताओं की जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, चुनाव नतीजों को निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय में निहित है । इसलिये यह सरकार किसी चुनाव नतीजे को निरस्त करे, ऐसा तो सम्भव नहीं है । जिस तारीख से अधिसूचना जारी होती है उस तारीख से लेकर चुनाव सम्पन्न होने के बीच में जितने अधिकारी और कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे होते हैं उनके बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच व उनके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है । चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिये सरकार का उसके कार्यों में दखल देना उचित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से पूर्णतः सहमत हूं । यह सही है कि राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है । श्री ऊदल जी ने आप बीती सुनाई । मैंने स्वयं श्री सोनकर जी से बात की तो उन्होंने कहा कि निर्देश दे दिये गये हैं कि 30-30 प्रतीकों के चुनाव चिन्ह छपेंगे परन्तु जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि जहां-जहां लोग कम हैं, वहां-वहां इसकी कटिंग करके दिया जाय । माननीय मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन की भावनाओं को सुन लिया है तो क्या माननीय मंत्री जी चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे कि इन-इन बिन्दुओं पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की है और शिकायत की है ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न होने पाये । क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जैसा कि श्री गुप्ता जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र जाना चाहिए कि इन-इन बिन्दुओं पर माननीय सदस्यों ने शिकायत की है । एक घटना का जिक्र माननीय श्री ऊदल जी ने यहां बताया । सम्भवतः इस प्रकार की एक-दो शिकायतें और हो सकती हैं । सिर्फ इन घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को, जो एक संवैधानिक संस्था है, पत्र भेजना शायद समीचीन नहीं होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य चुनाव आयोग ने अपने आदेश दिनांक 9-4-95 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि जितने प्रत्याशी हों उतनी संख्या में प्रतीक चिन्ह वाले मत-पत्र पोलिंग-बूथ्स पर उपलब्ध कराये जायें । मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में इस प्रकार की अनियमितता बरती गयी है और जो चुनाव आयोग ने आदेश दिये थे उसका खुला उल्लंघन किया गया है । क्या माननीय मंत्री जी सभी जनपदों से इसकी जानकारी करायेंगे, क्योंकि मत-पत्र तो अब आपके कब्जे में हैं, उन सभी मतपत्रों को खुलवाकर देखेंगे तो उससे साफ हो जायेगा कि उम्मीदवार कितने थे और चिन्ह कितने रखे गये । कहीं-कहीं पर तो यह भी देखा गया कि जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वे जीत रहे हैं । पंचायत स्तर से लेकर जिला पंचायत स्तर तक के चुनावों में अनियमितता बरती गयी है । मैं समझता हूं कि शासन स्तर पर बैठे हुए हमारे मंत्रीगण भी इससे अनविज्ञ नहीं होंगे । क्या इन सारी अनियमितताओं की जांच करा कर, कम से कम जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, उन्हें निरस्त कर पुनः चुनाव कराने की सरकार घोषणा करेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मत-पत्र सुरक्षित हैं । अगर सरकार उन मत-पत्रों के साथ छेड़खानी करती है तो तमाम जगहों पर उच्च न्यायालय में वाद चल रहे हैं । मैं तो श्री वर्मा जी के सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी को शायद जानकारी नहीं है । मैं निवेदन कर दूं मत-पत्र उस समय तक नहीं छेड़े जायेंगे जब तक पिटीशन का समय होता है । उसकी समाप्ति के बाद तो आग तक उनमें लगायी जा सकती है । तो मेरा निवेदन है कि पिटीशन का समय निकल गया तो उसके बाद अनियमितताओं की जांच करने के लिये उन मत-पत्रों को देखा जा सकता है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं, श्रीमन्, वही निवेदन कर रहा था, प्रदेश में तमाम जगहों पर याचिकायें हैं । जब तक याचिकायें हैं तब तक सभी मत-पत्रों को उस सीमा तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ताकि सरकार की नीयत पर शंका न हो कि हम मत-पत्रों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं । मेरे ऊपर पिछली बार रिट दायर की गयी कि वोटों की गिनती के समय लोगों ने शंका जाहिर की कि उसमें धांधली हुई । उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी । तो जब तक पिटीशन चल रहे हैं, मतपेटियों के साथ छेड़खानी करना उचित नहीं होगा और न ही सरकार का इरादा है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जैसा ऊदल जी ने कहा.....

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, राज्य निर्वाचन आयोग पर आरोप या आक्षेप करना उचित नहीं है लेकिन लगता है कि पूर्व सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में कोई दुरभि संधि रही जिसके अनुसार जो भी आदेश उनके द्वारा जिला प्रशासन को दिये गये उनका खुल्लमखुल्ला उल्लंघन पूरे प्रदेश में हर जगह हुआ और चुनाव गलत ढंग से कराये गये । इसलिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध है कि वह इन सारे प्रकरणों की जांच करायेंगे और जहां-जहां अनियमिततायें हुई हैं वहां का चुनाव निरस्त कराने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

इसका कई बार उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय डाक्टर साहब तो वरिष्ठ प्रोफेसर हैं तो चुनाव के नतीजे निरस्त कराने का अधिकार सरकार को नहीं है उसका अधिकार सक्षम न्यायालय में ही निहित है ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न विचाराधीन है माननीय दीक्षित जी सहमत होंगे पुरानी सरकार को गिराने में एक कारण यह भी था कि चुनावों में धांधली हुई है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न पूछें, भूमिका बताने से क्या फायदा है ?

श्री किरन पाल सिंह–

आदरणीय कांशीराम जी ने और मुख्य मंत्री जी ने भी यह आरोप लगाये थे कि अनियमिततायें और धांधली हुई हैं पूरे परिसीमन से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक धांधलियां हुई हैं । तो उन धांधलियों पर मुहर न लगायें और जो माननीय कांशीराम जी ने और माननीय मायावती जी ने घोषणायें की थीं क्या उनको रैक्टिफाई करने जा रहे हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं इस बारे में विस्तार से बता चुका हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग के किसी कार्य में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । जहां तक शिकायतें आ रही हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है, हमारे पास भी आ रही है मगर निर्वाचन आयोग के कार्यों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं इससे बचने के लिये ही सरकार जांच करा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आखिरी सवाल माननीय सुन्दर लाल दीक्षित जी कर लें ।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री सुन्दर लाल दीक्षित का नाम पुकारा जाता रहा ।)

श्री राम आसरे वर्मा–

एक निवेदन सुन लें मेरा ।

श्री अध्यक्ष–

अबकी बार सुन्दर लाल जी का नम्बर है, उन्हें आखिर में पूछ लेने दें । मैंने आपका नाम दीक्षित जी बुलाया है । (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मुख्य मंत्री जी ने, पंचायतों के चुनावों के सिलसिले में जो अनियमिततायें और धांधली बरती गयी हैं, उनकी जांच कराने की घोषणा की है ? और यदि की है तो उस परिप्रेक्ष्य में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो आदेश किया है और मैंने जो किया है, पंचायती राज मंत्री के नाते, जो शिकायतें मुख्य मंत्री और मेरे पास आ रही हैं, जहां से ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिलाधिकारियों की आ रही है तो, आयुक्त से और जहां नीचे के अधिकारियों से आ रही हैं उनकी जांच जिलाधिकारी से कराई जा रही है । मेरा पूरा प्रयास है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में कोई किसी तरह का हस्तक्षेप न हो । इसका ध्यान रखते हुए जांच हम कर रहे हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ जोर-जोर से बोलते रहने से व्यवधान ।)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ग्राम प्रधानों के निर्वाचन हुए हैं, उनको अभी तक चार्ज न दिलवाये जाने का क्या कारण है और जिन्होंने चार्ज नहीं दिया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का

क्या कोई निर्देश देंगे ? दूसरी बात यह है कि एक तरफ मंत्री जी ने यह कहा कि मैं अनियमितताओं की जांच करा रहा हूं और दूसरी तरफ वह धांधलियों को स्वीकार भी करते हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को भंग करके चुनाव आयोग को अनुपालन करने के लिये कह कर पुनः चुनाव कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, दीक्षित जी ने नये प्रधानों को चार्ज न दिये जाने की बात बताई है, तो 99 प्रतिशत प्रधानों को चार्ज दे दिया गया है और जहां कहीं पूर्व प्रधानों ने चार्ज देने में आनाकानी की है, तो उनके विरुद्ध और जो अधिकारी चार्ज दिलाने के लिये अधिकृत थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही कई स्थानों पर कराई गई है । यह पता चलाया जा रहा है कि कहां पर चार्ज अभी तक नहीं दिया गया है । श्रीमन्, पंचायतों को भंग करने का कोई सवाल नहीं उठता । इसका अधिकार सक्षम न्यायालय को ही है ।

(व्यवधान)

श्री राजबली यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत राज मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जहां तक मेरा ख्याल है इन्होंने उद्घोषित भी किया है जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कहीं गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच करवायेंगे । जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, चुनाव आयोग करा रहा है । चुनाव आयोग ने जो गड़बड़ियां की हैं, उनकी जांच कराने में आपको क्या दिक्कत है । मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूं । मैंने भी वोट दिया है बैलेट पेपर बार-बार कहने पर भी अलग अलग नहीं दिया । तीन मेम्बर चुनाव के लिये खड़े थे । मान्यवर, इस तरह से चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं, सरकार को इसमें जांच करने में क्या आपत्ति है ?

(कई सदस्यों के बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वह बैठ जायं ।

(घोर व्यवधान)

माननीय सदस्य मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग बैठ जायं । माननीय मंत्री जी, जिन अनियिमितताओं की जांच करा रहे हैं उसमें जैसा कि माननीय ऊदल और बहुत से माननीय सदस्यों ने खुद जो उनके साथ हुआ है, उसकी जानकारी आज सदन में दिया है । जितने चुनाव चिन्ह चाहिये थे उससे ज्यादा थे बड़ा बैलेट पेपर दिया गया । चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद भी चार की जगह एक ही बैलेट पेपर दिया गया । ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करवा रहे हैं । माननीय सदस्यों की यह जिज्ञासा है ।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दिन से चुनाव के नतीजे की घोषणा होने के दिन तक कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का होता है । इसके बावजूद चुनाव प्रक्रिया में किसी अधिकारी ने कोई गलती की है तो इस पर कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री ऊदल–

मान्यवर, आपके निर्देशों का पालन माननीय मंत्री जी नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ऊदल सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर तो देने दें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सरकार की इस नीति के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा और श्री किरन पाल सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

प्रदेश सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें और समय दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न के ऊपर, इसके महत्व को देखते हुए आधे घंटे का समय मैंने दिया है।

श्रमिकों के लिये बनी राजकीय कालोनियों के विक्रय हेतु जानकारी

**2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री सतीश महाना–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिकों के लिये बनी राजकीय कालोनियों को बेचने का निर्णय हाल में ही शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो बेचने की शर्तें क्या हैं तथा खरीदने की प्राथमिकता किसको दी जायेगी ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्यामलाल यादव)–

जी हां।

श्रमिक आवासों का स्वामित्व उनमें रह रहे व्यक्तियों को सौंपे जाने के आदेश शासनादेश दि० 24-4-94 द्वारा निर्गत किये गये तथा बेचने संबंधी प्रक्रिया के आदेश शासनादेश दिनांक 21-2-95 द्वारा जारी किये गये जिनकी प्रतियां संलग्न † हैं। कतिपय संगठनों द्वारा बिक्री की शर्तों के संबंध में आपत्ति दिये जाने के फलस्वरूप फिलहाल बिक्री की कार्यवाही रोक दी गयी है। इन शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार श्रमिक आवासों में काबिज व्यक्तियों को खरीदने हेतु प्राथमिकता की व्यवस्था है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो विभिन्न श्रम संगठनों ने आपको कुछ आपत्तियां दी हैं जिसके कारण आपने उसे रोक दिया है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए स्पष्टीकरण

† छापी नहीं गयी।

चाहूंगा । आपने पात्र काबिज की बात कही, बहुत से ऐसे मकान हैं जहां अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया है अनधिकृत लोग माफिया और दादा टाइप के लोग हैं । मजदूरों की और गरीबों की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है । जो गरीबों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये हुए हैं वह भूमि उनको 150 प्रतिशत लेकर कब्जा दे दिया गया आपने जो प्रक्रिया लागू की थी उसको फिर से खोलने की दृष्टि से विचार कर रहे हैं इसमें आप क्या निर्णय ले रहे हैं ?

श्री श्याम लाल यादव–

जो श्रमिक हैं जिनके नाम से आवंटन हुआ है उनको आवास दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है वही उसको खरीदने के लिये पात्र व्यक्ति होंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सरकार की नीति तो ठीक है, लेकिन नीति का सही अनुपालन न होने से मजदूरों में चिन्ता है । मान लीजिये आपके एक मजदूर को कक्ष आवंटित है किसी माफिया या दादा ने उस पर कब्जा कर लिया और गरीब मजदूर को भगा दिया, तो उसको आप उसी मजदूर को बेचेंगे ऐसी कोई नीति है ? आप प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं को बेचेंगे जिनके नाम आवंटित है ?

श्री श्यामलाल यादव–

जो आवंटी था वही रिकार्ड में है और उन्हीं को देने को कह रहे हैं यदि किसी माफिया या दादा ने कब्जा किया है वह लिखित रूप से हमारे पास नहीं है हम उन्हीं को देने के कटिबद्ध हैं जिनको आवंटन किया गया है ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

इसका मतलब माफिया कब्जा कर रहे हैं इन्होंने कहा हमारे पास सूचना नहीं है माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे यह बहुत ही गम्भीर मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित सूचना दे दें मंत्री जी छानबीन करा लेंगे ।

श्री श्यामलाल यादव–

जांच करा लेंगे लिखकर दे दें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, 24 सितम्बर, 1994 को शासनादेश हुआ इसमें स्पष्ट लिखा है इस प्रकार अनधिकृत कब्जे हैं दूसरी चीज रेट लगाया गया है वह सर्किल रेट लगाया गया है । स्थिति यह है कि श्रमिक वर्ग के जो मामले हैं वह किराये पर रह रहे हैं उनको यदि सर्किल रेट पर दिया जायेगा तो वह ज्यादा होगा तो मेरा अनुरोध है कि जिस कीमत पर भवन बने थे उस समय जो जमीन के दाम थे उसी रेट पर श्रमिकों को विक्रय करायेंगे ?

श्री श्यामलाल यादव–

मान्यवर, श्रमिक संगठनों से वार्ता हुई है इसी पहलू को मद्देनजर रखते हुए विचार कर रहे हैं यह शासन के विचाराधीन है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी का उत्तर सदन को गुमराह कर रहा है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन् यह विषय मेरा ही शुरू किया हुआ है अपने कार्यकाल में, श्रमिक स्वामित्व को हस्तान्तरण का विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है । हजारों मुकदमें लम्बित थे, न्यायालयों में और स्थिति बिगड़ रही थी ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक सवाल पूछें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है । मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि न्यायालयों में इन्हीं के स्वामित्व को लेकर हजारों वाद लम्बित हैं ? यदि हैं तो उन वादिकारियों को जो जिनके खिलाफ स्वामित्व के बारे में वाद लम्बित हैं, शासन की क्या नीति होगी ? दूसरा सवाल यह है कि वाद लम्बित हैं अन्य कारणों से भी जैसे अवैध निर्माण को लेकर । उस वक्त यह व्यवस्था शासन से शुरू की गई थी ऐसे अवैध निर्माण जिनके कारण दूसरे किसी पड़ोसी को कोई कठिनाई न हो उन्हें भी नियमित किया जाय । उस संदर्भ में एक श्रेणी उनकी भी आएगी । क्या कोई श्रेणी घोषित की गयी है ? या सबको एक नियम के तहत यह आदेश कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

स्वामित्व के बारे में जितने विवाद न्यायालयों में हैं उस पर माननीय सदस्य की जिज्ञासा है ।

श्री श्यामलाल यादव–

जो वाद न्यायालयों में विचाराधीन हैं जिनके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है, उसके लिये भी मैं समाधान तलाश कर रहा हूं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

स्वामित्व को लेकर जो वाद न्यायालयों में हैं उनको शासन अपने स्तर से यह नीति निर्धारित कर दे तो बहुत से वाद समाप्त हो जायेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आज यह कह रहे हैं कि विचाराधीन हैं । इसके पहले इन्होंने इसके विरोधाभास वाली बात आवंटन की कार्यवाही चल रही है कही थी ।

श्री अध्यक्ष–

अगर मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है तो आप लिखकर दे दें । हम उसको दिलवा लेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

हम अपनी सूचना विशेषाधिकार के तहत दे देंगे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि आगरा में बालेश्वर कालोनी श्रमिक कालोनी है । वह 40 साल पहले बनी थी । चालीस साल से लोग वहां रह रहे हैं । इस समय जो आदेश गये हैं उसमें उनको अनधिकृत माना गया है । जैसा कि अभी श्री गुप्ता ने कहा कि माफिया लोग रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 10 साल पहले जिनके नाम आवंटन हुआ जो अब संसार में नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गये । उनके परिवार के लोग रह रहे हैं उनको भी अपात्र माना जा रहा है । उनको भी अनाधिकृत माना

जा रहा है । हजारों लोगों में इससे भारी बेचैनी है । क्या माननीय मंत्री जी सदन में स्पष्ट घोषणा करेंगे कि 40 साल पहले जिन लोगों को आवंटन हुआ था यदि उनके परिवारीजन वहां रह रहे हैं और उनके वारिस हैं तो उनको अधिकृत माना जायगा । दूसरा सर्किल रेट है उसके हिसाब से तो किसी के भी वश के बाहर है । भारत सरकार का इस संबंध में जी० ओ० है । उनको उसी समय के रेट से देने का आश्वासन देंगे ?

श्री श्याम लाल यादव–

जो 40 वर्ष से रह रहे हैं जिनका उस समय आवंटन हुआ है । उनके परिवार के लोग इस समय रह रहे हैं उनको दिया जायेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

वृद्धावस्था पेंशन को किसान पेंशन योजना का नाम दिये जाने के विषय में जानकारी

1*।–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब तक सामाजिक सुरक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में देय वृद्धावस्था पेंशन को समाप्त कर उसका नाम बदलते हुए उसे "किसान पेंशन योजना" का नाम दे दिया गया है ? क्या इस योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को प्राप्त होगा अथवा चयनित किये गये पात्र व्यक्तियों में से मात्र उतने ही लाभार्थी आच्छादित होंगे जितना कि लक्ष्य तय किया गया है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)–

जी हां ।

उपलब्ध संसाधन तथा निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक ही आच्छादित किये जाने की व्यवस्था है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं शासन की घोषणा जो सदन में हुयी है कि सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन दी जायगी उस संबंध में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन को किसान पेंशन में बदल दिया गया है उसके दो दुष्परिणाम हुये हैं, मैंने सदन में यह मामला उठाया था कि शहरी क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन जो काट दी गयी है क्या उसको फिर से सरकार देगी सरकार ने आश्वासन दिया था कि जोड़ देंगे ? आपने 2 लाख लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है । अभी पिछले वित्तीय वर्ष का पैसा नहीं गया है । पिछले 2 वर्ष का पैसा नहीं दिया गया है और पेंशन होल्डर्स दर दर मारे मारे घूम रहे हैं-एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पुराना पैसा है वह कब तक दे दिया जायगा । वर्तमान में जो लक्ष्य रखा गया है, यदि किसी की पात्रता नष्ट हो जाती है कमासुत हो जाने के कारण या किसी और कारण से तो जिलाधिकारी उतने लोगों को दे देते थे, आपने जो लक्ष्य रखा है वह कम किया है । इस वर्ष जितने लोग पेंशन पा रहे हैं अगले वर्ष उनकी संख्या कम हो जायगी । आपने शहरी क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन काट दी है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन दी जायगी उस पर आप स्टैण्ड करते हैं या नहीं अथवा जो जिले का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके अनुसार आप करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो उत्तर में स्पष्ट है कि उपलब्ध संसाधन तथा निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक आच्छादित किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शासन की नीति और उत्तर में फर्क है। आपने जो लक्ष्य दिया है वह कितना है और जो पुराना बकाया है उसका भुगतान करने तथा सभी वृद्धों को इससे आच्छादित करेंगे ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जैसा मैंने 28 तारीख को अपने बजट के दौरान माननीय सदस्यों को अवगत कराया था कि 95-96 के वित्तीय वर्ष में 2 लाख लोगों को और बढ़ाकर हम देंगे। माननीय गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है कि पैसा नहीं दिया गया है तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 5413.3 लाख रुपये पहले जा चुका है और 3043.67 लाख रुपया 28 तारीख को पी० एल० ए० से रिलीज हो गया है और जिलों में पहुंच गया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वृद्धावस्था और किसान पेंशन मिल नहीं रही है। यह पिछली सरकार की जगलरी है। मैं जानना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन की जो स्वीकृतियां हुई हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको पेंशन क्यों नहीं वर्तमान समय में नहीं दी जा रही है ? आपने वृद्धावस्था पेंशन को बन्द करके किसान पेंशन कर दिया है। मेरा निवेदन है कि जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको देने पर विचार करेंगे ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन के नाम से मिलती है और ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पेंशन के नाम से मिल रही है। पिछली बार 28 तारीख को माननीय सदस्यगण ने वृद्धावस्था पेंशन की बात उठायी थी, पुराना जो शासनादेश है और पिछली सरकार ने जो काला कानून बना दिया था कि 12 अक्टूबर, 1994, शहरी क्षेत्र में जो पेंशन मिलती है, अब आगे लक्ष्य नहीं बढ़ाया जायेगा और जितने पेंशनर्स कम होते जायेंगे उतना देहात क्षेत्र में दिया जायेगा। मैंने 28 तारीख को बताया था कि जितनी शहरों में वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, उसको कम नहीं किया जायेगा, जो लक्ष्य है उसको बरकरार रखा जायेगा।

श्री स्वयंबर चौधरी–

मान्यवर, किसान पेंशन की चयन प्रक्रिया में जो नियम हैं, उसमें ऐसा है कि पात्र व्यक्ति प्रार्थना पत्र देता है तो उस पर लेखपाल संस्तुति करता है, कानूनगो संस्तुति करता है और तहसीलदार प्रमाणित करता है और तब एस० डी० एम० स्वीकृति प्रदान करता है। विधायकों को यह अधिकार है कि वह जाति का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, लेकिन पेंशन के लिये प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, तो मेरा अनुरोध है विधायकों के प्रमाण पत्र को भी मान लेना चाहिए, इससे जनता की बहुत सी कठिनाइयों का समाधान हो जायेगा, इस पर माननीय मंत्री जी विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैंने राजेन्द्र गुप्त जी को बुलाया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसी में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कहा कि शहरी लोगों में जो लक्ष्य है, उसको कम नहीं किया जायेगा, लेकिन धीरे-धीरे इसको समाप्त कर दिया जायेगा। आज तो आप लक्ष्य को बरकरार रखेंगे, लेकिन नये लोगों को नहीं बनने देंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो लक्ष्य है, वह रहे उसको आप समाप्त न करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जिले में

2 लाख से ज्यादा का बकाया है । आप अपने वित्तीय साधनों को देखें, आप इतना रुपया दें जिससे कुछ एक महीने में और कुछ दूसरे महीने में भुगतान हो जाये ।

श्री राम पाल–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वृद्धावस्था और किसान पेंशन का पैसा जो था वह रिलीज हो गया है और जिलों में पहुंच गया है । मान्यवर, यह व्यवस्था कर दी गयी है कि अब किसान पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग और विधवा पेंशन कैम्प लगाकर वितरित की जायेगी और इसमें पूरा सुधार कर लिया गया है ।

वर्ष 1995 में पर्वतीय जंगलों में लगी आग से हुई क्षति की जानकारी

*2–श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री बदन सिंह, डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" तथा श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई-जून, 1995 में पर्वतीय जंगलों में लगी आग से कितनी क्षति हुई है ? क्या सरकार इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने के लिये कोई कारगर योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

लगभग रुपये 193.33 लाख की क्षति हुई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, पर्वतीय जंगलों में गढ़वाल और कुमायूं के अन्दर जो आग लगी है, मई के अन्तिम सप्ताह से लेकर पूरे जून के महीने तक आग जलती रही और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 193.33 लाख की क्षति हुई है । मान्यवर, मुझे साफ जानकारी है कि 20 करोड़ से अधिक हानि इसमें हुई है और इस आग को वन विभाग के द्वारा बुझाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, स्वतः ही जब आकाश से वर्षा हुई तब यह आग बुझी तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आग के लगने के कारण क्या थे और विभाग की तरफ से आग को बुझाने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष–

यह 193.33 लाख है क्या यह 20 करोड़ होता है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी आग लगी थी तो तुरन्त इसको बुझाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया जिससे इतनी बड़ी रकम की हानि न होती और पर्यावरण नष्ट न होता और जाने वाले पर्यटकों को हानि न उठानी पड़ती ?

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

श्रीमन्, आग लगने के कारणों के लिये एक कमेटी गठित कर दी गयी है जो भारत सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है लेकिन आग लगने के जो कारण हैं उससे अवगत कराना चाहता हूं आग लगने के मुख्य कारण यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में वनों में आग लगने के

कारणों की जांच वन विभाग द्वारा वन संरक्षकों की अध्यक्षता में गठित समितियों ने की जिसमें आग लगने के निम्नलिखित कारण पाये गये ।

इस वर्ष गर्मी में अत्यधिक ऊंचा तापमान तथा लम्बी अवधि का सूखा राहगीरों द्वारा जलती बड़ी/सिगरेट के टुकड़े फेंक देना, स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा निकटवर्ती क्षेत्रों में घास पाने के लिये जमीन पर पड़ी चीड़ की सूखी पत्तियों (पिरूल) आदि को जलाना, चीड़ की सूखी पत्तियों पर चलने से आदमी तथा जानवर फिसलते हैं अतः इस फिसलन से बचने के लिये स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा सूखी चीड़ की पत्तियों को जलाना, लोक निर्माण विभाग की सड़कों की पेन्टिंग करने के लिये कोलतार को गरम करने के लिये जलाई गयी आग, असावधानी से वनों में फैल जाना, माह मई में गेहूं के खेतों में कटाई के बाद, किसानों द्वारा उनमें आग लगाने और आग के वन क्षेत्रों में फैल जाने से । तो मान्यवर, इसकी जांच के लिये भारत सरकार द्वारा एक कमेटी गठित कर दी गयी है अभी उसके कारण नहीं आ पाये हैं।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, हमारा मूल प्रश्न था कि क्या वन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माह मई-जून, 1995 में पर्वतीय जंगलों में लगी आग से कितनी क्षति हुई है तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 193.33 लाख की क्षति हुई है । मान्यवर, क्षति का तात्पर्य यह है कि माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि पर्वतीय क्षेत्र में आग लगने से तमाम सोते सूख गये हैं, कितने लोगों की आग से जल जाने से मृत्यु हुई है, कितने घायल हुए हैं, कितने जानवर आग से स्वाहा हुए, जो लोग घायल हुए हैं या जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा मिला या नहीं, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने मरे हैं और कितने जानवरों की मृत्यु हुई है ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, कितनी क्षति हुई है यह प्रश्न के उत्तर में आ गया था कि लगभग 193.33 लाख की क्षति हुई है जिसकी रिपोर्ट आ गयी है अब आपका कहना है कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं और उनको मुआवजा दिया गया या नहीं तो उसमें न तो कोई मरा था और न कोई घायल हुआ था इसलिये मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(व्यवधान)

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यह पहाड़ के लिये महत्वपूर्ण बिन्दु है । तमाम लोगों के मरने और तमाम जानवरों की क्षति होने का समाचार है । 10-12 लोगों की मृत्यु की सूचना है, सैकड़ों जानवरों के मरने का समाचार है।

श्री अध्यक्ष–

यह किसी पेपर में छपा है या कैसी सूचना है ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

4 लोग तो मेरे क्षेत्र में मरे हैं जिला प्रशासन ने यह रिपोर्ट दी है । आग लगने से 4 लागों की पोखरा विकास खण्ड में और दो लोगों की फलिस क्षेत्र में कुल 6 लोगों की मृत्यु आग लगने से हुई है । वह प्रशासन की रिपोर्ट शासन के पास है ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो जंगलों की आग है इससे या किसी और आग से हुई है ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यह आग लगने से । यह तमाम आग लगने से मृत्यु हुई है लगातार एक माह तक आग रही । हल्द्वानी में टास्क फोर्स.....

श्री अध्यक्ष–

यह उससे कहां संबंधित है ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, हल्द्वानी में हेलीकाप्टर केन्द्र है सरकार का । हेलीकाप्टर उपलब्ध है, उस पर करोड़ों रुपया का व्यय किया जाता है वह आग बुझाने के लिये है । इन दोनों बिन्दुओं का जवाब दिलवा दें कि वह जो हेलीकाप्टर है उसका उपयोग क्या किया जाता है उसको आग बुझाने के लिये क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है दूसरे जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, मैंने प्रश्न के उत्तर में पहले ही बता दिया कि न तो कोई व्यक्ति घायल हुआ है और न मरा है । माननीय सदस्य की जो सूचना है वह सत्य से परे है । अगर यह कहते हैं कि ऐसी सूचना है तो माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि लिखकर दे दें जांच करा लेंगे । लेकिन कोई ऐसी सूचना नहीं है यह बात उनकी सत्य से परे है न कोई व्यक्त मरा है न कोई व्यक्ति घायल है क्षति की जो सूचना थी वह मैंने दे दिया है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, यह पहाड़ का मामला है बड़ा महत्वपूर्ण मामला है वहां पर जो आग बुझाने के उपकरण थे उनका क्यों नहीं उपयोग किया गया ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर आपकी रुचि थी, इससे गहरी सहानुभूति थी तो प्रश्न आप लगाते ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जो विशेषज्ञ टीम गयी उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी ऐसा नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

नहीं माननीय तिवारी जी ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा आरोप नहीं है आपकी पीठ पर, [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

नहीं माननीय तिवारी जी ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

पीठ पर आरोप है, मैं घोर निन्दा करता हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यह गलत कहा जा रहा है कि नहीं लग रहे हैं । इसको कार्यवाही से निकलवा देने का कष्ट करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

[× × ×]

श्री राम विशुन आजाद–

एक भी प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी प्रश्न दलगत आधार पर नहीं लगाये जाते हैं । जो भी प्रश्न लगाये गये हैं वह परीक्षण करने के बाद लगाये गये हैं । जो इस तरह का आरोप आपने पीठ पर और विधान सभा सचिवालय पर लगाया है इसे कार्यवाही से निकालने के आदेश देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पीठ पर आरोप लगाना एक गम्भीर विषय है ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आप नियम–56 और नियम 300 के अन्तर्गत कांग्रेस के सदस्यों को सुनते ही हैं और भी कई नियमों के अन्तर्गत इन्हें आप सुनते हैं ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, यह जो आरोप लगाया गया है मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं ।

(व्यवधान)

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें । आदरणीय सदस्यगण मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी सवाल किसी दलगत आधार पर न तो उसका चयन किया जाता है और न ही चयन किया जायेगा । आप कुछ कहकर दबाव डालकर करवाना चाहते हैं तो यह नहीं होगा । सवाल के महत्व के देखते हुए जो नियमावली में व्यवस्था दी गयी है उसके तहत ही प्रश्नों को लिया जाता है । किसी भी प्रकार का आक्षेप लगाकर या दबाव डालकर, आरोप लगाकर मैं समझता हूं कि इससे न तो सदन की और न ही सदस्यों की और न ही पीठ की गरिमा बढ़ेगी । कोई भी भेदभाव यहां पर नहीं बरता गया है और यदि कोई ऐसी बात है तो आप मेरे संज्ञान में लिखित रूप से दे दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं मौखिक रूप से आपको कह चुका हूं । आज कांग्रेस के लोगों के प्रश्न नहीं लगाये जा रहे हैं और जो सहयोगी दल है सरकार के उनके प्रश्न लिये जा रहे हैं । मैं लिखकर भी दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आज का एजेन्डा उठाकर देख लें । पहला प्रश्न ही माननीय ऊदल जी का लगा हुआ है । पृष्ठ–4 पर तीसरा प्रश्न श्री नरेश अग्रवाल जी का है इसके अतिरिक्त नियम–300 और नियम–56 के अन्तर्गत भी आप कांग्रेस के लोगों को सुनते हैं । मैं चाहूंगा कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सदन में बहुत ही गम्भीर चर्चा हो गयी है । मान्यवर, मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के अनुसार ही हमारे यहां भी रूल्स हैं । वहां क्लार्क आफ द हाउस होता है यहां पर भी क्लार्क आफ द हाउस होता है । जो प्रिवलेज उनको है वही हम लोगों को भी है । वहां पर क्लार्क आफ द हाऊस और सचिवालय पूरी तरह से आलोचना से प्रोटेक्टेड है आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं उसी तरह से इस विधान सभा सचिवालय की भी आप आलोचना नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, प्रश्न लगाने की एक प्रक्रिया होती है और उसका एक रजिस्टर मेन्टेन होता है । जो भी प्रश्न आते हैं उसकी एन्ट्री होती है । वे कोई लाभ में या लालच में काम नहीं करते हैं । फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर होता है । इस सदन में आपके सचिवालय की जो आलोचना की गयी है, उसे आप कार्यवाही से निकलवा दें । जो भी कार्यवाही हुई है, उसे कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में यह भी लिखा है कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–घोर व्यवधान)

श्री लालमणि प्रसाद–

मान्यवर, यह पीठ पर आक्षेप है, इसे आप कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जो इस सचिवालय पर और आप पर आरोप आया है, उसे श्रीमन् कार्यवाही से निकलवा देने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

[तत्पश्चात् 12 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी]

नोट :–प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार अन्य प्रश्न उत्तरित माने गये ।

प्रदेश में 60 वर्ष के वृद्धों को सौ रुपया मासिक पेंशन दिये जाने की मांग

*3–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी 60 वर्ष के वृद्धों को 100/- मासिक पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस पर कितना खर्चा आयेगा तथा इसकी घोषणा कब तक की जायेगी ?

श्री श्रीराम पाल–

जी नहीं । साठ वर्ष से अधिक उम्र के तथा निर्धारित पात्रता के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध संसाधन की सीमा एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मासिक पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है ।

जी नहीं ।

वर्तमान प्रचलित योजना के अन्तर्गत वर्ष 94-95 में रु० 8968.05 लाख का खर्च हुआ तथा 95-96 में रु० 11654.55 लाख व्यय अनुमानित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[गुरुवार, दि० 3 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[दि० 20-7-95 को ता० प्र० सं० 10 द्वारा उत्तरित]

बिजनौर वन प्रभाग के कौड़िया रेंज में खैर की लकड़ी के अवैध कटान की जांच की मांग

*2–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर वन प्रभाग के कौड़िया रेंज में खैर के छीले हुए कितने नग रेंज अधिकारी कार्यालय में रखे गये हैं ? इस लकड़ी का वजन माप तथा मूल्य क्या है ? क्या खैर की लकड़ी की अवैध कटान की लिखित सूचना वन रक्षक वन दरोगा द्वारा रेंज अधिकारी को दिनांक 14 अक्तूबर, 1994 को दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

कुल 62 नग रखे हुए हैं ।

प्रश्नगत लकड़ी का आयतन 3–8658 घनमीटर है तथा इसका अनुमानित मूल्य रुपये 22,723.00 मात्र है ।

इसकी लिखित सूचना क्रमशः 30-1-95, 31-1-95 तथा 2-2-1995 को दी गयी है ।

प्रकरण की जांच की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित कमेटी के स्थल चयन के विषय में जानकारी

*3–श्री तीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या एस–4(30)(1)/85-138-रा-5, दिनांक 29-6-1989 परिशिष्ट–2 के अन्तर्गत अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति को जिला मुख्यालय के स्थल चयन एवं सीमांकन के साथ-साथ क्या जनपद सोनभद्र का पुनः सीमांकन का भी कार्य करने को निर्देशित किया गया था ? यदि नहीं, तो सोनभद्र जनपद के पुनः सीमांकन के आधार पर जिला मुख्यालय स्थल को स्वीकार करने का क्या औचित्य था ?

राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)–

जी हां ।

श्री नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विशेष अभियान के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में मछुआ समुदाय के लोगों को तालाबों का आवंटन

*4–श्री अक्षयवर भारती–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में मछुआ समुदाय के लोगों को कितने तालाबों के पट्टे दिये गये हैं एवं कितने गैर समुदाय के लोगों को दिये गये हैं ? कितने तालाब अवशेष हैं ? क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर मछुआरों को पट्टा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत तहसील में अब तक 332 मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को 301 तालाबों के पट्टे दिये गये हैं एवं गैर समुदाय के 112 लोगों को 141 तालाबों के पट्टे दिये गये हैं । 14 तालाब आवंटन हेतु अवशेष हैं । विशेष अभियान चलाकर 31 अगस्त, 1995 तक पात्र व्यक्तियों को अवशेष तालाबों का आवंटन कर दिया जायेगा ।

प्रदेश में गांव पंचायत के अक्टूबर, 1994 में होने वाले चुनावों के स्थगन की जानकारी

*5–श्री बदन सिंह–

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गांव पंचायत के माह अक्टूबर, 1994 में होने वाले चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब वे कब सम्पन्न कराये जायेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां । पुनर्गठन एवं परिसीमन कार्य के अपूर्ण होने के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव माह अक्टूबर, 1994 में स्थगित कर दिये गये थे ।

प्रदेश के मैदानी जनपदों में ग्राम पंचायतों के चुनाव माह अप्रैल, 1995 में सम्पन्न हो चुके हैं । पर्वतीय जनपदों में चुनाव यथाशीघ्र सम्पन्न कराये जायेंगे ।

वाराणसी नगर में मालवीय ब्रिज से रामनगर पीपा पुल तक मछली मारने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने की मांग

*6–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर में मालवीय ब्रिज से रामनगर पीपा पुल तक 7 किलोमीटर जल क्षेत्र में मछली मारने पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिये जाने से मछली मारकर परम्परागत रूप से जीवन यापन करने वाले वाराणसी जनपद के करीब 20 हजार निषाद मल्लाह परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? क्या शिकारमाही पर रोक संबंधी शासनादेश को अविलम्ब वापस लेने की घोषणा सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव विहार घोषित है । वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के फलस्वरूप इस क्षेत्र में मछली विदोहन पर रोग लग गयी है परन्तु यह लोग अनारक्षित क्षेत्र में मछली मारकर जीवन यापन कर सकते हैं अतः यह कहना सही नहीं है कि प्रश्नगत मल्लाह परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ।

जी नहीं ।

वन विभाग द्वारा गंगा नदी पर स्थित श्मशान घाटों पर अधजलें एवं बिना जले शवों की सफाई हेतु मांसाहारी कछुओं को गंगा नदी पर विमोचित किया गया है । गंगा की सफाई के उद्देश्य से छोड़े गये इन कछुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये यह क्षेत्र वन्य जीव विहार घोषित किया गया है अतः अधिसूचना वापस लिये जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद चमोली एवं पौड़ी में आदमखोर बाघों से मुक्ति हेतु सुरक्षा व्यवस्था की मांग

*7–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद चमोली एवं जनपद पौड़ी में आदमखोर बाघ कई हत्यायें कर चुका है ? यदि हां, तो जनपदवार चमोली व पौड़ी में विगत पांच वर्षों में कुल कितने और किन-किन लोगों को आदमखोर बाघ ने मारा और कितने-कितने लोगों को घायल किया ? क्या इन सभी लोगों को उचित मुआवजा मिल चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार आदमखोर बाघों से मुक्ति हेतु तत्काल कोई विशेष योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक सरकार जनता के जानमाल की सुरक्षा की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां ।

जनपद चमोली व पौड़ी में विगत पांच वर्षों (1990-1994) में कुल 63 व्यक्तियों (चमोली में 21 एवं पौड़ी में 42) को गुलदार (बाघ) द्वारा मारा गया है (परिशिष्ट–I). तथा † इस अवधि में कुल 105 व्यक्तियों को घायल किया गया ।

इस अवधि के मृत्यु के 44 तथा घायलों के 59 मामलों में अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है । शेष 19 मृतक तथा 46 घायलों के प्रकरणों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के न मिलने, उत्तराधिकारी द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने तथा घायलों द्वारा सक्षम चिकित्साधिकारी के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

आदमखोर गुलदार द्वारा मनुष्यों को मारने या घायल करने की घटनायें आकस्मिक होती है । ऐसी घटना की जानकारी होते ही ऐसे पशु को मारने या पकड़ने की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है ।

*8–श्री रंगनाथ मिश्र–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

वेश्यावृत्ति जैसे गैर कानूनी धन्धे में लिप्त महिलाओं के पुनर्वास तथा एड्स के उपचार हेतु व्यवस्था की मांग

*9–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेश्यावृत्ति जैसी गैर कानूनी धन्धे में लिप्त महिलाओं के उद्धार हेतु अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम, सन् 1956 के अन्तर्गत पिछले एक साल में वाराणसी में कुल कितने छापे डाले गये तथा कितनी महिलाओं का उद्धार किया गया ? क्या इन महिलाओं में एड्स जैसे भयंकर रोग के जीवाणु पाये गये ? यदि हां, तो इसके उपचार हेतु क्या व्यवस्था

---

† छापी नहीं गयी ।

की गयी ? इनके द्वारा रोग के संक्रमण की रोकथाम की दिशा में कौन से कदम उठाये गये ? उद्धार की गयी महिलाओं के पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

वर्ष 1994-95 में कुल 04 छापे डालकर कुल 20 वैश्याओं का उद्धार किया गया । इन महिलाओं को न्यायालय द्वारा अल्प अवधि में ही जमानत पर मुक्त कर देने के कारण इनके एड्स संबंधी परीक्षण नहीं कराया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छापे में पकड़ी गयी महिलाओं को न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त कर दिये जाने के कारण इनके पुनर्वासन की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है ।

उ० प्र० वन उपज अभिवाहन नियमावली, 1978 का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग

*10–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० वन उपज अभिवाहन नियमावली, 1978 में यह प्राविधान नहीं है कि बिना ट्रांजिट फीस के ट्रांजिट पास जारी किया जाय ? क्या इस नियमावली का अनुपालन माह जून, 1990 से जून, 1992 तक तथा इसके पूर्व और बाद में वर्तमान समय में पश्चिमी बहराइच वन प्रभाग/पूर्वी बहराइच वन प्रभाग/उत्तर गोण्डा वन प्रभाग/दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग/उत्तर गोरखपुर वन प्रभाग/दक्षिण गोरखपुर वन प्रभाग में किया जा रहा है ? क्या इस नियमावली का उल्लंघन उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में ही माह जून, 1990 के बाद और जून, 1992 तक किया गया है ? यदि हां, तो इससे सरकार को राजस्व की कितनी क्षति हुई है ? क्या सरकार उ० प्र० वन उपज अभिवाहन नियमावली, 1978 का अनुपालन न करने वाले प्रभागीय वनाधिकारी तथा संबंधित आशुलिपिक के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामलखन वर्मा–

जी हां । बिना ट्रांजिट फीस के ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था नहीं है ।

जी हां, लेकिन उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में माह जून, 90 से जून, 92 तक तथा नवम्बर, 81 से जून, 83 तक की अवधि में वन उपज पर केवल एक ही बार एक बिन्दु पर अभिवहन शुल्क की वसूली की गयी । उसी प्रकोष्ठ के द्वारा अभिवहन पर अभिवहन शुल्क की वसूली नहीं की गयी ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में प्रश्नगत अवधि में वन उपज पर केवल एक ही बार एक बिन्दु पर अभिवहन शुल्क की वसूली की गयी है, उसी प्रकाष्ठ के द्वारा अभिवहन पर अभिवहन शुल्क की वसूली नहीं की गयी है रूप में 68,700.00 की क्षति हुयी है ।

जी हां , तत्कालीन प्रभागीय व अधिकारी, उत्तरी गोण्डा वन प्रभाग तथा संबंधित आशुलिपिक से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरिद्वार में हुए जिला परिषद के चुनावों में की गयी अनियमितताओं के जांच की मांग

*11–श्री आचार्य जगदीश मुनि–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरिद्वार में जिला परिषद् के अभी हाल ही में हुए चुनाव में काफी अनियमिततायें बरती गयी हैं ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12–श्री शारदानन्द अंचल–

[6ठें मंगल में ता० प्र० सं० 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*13–श्री जगदम्बिका पाल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ गठित शोध संस्थान में तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कर्मचारियों के संविलीनीकरण की मांग

*14–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ शासनादेश संख्या 1261/26–ज–86/8/50-84, दिनांक 15 जनवरी, 1987 द्वारा प्रदेश में जो शोध संस्थान का गठन किया गया है उसमें तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कर्मियों का संविलीनीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संविलीनीकरण न होने की दिशा में उक्त कार्मिकों की सेवाओं/वेतन भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । यदि हां, तो उसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीराम पाल–

जी नहीं, अभी तक तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के अन्तर्गत क्रियाशील शोध एवं प्रशिक्षण इकाई में कार्यरत कार्मिकों का सरिलीनीकरण गठित अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में नहीं किया गया है ।

प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में पांचवीं तहसील के निर्माण हेतु स्थल चयन की जानकारी

*15–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद में 5वीं तहसील प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक और किस स्थान पर किया जायेगा ? क्या इस नई प्रस्तावित तहसील का निर्माण हरपालपुर कस्बे में हो सकता है जहां तहसील का काम चलाने के लिये भवन आदि उपलब्ध है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां ।

प्रकरण अभी विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम चोरपा खुर्द तहसील मऊनाथ भंजन जनपद मऊ के अनुसूचित जाति के कब्जेदारों को शासनादेश के तहत पट्टे दिये जाने की मांग

1–श्री अक्षयवर भारती–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–चोरपा खुर्द, तह० मऊनाथ भंजन, जनपद–मऊ के गाटा सं०–660/2 रकबा 660 कड़ी तथा गाटा सं०–492 रकबा 600 कड़ी आदि गाटा सं० के संदर्भ में शासन के आदेश सं०–45/1994/(7)/94 लोक शिकायत अनुभाग–4, दिनांक 11-2-94 का अनुपालन किया गया ? क्या शासन के आदेशों का अनुपालन करते हुए अनुसूचित जाति के कब्जेदारों को उनके पक्ष में पट्टे की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम पचवस विकास खण्ड विक्रमजोत जिला बस्ती के तीन वृद्ध व्यक्तियों को स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान की जानकारी

2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पचवस वि० खण्ड विक्रमजोत जिला बस्ती के तीन वृद्ध व्यक्तियों श्री सतोषी अनुसूचित जाति, श्री राम अवध (अवधू) अनुसूचित जाति एवं श्री राम धीरज सिंह को माह सितम्बर, 1992 में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हुई थी परन्तु अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो पेंशन का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री श्री रामपाल–

जी हां ।

सम्प्रति वर्ष 94-95 तक का भुगतान किया जा चुका है ।

जनपद भदोही में निगोह तहसील को मिलाये जाने हेतु हुए नोटीफिकेशन की जानकारी

3–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही जनपद में निगोह तहसील को मिला दिया गया है ? यदि हां, तो उसका नोटीफिकेशन कब हुआ ? कौन-कौन पुलिस थाने जौनपुर जिले के भदोही जनपद में सम्मिलित किये गये ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां ।

सर्वप्रथम अधिसूचना संख्या–422/1-5/95-338/78–रा–5. दिनांक 27 अप्रैल, 1995 द्वारा तहसील निगोह को जिला जौनपुर से निकालकर जिला भदोही में सम्मिलित करने के आदेश निर्गत किये गये । तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या–422/1-5/95-338/78–रा–5. दिनांक 22 मई, 95 द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 1995 को निर्गत उपरोक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना को दिनांक 27 अप्रैल, 95 के स्थान पर दि० 1 जून, 1995 से प्रभावी/लागू माना गया । तत्पश्चात् पुनः विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या–422/1-5/95–338/78-रा–5. दिनांक 2 जून, 1995 द्वारा उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल, 95 व दिनांक 22 मई, 1995 में आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 1 जून, 1995 के स्थान पर दिनांक 15 जून, 1995 से प्रभावी/लागू माना गया । इस प्रकार तहसील निगोह को जिला भदोही में दिनांक 15 जून, 1995 से सम्मिलित किया गया ।

जौनपुर जिले के पुलिस थाने बरसठी, रामपुर, मीरगंज, नेवदिया के आंशिक क्षेत्र तथा थाना सुरेरी का सम्पूर्ण क्षेत्र जनपद भदोही के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है परन्तु उक्त सभी थाने अभी जिला जौनपुर से ही नियंत्रित हो रहे हैं ।

पश्चिमी बहराइच वन प्रभाग में प्रभागीय वनाधिकारी के पद पर तैनात श्री के० के० बंसल द्वारा अवैध कटान कराये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

4–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० के० बंसल पश्चिमी बहराइच वन प्रभाग प्रभागीय वनाधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान अवैध कटान में दोषी पाये गये हैं ? क्या शासन ने उन्हें दण्ड दिया ? क्या उक्त श्री बंसल को पुरस्कृत करके प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, रायबरेली के पद पर पूर्व सरकार ने तैनात कर दिया था ? यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार द्वारा उक्त दोषी प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

श्री के० के० बंसल नाम का कोई भी अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी, पश्चिमी बहराइच वन प्रभाग के पद पर तैनात नहीं रहा है । श्री डी० आर० बंसल पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी, पश्चिमी बहराइच वन प्रभाग के पद पर तैनात रह चुके हैं, जिनके विरुद्ध प्रकाश में आये प्रश्नगत अवैध पातन के मामले

में कार्यवाही प्रगति पर है । दोषी पाये जाने पर श्री बंसल को यथावश्यक दण्ड दिया जायेगा । पुरस्कृत करने के उद्देश्य से नहीं अपितु वार्षिक स्थानान्तरण में श्री बंसल को प्रभागीय वनाधिकारी, अग्नि शमन परियोजना, हल्द्वानी के पद पर सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, रायबरेली में प्रभागीय निदेशक के पद पर स्थानान्तरित किया गया । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । श्री डी० आर० बंसल के विरुद्ध प्रश्नगत अवैध पातन के संबंध में कार्यवाही प्रगति पर है ।

अवैध कटान को रोकने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी

5-श्री मातबर सिंह कण्डारी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाप भूमि के पेड़ों के काटने की स्वीकृति क्या वन संरक्षक द्वारा दी जाती है ? क्या यह सत्य है कि नाप भूमि के पेड़ों को काटने की स्वीकृति में काफी परेशानी कृषकों को होती है ? क्या यह भी सत्य है कि नाप भूमि के पेड़ों को काटने की स्वीकृति मिलने पर अवैध कटान को बढ़ावा मिल रहा है ? सरकार इस अवैध कटान को रोकने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

श्री राम लखन वर्मा-

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

अवैध पातन को रोकने के लिये वनों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

जनपद महराजगंज के राज्य कर्मचारियों द्वारा घोषित हड़ताल की अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था में नियुक्त किए गये युवकों को रिक्त पदों पर पुनः कार्यभार ग्रहण कराये जाने की मांग

6-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद महराजगंज के राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा 1 सितम्बर, 1994 में की थी ? तीन माह निरन्तर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जारी रखने के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने पर क्या शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी महराजगंज ने प्रभावित कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये योग्य अनुभवी शिक्षित बेरोजगार युवकों को नियुक्त किया था ? क्या नियुक्त कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त होते ही सेवा से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार विषम परिस्थितियों में योगदान देने वाले नवयुवकों को रिक्त पदों पर उन्हें पुनः कार्य पर लेने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जी नहीं ।

हड़ताल 6-12-94 से हुई थी ।

जी हां ।

कर्मचारियों के हड़ताल से वापस आने पर वैकल्पिक व्यवस्था में नियुक्त किए गये कर्मचारियों को कार्यभार नहीं ग्रहण कराया गया । कोई बाध्यता नहीं है ।

भविष्य में होने वाली नियुक्तियां नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले में पिंडरा में नई तहसील के लिए गांव नेवादा प० कोल असला में चयनित जमीन की अधिसूचना के विषय में जानकारी

7-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सकलडीहा व पिंडरा में नई तहसील खोलने की मंजूरी शासन ने दे दी थी ? क्या पिंडरा के लिये अधिसूचना वर्ष 1985 में नहीं जारी की गयी ? क्या सरकार पिंडरा में नई तहसील खोलने की अधिसूचना जारी करेगी ? क्या यह सही है कि नई तहसील के लिये गांव नेवादा प० कोल अरासा जिला वाराणसी में जमीन का चयन किया गया है ? यदि हां, तो अधिसूचना कब तक जारी की जायेगी और तहसील पिंडरा कब तक अस्तित्व में आयेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

जनपद वाराणसी की तहसील सकलडीहा व पिण्डरा के सृजन का निर्णय लिया गया था और तहसील सकलडीहा के सृजन संबंधी अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 1989 को निर्गत की जा चुकी है परन्तु तहसील पिण्डरा के मुख्यालय के निर्धारण का मामला विवादित एवं विचाराधीन होने के कारण तहसील पिण्डरा के सृजन संबंधी अधिसूचना अभी तक निर्गत नहीं की जा सकी है ।

जी नहीं ।

प्रस्तावित तहसील पिण्डरा के मुख्यालय के निर्धारण के संबंध में अन्तिम निर्णय हो जाने के उपरान्त ही उक्त तहसील के सृजन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने की कार्यवाही तदनुसार की जा सकेगी ।

प्रस्तावित तहसील पिण्डरा के मुख्यालय निर्धारण का प्रकरण अभी विचाराधीन है ।

प्रस्तावित तहसील पिण्डरा के मुख्यालय के निर्धारण के संबंध में अन्तिम निर्णय हो जाने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी ।

8-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

[तीसरे सोम० में अता० प्र० सं० 134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

9-श्री घनश्याम शुक्ल-

[दि० 27 जुलाई, 95 को अता० प्र० सं०-149 द्वारा उत्तरित]

10-11-श्री घनश्याम शुक्ल-

[3सरे मंगल में अता० प्र० सं०-16-17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान के लम्बित मामलों की अद्यावधिक जानकारी

12-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के कई मामलों में अनेक महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? यदि नहीं, तो क्या श्रीमती मुन्नी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्तकर्ता ता० 4577 लखनऊ को पेंशन का अद्यावधिक भुगतान कर दिया गया है ? ऐसे अन्य लम्बित मामलों में अद्यावधिक भुगतान कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री श्रीराम पाल-

जी हां ।

संसाधन की कमी से लक्ष्य के अनुरूप धनराशि की व्यवस्था न होना ।

श्रीमती मुन्नी देवी पेंशन खाता संख्या 4577 जनपद लखनऊ को वर्ष 95-96 में देय अवधि जून, 1995 तक की पेंशन का भुगतान चेक संख्या 762951 दिनांक 1-7-95 द्वारा रुपया 600 किया जा चुका है ।

संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के रेंज बनकटवा/तुलसीपुर/रामपुर भांभर में हुई अवैध कटान में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

13-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा के रेंज बनकटवा/तुलसीपुर/रामपुर/भांभर में दिनांक 1 जुलाई, 1992 से 28 फरवरी, 1993 तथा 10 मार्च, 1994 तक किस-किस प्रजातियों के वृक्षों की अवैध कटान कितनी कीमत का किस-किस वन बीटों में हुआ है और कितना अवैध कटान के बोटों को जनपद गोण्डा में किस-किस पुलिस स्टेशन द्वारा तथा वन विभाग द्वारा पकड़ा गया और इस अवैध कटान में कौन-कौन रेंज अधिकारी तथा उप वन रेंजर एवं वनविद/वनरक्षक दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा-

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के रेंज बनकटवा/तुलसीपुर/रामपुर/भांभर में दिनांक 1 जुलाई, 1992 से 28 फरवरी, 1993 तथा 10 मार्च, 1994 तक जिन प्रजातियों के वृक्षों का अवैध कटान हुआ है, उसकी सूची संलग्न है ।

उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के उक्त चार रेंजों में उपरोक्त अवधि में रुपये 4,25,892.00 मूल्य के बोटे वन विभाग द्वारा पकड़े गये । पुलिस स्टेशनों द्वारा अवैध कटान के बोटों को पकड़ा जाना प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्नगत अवैध कटान के लिये उत्तरदायी सर्वश्री डी० के० यादव, वन रेंजर, शिव कुमार, वन दरोगा एवं राम सुधि वनरक्षक को आरोपित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ.....पर)

14–15–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दिनांक 27 जुलाई, 95 को अता० प्र० सं०–104-105 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के मरुई, बगैइचा, चकोरा आदि ग्रामों में हुए अग्निकाण्ड में क्षतिपूर्ति हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

16–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के मरुई, बगैइचा, चकोरा, मुजइया, मऊ, बीजापुर, गंगापुर, सीमराबारा, करमेमऊ में दिनांक 1 मई, 1995 से 30 मई, 1995 में भीषण अग्निकाण्ड में हजारों परिवार बेघर हुये थे तथा उनकी चल अचल सम्पत्ति नष्ट हुई ? यदि हां, तो प्रत्येक अग्नि पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा अहेतुक तथा आवास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां । अपितु जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के ग्राम मवइया व गोसिया मऊ में माह अप्रैल व मई, 1995 में कोई अग्नि काण्ड की घटना नहीं हुई ।

अग्निकाण्ड की घटना से संबंधित ग्रामों के 643 परिवार प्रभावित हुये तथा प्रभावित परिवारों की अनुमानित क्षति रु० 75,03,469.00 की हुई । स्थलीय परीक्षण पर पात्र पाये गये 601 परिवारों को रु० 5,15,400 अहेतुक सहायता, 572 परिवारों को रु० 3,31,700 गृह अनुदान तथा 25 परिवारों को रु० 58,950 गृह अनुदान वितरित किया गया । उक्त के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों की मृत्यु पर दस-दस हजार रुपया मा० मुख्य मंत्री जी के कोष से अनुग्रह अनुदान भी वितरित किया गया है । इतनी अधिक संख्या में लाभान्वित परिवारों की सूची दिया जाना संभव नहीं है । अतः जिलाधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है कि मा० विधायक की मांग पर परिवारवार सूचना दे दें ।

जनपद सिद्धार्थनगर के नगरपालिका क्षेत्र में श्री भागीरथी जायसवाल के मकान के किराये के भुगतान के संबंध में

17–श्री धनराज यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के नगरपालिका क्षेत्र में श्री भागीरथी जायसवाल के मकान में जिला स्तरीय समाज कल्याण विभाग का कार्यालय खुला था ? क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नगत मकान का किराया मार्च, 1992 से अब तक शासन की स्वीकृति के अभाव में मकान मालिक को भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो मकान मालिक को किराया भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां ।

जी हां ।

भुगतान यथा-शीघ्र कर दिया जायेगा ।

18–श्री घनश्याम शुक्ल–

[दिनांक 27 जुलाई, 95 को अता० प्र० सं०–121 द्वारा उत्तरित]

दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के रेंज सादुल्लानगर टिकरी उतरौला के वनबीटों में की गयी अवैध कटान में सम्मिलित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

19–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के रेंज सादुल्लानगर टिकरी/उतरौला के वन बीटों में उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कुम्बिंग कराई गयी थी जिसमें 25 लाख रुपये से अधिक अवैध कटान पाये गये हैं ? यदि हां, तो इस आरोप से संबंधित उप प्रभागीय वन अधिकारी/वर्तमान वन रेंज अधिकारी एवं पूर्व रेंज अधिकारी तथा प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां । उक्त कुम्बिंग में लगभग 21.40 लाख मूल्य का अवैध पातन प्रकाश में आया था ।

उक्त अवैध कटान के संबंध में दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील निगोह के सृजन संबंधी अधिसूचना की जानकारी

20–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्र पंचायत, रामपुर व बरसठी तथा रामनगर के चालीस गांव, तहसील मडियाहूं, जिला जौनपुर से काटकर अलग निगोह तहसील बनाकर जिला भदोही में मिला दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निगोह पश्चिमी एवं उत्तरी किनारे पर है और मध्य में स्थान रामपुर है ? क्या सरकार इसको बदल कर इसका मुख्यालय रामपुर और तहसील का नाम भी रामपुर रखने की आज्ञा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां ।

स्थान निगोह तहसील क्षेत्र निगोह के पश्चिमी और उत्तरी किनारे पर है, परन्तु स्थान रामपुर मध्य में नहीं पड़ता है ।

इस आशय का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है ।

तहसील निगोह के सृजन संबंधी अधिसूचना दिनांक 7 फरवरी, 1995 में तहसील निगोह का मुख्यालय ग्राम निगोह में ही रखने के आदेश दिये गये हैं ।

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं को प्रशिक्षण हेतु तैनाती स्थल से दूर न भेजे जाने की मांग

21–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं को प्रशिक्षण हेतु अपने तैनाती स्थल के जनपद से दूर अन्य जनपद में भेज दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उ० प्र० राज्य में चल रहे प्रशिक्षण केन्द्रों को इस तरह से जनपदों में स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है जिससे कि कार्यकत्रियों को अपने जनपद से ज्यादा दूर अन्य जनपद में न जाना पड़े ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र प्रत्येक जनपद में संचालित न होने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को उनके तैनाती स्थल से निकटतम दूरी पर स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है ।

जी नहीं । आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र स्वैच्छिक संस्थाओं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स तथा उत्तर प्रदेश बाल कल्याण समिति द्वारा संचालित किये जा रहे हैं । चूंकि यह प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं है अतः इनको राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित करना संभव नहीं है ।

प्रदेश में सृजित तहसीलों के राजस्व भवनों के निमित्त स्वीकृत की गयी धनराशि की जानकारी

22–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी तहसीलों की स्थापना वर्ष 1994 व वर्ष 1995 में की गई है और उनमें से किन-किन तहसीलों का शुभारम्भ कब-कब हुआ तथा उनके भवनों के निर्माण के लिये या भूमि प्रतिकर के लिये कितना-कितना धन सरकार ने स्वीकृत किया है ? नई तहसीलों में रिक्त सृजित पदों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

वर्ष 1994 में कुल 7 तहसीलें एवं वर्ष 1995 में कुल 4 तहसीलें सृजित की गयी हैं । इन तहसीलों के सृजन की तिथियां एवं सृजित तहसीलों के राजस्व भवनों के निमित्त स्वीकृत भूमि प्रतिकर की धनराशियों तथा भवन निर्माण की मद में स्वीकृत धनराशियों के विवरण संलग्न हैं ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ.....पर)

23–श्री लाज कृष्ण गांधी–

[4थे शुक्र में अता० प्र० सं० 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अवध वन प्रभाग लखनऊ के अन्तर्गत पौधशालाओं के श्रमिकों के पारिश्रमिक के भुगतान की जानकारी

24–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि मोहनलालगंज-राजि, सामाजिक वानिकी योजना, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के अन्तर्गत रहमतनगर, दीवानगंज, हरवंशखेड़ा तथा समेसी की पौधशालाओं में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को माह दिसम्बर, 1994 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बकाये वेतन का भुगतान किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामलखन वर्मा–

अवध वन प्रभाग, लखनऊ के अन्तर्गत मोहनलालगंज, राजि की रहमतनगर हरिवंश खेड़ा मोहनलालगंज (दीवानगंज) व समेसी पौधशालाओं के श्रमिकों का पारिश्रमिक माह मार्च से लम्बित है ।

बजट की अनुपलब्धता के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ ।

बकाया पारिश्रमिक भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय प्रोन्नोधित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में स्वीकृति धनराशि से क्रय किये गये सामान में की गई अनियमितता में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

25–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय प्रोन्नोधित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1993-94 व 1994-95 में केन्द्र व राज्य सरकार से कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उससे क्या-क्या सामान-क्रय किया गया ? क्या क्रय किया गया सामान रेट-कंट्रेक्ट के आधार पर लिया गया ? क्या क्रय किये गये सामान की गुणवत्ता की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सामान की खरीदारी में अनियमिततायें की गई हैं जिसकी जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में कुल 1060.08 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात् 530.04 लाख रुपये की धनराशि केन्द्र सरकार से तथा अवशेष 50 प्रतिशत अर्थात् 530.04 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार से प्राप्त हुई । इसी प्रकार उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में 476.34 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात् 238.17 लाख रुपये की धनराशि केन्द्र सरकार से तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् 238.17 लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार से प्राप्त हुई । वर्ष 1993-94 में स्वीकृत धनराशि से माइक्रोफिल्म, ई० डी० एम० थ्योडोलाइट, वाहन, फोटोकापियर, लैमिनेटिंग मशीन, कम्प्यूटर्स, थ्योडोलाइट, इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, केमिकल आपरेटस, रिजोग्राफ, ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग क्लाथ, सचल

मृदा परीक्षण हेतु सचल वाहन, भू–मापन यंत्र, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों आदि का क्रय किया गया । वर्ष 1994-95 में स्वीकृत धनराशि में से अभी तक कोई सामान क्रय नहीं किया गया है ।

अधिकांश सामान रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर क्रय किया गया । कतिपय सामान यथा-कम्प्यूटर, भू–मापन यंत्र, ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग क्लाथ, केमिकल अपरेटस, ग्लास वेयर, प्लास्टिक वेयर, पुस्तकें आदि रेट कान्ट्रेक्ट पर उपलब्ध न होने के कारण नियमानुसार टेंडर आमंत्रित करके क्रय किये गये । चकबन्दी मैनुअल का मुद्रण भी नियमानुसार टेण्डर आमंत्रित करके कराया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निराश्रित विधवाओं विकलांगों तथा शहरी क्षेत्र के वृद्धों को नियमित पेंशन भुगतान किए जाने की मांग

26-श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निराश्रित विधवाओं, वृद्धों एवं विकलांगों को उ० प्र० सरकार ने सौ रुपया प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला कर रखा है ? क्या कारण है कि कई महीनों से विधवाओं, वृद्धों एवं विकलांगों को पेंशन नहीं दी जा रही है ? इसका क्या कारण है ? क्या सरकार नियमित रूप से पेंशन भुगतान करने की योजना बना रही है ?

श्री श्री राम पाल–

निराश्रित विधवाओं विकलांगों तथा शहरी क्षेत्र के वृद्धों को 100/-प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्र के वृद्ध किसानों को रु० 125/–प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है ।

संसाधन की कमी के कारण समय से लक्ष्य के अनुरूप धनराशि की व्यवस्था न होने से प्रश्नगत लाभार्थियों को नियमित भुगतान नहीं किया जा सका है ।

–यथोपरि–

संसाधन की उपलब्धता पर नियमित भुगतान निर्भर करता है ।

जिला हरिद्वार के कलेक्ट्रेट के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के कोटिक्रम सूची प्रोन्नति आदि के संबंध में दिए गए प्रत्यावेदनों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

27–श्री तेजभान सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री नन्दलाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरिद्वार के कलेक्ट्रेट के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की कोटिक्रम सूची, प्रोन्नति, आरक्षण क्रमावलि में किये गये नियम विरुद्ध एवं अनियमितताओं के संबंध में जिलाधिकारी, हरिद्वार के आदेश के विरुद्ध मण्डलायुक्त, मेरठ के पास वर्ष 1992 से 31-5-95 तक कलेक्ट्रेट हरिद्वार से कितने प्रत्यावेदन अग्रिम प्रति तथा उचित माध्यम से प्राप्त हुए ? उनके नाम क्या

हैं ? क्या यह सच है कि मण्डलायुक्त द्वारा बार-बार प्रस्तरवार टिप्पणी एवं संबंधित अभिलेख मांगने पर जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये ? यदि हां, तो अभिलेख व [illegible]नुसार प्रस्तरवार टिप्पणी न भेजने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राजस्व परिषद् लखनऊ के पत्र संख्या–6437/12-9[illegible]–94, दिनांक 27-5-94 व अन्य कई अनुस्मारक पत्र तथा अ० शा० पत्र के माध्यम से मण्डलायुक्त को प्रत्यावेदन का निस्तारण तत्काल करने तथा कृत कार्यवाही से परिषद् को अवगत करवाने हेतु निर्देश दिये जाने के पश्चात् भी मण्डलायुक्त द्वारा निस्तारण नहीं किया गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो इससे संबंधित क्या निर्देश सरकार ने दिये ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

कलेक्ट्रेट हरिद्वार के निम्नलिखित लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने कोटिक्रम सूची, प्रोन्नति आदि के संबंध में अपने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए थे :–

1–श्री हरिकेश बहादुर अकेला (लिपिक)

2–श्री राम चन्द्र सिंह नेगी (लिपिक)

3–श्री गुरूदत्त त्यागी, लिपिक

4–श्री यशपाल सिंह, लिपिक

5–श्री महेश चन्द्र [illegible] लिपिक

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डलायुक्त द्वारा श्री यशपाल सिंह के प्रत्यावेदन का निस्तारण दिनांक 6-4-94 को किया जा चुका है । शेष प्रत्यावेदनों पर मण्डलायुक्त द्वारा कार्यवाही की जा रही है । शासन द्वारा उक्त प्रत्यावेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश मण्डलायुक्त को दे दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नायब तहसीलदार के आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों को नई भर्ती व पदोन्नति द्वारा भरे जाने की जानकारी

28–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नायब तहसीलदार के कितने पद रिक्त हैं ? इन पदों पर कितनी-कितनी नई भर्तियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों की होनी हैं तथा कितने पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाने की योजना है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रदेश में नायब तहसीलदार सम्वर्ग में कुल 582 पद रिक्त हैं। इनमें से सीधी भर्ती के 344 पद निर्धारित हैं। इनमें से 71 पद अनुसूचित जाति, 6 पद अनुसूचित जनजाति एवं 83 पदों को पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों से भरे जाने हैं। पदोन्नति कोटे के 238 रिक्त पदों में से 60 पद अनुसूचित जाति 3 पदों को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

उ० गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा के रेंज बनकटवा/तुलसीपुर/रामपुर/भांभर में वर्ष 1992 से वर्ष 1994 के मध्य की गयी अवैध कटान में वन विभाग के लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

29–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के रेंज बनकटवा/तुलसीपुर/रामपुर/भांभर में दिनांक 1 जुलाई, 1992 से 28 फरवरी, 1993 तक तथा 10 मार्च, 1993 से 20 मार्च, 1994 तक किन-किन प्रजातियों के वृक्षों का अवैध कटान हुआ है और कितना अवैध कटान के बोटों को जनपद गोण्डा की किस-किस पुलिस स्टेशन द्वारा तथा वन विभाग द्वारा पकड़ा गया ? इस अवैध कटान में कौन-कौन रेंज अधिकारी तथा उप वन रेंजर एवं वन विद/वन रक्षक दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम लखन वर्मा–

सूची संलग्न है।

उपरोक्त अवधि में रुपये 4,25,892.00 मूल्य के बोटे वन विभाग द्वारा पकड़े गये हैं। पुलिस द्वारा अवैध कटान के बोटो को पकड़ा जाना प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्नगत अवैध कटान में दोषी प्रतीत होने वाले सर्वश्री एस० पी० सिंह, सहायक वन संरक्षक, दिनेश कुमार यादव, वन रेंजर, शिव कुमार, वन दरोगा एवं राम सुधि, वन रक्षक को आरोपित किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ.....पर)

वन विभाग के गोदामों में वर्ष 1990 से 1995 तक की अवधि में उपलब्ध लीसा के आवंटन की जानकारी

30–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संप्रति विभाग के पास कितने मूल्य का लीसा कब से पड़ा हुआ है ? क्या दिनांक 25-5-95 के मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अधिकृत आवंटियों को लीसा का आवंटन करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

सम्प्रति वन विभाग के गोदामों में वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि का कुल रुपये 23,63,09,123.00 के मूल्य का लीसा उपलब्ध है।

जी नहीं । दिनांक 25-5-95 को अन्तरिम आदेश प्राप्त करने वाली याचीगणों की निजी इकाइयां शासन की नीति दिनांक 30-9-93 के अनुसार लीसा आवंटन हेतु अधिकृत/पात्र नहीं है, अतः उनको लीसा का आवंटन करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुश्री कुसुम श्रीवास्तव, निवासिनी रियासत–परवरपारा जनपद बस्ती के शिकायती-पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

31–श्री जगदम्बा सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुश्री कुसुम श्रीवास्तव, निवासिनी रियासत–परवरपारा, जनपद–बस्ती,वर्तमान 64–रिकाबगंज, नियावां रोड, फैजाबाद के शिकायती-पत्र दिनांक 14-5-1992, 16-8-1994, 19-9-1994, 26-11-1994 और 12-01-1995 मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो परिवाद का विषय क्या है और उसमें अद्यावधि कार्यवाही क्या की गयी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र मुरादनगर, जिला गाजियाबाद की सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 1993 से वर्ष 1995 तक आवंटित धनराशि से हुए निर्माण कार्य की जानकारी

32–श्री प्रेम सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मुरादनगर, जिला–गाजियाबाद में सड़कों के निर्माण हेतु कितना धन वर्ष 1993-94 व 1994-95 में आवंटित हुआ तथा उससे किन-किन सड़कों का कितना निर्माण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जिला पंचायत गाजियाबाद को विधान सभा क्षेत्र मुरादनगर, जिला गाजियाबाद में सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 1993-94 व 1994-95 में शासन के पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नानुसार धन आवंटित किया गया था उससे निम्नानुसार सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया :–

1993-94

क्र०सं०	कार्य का नाम	आवंटित धन	कृत कार्य
1	खिदौडा महमूदपुर मार्ग	4,00,00/–	पत्थर रोड़ी आपूर्ति, कुटाई मिक्सिंग एवं पटरी निर्माण कार्य लम्बाई 1.50 कि० मी०

1994-95

1	मानकी दौसा मार्ग	1,00,000/–	मिट्टी एवं खड़ंजा निर्माण कार्य लम्बाई 712.12 मी०

2	रावली खिराजपुर मार्ग	1,00,000/–	मिट्टी एवं खड़ंजा निर्माण कार्य 527.80 मी० ल०
3	सिकरौडा मटियाला मार्ग	1,00,000/–	मिट्टी एवं खड़न्जा निर्माण कार्य लम्बाई 520 मी०
		3,00,000/–	

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों से अदेयता प्रमाण-पत्र हेतु ली गयी धनराशि की जानकारी

33–श्री धनराज यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत के गत निर्वाचन में, जनपद सिद्धार्थनगर में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से, नोड्यूज सार्टिफिकेट (अदेय प्रमाण-पत्र) प्राप्त करने हेतु, जिला पंचायत ने 50 रु० प्रति व्यक्ति शुल्क लिया था ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिला पंचायत से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु क्या संबंधित संस्था को शुल्क देना निर्धारित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्या अनियमित ढंग से ली गई धनराशि को सरकार वापस करायेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां । जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के गत निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों से रु० 50/–प्रति व्यक्ति जमा कराते हुए अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है ।

संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम, 1947 की धारा–5–क में ग्राम पंचायत एवं उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–13 एवं 26 में क्रमशः क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों के चुने जाने के संबंध में अनर्हता का प्राविधान के अन्तर्गत अदेयता प्रमाण-पत्र दिया गया है । जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा पंचायत हित में विशेष प्रस्ताव दिनांक 14-9-94 के अनुसार अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रत्येक प्रत्याशी से रु० 50/–शुल्क के रूप में प्राप्त किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर के ग्राम काला पहाड़ की ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

34–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद ललितपुर के ग्राम काला पहाड़ की ग्राम सभा की भूमि संख्या 140/7 (1.40 ए०), 140/9 (4.40 ए०), 140/25 (0.08 ए०) तथा 141/1 (4.00 ए०) पर श्री सुजान सिंह बुन्देला, वीरेन्द्र सिंह बुन्देला, पूरन सिंह बुन्देला, नारायण सिंह बुन्देला, मलखान सिंह बुन्देला आदि ने अवैध रूप से कब्जा करके अपना पक्का कैंप कार्यालय तथा पेट्रोल पम्प एवं आवासीय भवन स्थापित

कर लिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध निर्माण गिराकर भूमि ग्राम समाज को सौंपी जायेगी ? क्या उपरोक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को तहसीलदार, ललितपुर द्वारा नोटिस दिया गया है एवं जुर्माना भी किया गया है ? यदि हां, तो नोटिस क्या है तथा जुर्माना क्या है एवं क्या अवैध कब्जा करने वालों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

भूखण्ड संख्या–140/7/1.40, 140/9/0.40, 140/25/0.08 एकड़ ग्राम सभा सम्पत्ति थी जिसमें भूखण्ड संख्या–140/7/1.40 व 140/9/0.40 एकड़ पर वीरेन्द्र सिंह बुन्देला पुत्रगण ऊदल सिंह बुन्देला सुजान सिंह बुन्देला तथा पूरन सिंह बुन्देला, मलखान सिंह बुन्देला पुत्रगण ईश्वरी सिंह बुन्देला द्वारा अवैध निर्माण कर लिया है । इस अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–122 बी सपठित नियम–115 सी के अन्तर्गत बेदखली तथा क्षतिपूर्ति विषयक वाद तहसीलदार महरौनी के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णयोपरान्त कार्यवाही की जायेगी । भूखण्ड संख्या–140/25/0.08 एकड़ पर कोई अवैध कब्जा नहीं है । भूखण्ड संख्या 141/1/4.00 के संबंध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।।

35–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[तीसरे मंगल में अता० प्र० सं० 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

36–श्री दल बहादुर कोरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

37–श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

[4थे बुध में अता० प्र० सं० 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आवासीय पट्टे से संबंधित शिकायती पत्र पर परगनाधिकारी मनकापुर द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

38–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या व नंबर 647865, दिनांक 11-1-95 के संदर्भ में परगनाधिकारी, मनकापुर के द्वारा अभी तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण हैं ? क्या यह भी जानकारी है कि गांव के लोगों ने दिनांक 1-7-94 और 14-6-95 को परगनाधिकारी, मनकापुर के यहां आवासीय पट्टे से संबधित कोई शिकायत की थी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? पट्टे की भूमि की श्रेणी क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–647865 दिनांक 11-1-95 प्राप्त हुआ था, जिस पर कार्यवाही की जा चुकी है ।

जी हां ।

उक्त पत्र में यह शिकायत की गई थी कि दिनांक 16-4-94 को स्वीकृत आवासीय पट्टे से संबंधित पत्रावली कार्यालय में दाखिल नहीं है।

श्रेणी–5

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी

39–श्री धनराज यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायत सिद्धार्थनगर में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी का पद गत कई माह से रिक्त रहने के कारण उक्त पद पर विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता द्वारा दोनों पदों का कार्यभार होने के कारण जिला पंचायत का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो अतिरिक्त मुख्य अधिकारी की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां। जिला पंचायत सिद्धार्थनगर में कार्यरत अभियन्ता अपने पद के साथ-साथ अपर मुख्य अधिकारी के रिक्त पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

जी नहीं। जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा ऐसा कोई तथ्य शासन के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

अपर मुख्य अधिकारी के पद पर यथाशीघ्र तैनाती कर दी जायेगी।

बांदा जनपद में जिला परिषद् कार्यालय में वरिष्ठ लिपिकों को लेखाकार के पद पर प्रोन्नति में वरिष्ठतासूची में किए गये फेरबदल की जानकारी

40–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि बांदा जनपद में जिला परिषद् कार्यालय में वरिष्ठ लिपिकों को लेखाकार के पद पर प्रोन्नति में वरिष्ठता सूची को ध्यान में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नकर्ता का पत्रांक–मेमो, दिनांक 3-3-1994 ई० जो कि उक्त प्रोन्नति में की गयी धांधली एवं वरिष्ठता सूची में फेरबदल के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुख्यालय पर गांव सभा के मुकदमों की पैरवी लिपिक तथा कलेक्ट्रेट के अन्य कनिष्ठ लिपिक की शैक्षिक योग्यता व वेतनमान की जानकारी

41–श्री तुलसीदास राय चन्दानी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–यू०ओ० 757/आर०एस०/आई०ए०–2008डी/59 दिनांक 23 अगस्त, 1960 तथा परिषदादेश संख्या–93/जी०–5–518/1959, अनुभाग–5, दिनांक 7 दिसम्बर, 1960 के द्वारा जनपद मुख्यालय पर गांव सभा के मुकदमों की पैरवी लिपिक का पद कायम किया गया था ? यदि हां, तो उस समय पैरवी लिपिक तथा कलेक्ट्रेट के अन्य कनिष्ठ लिपिक की शैक्षिक योग्यता तथा वेतन क्या था और इस समय क्या है ? क्या दोनों में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने पर सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जिन ग्राम सभाओं में वादों की संख्या 800 से अधिक थी उनमें पैरवी लिपिक के पद का सृजन संहत वेतन पर किया गया था । तत्समय पैरवी लिपिक की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई थी । वर्तमान समय में संहत वेतन 500 रुपये मासिक है जिसे बढ़ाने का प्रकरण शासन स्तर पर अस्वीकार कर दिया गया है ।

जिला गोण्डा में चारागाह व सार्वजनिक भूमि के किए गये पट्टों की जानकारी

42–श्री तुलसीदास राय चन्दानी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में क्या ग्राम डडुवा दसवतिया-कुन्दुरखा परगना तहसील व जिला गोण्डा में चारागाह व सार्वजनिक भूमि का पट्टा कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

43–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

[पांचवें बुध में अता० प्र० सं०-31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम लि० लखनऊ द्वारा जनपद रायबरेली के लाभार्थियों को की गयी सहायता की जानकारी

44–श्री राजाराम त्यागी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० अनु० जाति/अनु० जनजाति वित्त विकास निगम लि० लखनऊ द्वारा जीप तथा आटो क्रय कराकर कम ब्याज पर देने की योजना लागू है ? यदि हां, तो रायबरेली जनपद में कितने लाभार्थियों को इससे लाभान्वित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां ।

अनुसूचित जाति के 9 पात्र व्य. ों को लाभान्वित किया गया ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के चौदह ग्रामों की भूमि का विनियमितीकरण किये जाने की मांग

45-श्री मातबर सिंह कण्डारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में 14 ग्रामों की भूमि का नियमितीकरण कब से रुका हुआ है ? क्या सरकार तपोवन, ढालवाला, चौदह बीघा, मुनिकीरेती तथा सिसमझाड़ी में भूमि का नियमितीकरण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से विनियमितीकरण का काम शुरू किया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण अवधि की बढ़ी हुई मानदेय राशि का भुगतान किए जाने की मांग

46-श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ "मुन्ना"--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय माह अक्टूबर, 1992 से पुनरीक्षित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना मानदेय निर्धारित किया गया है ? माह अक्टूबर, 1992 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक जो कार्यकत्रियां प्रशिक्षण में थीं उनकी बढ़ी हुई मानदेय की अवशेष धनराशि का भुगतान सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया जायेगा अथवा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा ? यदि भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण अवधि की बढ़ी हुई मानदेय की राशि भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करेगी ?

श्री श्रीराम पाल--

जी हां ।

अक्टूबर, 1992 से निर्धारित मानदेय की पुनरीक्षित दरें निम्न प्रकार है :--

श्रेणी	मानदेय
नान मैट्रिकुलेट ।	350.00
नान मैट्रिकुलेट जिन्हें 5 वर्ष की अवैतनिक सेवा करने का अनुभव हो ।	375.00
नान मैट्रिकुलेट जिन्हें 10 वर्ष की अवैतनिक सेवा करने का अनुभव हो ।	400.00
मैट्रिकुलेट ।	400.00
मैट्रिकुलेट जिन्हें अवैतनिक सेवा करने का 5 वर्ष क अनुभव हो ।	425.00
मैट्रिकुलेट जिन्हें अवैतनिक सेवा करने का 10 वर्ष का अनुभव हो ।	450.00

जी हां, संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा।

जी हां।

सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग उ० प्र० शासन द्वारा आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान न किए जाने की जानकारी

47–श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ "मुन्ना"

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० राज्य में संचालित समस्त आंगन बाड़ी कार्यकत्री प्रशिक्षण केन्द्रों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिमाह रु० 450/-या इससे कम का भुगतान संकलित वेतन के रूप में किया जा रहा है ? क्या सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1994 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से संबंधित अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया है कि आंगन बाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान न किया जाये ? क्या सरकार सचिव के निर्देशानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां।

जी हां।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार को भी पत्रांक–119 भा०स०/60-2-93-2/1(86)/दिनांक 11 नवम्बर, 1993 द्वारा स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों पर वार्डन के रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने की मांग

48–श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ "मुन्ना"–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य में संचालित कितने आंगन बाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों पर वार्डन के पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति होने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

राज्य सरकार के कोई आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं। स्वैच्छिक संस्था, उ०प्र० भारत स्काउट्स एवं गाइड के आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों पर वार्डन का पद स्वीकृत नहीं है तथा दूसरी स्वैच्छिक संस्था, उ०प्र० बाल कल्याण समिति के आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों पर वार्डन के तीन पद रिक्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि स्वैच्छिक संस्था से संबंधित है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के राज्य स्तरीय मुख्यालय के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

49–श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ "मुन्ना"–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आंगन बाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के राज्य स्तीय मुख्यालय हेतु कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? किन-किन पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर सरकार शीघ्र नियुक्ति की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के राज्य स्तरीय मुख्यालय (निदेशालय स्तर) पर कोई पद स्वीकृत नहीं हैं । केवल भारत स्काउट एवं गाइड एवं उत्तर प्रदेश बाल कल्याण समिति स्वैच्छिक संस्थायें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज में सामयिक अमीनों को नियमित किए जाने की मांग

50–श्री चन्द्र किशोर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीजनल सामयिक संग्रह अमीन को कितने वर्ष तक कार्यरत रहने पर नियमित करने का प्राविधान है ? क्या जनपद महराजगंज में कार्यरत/कार्यरत रहे सामयिक अमीनों को नियमानुसार नियमित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक नियमित किया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीनों की सेवा नियमावली में सामयिक संग्रह अमीनों को नियमित किये जाने का प्राविधान नहीं है ।

अतः किसी सामयिक संग्रह अमीन को नियमित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद व तहसील प्रतापगढ़ के ग्राम अन्तू के नये खातादारों को दूसरे व्यक्ति के नाम किये जाने में सम्मिलित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

51–श्री नन्द लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद व तहसील प्रतापगढ़ के ग्राम अन्तू के नये खाता संख्या–406, 410, 414, 951, 950 पर अंकित राम नरेश पुत्र देवीदीन का मा० उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या–1099/82 स्टे (स्थगनादेश) दिनांक 5-3-82 को प्राप्त किया है ? यदि हां, तो क्या मा० उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी इनके खाते ट्रान्सफर दूसरे व्यक्ति के नाम पर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के खिलाफ़ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

रिट पिटीशन सं०–1099/82 में पारित स्टे (स्थगन आदेश) दिनांक 5-3-82 की छाया प्रति मर्व श्री संकटा प्रसाद पुत्र शिव हरख व उमाकान्त पुत्र जोखू द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ सहायक चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 4-7-95 को प्रस्तुत की गयी है।

विक्रय-पत्र के आधार पर सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा वाद सं०–128371 में पारित आदेश दिनांक 7-4-78 द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही की गयी थी, जिसके विरुद्ध अपील एवं निगरानी प्रस्तुत की गयी थी। निगरानी स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 11-12-81 द्वारा वाद चकबन्दी अधिकारी को इस निदेश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि चकबन्दी अधिकारी वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करें। उक्त के अनुपालन में चकबन्दी अधिकारी ने वाद सं० 2336/1407 में पारित आदेश दिनांक 20-8-83 द्वारा पक्षों की अदम पैरवी में आपत्ति खारिज करते हुये पूर्व आदेशों को कायम रखा जिसके फलस्वरूप पूर्व आदेश दिनांक 7-4-78 पूर्ववत प्रभावी हो गया।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

घ० उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 5-3-82 दिनांक 20-8-83 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

श्री रामजी सिंह पुत्र श्री कोदई, ग्राम करहकोल तहसील रुद्रपुर जनपद देवरिया के मकान व सहन की भूमि पर से अवैध कब्जा न हटवाये जाने की जानकारी

52–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम जी सिंह पुत्र श्री कोदई, ग्राम करहकोल, तह०–रुद्रपुर, जनपद–देवरिया के मकान एवं सहन की भूमि की पैमाइश कराकर भूमि का कब्जा दिलाये जाने के संबंध में सचिव, राजस्व अनुभाग–9 के पत्र संख्या–4810/93, दिनांक 15-7-93 तथा मुख्य मंत्री सचिवालय संख्या–देव–682 लो०शि० 3/93, दिनांक 24-7-93 द्वारा पत्र लिखा गया था जिसमें गलत रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गयी थी ? क्या शिकायत करने पर दिनांक 24-2-94 को डकैती, जानलेवा घटना कराकर मकान एवं सहन तथा अन्य आराजी भूमि पर दबंग विपक्षियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? विभिन्न स्तर से उच्चाधिकारियों द्वारा आदेश पारित किये जाने के बावजूद अभी तक उक्त घटना की जांच व अवैध कब्जा हटवाये न जाने के क्या कारण हैं ? क्या दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

राजस्व अनुभाग–9 से प्रश्नगत पत्र निर्गत नहीं हुआ है, किन्तु मुख्य मंत्री सचिवालय के संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि भारतीय दलित पंचायत के संयोजक श्री जीतूराम के पत्र दिनांक 13-10-93 के साथ संलग्नक के रूप में राजस्व विभाग में प्राप्त हुआ था जिसे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिनांक 10-12-93 को जिलाधिकारी, देवरिया को भेजा गया।

जिलाधिकारी, देवरिया से प्राप्त [illegible] संख्या दिनांक 14 मार्च, 1994 में यह उल्लेख है कि दिनांक 5-3-94 को सीमांकन कराकर आवेदक [illegible] को कब्जा दखल दिला दिया गया है।

विवेचना के उपरान्त डकैती की पुष्टि नहीं हुई किन्तु अभियुक्तगण राम प्रवेश, मोहन, नऊर तथा जयहिन्द के विरुद्ध भा०दं०वि की धारा–323/452 के अर्न्गत दिनांक 17-3-94 को आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। पक्षों के बीच दीवानी न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है। सम्प्रति अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश में एक परिवार में भूमि क्रय किये जाने की अधिकतम सीमा की जानकारी

53–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० में एक परिवार (पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चों सहित) में अधिकतम कितनी भूमि क्रय की जा सकती है ? जनपद ललितपुर के ग्राम डोंगरा कलां ब्लाक बिरधा में (1) सुजान सिंह बुन्देला, (2) वीरेन्द्र सिंह बुन्देला, (3) नारायन सिंह बुन्देला, (4) पूरन सिंह बुन्देला, (5) मलखान सिंह बुन्देला तथा (6) ईश्वरी सिंह बुन्देला के पास प्रत्येक परिवार में कुल कितनी-कितनी भूमि [illegible] के अनुसार है ? क्या उपरोक्त भूमि 1972 से 1995 के बीच खरीदी गयी है ? क्या उक्त भूमि 18.75 एकड़ से अधिक [illegible] यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त परिवारों की भूमि को उ०प्र० जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट 1950 [illegible] कार्यवाही करके धारा [illegible] एवं 167 के अनुसार [illegible] भी जमीन जो एक परिवार (पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चों) की कुल भूमि 18.75 एकड़ से अधिक [illegible] उसे राज्य सरकार में निहित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

उ०प्र० में एक परिवार (पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चों सहित) में इतनी भूमि क्रय की जा सकती है कि जिसको मिलाकर उस परिवार में धृत भूमि 12.50 एकड़ से अधिक न हो जाये। बुन्देलखण्ड में यह सीमा 18–75 एकड़ है। सुजान सिंह पुत्र ऊदल सिंह बुन्देला के परिवार में 25–29 एकड़, वीरेन्द्र सिंह बुन्देला पुत्र ऊदल सिंह बुन्देला के परिवार में 8–58 एकड़, नारायन सिंह पुत्र ऊदल सिंह के परिवार में 15–42 एकड़, पूरन सिंह पुत्र ईश्वरी सिंह बुन्देला के परिवार में 16–65.1/2 एकड़, मलखान सिंह पुत्र ईश्वरी सिह पुत्र बुनदेला के परिवार में 10–50–1/3 एकड़, ईश्वरी सिंह पुत्र रन्धीर सिंह बुन्देला के परिवार में 16–66 एकड़ भूमि है। सुजान सिंह बुन्देला पुत्र ऊदल सिह बुन्देला के परिवार में निर्धारित सीमा से 6–54 एकड़ भूमि अधिक है। उनके विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

महराजगंज की फरेन्दा तहसील के ग्राम सभा निरनाम को दो भागों में विभाजित किये जाने में हुए विलम्ब की जानकारी

54–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज की फरेन्दा तहसील के ग्राम सभा निरनाम को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव उ०प्र० राजस्व परिषद् के माध्यम से माह अगस्त, 1992 के दूसरे पखवारे में शासन में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इसका विभाजन क्यों नहीं किया गया ? इसके विभाजन में विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ? सरकार इसका विभाजन कब तक करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्ष 1994-95 में जनपद शाहजहांपुर के वन विभाग को आवंटित धनराशि तथा लकड़ी कटान संबंधी दर्ज मुकदमों व जुर्माना धनराशि की जानकारी

55–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में जनपद शाहजहांपुर के वन विभाग को कितनी धनराशि का शासन द्वारा आवंटन विभिन्न मदों में किया गया ? उसमें से कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा कुल कितने एकड़ वृक्षारोपण किया गया ? क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि लकड़ी कटान संबंधी कितने मुकदमें दर्ज किये गये तथा कुल कितनी धनराशि का जुर्माना किया गया ? कितने मुकदमें लम्बित हैं ?

श्री राम लखन वर्मा–

वर्ष 1994-95 में सामाजिक वानिकी वन प्रभाग शाहजहांपुर को कुल रु० 61,78,000 की धनराशि विभिन्न मदों में स्वीकृत की गई। इसके विरुद्ध रु० 61,76,830.40 का व्यय किया गया। इस वर्ष 70 है० क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 148 है० में अग्रिम मृदा का कार्य किया गया।

अवैध पातन से संबंधित 62 विभागीय प्राथमिक सूचना दर्ज की गई। इनमें से 44 मामले निस्तारित कर प्रतिकर की राशि रुपया 1,16,164.00 वसूल किये गये हैं। 3 मामले सक्षम न्यायालयों में विचाराधीन हैं और 15 मामलों में विभागीय जांच चल रही हैं। इसके अतिरिक्त 11 मामलों में प्राथमिक सूचना पुलिस विभाग में दर्ज है जिनमें पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 1994-95 में जनपद शाहजहांपुर की बाल विकास परियोजनाओं हेतु आवंटित धनराशि से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भुगतान किये गये मानदेय की जानकारी

56–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि समेकित बाल विकास परियोजना शाहजहांपुर जनपद हेतु कुल कितनी धनराशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 1994-95 में किया गया ? उसमें कितनी धनराशि अलग-अलग मदों में व्यय की गयी ? क्या आंगन बाड़ी कार्यकत्रितयों को माह मार्च, 1995 अर्थात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समस्त देय मानदेय का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि वर्ष 1994-95 में वितरित की गयी तथा किस माह तक का मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

वित्तीय वर्ष 1994-95 में जनपद शाहजहांपुर की बाल विकास परियोजनाओं हेतु रु० 42,66,670.00 की धनराशि का आवंटन किया गया।

उपरोक्त आवंटन के विरुद्ध मदवार व्यय की गयी धनराशि निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	मद का नाम	वर्ष 1994-95 का व्यय
1	वेतन	4,15,695.92
2	मंहगाई भत्ता	4,02,464.46
3	अन्य भत्ता (मानदेय)	14,97,422.21
4	यात्रा भत्ता	13,976.05
5	कार्यालय व्यय	22,447.65
6	मशीन साजसज्जा	71,970.00
7	भवन किराया	43,574.35
8	मोटर गाड़ी अनुरक्षण	15,772.15
9	अन्य व्यय	15,991.00
10	अन्तरिम सहायता	25,287.96
	योग–	25,24,601.75

जी नहीं ।

वर्ष 1994-95 में मानदेय के भुगतान पर कुल रु० 14,97,418.21 का व्यय किया गया । जनपद की परियोजनाओं शाहजहांपुर शहर, भावलखेड़ा, कांठ एवं पुवायां में क्रमशः जुलाई, 94 सितम्बर, 94, मई, 94 तथा फरवरी, 94 तक की अवधि के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है ।

सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी का भी कार्य देख रहे थे, के द्वारा मानदेय भुगतान हेतु विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप कार्यकत्रियों को मानदेय का भुगतान नहीं हो सका । इस उदासीनता के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों की चरित्र पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेंगी । जिलाधिकारी शाहजहांपुर से अध्यावधिक मानदेय के भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में सनई-महुलानी मार्ग को जिला पंचायत द्वारा मरम्मत कराये जाने की जानकारी

57–श्री धनराज यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में सनई-महुलानी मार्ग की मरम्मत जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा करायी गयी है ? क्या यह

सही है कि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कुछ वर्ष पूर्व लोक निर्माण विभाग नौगढ़ (सिद्धार्थनगर) द्वारा हुआ था ? यदि हां, तो लोक निर्माण की सड़क की मरम्मत जिला पंचायत द्वारा कराने का क्या औचित्य है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग सनई से महुलानी की लम्बाई 8 कि०मी० है । जिसमें प्रारम्भ में 4.00 कि०मी० जिला पंचायत की सड़क है उक्त मार्ग के पांचवें कि०मी० से महुलानी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कई वर्ष पूर्व कच्ची सड़क का निर्माण कराया गया था ।

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सिद्धार्थनगर की स्वीकृति के अनुसार कुल 5.00 कि०मी० में मरम्मत कार्य कराया गया है । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि उसमें 4.00 कि०मी० जिला पंचायत का मार्ग है तथा 1.00 कि०मी० लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क का भाग है, जो अत्यन्त खराब स्थिति में था, जिसके कारण उक्त एक कि०मी० पर मरम्मत का कार्य कराया गया ।

स्पष्ट है कि जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा वस्तुतः अपने मार्ग का ही मरम्मत कराया गया । जिसके साथ मार्ग के आगे का 1.00 कि०मी० अतिरिक्त भाग जो लो० नि० वि० द्वारा कई वर्ष पूर्व मरम्मत कराया गया था, अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण स्थिति में होने के कारण जन सामान्य की सुविधा हेतु मरम्मत करा दिया गया है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में घास काटने के ठेकेदार द्वारा जमा की गयी धनराशि को वापस न किये जाने की जानकारी

58–श्री धनराज यादव–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व के जनपद बस्ती (अब सिद्धार्थनगर) में सडाबीट लाट नं० 30, लाट नं० 12 लाट नं० 39 तथा लाट नं० 19 के घास काटने का ठेका वर्ष 82-83, 87-88, एवं 88-89 में श्री कृपाराम यादव बईपुर नं० 6 ने लिया था ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि सन्दर्भित ठेके की जमानत राशि कुल 3100 रूपया ठेकेदार ने जमा किया था ? यदि हां, तो ठेके की अवधि समाप्त होने पर जमानत की उपरोक्त धनराशि ठेकेदार को वापस न करने का क्या कारण हैं ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां ।

श्री कृपाराम द्वारा प्रश्नगत लाटों के विरुद्ध कुल 2800.00 रुपये की जमानत की धनराशि निम्न प्रकार जमा की गयी थी :–

लाट संख्या :–	30/82-83	रुपये 1300.00
लाट संख्या :–	12/87-88	रुपये 600.00
लाट संख्या :–	19/88-89	रुपये 550.00

लाट संख्या :– 39/88-89 रुपये 350.00

लाट संख्या : 30/82-83 की जमानत रुपये 1300.00 मात्र, लाट का पूर्ण विक्रय मूल्य जमा न करने के कारण इसी लाट के विक्रय मूल्य में समायोजित कर ली गयी है, जबकि लाट सं० : 12/87-88 की जमानत राशि रुपये 600.00 ठेकेदार को वापस की जा चुकी है।

लाट संख्या : 19 व 39/88-89 की जमानत राशि नवसृजित प्रभाग सिद्धार्थनगर को अभिलेखों के हस्तान्तरण आदि के कारण वापस नहीं की जा सकी है।

59–श्री प्रेम सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

60–श्री प्रेम सिंह–

[चौथे बुधवार में अता० प्र० सं०–167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वर्ष 1991 में आये भूकम्प से जनपद चमोली के तहसील कर्ण प्रयाग के अन्तर्गत तेपना ग्राम में हुई क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान की मांग

61–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्ष 1991 में गढ़वाल भर में आये भूकम्प से जनपद चमोली के तहसील कर्ण प्रयाग के अन्तर्गत तेपना ग्राम में श्री मेघदास का मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें उचित मुआवजा मिल गया ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक सरकार उन्हें अनुदान देगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

वर्ष 1991 में आये भूकम्प से जनपद चमोली के श्री मेघदास का मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। चूंकि मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था अतः गृह अनुदान दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

पर्वतीय क्षेत्र के वन विभाग के पास उपलब्ध मार्गों के रख-रखाव व अनुदान की जानकारी

62–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के वन विभाग के पास कुल कितने कि०मी० पैदल मार्ग हैं तथा कितने कि०मी० मोटर मार्ग हैं ? क्या उनका रख-रखाव हो रहा है ? क्या सरकार की ओर से कोई विशेष अनुदान मिलता है ?

श्री राम लखन वर्मा–

उत्तराखण्ड क्षेत्र के वन विभाग के पास निम्न प्रकार पैदल तथा मोटर मार्ग हैं :–

पैदल मार्ग–8544.044 कि०मी०

मोटर मार्ग–2121.071 कि०मी०

जी हां ।

जी नहीं ।

ग्राम शेखापुर, अलीगंज लखनऊ के निवासी इकबाल नारायण अग्रवाल की अध्याप्ति की गयी भूमि का मुआवजा जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा न किये जाने की जानकारी

63–डा० सुरेश संगल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इकबाल नारायण अग्रवाल जो 90 वर्षीय कैन्सर रोग से ग्रस्त हैं की अर्जित की गयी खसरा सं०–253, ग्राम शेखापुर, अलीगंज लखनऊ पर स्थित 5 विस्वा भूमि एवं भवन के मुआवजा/क्षतिपूर्ति के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं भूमि अध्याप्ति निदेशालय के उच्चाधिकारियों द्वारा बार-बार लिखे जाने के बावजूद जिलाधिकारी लखनऊ ने भुगतान क्यों नहीं किया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यदि भुगतान में किसी भी प्रकार की वैधानिक अड़चन थी तो लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं भूमि अध्याप्ति निदेशालय के उच्चाधिकारियों ने मुआवजा/क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए बार-बार कैसे लिखा ? क्या दोषी के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्राप्त सूचनानुसार खसरा सं०–253 रकबा 1–15–0 ग्राम शेखापुर अलीगंज सड़क एवं नगर विस्तार योजना विकास प्राधिकरण के पक्ष में अर्जन का प्रस्ताव किया गया था । परन्तु उक्त खसरा सं०–253 के केवल रकबा 1–10–0 का अभिनिर्णय किया गया था और उसके मुआवजा का भुगतान कर दिया गया । उक्त भूखण्ड में स्थित 5 विस्वा भूमि में पुराने मकानात स्थित रहने के कारण इसका अभिर्निणय नहीं हुआ था और न ही उसका कब्जा लिया गया था । नोटिफिकेशन होने के पश्चात् इस 5 विस्वा स्थित भवन में रहने वाले किरायेदारों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके कब्जा परिवर्तन के विषय में स्थगनादेश ले लिया गया कि उन्हें बेदखल न किया जाये । श्री इकबाल नरायन द्वारा यद्यपि विकास प्राधिकरण व भूमि अध्याप्ति निदेशालय से भुगतान हेतु आदेश लिए गये थे, परन्तु सारे प्रकरण को विकास प्राधिकरण व भूमि अध्याप्ति निदेशालय को जानकारी करायी गयी तो विकास प्राधिकरण ने उक्त भूखण्ड के 5 विस्वा रकबे के विषय में अपनी आवश्यकता जिलाधिकारी को सूचित नहीं की । श्री इकबाल नरायन द्वारा शासन को भी प्रत्यावेदन करने पर शासन ने परीक्षणोपरान्त यह पाया कि श्री इकबाल नरायन किसी भी प्रकार के भुगतान एवं क्षतिपूर्ति के अधिकारी नहीं है । तद्नुसार शासनादेश दिनांक 24-4-95 द्वारा उन्हें सूचित कर दिया गया है । यह प्रकरण लोक शिकायत निदेशालय में भी ले जाया गया । लोक शिकायत निदेशालय से भी आदेश दिनांक 21-12-94 द्वारा निक्षेपित कर दिया गया है । प्रकरण में कोई दोषी नहीं है इसलिए दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा आयुक्त कार्यालय में मांग-पत्र स्टे तथा मूल आदेश बनावटी से जाली जाने की शिकायत पर आयुक्त द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी

64–डा० राम बाबू हरित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा कार्यालय आयुक्त में वर्ष 1991-92 व 93 में कितनी जाली मांग-पत्र तथा जाली स्टे जारी हुए हैं ? क्या सरकार द्वारा इनकी जांच करायी गयी है ? यदि

नहीं, तो कब जांच करायी जायेगी ? क्या 20-1-94 में किसी व्यक्ति द्वारा मांग-पत्र स्टे तथा मूल आदेश पत्रावली में से फाड़ने की शिकायत हुई है ? यदि हां, तो आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

आयुक्त कार्यालय, आगरा में वर्ष 1991 में कोई जाली मांग-पत्र व स्टे जारी नहीं हुआ । वर्ष 1992 में वाद संख्या 32/91-92 बृज किशोर बनाम सरकार मौजा खरपरा में फर्जी स्टे जारी करने के संबंध में शिकायत दिनांक 13-5-92 को प्राप्त हुई । दूसरी शिकायत आपत्ति संख्या 12/01-92 एदल सिंह बनाम उ० प्र० सरकार में दिनांक 25-2-92 को फर्जी स्थगन आदेश जारी करने के संबंध में प्राप्त हुई । इन मामलों में जांचोपरान्त पाया गया कि आयुक्त कार्यालय में इन मामलों में वैध स्थगनादेश जारी हुए हैं । वर्ष 1993 में जाली मांग-पत्र व जाली स्थगनादेश जारी करने के संबंध में कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

दिनांक 20-1-94 को किसी व्यक्ति द्वारा मांग-पत्र, स्टे, मूल आदेश पत्रावली से फाड़ने की शिकायत नहीं कीगयी है बल्कि दिनांक 21-1-94 का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है । जिसकी जांच की जा रही है तथा जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोण्डा में ज० वि० अधिनियम के अन्तर्गत किये गये जुर्माने की बकाया धनराशि व जमा धनराशि की जानकारी

65–श्री तुलसी दास राय चन्दानी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में ज० वि० अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत किये गये जुर्माने की कितनी धनराशि बकाया है तथा नियम 115 ग के अन्तर्गत कितनी धनराशि जमा है ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत जनपद में जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–122 बी के अन्तर्गत रु० 25.60.697.00 की धनराशि 1-4-95 को बकाया थी तथा नियम 115 ग के अन्तर्गत जून, 1995 के अन्त तक बकाये में से रु० 15.532.00 की धनराशि जमा की गई है ।

जिला सहारनपुर में स्थित सन्त रविदास छात्रावास पर असामाजिक तत्वों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा न किया जाना

66–डा० राम चन्द्र लाम्बा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर में स्थित सन्त रविदास छात्रावास जोकि वर्ष 1952 से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये आवासीय स्थल हैं, पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिये जाने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीराम पाल–

प्रश्न नहीं उठता । विभागीय आर्थतक अनुदान पर संचालित प्रश्नगत छात्रावास वर्तमान में यथावत् चल रहा है । किसी असामाजिक तत्व द्वारा छात्रावास पर कब्जा नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पंचायत जहदा तहसील निचलौल जनपद महराजगंज के ग्राम सभा की भूमि पर लगने वाली बाजार से अवैध तहबाजारी की वसूली पर जिला प्रशासन द्वारा रोक न लगाये जाने की जानकारी

67–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पंचायत जहदा तहसील निचलौल जनपद महराजगंज के ग्राम सभा की भूमि पर लगने वाले बाजार में आने वाले उत्पादकों से अवैध तहबाजारी के नाम पर कर वसूली पर रोक लगाने के लिये ग्राम प्रधान के लिखित शिकायती-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता ने दिनांक 23-8-94 को मुख्य मंत्री जी को अवैध तहबाजारी की वसूली रोकने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो आज तक तहबाजारी पर जिला प्रशासन द्वारा रोक न लगाये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां ।

प्रश्नगत बाजार काली मंदिर की भूमि पर लगायी जाती है, जिसमें मंदिर के पुजारी को बिना जोर जबरदस्ती के दुकानदारों द्वारा मंदिर की व्यवस्था चलाने हेतु स्वेच्छा पूर्वक बाजार के दिन कुछ न कुछ पैसा दिया जाता है, जो तहबाजारी की श्रेणी में नहीं आता है । धार्मिक स्थल से सम्बन्धित होने तथा तहबाजारी का प्रकरण न होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा मामले में कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद मऊ के मधुबन में तहसील मुख्यालय मार्ग पर नयी तहसील बनाये जाने की जानकारी

68–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के मधुबन में तहसील मुख्यालय मार्ग पर नई तहसील बनाये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मधुबन में तहसील स्थापना का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां ।

इस संबंध में जिलाधिकारी, मऊ, मण्डलायुक्त, आजमगढ़ तथा राजस्व परिषद् की आख्या मांगी गयी है । उक्त आख्या प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात् ही अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी ।

जिला सोनभद्र के तहसील राबर्ट्सगंज के ग्राम बिल्ली मारकुण्डी में क्रेशर उद्योग मालिकों को दिये गये मौलिक अधिकार की जानकारी

69–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सोनभद्र के तहसील राबर्ट्सगंज के ग्राम बिल्ली-मारकुण्डी की खसरा-खतौनी में कैमूर सर्वेक्षण एजेन्सी के सर्वेक्षण के पूर्व पहाड़ खाते में कुल कितने बीघे जमीन थी और कैमूर सर्वेक्षण एजेन्सी के बाद कुल कितने बीघे भूमि पहाड़ खाते में शेष रह गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पहाड़ खाते की भूमि पर किसी व्यक्ति को भौमिक अधिकार देने का कानून लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट में है ? यदि नहीं, तो ग्राम बिल्ली-मारकुण्डी में क्रेशर उद्योग मालिकों को किस कानून के तहत भौमिक अधिकार दिया गया ? क्या इस गड़बड़ी को मंत्री जी पुनः दुरुस्त करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिवचन्द्र यादव ग्राम करमौरा जनपद गोरखपुर के आरा मशीन के खिलाफ वन अधिकारी (दक्षिण) गोरखपुर द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी

70–श्री गनपत सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवचन्द्र यादव ग्राम पंचायत करमौरा जनपद गोरखपुर के आरा मशीन के खिलाफ वर्ष 1994 या वर्ष 1995 में जिला वन अधिकारी (दक्षिणी) गोरखपुर के द्वारा आरा मशीन को सील करने की कोई कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो कैसे फिर उस आदेश को वापस लेकर आरा मशीन को चलवाया जा रहा है ? क्या सरकार आरा मशीन मालिक तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जी हां ।

प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण गोरखपुर के उक्त आदेश के विरुद्ध श्री शिवचन्द्र यादव द्वारा वन संरक्षक, पूर्वी वृत्त, गोरखपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था । वन संरक्षक, पूर्वी वृत्त ने उक्त आदेश को इस आधार पर अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया था कि श्री शिवचन्द्र यादव को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया ।

नियामानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजबली प्रसाद रेंज अधिकारी बांकी (पनियरा) महराजगंज को गृह जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण किए जाने की मांग

71–श्री गनपत सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे श्री राजबली प्रसाद, रेंज अधिकारी बांकी (पनियरा) महराजगंज कितने वर्षों से महराजगंज जनपद में तैनात है ? क्या कोई रेंज अधिकारी अपने गृह जनपद में इस पद पर कार्य कर सकता है ? यदि नहीं, तो श्री राजबली प्रसाद अपने गृह जनपद में कैसे तैनात है ? क्या शासन इन्हें इनके जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

श्री राजबली प्रसाद रेंज अधिकारी बांकी (पनियरा) महराजगंज में दिनांक 30-6-93 से तैनात हैं ।

जी नहीं ।

नीति लागू होने में पूर्व से तैनात हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रेंज अधिकारी बांकी जनपद महराजगंज के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

72–श्री गनपत सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेंज अधिकारी बांकी जनपद महराजगंज के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती पत्र वन मंत्री को दिनांक 22-2-95 या 23-2-95 को दिया था ? क्या

उस शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रश्नगत पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि शिकायती-पत्र उपलब्ध नहीं है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति आवास निगम के महाप्रबन्धक निर्माण श्री वी० के० चोपड़ा के विरुद्ध समाज कल्याण द्वारा की गयी जांच व कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अनुसूचित जाति आवास निगम के महाप्रबन्धक निर्माण श्री वी० के० चोपड़ा के संबंध में शासन के पत्र संख्या 4978/26-3-88 (सी) (1)/87 दिनांक 26-8-88 द्वारा संयुक्त सचिव, समाज कल्याण ने प्रबन्धक निदेशक से जांच कराने हेतु आदेश दिया था ? क्या प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त जांच को सर्तकता विभाग से कराने हेतु पत्र दिनांक 19-9-89 को सचिव समाज कल्याण को भेजा है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूर्ण कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जांच के आधार पर श्री वी० के० चोपड़ा के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मामला विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के भवन निर्माण में मानक से अधिक धनराशि व्यय किए जाने की जानकारी

श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के भवनों को अनुसूचित जाति आवास निगम द्वारा बनवाया गया था, जिस पर बिना शासन की स्वीकृति के 15 लाख रुपये का अधिक व्यय कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि कार्य में मनमानी करके मानक से अधिक धन लगभग 15 लाख व्यय कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां ।

कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय के कार्यों पर स्वीकृत लागत से रु० 10.03 लाख की धनराशि अधिक व्यय हुई है ।

–तदैव–

पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में ।

प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के चुनावों में हुए विलम्ब की जानकारी

75–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[illegible] मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों का चुनाव कब तक हो जायेंगे ? क्या कारण है कि इस क्षेत्र में ग्राम पंचायतें, जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों का चुनाव टाले गये हैं ? यह चुनाव कब हो जाने चाहिये थे ? विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यथाशीघ्र ।

उक्त चुनाव माह अप्रैल 1995 में सम्पन्न होने चाहिए थे परन्तु उत्तराखण्ड आन्दोलन के कारण उक्त चुनाव नहीं सम्पन्न कराये जा सके ।

जनपद महोबा घोषित हो जाने के बावजूद जिला पंचायत कार्यालय न स्थापित किए जाने का कारण

76–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी, 1995 में जनपद महोबा घोषित होने के बावजूद वहां जिला पंचायत कार्यालय [illegible] स्थापित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां ।

जिला पंचायत महोबा का संघठन अभी नहीं हुआ है, जिससे जिला पंचायत कार्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है ।

जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा अड़ुआ पड़ाव बैरियर चलाये जाने व उससे एकत्रित धनराशि की जानकारी

77–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत हमीरपुर द्वारा अड़ुआ पड़ाव बैरियर चलाये जा रहे हैं जबकि पड़ोसी जनपदों में बैरियर नहीं चलाये जा रहे हैं ? क्या उनका धन जिलानिधि में जमा किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रत्येक सड़क पर लगे बैरियर की जमा धनराशि का माहवार विवरण क्या है ? यदि धन नहीं जमा किया गया तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी नहीं ।

जिला पंचायत हमीरपुर की उपविधि की धारा-10 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में नदियों के किनारे निकाली गयी मौरंग, बालू, बजरी, मिट्टी आदि को एकत्र कर ढोने वाले वाहनों से निर्धारित तहबाजारी शुल्क की वसूली हेतु दिनांक 31-3-96 तक की अवधि के लिए रुपये 3,70,000/- में ठेका स्वीकृत किया गया है। ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जिलानिधि में जमा करा ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1994-95 में जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

78-श्री चेतराम-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवांया में कितने वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन फार्म आये और उनमें कितनों को पेंशन स्वीकृति की गयी ? उक्त मद में शासन द्वारा कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ? अवशेष फार्मों पर पेंशन स्वीकृति न करने के कारण क्या है ?

श्री श्रीराम पाल-

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में वर्ष 94-95 में वृद्धावस्था पेंशन के 33, निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान के 345 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

किसी को नहीं।

पूर्व से लाभ प्राप्त कर रहे बचनबद्ध लाभार्थियों हेतु वृद्धावस्था पेंशन में रु० 159.23 लाख तथा विधवा भरण-पोषण अनुदान में 61.32 लाख धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

धनराशि की अनुपलब्धता

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा पुरानी पाठशाला लोटन खण्डहर की नीलामी को रद्द किये जाने की मांग

79-श्री धनराज यादव तथा श्री स्वयंवर चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा पुरानी पाठशाला लोटन खण्डहर को कितने रुपये पर बेच दिया गया है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त पुराने पाठशाला भवन में लोहे के गार्डर भी थे, जिनके मूल्य नीलामी (बेचने से) से मिली धनराशि से अधिक है ? यदि हां, तो क्या उक्त नीलामी (बेचीनामा) को रद्द करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा प्राइमरी पाठशाला लोटन के खण्डहर के मलवा की नीलामी मूल्यांकन करके उच्चतम बोली के आधार पर रुपये 10050 में की गयी है। उक्त पुराने पाठशाला भवन में लोहे के गार्डर भी थे, जिनके मूल्यांकन की धनराशि रु० 6480 है। चूंकि गार्डर सहित प्रश्नगत भवन के खण्डहर की नीलामी से प्राप्त धनराशि गार्डर के मूल्यांकन की धनराशि से अधिक है इसलिए नीलामी/बेचीनामा को रद्द किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर में जिला पंचायत द्वारा विभाग की परिसम्पत्ति एवं वृक्षों को बेचे जाने की जानकारी

80–श्री धनराज यादव तथा श्री स्वयंवर चौधरी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में जिला पंचायत ने जनपद में विभाग की परिसम्पत्ति के साथ-साथ पुराने वृक्षों को भी बेच कर कटवा दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि बेचे गये वृक्षों में कितने वृक्षों को वन विभाग से परमिट प्राप्त करके काटे गये और कितने बिना परिमिट के ही काटे गये ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जिला पंचायत द्वारा जूनियर हाई स्कूल डुमरियागंज की खाली जमीन 0.9 एकड़ टेलीफोन एक्सचेंज के निर्माण हेतु रु० 9,78,750.00 प्राप्त करके सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद हस्तान्तरित किया गया है जिसमें वृक्ष सम्मिलित नहीं हैं । उक्त भूमि में एक पेड़ आम तथा एक पेड़ शीशम का था जिसकी नीलामी नियमानुसार क्रमशः रु० 1500 एवं 725 में की गयी है । उक्त के अतिरिक्त 20 सूखे वृक्षों की नीलामी वन विभाग द्वारा अनुमोदित रेट के आधार पर मूल्यांकन करके की गयी तथा जूनियर हाई स्कूल रमवापुर जगत राम के प्रांगण के 99 पेड़, जिसमें यूकेलिप्टस आदि के पेड़ सम्मिलित हैं, सरयू कैनाल में पड़ जाने के कारण नहर की खुदाई हेतु काटा जाना आवश्यक था जिसका मूल्यांकन वन विभाग सिद्धार्थनगर से कराकर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की गयी है । ठेकेदारों द्वारा वन विभाग से परमिट प्राप्त करके कटान की कार्यवाही की गयी है ।

जिला पंचायत ललितपुर में विभिन्न श्रेणी/वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के विवरण की जानकारी

81–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत ललितपुर में दिनांक 1-4-95 को किस-किस श्रेणी/वेतनमान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनके नाम तथा पद एवं वेतनमान पृथक-पृथक क्या है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वर्ष 1989 से 1994 के मध्य जिला परिषद् ललितपुर की वर्षवार आय व घाटे की पूर्ति के स्रोतों की जानकारी

82–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 से 1994 के मध्य जिला परिषद् ललितपुर की वर्षवार आय एवं व्यय का विवरण क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त अवधि में जिला परिषद् ललितपुर सदैव घाटे पर रही है ? यदि हां, तो परिषद् के घाटे में चलने के लिए क्या कारण रहे हैं तथा इनके लिए कौन उत्तरदायी रहा है ? घाटा पूर्ति किन-किन स्रोतों से की गयी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां । वर्ष 1989 से 1994 तक की वर्षवार आय एवं व्यय का विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

संलग्न आय-व्यय के विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 में जिला पंचायत घाटे में रही है तथा वर्ष 1989-90, 93-94, 94-95 में पंचायत की आय में वृद्धि हुई है । जहां तक वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 में पंचायत की आय में ह्रास होने का प्रश्न है, पंचायत की आय के

स्रोत सीमित होने के कारण आय में कमी हुई है। जिला पंचायत, ललितपुर में घाट, पशु बाजार, तह-बाजारी, सम्पत्ति एवं विभव कर, फैक्ट्री-चिमनी-भट्ठा आदि की उपलब्धियां न होना तथा पंचायत की समुचित परिसम्पत्तियां न होना इसका मुख्य कारण है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृ० 177 पर)।

जिला परिषद् ललितपुर द्वारा ग्राम सभाओं के विकास हेतु अवधारित की गयी धनराशि की जानकारी

83–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 141 में यह प्राविधान किया गया है कि जिला परिषदों की आय से प्राप्त निधियों से निश्चित धनराशियां जिले की प्रत्येक सभा के विकास हेतु धनराशि अवधारित की जायेगी ? यदि हां, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् ललितपुर द्वारा किन-किन ग्राम सभाओं के विकास हेतु वर्ष 1989 से 1994 के मध्य वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि किस-किस कार्य के लिए अवधारित की गयी है ? क्या यह सही है कि जिला परिषद् ललितपुर द्वारा ग्राम सभाओं के विकास हेतु कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी हां। उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा–141 में यह प्राविधान है कि सम्पत्ति एवं विभव कर की आय से ग्राम सभाओं को अंशदान दिया जायेगा।

जिला पंचायत ललितपुर द्वारा सम्पत्ति एवं विभव कर उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा–141 के अन्तर्गत आरोपित नहीं किया गया है। इसीलिए कोई आय अर्जित नहीं हुई है। अतः ग्राम सभाओं को अंशदान नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा–141 के अन्तर्गत जिला पंचायत, ललितपुर द्वारा सम्पत्ति एवं विभवकर आरोपित नहीं की गयी है। अतः ग्राम सभाओं के विकास हेतु कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है।

आग लगने से हुई क्षति की पूर्ति श्री ननुहा पुत्र श्री गिरधारी कोरी निवासी ग्राम चन्द्रायन ब्लाक बिसण्डा जनपद बांदा के प्रार्थना-पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

84–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित पत्र 22-4-1995 पत्रांक–474578 के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र जो श्री ननुहा पुत्र श्री गिरधारी कोरी, निवासी ग्राम चन्द्रायन, ब्लाक बिसण्डा जनपद बांदा के मकान में आग लगने से क्षति की पूर्ति किये जाने हेतु मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

जी हां।

प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-4-95 पर जांच की गयी। जांचोपरान्त अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवार को अनुमन्य रु० 2400 अहेतुक सहायता रु० 600 गृह अनुदान तथा एक बछिया के मृत्यु होने पर रु० 300 अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया।

85–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

वन विभाग द्वारा प्रदेश में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी

86–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण लायक है तथा पिछले 10 वर्षों में कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया ? क्या यह सत्य है कि क्षेत्रफल से ज्यादा भूमि पर अब तक वृक्षारोपण किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राम लखन वर्मा–

प्रदेश में वृक्षारोपण लायक 31.53 लाख हेक्टेयर भूमि थी, जिसमें पिछले 10 वर्षों में 7.18 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में बनरोजों द्वारा नुकसान पहुंचाये जाने व संबंधित कृषकों के फसलों का मुआवजा दिये जाने की मांग

87–श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत वि० खं० मनकापुर, नवाबगंज, वजीरगंज, छपिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में जंगली पशुओं द्वारा हर वर्ष कृषकों की लाखों रुपये की फसल का नुकसान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाकर संबंधित कृषकों के फसलों का मुआवजा देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा–

जनपद गोण्डा में बनरोजों द्वारा कृषि फसलों का नुकसान पहुंचाये जाने की छिट-पुट घटनायें प्रकाश में आयी हैं ।

जी नहीं ।

जंगली पशुओं द्वारा कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने की दशा मे क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा राशि दिये जाने का प्राविधान नहीं है ।

अनुसूचित जाति कल्याण वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा जनपद पौड़ी एवं चमोली में दिये गये आर्थिक सहयोग व योजनाओं की जानकारी

88–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी एवं जनपद चमोली गढ़वाल में अनुसूचित जाति कल्याण वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा विगत पांच वर्षों में, कितने लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया ? उक्त निगम द्वारा कौन-कौन सी योजनायें उपरोक्त दोनों जनपदों में चल रही हैं ? क्या उक्त निगम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहा है ? यदि हां, तो क्या विगत दो वर्षों के कार्य के परिणाम सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा विगत पांच वर्षों में जनपद पौड़ी में 1138 व जनपद चमोली में 1160 लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है।

उक्त निगम द्वारा उपर्युक्त जनपदों मे निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं :–

1–स्वतः रोजगार योजना।

2–स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना।

3–दुकान निर्माण योजना।

जी हां।

विगत दो वर्षों के कार्य परिणाम निम्नवत् हैं :—

जनपद	वर्ष	स्वतः रोजगार योजना	स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना	दुकान निर्माण योजना
पौड़ी	93-94	100	49	5
	94-95	320	49	2 3 (निर्माणाधीन)
चमोली	93-94	192	25	8
	94-95	291	18	10 (निर्माणाधीन)
योग		903	141	15 (निर्मित) 13 (निर्माणाधीन)

जिला फैजाबाद, ग्राम रोहनपारा के ग्राम सभा सदस्य द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

89–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रोहनपारा, ब्लाक भीटी, जिला फैजाबाद के ग्राम सभा सदस्य द्वारा लिखित कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 21-12-93 को ग्राम मुकेरीपुर के बंजर भूमि खाता सं० 78 (ख) पूर्वाभाग की सुरक्षा व उसे किसी के नाम न होने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी के आदेश सं० 68/जी० एस० एम० जी, 93-94, दिनांक 21-12-93 तथा राजस्व राज्य मंत्री जी के आदेश सं० 163/जी० एस० एम०/93-94 दि० 21-12-93 द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को कोई आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी द्वारा लिखित रूप में तत्संबंधित पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो फिर कैसे बंजर भूमि की दिशा व स्थान में परिवर्तन कर परगनाधिकारी, अकबरपुर, फैजाबाद ने संदर्भित भूमि को खाता सं० 78(क) पश्चिमी भाग के खातेदार के नाम कर दिया गया है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने हुए बंजर

भूमि खाता सं० 78 (ख) पूर्वी भाग को पूर्ववत् यथा स्थान व दिशा में बने रहने के लिये जनहित में आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । भूखण्ड संख्या–78(ख) क्षेत्रफल 2 बीघा, 2 विस्वा, बंजर खाता में अंकित है जो परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 6-5-1994 द्वारा श्री हौसिला प्रसाद आदि का मान लिया गया जो भूखण्ड संख्या–78(ख) क्षेत्रफल 3 बीघा 12 विस्वा 10 विस्वांसी के भू-स्वामी हैं । किन्तु श्री दूध नाथ तिवारी के प्रार्थना पत्र पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है तथा इस संबंध में अभी न्यायालय से अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है ।

श्री नरेन्द्र सिंह गंगवार सेवानिवृत्त तहसीलदार के वेतन निर्धारण व पेंशन स्वीकृति आदेश का अनुपालन

90–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-7-83 को तहसीलदार, झांसी के पद से सेवानिवृत्त, श्री नरेन्द्र सिंह गंगवार को दिनांक 1-4-66 से वेतन निर्धारण, पेंशन दिनांक 15-7-80 से 16-9-82 की अवधि का वेतन आदि धनराशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मा० उच्चतम न्यायालय के स्थगनादेश दिनांक 20-1-81 व अनन्तिम आदेश दिनांक 10-4-81 तथा मा० अधिकरण, लखनऊ के आदेश दिनांक 4-7-91 को पेंशन स्वीकृति आदेश का अनुपालन किन परिस्थितियों में नहीं हुआ है ? इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी है व उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार–

श्री नरेन्द्र सिंह गंगवार, सेवानिवृत्त तहसीलदार को अनन्तिम पेंशन का भुगतान किया जा रहा है परन्तु दिनांक 1-4-66 से उनके वेतन का निर्धारण के फलस्वरूप देय धनराशि तथा दिनांक 15-7-80 से 16-9-82 की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह गंगवार को जनपद फतेहपुर में तहसीलदार (कृषि) के पद पर तैनाती के दौरान उन्हीं के रखरखाव से उनकी सेवापुस्तिका गायब हो जाने के कारण वेतन निर्धारण सम्भव नहीं था । राजस्व परिषद् द्वारा सेवापुस्तिका पुनर्निर्मित कराकर वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है । वेतन निर्धारण के बाद ही उन्हें अन्तिम रूप से पेंशन स्वीकृति करना सम्भव होगा ।

राजस्व परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार श्री नरेन्द्र सिंह गंगवार की पेंशन से संबंधित मा० उच्चतम न्यायालय के कथित स्थगनादेश दिनांक 20-1-81 व अनन्तिम आदेश दिनांक 10-4-81 राजस्व परिषद् के संज्ञान में नहीं है इसलिये उसके अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 4-7-91 के अनुपालन में राजस्व परिषद् द्वारा दिनांक 22-8-92 द्वारा श्री गंगवार को अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके भुगतान में जिलाधिकारी, झांसी के कार्यालय द्वारा विलम्ब किया गया । जिलाधिकारी, झांसी को विलम्ब के उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दोषी कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व परिषद

द्वारा निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी, झांसी से प्राप्त सूचनानुसार अब तक देय समस्त अनन्तिम पेंशन की धनराशि का भुगतान श्री संगवार को कर दिया गया है।

जनपद आजमगढ़ के थाना तहबरपुर में ग्राम जमालपुर काजी की हरिजन आबादी से अवैध कब्जा हटाये जाने की जानकारी

91–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, थाना तहबरपुर, ग्राम जमालपुर काजी गाटा संख्या 276 रकबा 100 कड़ी हरिजन आबादी से अवैध कब्जे को [illegible] ए० डी० एम० (प्रशासक) का आदेश दिनांक 9-12-94 थानाध्यक्ष, तहबरपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कब्जा हटवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा खेससरी, विकास खण्ड सिसवा, जनपद महराजगंज में चकबन्दी अधिकारियों द्वारा निकाली गयी भूमि का पात्र व्यक्तियों को आवंटन

92–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा खेससरी, विकास खंड सिसवा, जनपद महराजगंज में चकबन्दी अधिकारियों द्वारा काश्तकारों से 6 प्रतिशत सामूहिक कटौती करके 240 एकड़ भूमि निकाली [illegible] जिसको पात्र व्यक्तियों में न बांटकर ग्राम प्रधान एवं सवर्ण परिवारों द्वारा अवैध कब्जा करके [illegible] लिया जा रहा है, जिससे ग्राम सभा को हर साल लाखों की क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा हटवाकर पात्र व्यक्तियों को भूमि के आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

चकबन्दी अधिकारियों द्वारा काश्तकारों से 6 प्रतिशत की सामूहिक कटौती कर के 135=45 एकड़ भूमि निकाली गयी थी न कि 240 एकड़ जिसमें से 21.44 एकड़ कृषि कार्य हेतु तथा 3.01 एकड़ आवास हेतु पात्र व्यक्तियों में आवंटित की गयी है। ग्राम प्रधान एवं सवर्ण परिवारों द्वारा कोई भी ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करके निजी लाभ नहीं लिया जा रहा है बल्कि अवशेष भूमि सार्वजनिक प्रयोग में लाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बी० के० दीक्षित, उप निदेशक, समाज कल्याण, फैजाबाद मण्डल के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी

93–श्री मित्रसेन यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी० के० दीक्षित, उप निदेशक, समाज कल्याण, फैजाबाद मण्डल के विरुद्ध मुकदमा अ० संख्या–969/92, भा० दं० वि० की धारा–120 बी०/409/420/487/468/471/555 एवं मु० अ० सं०–964/92 भा० दं० वि० की धारा 120 बी/409/420/424/467/471 के अन्तर्गत कोतवाली इलाहाबाद में कोई वाद दर्ज है ? यदि हां, तो इतने

संगीन वित्तीय अनियमितताओं के दोषी व्यक्ति को उप निदेशक, समाज कल्याण के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त रहने का औचित्य क्या है ।

श्री श्रीराम पाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी० टी० रोड से दाईपुर परिषदीय मार्ग की पैमाइश कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर की गयी कार्यवाही तथा कैलाश चन्द्र कटियार, ग्राम गांगपुर के पेड़ों से लगी सरकारी पट्टी को हटाये जाने की जानकारी

94–श्री महेश बाल्मीकि–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० टी० रोड से दाईपुर परिषदीय मार्ग की पैमाइश कराये जाने के संबंध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् फर्रुखाबाद का पत्र संख्या–480/सम्पत्ति/सड़क पै०/93-94 दिनांक 17-7-93 तहसीलदार, कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री कैलाश चन्द्र कटियार की आराजी संख्या–114, 117 व 128 स्थित ग्राम गांगूपुर में खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ों में लगी सरकारी पट्टी को हटा लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक हटायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र में 1993 के पश्चात् कुम्हार कला से जुड़े लोगों को दिये गये पट्टो की जानकारी

95–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों में 20 दिसम्बर, 1993 से अब तक कुम्हार कला से जुड़े लोगों को पट्टे दिये गये हैं ? क्या मंत्री जी उसकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 से अब तक गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र के निम्न ग्रामों में कुम्हारी कला से जुड़े व्यक्तियों को पट्टे दिये गये :––

ग्राम का नाम	आवंटित संख्या
1–मकनपुर	7 व्यक्ति
2–सदरपुर	5 व्यक्ति
3–दीनानाथपुर पूठी	2 व्यक्ति
4–हरसाऊ	3 व्यक्ति
5–डून्डाहेडा	2 व्यक्ति
6–शाहपुर बम्हैटा	2 व्यक्ति
7–डासना	3 व्यक्ति

8–रईसपुर	3 व्यक्ति
9–रघुनाथपुर	2 व्यक्ति
9 ग्राम	29 व्यक्ति

गोरखपुर मण्डल में पेंशन प्राप्त करने वालों की देयों का भुगतान किये जाने की मांग

96–श्री विश्वनाथ–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में निराश्रित विधवाओं, वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन प्राप्त करने वालों की पेंशन की रकम कितनी भुगतान करने को शेष है और यह कब तक भुगतान कर दी जायेगी ?

श्री श्रीराम पाल–

गोरखपुर मण्डल में निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान में 38.50 लाख, वृद्धावस्था/किसान पेंशन में 421 लाख, निराश्रित विकलांग भरण पोषण अनुदान में 19 लाख रुपये की देयता का भुगतान होना शेष है।

प्रश्नगत योजनाओं में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य स्तर पर कर ली गयी है, जिसे जनपदों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

जनपद मेरठ के खेखड़ा विधान सभा क्षेत्र में पेंशन धारकों को नियमित भुगतान किये जाने व लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण की मांग

97–श्री मदन भैया–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में खेखड़ा विधान सभा क्षेत्र में विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन धारक कितने व्यक्ति हैं ? कितने आवेदन-पत्र निस्तारण हेतु शेष हैं ? क्या पेंशन धारकों को नियमित भुगतान एवं लम्बित आवेदन-पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में 197 विधवा भरण पोषण अनुदान तथा 321 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं।

विधवा भरण पोषण अनुदान तथा वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत कोई भी आवेदन पत्र निस्तारण हेतु शेष नहीं है।

सहायता प्राप्त लाभार्थियों को मार्च, 95 तक का भुगतान किया जा चुका है। अग्रेतर नियमित भुगतान धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री घनश्याम विश्वकर्मा की शिकायत के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

98–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 19-4-94 का पत्र जो श्री घनश्याम विश्वकर्मा की शिकायत के संबंध में था, पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत पत्र पर जांच कराकर कार्यवाही कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

उपलब्ध सूचना के अनुसार पत्र तत्कालीन पंचायती राज मंत्री के कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसे तत्कालीन राजस्व मंत्री जी को भेजा गया, परन्तु पत्र यहां उपलब्ध न होने पर पंचायतीराज मंत्री जी द्वारा माननीय विधायक से पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध पत्र संख्या–2946/13-1-95-3/95–ए० क्यू० दिनांक 13 जुलाई, 1995 द्वारा किया गया 1 पत्र अभी तक अप्राप्त है ।

श्री घनश्याम विश्वकर्मा लेखपाल के संबंध में प्राप्त अन्य शिकायती-पत्रों की जांच कराई गई । जांच में शिकायत सही पाई गई तथापि श्री विश्वकर्मा को लेखपाल क्षेत्र गढ़ा से हटाकर तहसील नरैनी कार्यालय में सम्बद्ध कर दिया गया है ।

[तदुपरान्त 12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है । 12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है । 1 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है । तदोपरान्त 1 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई]

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण कृपया आसन ग्रहण करें ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3 अगस्त, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी । पहली सूचना श्री उदय प्रकाश जी की है ।

(श्री उदय प्रकाश के अनुपस्थित रहने पर सूचना नहीं पढ़ी गयी)

मोहम्मदपुर–मवाना (हरिद्वार) से सोलानी नदी के किनारे शेरपुर खादर तक बांध बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामपाल सिंह–

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोरना जनपद मुजफ्फरनगर में तथा हरिद्वार जनपद के खानपुर ब्लाक के गांवों में प्रतिवर्ष बाढ़ आने से कृषकों को भारी जन-धन की हानि होती है । करोड़ों रुपये की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फसलें बाढ़ से नष्ट हो जाती है, तथा क्षेत्र के लगभग 50 गांव पूर्णतया जलमग्न हो जाने के कारण जनता के सामने रोजी-रोटी तथा आवास की समस्या खड़ी हो जाती है । पशुओं को चारा तक उपलब्ध नहीं हो पाता है । गत वर्ष मोरना ब्लाक का हाजीपुर जहांगीर गांव बाढ़ से पूर्णतया ध्वस्त हो गया था इस समय भी क्षेत्र में लगभग 25-30 गांव का सम्पर्क बाढ़ के पानी के कारण कटा हुआ है । जबकि इस वर्ष तो वर्षा भी बहुत कम है । मैं इस लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र की विकट समस्या के स्थाई निराकरण हेतु मोहम्मदापुर–मयाना (हरिद्वार) से सौलानी नदी के किनारे शेरपुर-खादर तक बांध बनवाने की तथा शेरपुर और बढ़ीवाला के बीच सौलानी नदी पर पुल का निर्माण कराने की कृपा करें ।

महाराजगंज सदर में नारायणी नहर के टूट जाने से बाढ़ का संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्र किशोर –

मान्यवर, निवेदन है कि सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि महाराजगंज सदर में नारायणी नहर के टूट जाने के कारण साथ ही बरसात भी आ जाने के कारण महाराजगंज सदर के विकास खण्ड मिठौरा, मुगली तथा सिसवां में भीषण बाढ़ आ जाने के कारण मेरी विधान सभा की जनता भुखमरी की कगार पर आ चुकी है और लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदत्तर स्थिति हो चुकी है साथ ही उक्त ग्रामों के विकास खण्डों में बाढ़ का पानी जमा होने से सम्बन्धित ग्रामों एवं पुरवों में महामारी प्रकार की बीमारी फैल रही है, जिसका जिला प्रशासन स्तर से समुचित इलाज कार्य नहीं किया जा रहा है और बीमारी को काबू पाना असम्भव सा प्रतीत हो रहा है । अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि महाराजगंज सदर के जिन विकास खण्डों में भीषण बाढ़ आ जाने से जनजीवन पूर्णतया अस्त व्यस्त हो गया है । मैं एक विशेष टीम भेजकर बाढ़ से काबू पाये जाने तथा युद्धस्तर पर चिकित्सा विभाग द्वारा बीमारी पर काबू पाने का अभियान चलाया जाये एवं ऐसी स्थिति जो सदर महाराजगंज में उत्पन्न होगी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाये तथा लोगों को विशेषकर राहत राशि दी जाये ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन में धार्मिक अवसरों पर लगने वाले मैले की व्यवस्था हेतु धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

महोदय, आपके माध्यम से सम्मानीय सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक उत्सवों के लिये जैसे इलाहाबाद का कुम्भ मेला, हरिद्वार का अर्द्धकुम्भ तथा अन्य-अन्य के लिये करोड़ों रुपये व्यवस्था हेतु खर्च किये जाते हैं परन्तु बड़े खेद का विषय है कि मथुरा जनपद स्थिति गोवर्धन में हर वर्ष गुरू पूर्णिमा पर एवं हर अधिक मास के माह में देश के ही नहीं विभिन्न अंचलों के स्त्री-पुरुष बाल वृद्ध विश्व के कोने-कोने से लाखों/लाख की संख्या में जिसमें 50 लाख से अधिक "गिरिराज महाराज" की परिक्रमा करके "मानसी गंगा" का चरणामृत स्नान कर ग्रहण करते हैं । परन्तु शासन की ओर से मेला की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के लिये एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई भी अनुदान धनराशि उपलब्ध न होने से आने वाले लाखों-लाख श्रद्धालुओं को भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है । सुविधाओं एवं सहायता से वंचित हो जाते हैं और तो और धन अभाव के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कारण ही पवित्र "मानसी गंगा" में ओखला का जमुना में आने वाला गन्दे पानी से भर कर जो चरणामृत योग्य न होने पर भी लेते हैं। जिससे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच रही है और न ही "मानसी गंगा" में भरे जल का निकासी का कोई साधन है। जिससे वातावरण ही दूषित होता है जिसकी व्यवस्था हेतु 50 लाख प्रतिवार कम से कम खर्चे हेतु व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से सदन में उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा कराये जाने पर बल देता हूं।

11 जनपद बहराइच की कई कोआपरेटिव कमेटियों व बैंकों के गबन की उच्च स्तरीय जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री छोटे लाल (हरदोई)–

मान्यवर, ससम्मान अवगत कराना है कि जनपद बहराइच के कोआपरेटिव समितियों, एवं बैंकों द्वारा लगभग 12 करोड़ की सरकारी धन का गबन किया गया है इस संदर्भ में 8 सचिव, 2 सुपरवाइजर, निलम्बित किये गये हैं दिनांक 26-4-95 को स्पेशल आडिट रिपोर्ट की आख्या पर साढ़े ग्यारह करोड़ (11.5 करोड़) रुपये के गबन/घोटाले की प्राथमिकी पंजीकृत कराने हेतु कोतवाली बहराइच में अभिलेख प्रस्तुत किये गये थे। यह हास्यास्पद घटना है कि जिलाधिकारी बहराइच द्वारा श्री करदम जिला सहायक निबन्धक बहराइच ने जब अपने दस माह के कार्यकाल में भ्रष्ट कर्मचारियों को निलम्बित किया तो मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 1-5-95 को जबरिया श्री करदम से चार्ज लेकर जिला विकास अधिकारी को विधि विरुद्ध दे दिया गया श्री करदम के पूर्व श्री ईश्वर दयाल सहित चार पूर्वाधिकारियों ने उपरोक्त संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की श्री ईश्वर दयाल के विरुद्ध स्पेशल आडिट रिपोर्ट वर्ष 1995-96 के अनुसार साढ़े तीन करोड़ (3.5) करोड़ रुपये का गबन सिद्ध हुआ है। 12.00 करोड़ रुपये की प्रश्नगत डकैती में सम्मिलित दोषी अधिकारियों ने मिलकर अनुसूचित जाति के कर्मठ ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ट सहायक निबन्धक का चार्ज छीनने के उपरान्त निलम्बित भी करा दिया गया। विशिष्ट सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन विगत कई वर्षों से परिपालनार्थ सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि० को लिखा जाता रहा है किन्तु कोई कार्यवाही न किये जाने से अनियमिततायें अनुशासनहीनता चरम सीमा पर बढ़ जाने का यह दुष्परिणाम है, दोषी व्यक्तियों को बचाकर ईमानदार व्यक्ति को सजा देना गम्भीर अन्याय है। अतः प्रश्नगत बारह करोड़ (12.00) रुपये के घोटाले एवं गबन से संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों की चल रही है अचल सम्पत्ति नीलाम कर क्षतिपूर्ति करने एवं गबन व भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करने व अनुसचित जाति के जिला सहायक निबन्धक को तत्काल प्रभाव से बहाल किये जाने की मांग करता हूं।

जनपद आगरा में राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को उक्त मदों में व्यय न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० राम बाबू हरित–

महोदय, डा० भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों की बहुसंख्यक आबादी के नगर आगरा जनपद अम्बेडकर चौक रामनगर पुलिया [illegible] मार्ग शाहगंज आगरा में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण, [illegible] हेतु रैलिंग व शाहगंज बोदला मार्ग पर टूटी पुलिया का निर्माण कार्य के लिये [illegible] 10,00,000 (दस लाख) रुपये का शासनादेश सं० 2546 लो० नि० अनु०–11–105 ई–72 दिनांक 23-7-1992 राज्य योजना के अन्तर्गत हुआ था। परन्तु लोक निर्माण विभाग आगरा के अधिकारियों द्वारा डा० अम्बेडकर चौक व अनुसूचित क्षेत्रों का विकास न हो सकें। की भावना से ग्रसित होकर इस धन को कहीं अन्यत्र लगा दिया गया है। अब आगरा की अम्बेडकर जनता में दिनोदिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर हमारी भावनाओं को ठेंस पहुंचाने की नीयत से यह कार्य अन्य कहीं करा दिया है । इस कारण यहां कभी अशान्ति फैल सकती है । अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को जनहित में शीघ्र सुलभ कराकर स्वीकृत स्थान पर ही कार्य करायें ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कार्यरत प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति संबंधी आन्दोलन होने की आशंका विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

आज सम्पूर्ण प्रदेश के मेडिकल कालेजों के प्रोफेसर्स/प्रवक्ता अपनी सेवा निवृत्ति की अवधि और उससे उनके मिलने वाली पेंशन सुविधा से वंचित रह जाने की आशंका से आन्दोलित है । ज्ञातव्य है कि मेडिकल कालेजों के प्रबन्ध एवं प्रोफेसर्स जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम० एस० या एम० डी० है, ये योग्यतायें प्राप्त करते करते 27-28 वर्ष के हो जाते हैं और कभी वकील 30 वर्ष की आयु तक लेते हैं । ऐसी स्थिति में उनके पास सेवानिवृत्ति से पूर्व 33 साल की सेवा का समय ही नहीं रह जाता जिससे कि वे पेंशन का पूरा लाभ हो सकें । इस मुख्य कारण उनकी सेवानिवृत्ति की अधिकतम सीमा का 58 साल होना है । ज्ञातव्य है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के न्याय मूर्ति की सेवा निवृत्त की अवधि क्रमशः 62 साल व 65 साल है । इसीलिये इन मेडिकल कालेजों में कार्यरत इन डाक्टर प्रोफेसर्स ने अपनी सेवा निवृत्ति की आयु उनकी विशेष शैक्षिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अधिकारियों के समान क्रमशः 62 साल व 65 साल किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद-लखनऊ व उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर कर रखी है जो कि अभी लम्बित है ? पिछले सप्ताह डाक्टर्स शिष्ट मण्डल ने आशय का एक ज्ञापन भी सरकार को दिया किन्तु उस पर कोई निर्णय न होने से उन्होंने सम्पूर्ण प्रदेश में काम बन्द कर देने की धमकी दी है । इससे स्थिति अत्यन्त विस्फोटक बन गई है । अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

उ० प्र० होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ के कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्तों आदि का भुगतान कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जगदम्बिका पाल–

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ के समस्त कर्मचारियों को गत वर्ष माह नवम्बर, 94 से आज तक उनकी सेवाओं के एवज में उन्हें वेतन भत्तों आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है । जिसके फलस्वरूप बोर्ड के संबंधित कर्मचारी और उनके आश्रित भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं तथा स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है । उनके नियमित वेतन भुगतान के संबंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की दिशा में शासन द्वारा बार-बार आश्वासन के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । जबकि चिकित्सा क्षेत्र में होम्योपैथिक इलाज भी लोकप्रिय है तथा बच्चों के लिये बहुत ही कारगर उपाय है । उनकी संस्थाओं को संचालित करने वाला बोर्ड जो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है अत्यन्त पीड़ित एवं दुखद स्थिति में पहुंच गया है जिसके कारण वहां के कर्मचारियों में क्षोभ एवं रोष व्याप्त है । अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त शेष सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्य गंगा कैनाल में पानी छोड़े जाने से धन जन की हानि का मुआवजा दिलाने की मांग

श्री बृजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिये लाखों लोगों की भावनाओं को देखते हुए, मध्य गंगा का निर्माण किया उससे कई लाख एकड़ भूमि बरबाद हो गई है । जिन लोगों की जमीन उससे प्रभावित है उनको आशा थी कि उचित मुआवजा मिलेगा लेकिन कुछ नहीं मिला । अभी-अभी नहर बनकर तैयार हो गयी पानी छोड़ा गया 27 तारीख को नहर दो बार कटी है मध्य गंगा कैनाल से खेड़ा सत्तू, भगवानगढ़ी फदहरी यह गांव इससे प्रभावित हैं हजारों गांव इससे प्रभावित हैं जगह-जगह दलदल बन गई है इससे पशुओं और मनुष्यों की जान का खतरा बन गया है । 22-23 साल के दो लड़के दल-दल में फंसकर मौत के मुंह में समा गये । वहां पर जहां नहर नहीं होती है मोवाइल होती है तो वह चलाते हैं । लेकिन वहां मोवाइल भी नहीं जाती है । मैं चाहूंगा आप सरकार को निर्देशित करें कि उस नहर से जब पानी छोड़ा जाय उस समय विशेष प्रबन्ध किया जाय । जितनी फसलों का नुकसान हुआ है, अरहर की फसल समाप्त हुई, गन्ने के ऊपर तक पानी भर गया जिससे वह भी नष्ट हो गया । हजारों एकड़ गन्ने में इतना पानी भर गया है कि उसके ऊपरी भाग तक फसल डूब गयी है । मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जितनी एरिया मे जलप्लावन हुआ है व किसानों की जितनी एरिया में जलप्लावन हुआ है व किसानों की जितनी क्षति हुई है उसके लिये रेवेन्यू विभाग से सर्वेक्षण करवाकर मुआवजा दिलायें । तमाम गांव उसमें डूब गये हैं । आप सरकार को निर्देशित करें कि मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाय । जिन लोगों की फसल [illegible] हुई है उनको मुआवजा दिया जाय । इसके अलावा जो लोग इसके लिये दोषी हैं उनके खिलाफ [illegible] ही की जाये ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

किस नियम के तहत सुन लें ?

* श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है । अभी आपने जिस तरह से श्री बृजेन्द्र सिंह को सुना है उसी तरह से हमें भी सुन लें । कल मैं बुलन्दशहर गया था वहां सैकड़ों लोग मुझे मिले थे मैंने उनसे अधिकारियों को भी मिलवाया । यह बात सही है वहां पर पानी भरा हुआ है । अधिकारी लोग इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं । कोई भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है । उन किसानों को इस नहर के फटने से जो फसल का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दिलाया जाय । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नहर के फटने से जो भराई का तावान लग जाता है उसको न लगाया जाय । इसके अलावा मृतक के परिवारों को दो-दो लाख रुपये की मुआवजा राहत दिलवायें । जिन किसानों की फसल

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

का नुकसान हुआ है उसके लिये किसी राजस्व [illegible] को भेजकर उसका सर्वेक्षण करवायें कि कितना नुकसान हुआ है । जो इस लापरवाही के लिये दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय । किसानों के ऊपर पानी के कटान का तावान न लगाया जाय ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

इस विषय पर लिखित सूचना हमारे पास नहीं है, इसलिये जो माननीय सदस्यों ने यहां पर जानकारी दी है उनके भाषण के आधार पर ही इसको सूचना मानकर इसकी जांच करवा लेंगे और कार्यवाही करवा देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्य बैठ जायें । नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं मैं उनको ले रहा हूं ।

(शोरगुल के मध्य)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, वहां पर लाठी चार्ज हुआ है । दो विधायक घायल हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष–

किस नियम के तहत आपने सूचना दी है ? कृपया रंगनाथ मिश्र जी बैठ जायें ।

श्री सरजीत सिंह डंग –

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

नियमान्तर्गत सूचना सुने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । हम माननीय सदस्य विभिन्न नियमों के तहत अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर उठाते हैं, नियम 56, नियम 300, नियम 301 में और अन्य नियमों में । मैं माननीय सदस्य अलीगढ़ से सहमत हूं कि उनके यहां नहर टूटी है और किसानों की क्षति हुयी है, उनकी बात सुनी जानी चाहिये लेकिन यह भी मान्यवर, सत्य है कि उन्होंने न नियम 56 में दिया और न नियम 300 में दिया है और न नियम 301 में दिया, किसी नियम में नहीं दिया और किसानों के लिये अरण्यरोदन कर रहे हैं । जिन माननीय सदस्यों ने आपको लिखकर दिया है और आपने सुनने के लिये स्वीकार किया है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है हम लोगों के समय का नुकसान होता है । इसलिये मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । हम भी ऐसे यदि खड़े हो जायंगे और अपनी बात कहने लगेंगे तो कठिनाई होगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, अभी आपने कृपा पूर्वक दो माननीय सदस्यों को सुना । उनकी नोटिस नहीं थी लेकिन आप किसी की बात बिना नोटिस के भी सुन सकते हैं, यह आपके अधिकार में है । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है । हमारे वह माननीय सदस्य जिन्होंने यह मामला उठाया है शायद वह मेरी बात पूरी पूरी नहीं सुन पायें । आपने जो प्रश्न उठाया उसकी सूचना हमारे पास नहीं है लेकिन आपने जो भाषण दिया है उसको सूचना मानकर पूरे प्रकरण की जांच करायी जायगी । आप अगर अपने भाषण के अलावा कुछ और तथ्य देना चाहते हैं तो लिखकर दे दें । सभी मामलों की जांच करवा ली जायगी ।

श्री अध्यक्ष–

जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय डंग जी ने उठाया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात सुनने के उपरान्त, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है, मैं इसे अस्वीकार करता हूं । मैंने जो सूचना सुनी उसका आगे कोई दृष्टांत नहीं बनेगा ।

श्री बिजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुझे एक सेकेन्ड का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

अब एक सेकेन्ड का समय नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, भा० ज० पा० के माननीय सदस्य इधर बैठे हैं इनको उधर बैठना चाहिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, कभी कभी जगदम्बिका पाल भी जाकर उधर बैठ जाते हैं ।

दारुलशफा विधायक निवासों में पानी एवं विद्युत की अपूर्ति अनियमित होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं ।

* श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह समस्या हम सब लोगों से संबंधित है । मान्यवर, दारुलशफा के ब्लाक ए, बी, सी में अनेक माननीय सदस्य रहते हैं । वहां पर पानी की गम्भीर समस्या है । यह देखने में आता है कि सुबह ही नल बन्द हो जाता है नहाने के लिये भी पानी नहीं मिलता है क्षेत्र से भी जो लोग मिलने आते है पानी न होने से उनको भी बड़ी समस्या होती है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से की जाय । जब गर्मी का सीजन होता है तो पानी बहुत गरम हो जाता है और वही पानी पीने के लिये दिया जाता है । पीने के पानी की अलग व्यवस्था की जाये और जो पानी आना बन्द हो जाता है, उसकी भी ऐसी व्यवस्था की जाये कि वह आता रहे । मान्यवर, बिजली चली जाती है, परसों

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

रात में पूरी रात बिजली नहीं रही । मान्यवर, यह एक ही स्थान पर नहीं है, बल्कि ए ब्लाक में, बी ब्लाक में और सी ब्लाक में भी यही स्थिति है । इसलिये आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की व्यवस्था हो कि बिजली न जाये और यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाये, जनरेटर सेट लगाया जाये, जिससे अगर बिजली चली जाती है, तो उससे बिजली आ सके । मान्यवर, बिजली चले जाने से टेलीफोन बन्द हो जाते हैं और उस समय अगर किसी को कोई महत्वपूर्ण सूचना देनी हो तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है । साथ ही साथ ए०, बी० सी० ब्लाकों का जो क्षेत्र है, उसमें सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । यहां पर सर्वाधिक विधायक रहते हैं । क्षेत्रों से लोग आते हैं और वहां पर रहते भी हैं, इसलिये इस क्षेत्र में एक पुलिस चौकी होनी चाहिये । पेट्रोलिंग की कार कभी दिखाई नहीं पड़ती है । आये दिन लोग असलहे लेकर नशे में चूर घूमा करते हैं । तो मान्यवर, इसकी व्यवस्था की जाये । मान्यवर, रायल होटल में सीवर जाम हो गया है, इसको चालू कराने की भी व्यवस्था की जाये ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, जो व्यवस्था उठायी गयी है कि ए०, बी० और सी० ब्लाकों में पानी, बिजली और सुरक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो मुझे बिजली की जानकारी है कि, अव्यवस्था रहती है और माननीय सदस्य ने बताया कि पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था नहीं है । इन तीनों अव्यवस्थाओं के बाबत व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे तत्काल और जो अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था देखने की और पानी की आपूर्ति की, उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी । यह देखा जायेगा कि सत्र के समय विधायकों को सामान्य सुविधायें क्यों नहीं उपलब्ध हो रही हैं । मान्यवर, यह तो व्यवस्था संबंधी मामला है और नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री भैरो प्रसाद मिश्र और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । पानी, बिजली और अन्य समस्त सुविधायें मिलनी चाहिए, इनकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का मैं निर्देश देता हूं ।

(व्यवधान)

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने कक्ष में बैठक भी बुलायी है । आप सरकार को निर्देश दें कि 24 घंटे के अन्दर व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये, आप निर्देश दें ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अधिकारियों द्वारा विधायकों के पत्रों का उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

व्यवधान

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बैठ जायें । अगली सूचना श्री सरजीत सिंह डंग जी की है मैंने उनको बुलाया है ।

*डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, चाहे इस सदन के सदस्य हों अथवा उच्च सदन के हों लोक सभा अथवा राज्य सभा के सदस्य हैं उन सभी के कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की बाधा न आये और शासन के अधिकारियों की ओर से, प्रशासन के अधिकारियों की ओर से, उन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त हो इसके लिये बारम्बार शासनादेश किये गये हैं और विज्ञप्ति भेजी गयी हैं । मगर मान्यवर, खेद का विषय है कि एक शासनादेश संख्या ओ० 1725सी० एम०–2. 21-7-87 उसके माध्यम से अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया, उसके प्रस्तर 5 में उल्लेख है कि माननीय सांसद. विधायकों के पत्रों का उत्तर तत्काल यथासमय दिया जाय और अन्तिम उत्तर कम से कम एक माह के अन्दर जरूर दिया जाय । दूसरा 1992 में 21 मई, 1992 को शासनादेश किया गया कि जिले भर में जितनी रिक्तियां हैं उनकी सूचना विधायकों को प्राप्त होनी चाहिए और जहां वह शिकायत करते हैं उनमें अन्तिम रूप से क्या परिणाम रहा उसके बारे में उन्हें सूचित किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, खेद का विषय है कि मुझसे इस सदन में सारे उपस्थित सदस्य सहमत होंगे कि विशेषकर जिन पत्रों में यह लिखा रहता है कि कृत कार्यवाही से अवश्य अवगत करायें उनके बारे में भी पत्र के उत्तर देने का कष्ट भी अधिकारी नहीं करते हैं । मैंने एक विशेष पत्र का उल्लेख किया 31-1-95 को मैंने एक पत्र लिखा, 31-5-95 को उसका स्मरण पत्र भेजा आज तक मान्यवर, उस पत्र का उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है । केवल यह पत्र का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि इस सम्मानित सदन के सदस्य को अपने कर्तव्यों के पालन में, यदि उन्हें सूचना अधिकारियों से प्राप्त नहीं होगी, यदि उनकी शिकायत का निस्तारण में क्या किया गया यह नहीं मालूम होगा, कि रिक्तियां कितनी है यह नहीं ज्ञान होगा, तो वे अपने कर्तव्यों का पालन सुचारु रूप से कैसे कर पायेंगे ? जनता, जिसके प्रति उनकी जबाबदेही है, उसकी अपेक्षाओं पर खरा कैसे उतरेंगे ? औचित्य का प्रश्न लाने के पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि कहीं शासन के आदेशों का पालन न करने का दुस्साहस करने का मन बनाकर कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं । ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से अपने अनुशासन के अंकुश के अन्दर रहने दिया जाय । जब तक अनुशासन के अंकुश के नीचे नहीं आयेंगे तो जो लोकतंत्र की मूल भावना है उसकी उपेक्षा हो जायेगी । लोकतंत्र का अर्थ ही है जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति, अगर इस बात का निर्णय हम नहीं करा सकते कि लोकतंत्र में लोक बड़ा है या तंत्र है तो लोकतंत्र के रहने की कोई आवश्यकता मेरी समझ में नहीं रह जायेगी ।

मान्यवर, निश्चित रूप से लोक बड़ा है इसे तंत्र को समझना पड़ेगा कि तंत्र आप लोक के नीचे काम कर रहे हैं, लोक के हित के लिये काम कर रहे हैं । मैं मान्यवर, इसकी ग्राह्यता पर बल देता हूं और इस सदन में चर्चा करायी जाय । अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व एक बात यह कहना चाहता

हूं कि अभी हमारे विद्वान मित्र पाल जी ने नियम 56 का हवाला दिया मेरे मन में बहुत सद्भावना थी। जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का पिछले चुनाव में जनता ने परिवार नियोजन कर दिया था। जो बचे खुचे मामले थे वह आपरेशन पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने कर दिया।

(व्यवधान)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, यह इसमें तो आता नहीं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

3-4 लोग बैठे हुए हैं और कांग्रेस की भी वही स्थिति है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको विषयवस्तु से हटकर नहीं कहना चाहिए।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप मेरा एक अनुरोध सुन लें।

मान्यवर, मैं तो यह चाहता था कि डंग साहब ने जो कमी रखी होगी उसको हम जोड़ देंगे लेकिन डंग साहब ने तो अपनी सीमा पार कर दी। उनको यह होश नहीं रहा कि वह कांग्रेस के लिये कह रहे हैं या जनता दल के लिये कह रहे हैं। जहां तक जनता दल की बात कही है वह मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर जनता दल की धूल को भी नहीं पा पायेंगे डंग साहब या उनका दल दोनों। परिवार नियोजन के आदी ये हैं।

श्री अध्यक्ष–

डंग साहब को विषयवस्तु से हटकर कोई बात नहीं कहनी चाहिए और न सुनी जायेगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय डंग जी ने माननीय सांसदों और माननीय विधायकों से प्राप्त पत्रों का उत्तर न दिये जाने के संबंध में सवाल उठाया और सरकार सहमत है कि शासन के प्रत्येक अधिकारी को माननीय विधायकों के पत्र मिलते हैं उनका उत्तर दिया जाना चाहिए इससे विधायकों को सुविधा होती है और जो समस्यायें उनके पास आती हैं उस पर क्या कार्यवाही हुई वह तत्समय अपने उन साथियों को बताने में सुविधा अनुभव करते हैं। जो साथी उनके पास शिकायतें लाते हैं समस्याएं लाते है। इस पर शासनादेश भी है। जिस शासनादेश का उन्होंने उल्लंघन किया है, उसका अनुपालन जहां कहीं नहीं हो रहा है उसकी बाबत डा० डंग और अन्य माननीय विधायक जितने लोग शिकायत करते हैं तो कार्यवाही होती है और अब अगर शिकायत की जाती है तो कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, एक अधिकारी का उल्लेख किया गया, जिलाधिकारी, मिर्जापुर का कि, उनको पत्र लिखा और उसका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, तो मैं आपके माध्यम से आश्वासन देता हूं कि उनके लिखे गये पत्रों का उत्तर जिलाधिकारी ने

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नहीं दिया इसको यह मानकर कि शासनादेश का उल्लंघन हुआ है अगर इन्होंने पत्र लिखा है इसकी जांच करायेगी और आगे से सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध कर लेगी, और कड़े निर्देश जारी कर दिये जायेंगे, संसदीय विभाग से कि, सभी माननीय विधायकों और सांसदों से प्राप्त पत्रों के उत्तर समय से दें और अगर उत्तर जांच आदि के कारण समय से दिया जाना सम्भव नहीं है तो उसका एक अनुपूरक उत्तर दे दें कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर कार्यवाही की जा रही है। यह इसी सप्ताह सरकार जारी करेगी।

मान्यवर, यह पत्रों का मामला है और विधान सभा की कार्यवाही से इसका कोई मतलब नहीं है इसलिये इसको नियम 300 के अन्तर्गत निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डंग साहब और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(व्यवधान)

पूर्व निर्धारित अशासकीय दिवस को सदन के तिथिवार कार्यक्रम से हटाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के द्वारा एक ऐसे विषय को माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं जो सभी माननीय सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 के अन्तर्गत सत्र के दौरान यह प्राविधान किया जाता है कि प्रत्येक शुक्रवार को एक गैर सरकारी दिवस होता है जिसमें गैर सरकारी माननीय सदस्यों का कार्यक्रम लगाया जाता है। मान्यवर, इस गैर सरकारी कार्यक्रम में माननीय गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प, विधेयक लगाये जाते हैं और मान्यवर, ऐसा करना विधान और भारतीय संविधान के अनुकूल है। लेकिन देखने में आज यह आ रहा है कि इस माननीय सदन में गैर सरकारी सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ज्ञातव्य है कि चालू सत्र में दिनांक 14-7-95 और 17-7-95 को गैर सरकारी दिवसों के तिथिवार कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी और तिथिवार कार्यक्रम में उनको निर्धारित किया गया था। लेकिन मान्यवर, दिनांक 17-7-95 को तिथिवार कार्यक्रम से उसे निकाल दिया गया और इसकी सूचना इस माननीय सदन को नहीं दी गयी और न ही यह विषय कार्य मंत्रणा समिति को बताया गया। मान्यवर, यह सरकार मनमौजी तरीके से काम कर रही है। साथ ही मान्यवर, गैर सरकारी दिवसों के विषय में अधिकार सभी पार्टी के विधायकों को होता है, विपक्ष के विधायकों और विभिन्न दल के सदस्यों को होता है और यह बिना किसी भेदभाव के होता है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि सत्ता पार्टी का इसमें दबाव था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं कोई दोष नहीं लगाना चाहता हूं। हो सकता है कि किसी प्रकार से उन्होंने यह सोचा हो कि आने वाले समय में शुक्रवार के दिन गैर सरकारी दिवस लगा दिये जायेंगे। दुख इस बात का है कि कभी तो ऐसा कह दिया जाता है कि शुक्रवार को लगा दिया जायेगा फिर धीरे-धीरे सब शुक्रवार निकल जाते हैं और उस सत्र का अन्त हो जाता है और जो हमारे माननीय सदस्य गैर सरकारी विधेयक और संकल्प लाते हैं वह पड़े रह जाते हैं। मैं इसी बारहवीं विधान सभा के अन्तर्गत इस माननीय सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमें पांच असरकारी दिवस दिये है लेकिन उन असरकारी दिवसों को अभी तक नहीं लगाया गया है। मान्यवर, मैं विशेष रूप से उन माननीय सदस्यों की पीड़ा इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं जिन्होंने बड़े परिश्रम से अपने संकल्पों को बनाया था और शलाका के आधार पर उन माननीय सदस्यों के संकल्प आये थे, उसके लिये प्रत्येक शुक्रवार को दो बजे से पांच बजे तक का समय निर्धारित है, 14 तारीख को उसका प्रस्तुतीकरण मात्र कराया गया। उसमें से एक संकल्प मेरा भी है और एक संकल्प डा० राम बाबू हरित का, एक संकल्प श्री किरन पाल सिंह जी का, हरेन्द्र सिंह मलिक जी का है। यह सभी माननीय सदस्य इस चिन्ता में हैं कि सदन का समय धीरे-धीरे निकल रहा है और हमारे संकल्प नहीं आयेंगे। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी का सत्र का समय बचा हुआ है उसमें आने वाले शुक्रवार को गैर सरकारी दिवस लिये जाने की व्यवस्था की जाये जिससे जनता की जो समस्यायें हैं उसके निराकरण के लिये हमने जो संकल्प रखा है उस पर हम अपने विचार रख सकें।

* डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस औचित्य के प्रश्न पर यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 के अनुसार.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय बदन सिंह जी सारी बात विस्तार से कह चुके हैं, उसके अतिरिक्त कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, जो माननीय बदन सिंह जी ने विचार प्रस्तुत किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जो 14-7-95 को असरकारी दिवस के दिन मेरे द्वारा काफी मेहनत करने के बाद, क्षेत्रीय जनता की जो परेशानी थी, मैंने सोचा था, सदन में प्रस्तुत कर सकूंगा, ऊपर वाले ने भी मेहरबानी कर दी थी, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि यहां रखने पर समस्या दूर होगी, लेकिन दुर्भाग्य से समय धीमे-धीमे बीतता चला जा रहा है और मुझे उसका मौका नहीं दिया जा रहा है, जिसमे जनता की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। आगरा महानगर में निशुल्क शौचालय की व्यवस्था किया जाने की बात थी, इससे एक तो सफाई रहेगी और दूसरे हमारी मां-बहनें इज्जत के साथ अपना शौच कर सकें और उनके साथ होने वाली समस्या दूर हो, इसके लिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि जो बचा हुआ समय है, उसमें आप ऐसी व्यवस्था करें, जिससे हम अपनी समस्या रख सकें।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी और माननीय राम बाबू हरित ने इस सदन में प्रति सप्ताह एक दिन गैर असरकारी संकल्पों के लिये जाने एवं उन पर चर्चा कराये जाने का समय न दिये जाने की बात उठायी। यह भी कहा कि, विपक्ष के सदस्यों के अधिकारों में कटौती हो रही है। श्रीमन्, अपने देश में जो सबसे बड़ी किताब संसदीय ज्ञान की मानी जाती है, कौल और शकधर की, उसका उल्लेख करना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

चाहूंगा । मान्यवर, इसमें दिन भर के कार्य को दो हिस्सों में बांटा गया है, सरकारी कार्य और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य । माननीय दोनों सदस्य जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने कदाचित इस विषय की ओर ध्यान नहीं दिया । सरकारी कार्य का दिन, जिसे माननीय सदस्य मान रहे हैं, उसी पुस्तक में यह भी दिया हुआ है कि सरकारी कार्य के दिवसों में गैर सरकारी समय कहां-कहां जाता है, उसका उल्लेख बड़े स्पष्ट तौर से किया गया है ।

श्रीमन्, जब हम सुबह विधान सभा में आते हैं तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, इसे सरकारी काम माना जाता है, जबकि इसे गैर सरकारी सदस्य शुरू करते हैं और सरकार उनका उत्तर देती है । इसी प्रकार श्रीमन्, नियम 300 आप सुन रहे हैं, इसमें हमें माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन मिलता है, विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से । उसको भी पूरे विस्तार से गैर सरकारी सदस्य शुरू करते हैं और सरकार की तरफ से हम उत्तर देते हैं । इसी तरह कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, जिसमें आप विशेष [illegible] के अन्तर्गत कृपा करते हैं । आजकल बजट प्रतिदिन पेश हो रहे हैं, इसमें भी मा[illegible] कटौती का प्रस्ताव रखते हैं, तो यह जो सरकारी दिवस बताया जा रहा है, उसमें भी प्रतिक्षण [illegible] और सरकारी कामकाज के अवसर मिलते हैं । जहां तक एक दिन का विषय उठाया गया है, वह [illegible] सम्बन्धीन है और सरकार की कहीं से भी विपक्ष के सदस्यों के अधिकारों में कटौती करने की मंशा नहीं है, जो विषय आया है, उस पर कार्य-मंत्रणा समिति में विचार कर लेंगे । यह मान्यवर, नियम 300 में आता नहीं, इसलिये इसे निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री बदन सिंह, श्री राम बाबू हरित व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर अपनी बात कही है कि कार्य-मंत्रणा समिति में इस पर विचार करके जो माननीय सदस्य असरकारी दिवस चाहते हैं, उसके लिये व्यवस्था की जायेगी ।

(श्री रंगनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

कल सदन में ध्यानाकर्षण किया गया है, आज सूचना आ गयी है ।

सत्र के दौरान जिला स्तरीय बैठकों को बुलाये जाने से विधायकों को विधायी कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने विषयक औचित्य का प्रश्न

* श्री बच्ची सिंह रावत–

मान्यवर, मुझे आपने औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 से इस सदन का सारा काम चलता है और हम लोग जो इस सदन के सदस्य हैं, इस सदन और जनता की सेवा के लिए यहां उपस्थित रहते हैं । मा० अध्यक्ष जी की पीठ से कई बार पहले भी यह निर्देश हुए हैं कि जो जिला स्तरीय बैठके सदन की उपवेशन के दिन न बुलायी जाय लेकिन मान्यवर, हमारे जिला अल्मोड़ा की सिंचाई व ऊर्जा सलाहकार समिति की बैठक 31-7-95 को सदन के उपवेशन के दिन बुलायी गयी और जहां ग्रामीण विद्युतीकरण होना है, उसका चयन कर लिया गया । इससे हमारे अधिकारों पर आघात पहुंचा है । अभी एक नोटिस और मिली है जिसमें अगले कार्य दिवस 14-8-95 को सड़क एवं परिवहन समन्वय समिति की भी बैठक रखी गयी है ।

मान्यवर, जानबूझकर सत्र के समय यह बैठकें रखी जा रही हैं ताकि विधायक उपस्थित न रहें । विधायकों को जनप्रतिनिधि के रूप में अपने सुझाव एवं ग्रामों का चयन करना होता है । माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं निश्चित रूप से जिला स्तर के अधिकारियों को यहां के कार्यक्रम की जानकारी समाचार-पत्रों के जरिये एवं अन्य माध्यमों से है फिर भी वह इन समितियों की बैठकें सत्र के दौरान बुला रहे हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जिन समितियों में विधान सभा के माननीय सदस्य नामित हैं, उनकी बैठकें सत्र के दिनों में न रखी जायें। अतः इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करके विधायकों के हितों को अपना संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, इस संबंध में पहले से संसदीय कार्य विभाग के निर्देश थे कि जिन दिनों आदरणीय सदन के उपवेशन चल रहे हों उन दिनों में कोई ऐसी बैठक न बुलायी जाये जिनमें माननीय विधायकों को हिस्सा लेना होता है और मान्यवर, विकास कार्य बाधित न हो, सदन चलते हुए कहीं ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि बगैर बैठक किये धन स्वीकृत करना हो तो शनिवार और रविवार को, अवकाश के दिन बैठक बुलायी जा सकती है। श्रीमन्, पिछले सप्ताह एक नया निर्देश जारी किया गया है जिसमे सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों और प्रदेश के सभी अधिकारियों से कहा गया है कि वह शनिवार और रविवार को छुट्टी में भी कोई बैठक न बुलायी जाये और अपरिहार्य परिस्थितियां हों, जिसमें बैठक बुलाना आवश्यक है तो सदन के चलते उस समय बैठक बुलायें जब एक साथ 3 दिन की छुट्टियां पड़ रही हों। अभी भाई राम विशुन आजाद ने अपने जिले का बताया कि उनके यहां कोई बैठक आज चल रही है, तो जिन अधिकारियों ने आज बैठक बुलायी होगी, उन्हें दण्डित किया जायेगा। जो नया शासनादेश जारी हुआ है उसमें एक साथ 3 दिन के अवकाश के समय ही बैठक बुलाये जाने की व्यवस्था है, इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जायेगा। इसके साथ ही श्रीमन्, इस बीच सदन के उपवेशन के दिनों में बैठकें हुई हैं, उनकी कार्यवाही भी निरस्त कर दी जायेगी और उन्हें इस आशय की सभी बैठकें दोबारा बुलानी पड़ेगी। श्रीमन्, यह नियम 300 में नहीं आता है, इसलिये इसको निरस्त करने की कृपा करें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं पहाड़ों के लिये 3 दिन का समय उपयुक्त नहीं है क्योंकि हम लोगों को अपने क्षेत्र में पहुंचने में 3 दिन लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्र के दौरान बैठकें नहीं होंगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई ऐसी छूट नहीं दी गयी है कि 3 दिन के अवकाश के समय वह बैटकें बुलायें ही, यह तो अपरिहार्य परिस्थितियों की बात है और यह आपातकालीन छूट है।

श्री अध्यक्ष–

श्री बच्ची सिंह रावत जी व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद, यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिये मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

असहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदानित करने के संबंध में मुख्य मंत्री के कथन में विरोधाभास होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल, जगदम्बिका पाल व श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी की असहायता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आज ही माध्यमिक शिक्षा का बजट है इसलिये मैं समझता हूं कि आप लोग इस विषय पर उस समय अपने विचार विस्तार

में रख लीजियेगा। इस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देंगे और उस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी जवाब दे देंगे।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय श्री पाल जी, शिक्षा के बारे में विस्तार से पढ़कर आये होंगे। उस समय अपने विचार वह रख लेंगे। उचित होता, यदि इस पर वह इस समय विचार नहीं रखते।

श्री अध्यक्ष–

यह सही है कि उस समय माननीय सदस्य विस्तार से अपने विचार रख सकते हैं। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी कुछ कहने में समर्थ भी हो सकते हैं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप पहले सुन तो लें। यह एक स्पेशिफिक सूचना है। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता के संबंध में विचार रखने का अवसर दिया। शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। ''भारत का संविधान'' निर्माताओं ने डा० बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी ने शिक्षा को इसलिये समवर्ती सूची में रखा होगा, अगर शिक्षा को पूर्णतया राज्य स्तर पर व केन्द्र स्तर पर छोड़ दें तो शिक्षा के लिए इतने संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे राज्य व केन्द्र दोनों को इस सूची में लिया गया। प्रदेश में तमाम शिक्षा के क्षेत्र में दानवीर और निजी लोग आये जिन्होंने समय-समय पर सीनियर बेसिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय खोले और उन विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों को शासन अपनी अनुदान सूची पर भी लेते रहा। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गयी है.....

श्री अध्यक्ष–

श्री पाल जी आप मूल सूचना को देखें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह तो भूमिका थी। इसमें आज विरोधाभास है। सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम गैर सहायता प्राप्त और असहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में नहीं लेंगे और तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने 256 असहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने की बात कही और आदेश निर्गत करने की बात कही। तमाम सार्वजनिक सभाओं में इस बात की घोषणा की गयी और इस सदन के प्रश्न के उत्तर में आया कि असहायता प्राप्त विद्यालयों को हम अनुदान सूची में लेने नहीं जा रहे हैं। सरकार तो मान्यवर, संसदीय नियमों, परम्पराओं और विधान के अनुसार चलती है। सदन के अन्दर कुछ घोषणा की जाती है और सदन के बाहर कुछ घोषणा की जाती है। आज कई असहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक ऐसे हैं जो 50 रुपये से लेकर 100 रुपये में 10-10 व 15-15 साल से अपना माथा इसलिये टिकाये हुए हैं कि कभी न कभी इस विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जायेगा और उन्हें वेतन वितरण अधिनियम में वेतन मिलेगा। 10-10 व 15-15 साल हो गया है परन्तु वह विद्यालयों को अनुदान सूची में नहीं लिया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[समय 2 बजकर 15 मिनट]

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न यहां उठाया गया है उसके संबध में कहना चाहता हूं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में भी कुछ विद्यालयों को पेमेंट में लेने के लिये तय किया गया था और पिछले बजट में भी मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हम कुछ विद्यालयों को लेंगे। मान्यवर, सारे अध्यापक सौ, डेढ़ सौ रुपयों में काम कर रहे हैं और ठीक ढंग से परिश्रम से पढ़ा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें जो आपने उल्लेख किया है 7 मार्च को विधान सभा में प्रश्न 3 का उत्तर दिया गया और फिर 8 मार्च को माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी आपने कहा कि विरोधाभास है। तो 8 मार्च को मुख्य मंत्री जी ने क्या घोषणा की थी, कोई साक्ष्य है ?

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

उन्होंने कहा था कि पेमेंट पर लेंगे। आप जानते हैं वह कैसे थे और उन्होंने यह कहा था कि हम पेमेंट पर लेंगे विद्यालयों की संख्या भी निर्धारित की थी।

श्री अध्यक्ष–

इसका कोई साक्ष्य भी है या ख्याल से ही है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

इस समय साक्ष्य मौजूद नहीं है मैं दे दूंगा। यहां पर शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, शिक्षा का बजट भी है और साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाना है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। शिक्षा मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी दोनों बैठे हैं तो साफ-साफ घोषणा कर दें कि इतने विद्यालयों को हम पेमेंट पर लेंगे। यह सही है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कम लीजिये लेकिन एक शुरुआत होनी चाहिए। इस मामले में काफी दिनों से पहल नहीं की जा रही है। मैं औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं और आग्रह करता हूं कि साफ-साफ यहां आज घोषणा कर दें।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपने एक महत्वपूर्ण मामले पर औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। माननीय पाल जी ने और मानीनय मल्ल जी ने महत्वपूर्ण बातें रखी हैं मैं उन पर बल देता हूं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कांग्रेस सरकार ने 1989 में तय किया था कि प्रत्येक वर्ष कम से कम कुछ विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जायेगा और यह लिये जाते रहे और वह तारतम्य बना रहा लेकिन कांग्रेस के जाने के बाद यह केवल घोषणा में ही अनुदान सूची में विद्यालय लिये गये। यहां पर मान्यवर, प्रश्न दूसरा है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी दोनों के बयानों में विरोधाभास है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जो इस प्रकार के विद्यालय चल रहे हैं उनमें अध्यापकों की स्थिति दयनीय है 100, 150 रुपये में काम कर रहे हैं। तो जो पूर्व मुख्य मंत्री जी की घोषणा है उसका पालन होना चाहिए 256 विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने की बात है। मुझे जानकारी मिली है कि जो इस मद में पैसा रखा था वह अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

इसमें 20 करोड़ रुपया खर्च आयेगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जो विषय यहां पर उठाया गया है वह 7 मार्च को इस सदन की कार्यवाही के एक प्रश्न के उत्तर के संबंध में है । श्रीमन्, आप अवगत हैं इस आदरणीय सदन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने जो जवाब दिया था वह पत्रावली के आधार पर दिया था और तत्कालीन मुख्य मंत्री क्या कुछ बोलते थे, उनकी कितनी सोच रहती थी उनकी बात का पत्रावली से क्या संबंध रहता था, उपलब्ध संसाधनों से क्या वास्ता उनका था इससे पूरा प्रदेश अवगत है, अपने ढंग से बिना किसी संगत नियम के, बिना किसी पत्रावली को देखे ही जनता को खुश करने के लिये तत्कालीन मुख्य मंत्री जी इधर-उधर बयान दिया करते थे तो उसका उनको दण्ड मिल गया है । जहां तक इस सरकार की बात है, इस सरकार की सुस्पष्ट नीति है कि जो उपेक्षित क्षेत्र हैं और शोषित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का नियम और संविधान का सम्मान करते हुए पहले सेवा करेंगे । (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं एक बात कहना चाहता हूं बार-बार इस सरकार का यही [illegible] है कि उस सरकार ने यह किया है....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

आपकी जो नोटिस है वह दूसरी सरकार से संबंधित है, मार्च माह की इसमें बात है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

बार-बार दीक्षित जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि उस सरकार ने किया । यह बात कांग्रेस के लोग कहें, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें या जनता दल के लोग कहें, तब तो बात समझ में आती है, लेकिन यह सरकार पूर्व सरकार के संयुक्त सरकार में एक घटक थी, यह इसलिये उसके एक-एक काम के लिये जिम्मेदार है संयुक्त उत्तरदायित्व के नाते से । उसका सिर्फ एक घटक चला गया लेकिन सरकार तो वही है । इसके अलावा इस समय के शिक्षा मंत्री उस समय शिक्षा राज्य मंत्री थे । इसलिये वह अपनी जिम्मेदारी से यह कहकर बच नहीं सकते हैं कि उस सरकार ने किया । सरकार की तो एक निरन्तरता होती है । पूर्व सरकार में बहुजनसमाजवादी पार्टी भी शामिल रही है, उसका एक घटक रहा है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

हम उससे सहमत हैं और जितनी जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी है, उतनी ही जिम्मेदारी इनकी भी है, इनकी पार्टी की है, क्योंकि यह भी उनके समर्थन में ही हाथ उठाते थे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

उनको केवल हमारा समर्थन था मुद्दों के आधार पर, सही काम के लिये समर्थन था, हम उसमें शामिल या उसके घटक नहीं थे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

विद्यालयों का जो मामला है, उस पर शिक्षा मंत्री जी अभी बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और उसी समय शिक्षा के संबंध में हमारी क्या नीतियां हैं, क्या कार्यक्रम हैं उस पर विस्तार से वह बतायेंगे । उस समय विद्वान साथी तर्क कर लेंगे । तिवारी जी का विचार स्वागत योग्य है और उसी के साथ प्रार्थना है कि यह नियम 300 में तो विषय आता नहीं है, इसलिये इसे निरस्त किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में तो यह सूचना आती नहीं है, इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

आज नियम 300 के अन्तर्गत..... (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मंत्री जी इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिये मैं इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोदान) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1994 के नियम 150(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा [illegible] फरवरी, 1995 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक 2 अगस्त, 1995 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने एक नियम 300 में सूचना दी थी और उसका संबंध इस सदन के कार्यकलापों से ही था और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि उस सूचना पर आपने अनुमति नहीं दी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, जो सूचना नियम 300 या माननीय सदस्यों के अधिकारों को कहीं भी छू रही हो तो .....

श्री राम आसरे वर्मा–

इस सदन के कार्यकलाप जिन नियमों से तय होते हैं, उनके बारे में एक सूचना मैंने दी थी, वह भी औचित्य का प्रश्न बनता है और स्पष्ट रूप से बनता है। आप इस पर मुझे एक-दो मिनट में सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे इस समय तो अस्वीकार कर चुका हूं, अगले समय पर दे देंगे तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड नेवादा के अन्तर्गत पुरखास कटैया सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री उमेशचन्द्र केशरवानी आदि की याचिका

* श्री शिवदानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड नेवादा के अन्तर्गत पुरखास कटैया सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री उमेश चन्द्र केशरवानी व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र चायल के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत उमरक्षा से घोघेवीर बाबा होके गौसपुर तक सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री राम कैलाश आदि की याचिका

श्री शिवदानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र चायल के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत उमरक्षा से घोघेवीर बाबा होके गौसपुर तक सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री राम कैलाश व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत नगर पंचायत सराय अकिल कस्बा में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने विषयक श्री के० एन० रस्तोगी आदि की याचिका

श्री शिवदानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत नगर पंचायत सराय आकिल कस्बा में राजकीय बालिका इन्टर कालेज खोले जाने के संबंध में श्री के० एन० रस्तोगी व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद इलाहाबाद क्षेत्र चायल के ग्राम पिपरी बाबा तारा मटका बलीपुर टाटा से बादशाहपुर तक मार्ग को बनवाये जाने विषयक श्री राम विशुन गुप्ता आदि की याचिका

श्री शिवदानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र चायल के ग्राम पिपरी, बाबातारा, मटका, बलीपुर टाटा से बादशाहपुर तक मार्ग को बनवाये जाने के संबंध में श्री राम किशन गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत चौराहा से बसेढ़ी होकर आदमपुर सोभना तक का मार्ग पक्का कराये जाने विषयक श्री प्रेम सिंह आदि की याचिका

श्री शिवदानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत चौराहा से बसेढ़ी होकर आदमपुर शोभना तक का मार्ग पक्का कराये जाने के संबंध में श्री प्रेम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत हर्रापुर चौराहे पर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कराये जाने विषयक श्री इन्द्र नारायण सिंह यादव आदि की याचिका

श्री शिवदानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत हर्रापुर चौराहे पर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री इन्द्र नारायण सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत भरवारी कस्बे के चार प्रमुख मार्गों को ऊंचा कराकर टूटी नालियों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री यशपाल केशरी आदि की याचिका

श्री शिवदानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत भरवारी कस्बे के चार प्रमुख मार्गों को ऊंचा कराकर टूटी नालियों की मरम्मत कराये जाने के

संबंध में श्री यशपाल केशरी व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद इलाहाबाद में क्षेत्र चायल के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा काजू जीवनगंज रेलवे स्टेशन को पार करते हुए जी० टी० रोड तक लम्बे मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री मानिक चन्द्र केशरवानी आदि की याचिका

श्री शिवदानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद में विधान सभा क्षेत्र चायल के विकास खण्ड मूरतगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा काजू से जीवनगंज रेलवे स्टेशन को पार करते हुए जी० टी० रोड तक लम्बे मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री मानिक चन्द्र केशरवानी व अन्य निवासीगण जनपद इलाहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा में कटरा बाजार तहसील करनैलगंज थाना कौड़िया के अन्तर्गत ग्राम सभा कटुआनाला में एक पुलिस चौकी की स्थापना करवाये जाने के संबंध श्री कमल कुमार सिंह आदि की याचिका

* श्री बावन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा में कटरा बाजार, तहसील करनैलगंज, थाना कौड़िया के अन्तर्गत ग्राम सभा कटुआ नाला में एक पुलिस चौकी की स्थापना करवाये जाने के संबंध में श्री कमल कुमार सिंह, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा क्षेत्र कटरा बाजार तहसील करनैलगंज स्थित दुदहा बाजार से कटुआ नाला तक की सड़क को पक्का कराये जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह आदि की याचिका

श्री बावन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा, विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार, तहसील करनैलगंज स्थिति दुदहा बाजार से कटुआ नाला तक की सड़क को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री कमल कुमार सिंह, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

कार्य-सूची में अंकित प्रस्ताव को अंक्षरशः व यथावत पढ़े जाने की मांग

(मद संख्या–10 पुकारे जाने व संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसको अक्षरशः पढ़ने का निर्देश दीजियेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मंत्री जी पढ़ें, मैं इसीलिये बैठा हूं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)

मान्यवर, मैं प्रस्ताव पढ़ रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कार्य-सूची में जो प्रकाशित है, वह आपकी अनुमति से है। उसे उसी तरह से पढ़ना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा एक निवेदन सुन लीजिये "मैं प्रस्ताव करती हूं" संसदीय कार्य मंत्री जी यह बोलें, क्योंकि यह मुख्य मंत्री जी की तरफ से है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मंत्री-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कोई भी प्रश्न उठाया जाता है तो उसका हम उत्तर देते हैं।

(व्यवधान)

मजाक हो गया हो तो अब इसको रखें।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह माननीया मुख्य मंत्री जी की ओर से रख रहे हैं जो प्रस्ताव आपने एजेन्डे में अनुमोदित कर दिया उसको उसी तरह से पढ़ें, यही नियम है लेकिन इसमें फर्क हो रहा है इसलिये जो लिखा है उसी को पढ़ें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

कार्य-सूची सदन की कार्यवाही का अंग होती है यह कार्य-सूची आपकी अनुमति से प्रकाशित होती है इसलिये इसमें परिवर्तन भी आपकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता है प्रस्ताव का प्रारूप आपकी अनुमति से गया, अब यह माननीया मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव पढ़ें यदि यह परिवर्तन करते हैं तो उस प्रस्ताव को बदलें और आप उसमें अनुमति दें, फिर इसको कल की कार्य-सूची में रखें।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं माननीय तिवारी जी की बात से सहमत हूं लेकिन आप मेरी बात सुन लें–

श्री ऊदल–

मेरी भी बात सुन लें।

श्री ऊदल–

जो कार्यसूची में छपा है तो उसको परिवर्तित करने का अधिकार हर व्यक्ति को है जो व्यक्ति प्रस्ताव को माननीय सदन में रखता है वह उसको संशोधित कर सकता है। इसलिये माननीय दीक्षित जी इस प्रस्ताव को संशोधित करके रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय वर्मा जी और तिवारी जी हमसे सहमत नहीं हैं इन्होंने जो विषय उठाया है–(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

"करती हूं" कह देंगे तो क्या फर्क पड़ जायेगा ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस तरह से सदन का कीमती समय बरबाद हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी की बात सुन लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

हमारे विद्वान सदस्य ने यह विषय उठाया है। तो यह किसी संसदीय किताब में नहीं लिखा है कि हम एक वाक्य बोलें और आप खड़े हो जायें फिर एक वाक्य बोलें फिर खड़े हो जायें यदि कोई ऐसी किताब हो तो उसका नाम बता दें। तिवारी जी, ऊ.न जी और वर्मा जी की बात को मैं स्वीकार करता हूं लेकिन प्रस्ताव तो जहां से उत्तर प्रदेश लिखा है, शुरू होता है। आपने भी मान्यवर, यह कहा कि प्रस्ताव रखें आपने यह नहीं कहा कि मद संख्या–10 पर मुख्य मंत्री प्रस्ताव करें। आपने केवल मुख्य मंत्री जी कह दिया। उसे बाद यह भी लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रस्ताव इसको नहीं कहा। माननीय सदस्यों ने मजेदार माहौल बनाने की कोशिश की है। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि सदन का अब कीमती समय नष्ट न किया जाय।

श्री प्रमोद तिवारी–

चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री शर्म महसूस कर रहे हैं, इसलिये मैं अपनी आपत्ति वापस ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1995, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 7 फरवरी, 1995 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय"।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1995" जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 7 फरवरी, 1995 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाये"?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3-8-1995 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा :–

पहली सूचना डा० सुरेश प्रताप सिंह चौहान, श्री तिलक राज बेहड़, श्री सर्वेश कुमार, श्री सन्दीप अग्रवाल की प्रदेश के तराई क्षेत्र में व्याप्त आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

डा० सुरेश प्रताप सिंह चौहान–

मैं विधान मण्डल की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 56 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दे रहा हूं :–

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर अपने विचार रखें।

डा० सुरेश प्रताप सिंह चौहान–

मान्यवर, तराई क्षेत्र नैनीताल, पीलीभीत और उसके समीपवर्ती रामपुर, मुरादाबाद जिलों में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। 1991 से जैसा कि हम लोग जानते हैं वहां पर आतंकवादी गतिविधियां चरम सीमा पर थीं लेकिन उसके अवशेष अब भी दिखाई देने को मिल रहे हैं। पिछली सरकार द्वारा टाडा में बन्दी लोगों को छोड़ दिया गया तो उन्होंने आतंकवादी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं। इसी कारण वहां पर एक ही परिवार के सात लोगों को मार दिया गया और बाकी जिलों में भी यह गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मेरे जनपद मुरादाबाद देहात के पूर्व विधायक रिजवानुलहक के भाई अजीजुलहक की दिनांक 22-3-94 को हत्या कर दी गयी। इसी तरह से काशीपुर के विधायक श्री राजीव अग्रवाल पर 23-3-94 को रामनगर–मुरादाबाद के बीच ट्रेन में कातिलाना हमला किया गया और उनको घायल किया गया .इस हमले में उनका एक साथी घायल हुआ और उनके गनर को चाकुओं से मारा गया तथा उसकी रिवाल्वर छीन ली गयी। इस तरह की गतिविधियां वहां पर बढ़ती जा रही हैं। कुछ वारदातों से संबंधित कागजात हमारे पास हैं और मेरे पास पूरा विवरण है जो यदि आप चाहेंगे तो

मैं दे दूंगा . इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मेरी इस सूचना पर आप नियम–56 के अन्तर्गत काम रोक कर चर्चा करायें ।

* श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । तराई क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां व्यापक रूप से बढ़ रही हैं । पंडित गुरवचन लाल जिन्होंने इसका मुकाबला करने की कोशिश की उनको वहां के एक निवासी हरभजन सिंह चीमा जो आतंकवादियों को सुरक्षा देते थे वह पंडित गुरुवचन लाल से दुश्मनी रखने लगे । पंडित गुरु बचन लाल शर्मा के परिवार के 4-5 लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे गये । एक दिन आतंकवादी फौजी ड्रेस में पहुंचे और बाजपुर हल्द्वानी मार्ग पर उन्होंने 2 घंटे यातायात रोके रखा । जब गुरुबचन लाल के पुत्र जो नैनीताल से अपनी बंदूक का लाइसेंस लेकर आ रहे थे उनके लड़कों को रोककर तीन लड़कों की हत्या कर दी गयी । पंडित गुरुबचन लाल पर कई बार प्राणघातक हमला किया गया । पिछले दिनों जब वह अपने फार्म पर जा रहे थे तो उनकी जीप को ट्रक से उलट दिया गया । हरभजन लाल चीमा की पेपर मिल के सामने उन पर अंधाधुन्ध गोलियां चलायी गयीं । यह मामला सदन में भी उठाया गया । उसके पश्चात् पूर्व सरकार के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह द्वारा सिविल पुलिस से इस मामले की जांच लेकर सी० आई० डी० को दे दी गयी और इस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों में जिम्मेदार लोगों को मुलायम सिंह द्वारा संरक्षण दिया गया और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पायी । इसके बाद अनेकों बार प्रयास करने के बाद पिछली बार माननीय रामलखन वर्मा के नेतृत्व में कुछ लोग मुख्य मंत्री जी से मिले और जांच सिविल पुलिस को सौंपी गयी । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि 4-5 दिन के बाद जांच पुनः सी० आई० डी० को सौंप दी गयी । मैं कहना चाहता हूं कि जांच सिविल पुलिस से करायी जाय और हरभजन लाल चीमा जो पंजाब में जाकर रहते हैं और जिनको पंजाब की पुलिस मिली हुयी है वह पुलिस उनसे हटवायी जाय । सिविल पुलिस को इस मामले की जांच सौंपी जाय और उनको जेल भिजवाया जाय ।

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है, पूरे प्रदेश की जनता आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त थी । पहले आतंकवादी जंगल में रहा करते थे लेकिन मुलायम सिंह की सरकार में वह जंगल से निकल कर कोठियों में चले गये और वहीं से आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करने लगे । हमारे मित्र ने जैसा बताया बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डे लाइट में ठीक 9 बजे तीन मर्डर एक साथ हुए । ट्रक से जीप को गिराया गया और ट्रक से गोलियां चलाकर 3 लोगों की हत्या कर दी गयी । नामजद एफ० आई० आर० हुयी है । इस मामले को गुप्ता जी ने सदन में उठाया था । उनकी गिरफ्तारी न हो सके इसलिये मुलायम सिंह जी ने इस मामले को दबाने के लिये जांच सी० आई० डी० को सौंप दी थी । केवल उसका मात्र उद्देश्य था कि उनकी गिरफ्तारी न हो । सरकार बदली और जब मा० मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी को पूर्ण रूप से जानकारी दी गयी तब उन्होंने आदेश दिया । मुख्य मंत्री से कहा गया और उन्होंने आदेश किया कि पुनः सिविल पुलिस को जांच दी जाये परन्तु जो हत्यारे हैं वह बहुत बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी-बड़ी पेपर मिलें हैं, उन्होंने पुनः अपने प्रभाव से जांच को सी० आई० डी० में बदलवा दिया है । हत्यारों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज थी, और अब फिर जांच सी० आई० डी० को दे दी गयी है । मान्यवर, दिन दहाड़े हत्या की जाये और हत्यारों को संरक्षण मिले । हमारी भारतीय जनता पार्टी की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार ने कल्याण सिंह जी ने किसी भी हत्या काण्ड में कभी सी० आई० डी० को जांच नहीं दी, उन्होंने हमेशा यही कहा कि न्याय व सच्चाई न्यायालय में सामने आयेगी, वे कभी किसी के दबाव में नहीं आये । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिन हत्यारों ने पंडित गुर बचन लाल शर्मा की हत्या की है, उनको दण्ड मिलना चाहिए और सिविल पुलिस को जांच दी जाये ।

* श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, जांच बार-बार बदली जाती रही है, कभी सी० आई० डी० को और कभी सिविल पुलिस को । लोक सभा ने इस प्रश्न पर गम्भीर आपत्ति की है । विधान सभा में भी चर्चा हुई है और इस ओर माननीय गुप्ता जी ने ध्यान आकृष्ट किया है । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह मामला ऐसे लोगों से प्रभावित है जो बार-बार इस जांच को प्रभावित कराना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि इस मामले की जांच आप सी० बी० आई० से करा दें । गुर बचन लाल शर्मा की हत्या की जा चुकी है उनके परिवार की हत्या की जा चुकी है, वह सब को संरक्षण देते थे, लेकिन आतंकवादियों ने उनके परिवार वालों की हत्या कर दी और फिर उनकी हत्या की । आज आप स्पष्ट शासन को निर्देश दें क्योंकि कई बार जांच बदली गयी है, उसको कोई न कोई प्रभावित कर रहा है, आप अपनी अनुशंसा करें कि मामले की जांच सी० बी० आई० से करायी जाये ।

* श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, तराई का इलाका आतंकवाद से पीड़ित रहा है । उस आतंकवाद के साथ कुछ लोगों की सांठ-गांठ रही है । इस काण्ड में एक ग्रुप है, जो आतंकवादियो से सांठ-गांठ किये रहता है और यह सच है कि पंडित गुर बचन लाल शर्मा जैसे लोगों ने उनका जमकर मुकाबला किया और उनकी हत्या हो गयी, उनके लड़के की हत्या हो गयी और दिन दहाड़े हत्या हो गयी और नामांकित रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है । ऐसे गम्भीर मामले में कभी सी० आई० डी० फिर सिविल पुलिस फिर सी० आई० डी० और फिर सिविल पुलिस द्वारा जांच होती रही है । यह शासन की ओर से बहुत अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। अगर अभियुक्त गण बचते रहे, तो मैं अपनी आशंका व्यक्त करना चाहता हूं माननीय सदन में कि जहां आतंकवाद में नियंत्रण आया है, अगर इसी तरह से सी० आई० डी० की जांच करायेंगे और अभियुक्तों को बचाते रहेंगे, या ढील दी जायेगी तो निकट भविष्य में आतंकवाद की और दुर्घटनायें हो सकती हैं । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जब बाहर का दोहरा हत्याकांड का मामला है, रात की बात नहीं है, नाम के साथ रिपोर्ट की गयी है । कई बार सी० आई० डी० की जांच के आदेश होते हैं चूंकि पता लगाना होता है लेकिन जब दिन में हत्या हुई और 2-2 हत्यायें हुई हैं, एफ० आई० आर० में उनका नाम मौजूद है तो इसको सिविल पुलिस से हटाकर सी० आई० डी० से जांच का आदेश दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है या तो यह मान लेना चाहिए कि शासन का सिविल पुलिस से विश्वास हट गया है इसलिये यह सी० आई० डी० को दिया गया है । मैं पुनः बल देना चाहता हूं शासन इस पर विचार करे और जनहित और प्रशासन के हित में यह उचित होगा कि इस दोहरे हत्याकांड की जांच सिविल पुलिस ही करे । सरकार को यदि सिविल पुलिस के स्थानीय लोगों से जांच कराने में संदेह है तो दूसरे सर्किल की पुलिस कर ले दूसरे जिले की पुलिस कर ले लेकिन सिविल पुलिस से हटाकर सी० आई० डी० से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिये इस पर बल देता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, जिस घटना का उल्लेख किया गया है, निश्चित रूप से गम्भीर है और यह भी सही है इसमें जांच बदली गयी है। मगर अभी चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 21-7-95 को ही नये सिरे से सी० बी० सी० आई० डी० को जांच दिया है और जैसा आदरणीय कल्याण सिंह जी कह रहे हैं, बार-बार जांच को बदलना ठीक नहीं होता और पहले स्थानीय पुलिस जांच कर रही थी फिर उससे हटाकर दूसरे के पास और फिर दूसरे के पास से हटाया, इससे ऐसा लगता है कि हम किसी एजेंसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर फिर जांच बदलते हैं तो फिर ऐसा प्रतीत होता है कि इस आदरणीय सदन के सदस्यगण सी० बी० सी० आई० डी० के प्रति शंकालु हो गये हैं। सरकार इस घटना को गम्भीरता से लेती और जो विचार व्यक्त किये हैं कल्याण सिंह जी और अन्य साथियों ने, उनके विचारों से सम्बद्ध करता हूं शर्मा जी संघर्ष कर रहे थे, यह हत्या निन्दनीय है और दुखद है और सरकार, जिस एजेंसी को जांच सौंपी गयी है उसको अतिशीघ्र कार्रवाई करने और बहुत जल्दी इस मामले में तफ्तीश पूरी करने के लिये कहेगी और चूंकि यह आदेश इसी सप्ताह हुए हैं इसलिये इसे फिर से, आप सहमत होंगे, तमाम साथी सहमत होंगे कि बदलना कदाचित सम्भव नहीं है।

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने मामले को घुमा दिया है।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस प्रकरण पर हम आज ही कल्याण सिंह जी के घर पर जाकर बात कर लेंगे, हमारा उनका परामर्श हो जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस परम्परा को रोकिये। ये कल्याण सिंह जी के घर जाकर बात कर आते हैं, इसको रोकिये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

हम तो प्रमोद तिवारी जी के घर भी जाते हैं।

श्री किरन पाल सिंह–

आप यह कहिये कि कल्याण सिंह जी को बुलाकर बात कर लेंगे इससे गरिमा बढ़ेगी।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यहां सरकार की या अपनी गरिमा बढ़ाने की बात नहीं है, मैं आपकी गरिमा बढ़ाने की बात करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

ठीक अच्छी बात है। मान्यवर, इसमें जो मुद्दई पक्ष है जिसके घर के लोग मरे हैं, हमेशा होता है कि मुद्दई लोग जो प्रभावित पक्ष है उसकी इच्छा क्या होती है उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जांच मुल्जिम की इच्छानुसार नहीं की जाती है । पीड़ित परिवार के लोग किस एजेन्सी की जांच से संतुष्ट हो सकते हैं उनकी संतुष्टि के लिये उस एजेन्सी से जांच करायें । ताकि उनमें न्याय के प्रति विश्वास जगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, सभी दल के नेता आज ही जहां कहेंगे सदन के उठने के बाद बैठ लेंगे, सचिवालय में आप सबके साथ बैठ जायेंगे, बात कर लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो एजेन्सी जांच कर रही है माननीय सदस्यों को उसमें विश्वास नहीं है जो पीड़ित पक्ष है, उनको विश्वास नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जांचें बदली जाती हैं किसी एक की प्रार्थना पर चाहे तत्कालीन मुख्य मंत्री रहे हों या आज की मुख्य मंत्री हों, किसी ने अनुरोध किया जांच बदल दी गयी । यह पूरा सदन एक पक्ष है अब उसकी भावनाओं के संरक्षण का दायित्व आप पर आ रहा है इसकी जांच सिविल पुलिस से करा ली जाय ।

(व्यवधान)

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, पूरे सदन की भावना है कि इसमें सिविल पुलिस से जांच हो ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जब सारे सदन की भावना है एक तरफ और एक आदमी की प्रार्थना है एक तरफ इन दोनों में मान्यवर, फर्क करना पड़ेगा । आप इसमें निर्दिष्ट करें कि इसमें जांच सिविल पुलिस से करायी जाय ।

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

इसकी घोषणा सदन में करें ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से पुनः विनम्र शब्दों में अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस प्रकरण की सी० आई० डी० की जांच को निरस्त करें और उसकी सिविल पुलिस से जांच करायें यह मैं निवेदन करना चाहता हूं । सी० आई० डी० जांच कराने में जांच लम्बी खिंच जायेगी और तब तक कौन जाने, इस केस के जो गवाह हैं, उन गवाहों में से कितने लोगों को गोली मार कर सड़क पर पहुंचा दिया जाता है तो जांच का क्या अर्थ रह जायेगा । शासन का दायित्व है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको संतोष होना चाहिए उसको विश्वास होना चाहिए । मारने वाले को यह सरकार संतुष्ट करना चाहती है । मरने वाले को संतुष्ट करने का सरकार का दायित्व बनता है । दूसरे लोग मरे हैं उनको कैसे सांत्वना मिले उनको कैसे विश्वास हो, यह प्रश्न है । कोई बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं है केवल सिविल पुलिस द्वारा जांच हो जाय और जल्दी से जल्दी जांच हो जाय । सी० आई० डी० की जांच होती है तो कौन गवाह बना रहता है । दूसरे ग्रुप के जो आदमी हैं वह बहुत मजबूत ग्रुप है ।

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा था.....

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सभी दलों के नेताओं के साथ विस्तार से आज ही, यहां कहीं बैठ जायेंगे और पूरा परामर्श करके शाम को जैसा आप लोग बतायेंगे, वह करेंगे और अगर आप कहें तो कल सदन को सूचित कर देंगे। यह नियम 56 में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं अस्वीकार करता हूं। अगली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी जी की है।

(घोर व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, कभी इस प्रकार विधान सभा में नहीं हुआ कि एक छोटी सी बात पर विधान सभा में निर्णय न हो। इससे एक गलत संदेश बाहर जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि आप लोग बैठ जायें।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर बात है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से कड़े आदेश दिये जाने चाहिए तथा जिसका पालन सरकार करे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संदर्भित मामले की जांच सिविल पुलिस से करायी जाये।

(व्यवधान)

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कातिलों को बचाना चाहते हैं इसकी जांच सिविल पुलिस से करायी जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया बैठ जायें। आपने अपनी बात को रखा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना उत्तर दिया। मैंने सदस्यों की भावनाओं को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर को सुना और सुनने के बाद उस सूचना को अग्राह्य कर

दिया उसके बाद मैंने अगली सूचना ली । मैंने श्री श्याम देव राय चौधरी जी को बुला लिया है । चौधरी जी आप बोलें ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप चाहें तो सदन की अनुज्ञा ले लें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, इसकी जांच सिविल पुलिस से करायी जाय । ऐसे मामलों में सरकार को संरक्षण दिया जाना चाहिए ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूं अभी माननीय कल्याण सिंह जी ने अपने विचार रखे थे उन्होंने यह कहा था कि जांच को बार-बार बदलना ठीक नहीं होता । हमने यह कहा था कि कल्याण सिंह जी, किरन पाल सिंह जी, वर्मा जी और हम सब एक साथ बैठ लेंगे । मान्यवर, अगर यह परम्परा ठीक लगती हो कि किसी विषय विशेष पर तमाम माननीय सदस्य खड़े होकर आग्रह करें कि इसकी जांच किसी दूसरी एजेन्सी से हो तो मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस घटना की जांच पीड़ित पक्ष जिस एजेन्सी से चाहे हम उसकी जांच उस एजेन्सी से करवा देंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है । जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, वह पूरे तराई क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने वाला एक योद्धा था.....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अब इसमें क्या रह गया है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

सरकार के बड़े नेता, चूंकि उन्होंने अनुरोध किया है, पंजाब से दबाव पड़ रहा है, सी० आई० डी० की जांच कराई जाय, आतंकवादियों को बचाने के लिये । मैं अभी तक यह बात नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन अब कह रहा हूं ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं इन सारे आरोपों का खंडन करता हूं । मैंने पहले ही कहा कि हम तिवारी जी को बुलायेंगे, वर्मा जी को बुलायेंगे, किरन पाल जी को बुलायेंगे, कल्याण सिंह को बुलायेंगे । अब यह तरीका बिल्कुल गलत है, पहले ही सारी बात स्पष्ट कर दी गयी है । जब सरकार की तरफ से सब बातें स्वीकार कर ली गयी हैं तो यह कौन सा तरीका है, काम करने का ?

(पुनः भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दल के अनेकों माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–घोर व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जब पूरा सदन एक मत है कि सिविल पुलिस से जांच कराई जाय तो इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि कृपया बैठ जायें । मैंने श्री श्याम देव राय चौधरी जी का नाम पुकारा है ।

(भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दल के कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे, जिससे घोर व्यवधान होता रहा)

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण, कृपया बैठ जायें ।

(भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

(कांग्रेस आई के श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम विशुन आजाद, श्री प्रीतम सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री शूरवीर सिंह सजवाण आदि कई सदस्य सदन की वेल में आ गये जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह प्रकरण खत्म हो गया है । मैंने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि जिस एजेन्सी से पीड़ित परिवार चाहेगा, उससे जांच करवा दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3-8-95 को नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त सारी सूचनायें निरस्त की जाती हैं ।

(श्री जगदम्बिका पाल के प्रयास से वेल में आये हुए सदस्य अपने स्थान पर चले गये)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान जारी रहा)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह जनभावनाओं, सदन की भावनाओं को देखते हुए तथा नैसर्गिक न्याय के खातिर श्री गुरुवचन लाल शर्मा की जो हत्या हुई है, उसकी सिविल पुलिस से जांच कराने की घोषणा कर दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, लगता है शोर के कारण मेरी बात को नहीं सुन पाये । मैंने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि पीड़ित परिवार के लोग जिस एजेन्सी से चाहेंगे उससे जांच करा दी जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं हुआ । सरकार तराई में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, उनको संरक्षण दे रही है ।

(श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री गजराज सिंह, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री राम विशुन आजाद, श्री प्रीतम सिंह, श्री शूरवीर सिंह सजवाण एवं श्री महेन्द्र सिंह माहरा आदि कांग्रेस आई के माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये ।)

(श्री प्रीतम सिंह द्वारा बार-बार रिपोर्टर्स टेबिल पर लगे हुए स्पीकरों के तार निकाल दिये जाने से सुनाई नहीं पड़ रहा था।)

(व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या 16 ले रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी बजट प्रस्तुत करें।

(कई माननीय सदस्यों के बोलते रहने से घोर व्यवधान बना रहा)

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,90,43,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,03,44,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,22,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,02,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

[समय 3 बजकर पन्द्रह मिनट]

(श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री शूरवीर सिंह सजवाण, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री हरिशंकर तिवारी आदि कई कांग्रेस के माननीय सदस्यों के सदन के वेल पर खड़े रहने से-घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आगे की मद ले ली है। आप कृपा करके बैठ जायं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहने के लिये खड़े हुए हैं।

(उक्त सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये ।)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे तमाम विद्वान माननीय सदस्य जब कोई अपनी बात कहते हैं तो मैं उसे बड़े धैर्यपूर्वक सुनता हूं और उसका नतीजा यह होता है कि मुझे उत्तर देने में सुविधा होती है । परन्तु अभी मैं अपना आधा ही वाक्य कह पाता हूं, कि पता नहीं वह कैसे समझ लेते हैं मैं आगे ये कहने जा रहा हूं । इतने जोर-जोर से चिल्लाने और व्यग्र होकर और तीव्र वाणी तथा आक्रामक मुद्रा में बात करना हमें नहीं आता है । मैं ज्योंही बात शुरू करने की कोशिश करता हूं तो माननीय सदस्य मुझे हड़काने की कोशिश करते हैं । सरकार के पक्ष को सुनना नहीं चाहते हैं । तीव्र आवाज में, धौंस में और धमकी से कोई बात कहना संसदीय परिपाटी का हिस्सा नहीं होती है।

श्री कल्याण सिंह जी ने अनुरोध किया और मैं पहले ही स्पष्ट घोषणा कर चुका हूं कि जिनसे वह चाहेंगे, पीड़ित परिवार जिससे चाहेगा, माननीय सदस्य जिससे चाहेंगे, मालूम हुआ कि ग्राम प्रधानों का भी कोई ज्ञापन आया हुआ है और श्री कल्याण सिंह जी ने भी मांग की है कि स्थानीय पुलिस से जांच हो, हम उसी से जांच करा देंगे । तीव्र आवाज से, धौंस से और धमका करके अपनी बात को मनवाने के लिये यदि कहीं पर किसी संगत नियम व संविधान मे इसका जिक्र हो तो मैं अपनी हार मानने के लिये तैयार हूं । सरकार की आवाज को और मेरी व्यक्तिगत आवाज को इस प्रकार दबाने का प्रयास किया जायेगा तो मैं इसका तीव्र प्रतिवाद करता हूं । आप इस सूचना को पहले ही निरस्त कर चुके हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि आप कृपा करके बैठ जायं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि बैठ जायं, मैं अगली मद ले लिये हूं । (व्यवधान)

नियम 56 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें आई थीं मैंने निरस्त कर दी हैं । माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि अगले दिन सूचनाओं को दे दें ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैं चार दिन से लगातार दे रहा हूं (व्यवधान)

श्री राजकुमार शिवहरे–

20 लोगों की हत्या का मामला है.....

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वह बैठ जायं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

सिर्फ दो मिनट सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

काफी समय हो चुका है आज जो बजट है बहुत महत्वपूर्ण है सभी माननीय सदस्यगण बोलना चाहेंगे । (व्यवधान) नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें दी हैं उसे अग्राह्य कर दिया है । अगले दिन सूचनायें फिर दे दें मैं विचार कर लूंगा । आगे जो महत्वपूर्ण बजट है उस पर माननीय मंत्री जी जो बजट है वह रख दिया है उस पर विचार प्रस्तुत करें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का वर्ष 1995-96 का बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण बैठ जायं ।

(कई माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शूरवीर सिंह सजवाण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं यह कापी भेज रहा हूं (व्यवधान)

(श्री शूरवीर सिंह सजवाण के कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु खड़े होने पर (घोर व्यवधान) डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री घनश्याम शुक्ल, श्री कृष्ण कुमार नवमान व डा० सरजीत सिंह डंग आदि सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की जो सूचनाएं आयी हैं, अगले दिन के लिये उन पर कह दिया है । माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, श्री कल्याण सिंह जी से अनुरोध है कि वह अपने सदस्यों से कहें कि वे बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

आदरणीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आप जो भी व्यवस्था देंगे और जो आज्ञा देंगे, हमारा संकल्प है कि हम उसे शिरोधार्य करके मानें । किन्तु मैं आपसे यह अनुरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिन-जिन सूचनाओं को आपने नियम 56 में ग्राह्यता पर सुनने के लिये स्वीकार किया है, आप उस पर दो-दो मिनट का समय उन्हें दे दें । मैं समझता हूं कि इतने समय में तो सूचना हो गयी होती । मैं चाहता हूं कि सदन सुचारु रूप से चले, मुश्किल से इसमें 10--15 मिनट का समय और लगेगा । विनम्र शब्दों में प्रार्थना है कि जो आपने स्वीकार की हैं, उससे अधिक के लिये नहीं कह रहा हूं, उस पर अपनी बात कह लेने दें । इससे समस्या का हल हो जायेगी और सदन सुचारु रूप से चल सकेगा ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप इतने कठोरवादी कब से हो गये हैं । आप तो बहुत उदार हैं हम लोगों के प्रति, यह आज से एकदम कठोर क्यों हो गये हैं ? नित्य आप हमें साढ़े चार तक सुनतें थे और आज साढ़े तीन

पर ही समाप्त कर रहे हैं और आप माननीय विधायक के आग्रह पर विचार नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि आप श्री कल्याण सिंह जी के आग्रह को भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य)

* श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

ये लोग माननीय संसदीय कार्य मंत्री को जिस प्रकार धमकी देते हैं वह उचित नहीं है। यह कांग्रेसी लोग हर तरह से अपनी बात तो आगे-आगे कह लेते हैं किन्तु दूसरों को कहने नहीं देते हैं। अपनी बात तो कह दी और जब दूसरे का समय आता है तो व्यवधान करते हैं और सदन के वेल में भी चले गये।

श्री अध्यक्ष–

आज जो सूचनाएं सुनने को थीं, श्री श्याम देव राय चौधरी की, दूसरी सुन्दर लाल दीक्षित की, तीसरी श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल और राम विशुन आजाद जी की थी और चौथी सूचना डा० पोखरियाल जी की थी। एक सूचना को सुन लिया है, चार सुनने को बाकी रही हैं। मेरी चाहत है कि सभी को सुन लें किन्तु एक ही सूचना में जितना समय सदन का व्यर्थ किया गया।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, दो-दो मिनट का समय आप दे दें। सभी सदस्य अपनी बात कह सकेंगे और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि इसमें आधा घंटा से ज्यादा ही लगेगा और अभी बजट पर भी सदस्यों को अपने विचार रखने हैं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं इसका समाधान निकाल रहा हूं आप विरोधी पक्ष की सूचना जो हो उसे ले लें।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैं लगातार 4-5 दिन से सूचना दे रहा हूं। बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। प्रदेश में फर्जी डाक्टर नर्सिंग होम खोलकर भ्रूण हत्या कर रहे हैं, इनके ऊपर हत्याभियोग चलाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिन पांच सूचनाओं को ग्राह्यता पर सदन में सुनना था उसमें से एक सूचना ले ली गयी। शेष चार को मैं अगले दिन सुन लूंगा। शेष जो पांच सूचनाएं हैं, इनको पढ़ देता हूं और उन पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दे रहा हूं। छठवीं सूचना श्री घनश्याम शुक्ल की प्रदेश में भ्रूण हत्या कर रहे अस्पतालों पर रोक लगाये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री राम कुमार शुक्ल की सीतापुर जिले में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शारदा नदी की कटान से फसलों तथा चालीस परिवारी मकानों की सम्पूर्ण सम्पत्ति नदी में बह जाने तथा भुक्तभोगीजनों को राजकीय सहायता में शिथिलता के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आठवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री किरन पाल सिंह की उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन चल रहे राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध चिकित्सालयों को शासन द्वारा समुचित मात्रा में धन न उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। नवीं सूचना श्री बदन सिंह व श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की प्रदेश में किसानों से फर्जी सिंचाई देयों की वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दसवीं सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर व डा० सरजीत सिंह डंग की इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था एवं नकल की स्थिति के संबंध में है, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और शेष सूचनाएं अस्वीकृत करता हूं। जिन चार सूचनाओं को आप सुनने के लिये कह रहे हैं, उन्हें अगले दिन सुन लूंगा।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण विषय है, मैं पांच दिन से इस प्रश्न को दे रहा हूं। आप इस पर आधा घंटे की चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह बैठ जायं।

एक व्यवस्था है, शलाका से निकाली जाती है उसमें आपकी सूचना नहीं आयी तो कैसे सुन लें ?

(व्यवधान)

श्री घनश्याम शुक्ला–

इस पर चर्चा करायें यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष–

कितना ही महत्वपूर्ण हो कैसे सुन लूं शलाका में आपकी सूचना नहीं आयी ? एक सूचना आतंकवाद पर ली है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम शुक्ला–

पांच दिन से मैं सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना मुझे अपने विवेक से लेने का अधिकार है मैंने आतंकवाद की सूचना को ले लिया है उससे ज्यादा आपकी महत्वपूर्ण नहीं है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

आज शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है मेरी शलाका में सूचना नहीं आई मेरा निवेदन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित सूचना है इसको कल लेने की कृपा करें।

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

गौर जी आप बैठ जाएं।

शिक्षा मंत्री जी क्या बजट प्रस्तुत हो गया है, शिक्षा मंत्री जी आपने बजट प्रस्तुत कर दिया है ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप तय कर लें, शिक्षा मंत्री जी रखें तो हम कटौती बाद में रखें, नहीं तो पहले हम कटौती रख दें।

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

हम इस पर अपने विचार रख रहे हैं। मान्यवर, आज इस सम्मानित सदन के सम्मुख शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है। शिक्षा सें माननीय सदस्यों की भावनायें जुड़ी हैं। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना जागृत करने, समाजवाद धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और व्यावसायिक नैतिकता के आदर्शों को प्रतिष्ठित करने तथा उसके आर्थिक विकास का प्रमुख साधन है। इसलिये शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ हर स्तर पर इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार कटिबद्ध है। जब से मान्यवर, नई सरकार ने कार्यभार सम्भाला है विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन के लिये समुचित वातावरण का निर्माण करने और शैक्षिक प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये सतत् प्रयत्नशील है। शिक्षा विभाग में 1995-96 में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के लिये विभिन्न रूप से प्राविधान किया गया है। बेसिक शिक्षा एक मूल जड़ है, बुनियाद है जिसके लिये नयी सरकार ने इसमें गुणवत्ता लाने का प्रयास किया गया है। मुख्य मंत्री जी ने पेज संख्या–24 तथा पेज 10–11 पर शिक्षा के महत्व को देखते हुए बजट का प्राविधान किया है।

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए।)

जिनके पास पढ़ने के लिये किताबें नहीं थी, रहने के लिये मकान नहीं वह सड़कों पर जाकर बल्बों में पढ़कर इस देश का नाम रोशन किया है ईश्वर चन्द विद्या सागर जी ने यह काम किया था। हमारी सरकार ने तमाम योजनायें बनायी हैं। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में भवनों की समस्या है। इस निर्धारित वर्ष में 31, 45 प्राइमरी व 741 जूनियर भवन बनाने की योजना है। इसके पहले के वर्ष में 32 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था लेकिन इस साल हमारी सरकार ने 52 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। 72 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस तरह बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों के निर्माण पर सरकार ने ध्यान दिया है।

यह हमारी सरकारी की लोकप्रियता है। आज हमारे माध्यमिक, बेसिक विद्यालयो को खोलने का जन-जन तक जो अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिये भारत सरकार द्वारा तमाम योजनायें आयी हैं। विश्व बैंक की योजना है। हमारे आदरणीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहां अगर बेसिक शिक्षा मजबूत होगी तो उच्च शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा भी मजबूत होगी। अभी तक बेसिक शिक्षा के संबंध में जो धन का आवंटन होता था उसमें विधायकों का सुझाव नहीं माना जाता था लेकिन

हमारी सरकार ने इस पर अच्छी तरह से गौर किया है । अब जो विद्यालयों का चयन होगा उसमें सम्मानित विधायक जो कि जिला शिक्षा समिति के पदेन सदस्य हैं उनके सुझावों और भावनाओं का आदर किया जायेगा । बेसिक शिक्षा के संबंध में भवनों का निर्माण के संबंध में जो 90,000 रुपयों का प्राविधान था उसके संबंध में काफी समय से बढ़ोत्तरी करने की मांगें की जा रही थीं । हमारी सरकार ने उसको गम्भीरता से लिया है । इसके लिये रिवाइज इस्टीमेट बनाने का प्रस्ताव भेजा है । इसकी बढ़ोत्तरी करने के लिये विचार कर रही है । आज हमारे माननीय सदस्य पठन-पाठन के लिये कहते हैं कि बेसिक शिक्षा में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है । अध्यापक पठन-पाठन में रुचि नहीं लेता है । हमारी सरकार ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठकर निर्णय लिया है कि इसको सुव्यवस्थित किया जायेगा । इसके लिये तत्काल निर्देश दिया गया है कि अब जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा एस० डी० आई० 15 दिन विशेष अभियान चलायेंगे । निरीक्षण की अवधि जो आकस्मिक थी उसको बढ़ाकर रेगुलर तथा आकस्मिक दोनों को मिलाकर डबल कर दिया गया है । इससे निरीक्षण की व्यवस्था सुधरी है । हम बेसिक शिक्षा में पठन-पाठन के स्तर को सुदृढ़ करेंगे । भवनों का निर्माण कराया जायेगा ।

हमारे बेसिक स्कूलों में बच्चों के शौचालयों की व्यवस्था नहीं है बच्चे तालाब व पोखर में जाते हैं इस संबंध में व्यवस्था की जायेगी । प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल की जो जमीनें हैं उनको सुरक्षित रखने के लिये बजट में प्राविधान किया गया है । साथ ही साथ बच्चों को पीने के लिये इण्डिया मार्क टू हैण्ड पम्पों को लगाने की व्यवस्था की गयी है । हमारी सरकार ने बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने तथा पठन पाठन के स्तर को सुधारने के लिये शिक्षक बन्धु जो हैं उनके विद्यालयों में समय से पढ़ाने के लिये योजना बनायी गयी है । इसी तरह से विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन के समय को भी 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है । एक गाइड लाइन के तहत समायोजन होगा । कहीं पर छात्रों की संख्या कम है अध्यापकों की संख्या ज्यादा है । इस असमानता को खत्म करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है । हमारी तमाम एजेन्सियां इसमें काम कर रही हैं ताकि हमारे विद्यालयों में नामांकन की संख्या बढ़े । इसी कड़ी में मैं पाठ्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं जो पाठ्यक्रम चलाया गया है उसमें कक्षा 1-8 की किताबें उपलब्ध करायी जा रही हैं । नामांकन के बारे में जैसा मैंने बताया 6 से 11 तक के बच्चों के लिये 1,73,84,000 (एक करोड़ तिहत्तर लाख चौरासी हजार) का लक्ष्य रखा गया है ताकि कोई प्रवेश से वंचित न रह सके । उर्दू टीचरों की जहां तक बात है 1994 में 4480 नियुक्तियां हुई हैं । मेरी सरकार का लक्ष्य है कि 1995 में 4844 प्राथमिक विद्यालयों और 300 पदों पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियों को किया जाय । इसके लिये वित्तीय स्वीकृति 8 अगस्त तक हो जायेगी और 30 सितम्बर तक नियुक्तियां हो जायेंगी ।

मान्यवर, जहां तक अनौपचारिक शिक्षा की बात है अनौपचारिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिये इस योजना को सही ढंग से चलाया जा रहा है । प्रधान को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है । हमने महसूस किया है कि अनौपचारिक शिक्षा के मामले में अव्यवस्था रहती है । केन्द्रों का निर्धारण नहीं हो पाता था । अब प्रधान को अधिकार दिया गया है । अब प्रधान और ग्राम शिक्षा समिति सभी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का निर्धारण करेंगे । इस संबंध में जो अनुदेशक होते थे उनके मानदेय के बारे में शिकायतें मिलती थीं । सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जो गांव का प्रधान है वह मानदेय का भुगतान करेगा । जिन अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ था उसको किया गया है । बेसिक शिक्षा के बारे में हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है । जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ 24, 11 और 10 पर महत्वपूर्ण व्यवस्था की है उसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं । जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सहयोग ले रहे हैं । इसमें केन्द्र सरकार सहयोग दे रही है । इसके अन्तर्गत शिक्षा के प्रचार

और प्रसार के लिए तमाम योजनायें चलायी जा रही हैं और ऐसी योजनाओं का पुनरीक्षण करके इनमें और गति लाने का सरकार का प्रयास है। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा का जहां तक सवाल है माध्यमिक शिक्षा में 6737 हाई स्कूल और 1375 राजकीय इण्टर विद्यालयों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रवेश को प्राथमिकता दी जायगी और इनके आरक्षण को पूरा किया जायगा। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि प्रवेश की समस्या बढ़ी है और छात्रों की संख्या को देखते हुए उनका आज प्रवेश नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है प्रवेश की समस्या न पैदा हो। पिछले वर्ष 400 विद्यालयों को 9(4) के अन्तर्गत हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की मान्यता दी गयी है। हम यह व्यवस्था करा रहे हैं कि कोई छात्र प्रवेश से वंचित न हो। हमारी सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है कि छात्रों का प्रवेश हो और कोई छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाय।

माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचते-पहुंचते छात्र एक दूसरी कड़ी से जुड़ जाता है। हमारे यहां माध्यमिक शिक्षा में तमाम ऐसे पद हैं, साइंस और गणित के जिनके लिए अध्यापक नहीं हैं। हमने आयोग गठित कर दिया है। इस बार 2000 से 2500 सहायकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन कर दिया है और शीघ्र ही इनकी नियुक्तियां हो जायेंगी। ऐसे विषय जैसे अंग्रेजी और गणित, जहां पर तत्काल पढ़ाने के लिए आवश्यकता है वहां पर तत्काल ऐसी व्यवस्था की जायेगी ताकि पठन और पाठन का कार्य चलता रहे। मान्यवर, जहां तक परीक्षा की बात है यह एक अति आवश्यक विषय है। इसमें तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं, इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि परीक्षाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। हमारी सरकार प्रस्ताव लायी है और स्वकेन्द्रों को खत्म करने के लिए हम विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ मान्यवर, सबसे गड़बड़ी होती थी परीक्षाओं में, उनका व्यापारीकरण हो गया था। पिछली सरकार में लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद् में फार्म जमा कर देते थे और विद्यालयों का ठेका ले लेते थे, अब इस बात के निर्देश दे दिये गये हैं कि किसी प्रकार का भी फार्म माध्यमिक शिक्षा परिषद् में नहीं जमा किया जायेगा। विद्यालयों में उतने ही आवेदन-पत्र भरे जायेंगे, जितने बच्चे होंगे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से पोलिंग स्टेशन बनाते समय उसके संबंध में आपत्तियां मांगी जाती हैं, उसी प्रकार से परीक्षा केन्द्र बनाते समय हम जन-प्रतिनिधियों से आपत्तियां मांगेंगे और जनता से भी आपत्तियां मांगेंगे और उन पर विचार किया जायेगा, उनका परीक्षण किया जायेगा और तब परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जायेगा। कभी-कभी ऐसे विद्यालय में परीक्षा केन्द्र हो जाता है, जिसमें बैठने का स्थान नहीं होता है और इस कारण बच्चों को सटा कर बैठाया जाता है, तो विद्यालय की क्षमता को देखकर ही वहां पर परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा, इसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि एक अच्छा माहौल बने और जो मेधावी छात्र और छात्रायें हैं उनकी प्रतिभायें हैं वह उभर कर सामने आयें। ऐसे विद्यालय जो धन्धा बनाये हैं, उनको रोका जायेगा। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 46 परीक्षा केन्द्रों के परीक्षाफल निरस्त किये गये हैं।

मैंने इसके पहले कहा था कि रोजी-रोटी से बढ़कर यह विभाग है, हो सकता है कि इसमें कुछ समस्यायें हों, प्रबन्धकों में विवाद हो, उनके लिए रात-दिन चिन्ता में हूं कोई अच्छा नतीजा निकले। इसलिए मैंने अपने सूक्ष्म समय में जो कुछ कहा है, हमारी सरकार को दो-ढाई महीने हुए हैं, हम आगे और ठोस प्रयास करेंगे। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि वेतन मैदानों में कम बकाया रह गया है और पहाड़ों के लिए वेतन की सरकारी स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। मान्यवर,

शिक्षक की जब मृत्यु हो जाती थी, तो उसके आश्रित को चौथे क्लास में नान-टीचिंग में रखा जाता था, तो उनकी सेवाओं का आदर करते हुए उनकी भावनाओं का आदर करते हुए, हमने यह निश्चय किया है कि उसके आश्रित को एल० टी० ग्रेड में नियुक्त किया जायेगा । हमारी सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो सेवा निवृत्त प्राइमरी के अध्यापक हैं, उनकी पेंशन बकाया नहीं रहेगी और सभी को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है । हमारी मुख्य मंत्री जी को बड़ी चिन्ता है, शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, इसी से प्रतिभायें निकलती हैं । मान्यवर, हम नारी समाज के उत्थान के लिए सजग हैं, उनके प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ाने के लिए अलग से व्यवस्था की गयी है, अलग से समय निर्धारित किया गया है । ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शिक्षित करने का हमारा उद्देश्य है, इसी को सरस्वती कहा गया, इसी को लक्ष्मी कहा गया और इसी को रोजी-रोटी का अवतार कहा गया । उनको लक्ष्मी का अवतार कहा गया लेकिन उनको रोजी--रोटी से नहीं जोड़ा गया, उनको दुर्गा का अवतार कहा गया लेकिन दिन दहाड़े उनकी साड़ियां खींची जाती हैं और हैं वह दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप होती है । इसलिए मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार का प्रयास कर रहा हूं । जो उर्दू टीचर की नियुक्तियों को करने की बात है तो 1994-95 में 557 और 144 प्राथमिक पाठशालायें पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए खोलने की व्यवस्था थी इसको बढ़ाया गया और हर प्रतिभाओं को प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा जैसा कि मैंने बताया है । इसी तरह से जो हमारा बजट है वह हर दल से, हर घर से, हर महल से जुड़ा हुआ है यह एक महत्वपूर्ण विभाग है मैं विधायकों के सुझाव का आदर करूंगा साथ ही साथ अपनी बात को खत्म करते हुए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर मैं उम्मीद करता हूं कि समय-समय पर मानीय सदस्य सुझाव देते रहेंगे । और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हमारी मदद करेंगे । जय हिन्द ।

श्री शुरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करूंगा कि जिसमें दलित शोषित और पिछड़ा वर्ग ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सम्पूर्ण समाज जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और जिनको संविधान में संयत 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्राविधान किया गया था अनिवार्य । आज उनमें से 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके बालक-बालिकाओं को भी आज भी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है और जब उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं होती है तो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की बात सोचना उनके लिए बहुत दूभर हो जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम स्तर पर विद्यालयों की स्थापना की जाय । मैं अभी एक सम्मेलन में सूरजकुण्ड गया था और हरियाणा के मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी ने जब अपने प्रदेश की शिक्षा नीति के बारे में हमारे बीच विचार रखे तो मैं आश्चर्य चकित हुआ कि उत्तर प्रदेश जो सम्पूर्ण भारत को दिशा देता रहा है जिसमें बड़े-बड़े शिक्षाविद् पैदा हुए । हरियाणा एक छोटा प्रदेश है और वहां की शिक्षा में कितना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो गया । माननीय

भजन लालजी ने फरमाया कि उन्होंने प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल प्रत्येक दो ग्राम सभाओं के मध्य एक जूनियर हाई स्कूल और प्रत्येक 3 ग्राम सभाओं के मध्य एक हाई स्कूल तथा प्रत्येक 5 ग्राम सभाओं में एक इण्टर कालेज और प्रत्येक 10 ग्राम सभाओं पर एक डिग्री कालेज की स्थापना उन्होंने की है । मैं अपनी प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हम भी इस प्रक्रिया को लागू करे, हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल हो क्योंकि गांव के लोग गांव के बच्चे जिनको सुबह रोटी तक मुहैय्या नहीं है वह अपने गांव से दूर दूसरे गांव के विद्यालय में नहीं जा सकते हैं । हर दो ग्राम सभा के मध्य एक जूनियर हाई स्कूल और तीन ग्राम सभाओं पर एक हाईस्कूल हो । जब हम यह बात करते हैं कि आपने यह शिक्षा मुहैय्या क्यों नहीं करायी तो यह संविधान में भी है, तब उत्तर आता है कि जनसंख्या बढ़ रही है बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सभी क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है और जब प्रश्न पूछा जाता है सरकार से बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिये तो जो आंकड़े आपके परिवार कल्याण वाले देते हैं क्या वह सच नहीं है तो मैं समझता हूं कि सरकार निरुत्तर हो जायेगी ।

मान्यवर, मेरे विद्वान साथी इसे महसूस करते होंगे कि यहं एक ऐसा उत्पादन है जिसके माध्यम से हम दीर्घकालीन लाभ दे सकते हैं हमारे बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है यह एक ऐसा विभाग है जिससे आय कम हो सकती है व्यय अधिक हो सकता है । कितनी इससे हमारी पूंजी, जो हमारा भविष्य है, जो आने वाला हमारा समय है, हमारे बच्चे जो आज बेहतर शिक्षा की मार से लड़खड़ा रहे हैं एक तरफ अंग्रेजी विद्यालयों पर पिछले दिनों सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया कि वह उनको मान्यता दें और आपके प्राइमरी स्कूल इसके कारण बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं । मानक यह होना चाहिये कि प्रत्येक 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक की व्यवस्था हो, प्रत्येक 60 विद्यार्थियों पर दो अध्यापकों की व्यवस्था हो और 100 विद्यार्थियों तक तीन अध्यापकों की व्यवस्था हो । सचमुच आज प्रदेश में आवश्यकता है अध्यापकों की जिनकी भर्ती पर रोक लगी हुई है,मानकों का पालन नहीं हो रहा है । पिछले दिनों सबको शिक्षा देने की नीति के अनुसार जो एक समिति का गठन हुआ विपिन चन्द्र समिति का, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 5 राज्यों में पाठ्य पुस्तकों में विकृतियों की ओर ध्यान दिलाया है । जब साम्प्रदायिक ताकतें किन्हीं राज्यों में सरकार के रूप में आयी तो उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में फेरबदल कर दिया । इतिहास को तोड़-मरोड़ करके पाठ्य पुस्तकों में रख दिया ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे समय पर किये गये परिवर्तनों में आप सुधारात्मक आदेश देंगे, निर्णय लेंगे । मान्यवर, रोजगारपरक शिक्षा की बात आयी । नयी शिक्षा नीति के तहत व्यवसायिक शिक्षा की बात आयी । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आप इसमें बहुत गहन चिंतन करें, अध्ययन करें और जांच पड़ताल करवायें । नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत 1986 के बाद से लगातार हरिद्वार स्थित एक आश्रम में शिक्षा अधिकारियों की बैठकें की जाती हैं मुझे जानकारी मिली है कि उसमें कई उच्च अधिकारी ऐसे हैं जो आश्रम के ट्रस्टी हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आश्रम को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दी जाने वाली सहायता राशि को तत्काल बन्द किया जाये और प्रदेश मंडल स्तर पर ऐसे शिविर लगाये जायें ताकि प्रदेश के एक छोर के लोगों को दूसरे छोर के लोगों से जानकारी मिल सके । एक ही स्थान पर बार-बार शिविर लगाया जाना शंका को व्यक्त करता है ।

मान्यवर, रोजगारपरक शिक्षा के अन्तर्गत जब हम यह स्वप्न देखते थे, शिक्षा में परिर्वतन हुआ क्योंकि आज तक जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं उस शिक्षा से वह अपने जीवन में कोई काम नहीं कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। हमने स्वप्न देखा था कि जब शिक्षा में आमूलचूल परिर्वतन हो रहा है और नयी नीति की बात कही जा रही है तो प्राइमरी एजूकेशन से लेकर उच्च शिक्षा तक ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिसमें हमारे बच्चे वुड क्राफ्ट, चर्म कला, वस्तुकला से लेकर तमाम उन चीजों का अध्ययन करेंगे जो उनके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके और आप यह भी निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि मजदूरों के रूप में गरीब का बेटा और उन संस्थाओं में जहां प्राइवेट शिक्षा चल रही है, फोरमैन है, मैं निवेदन करूंगा कि अनौपचारिक रूप से धन का व्यय हो रहा है, उसका सदुपयोग करने की कोशिश करें। और जब तक हमने यह व्यवस्था तय नहीं कर दी है, तब तक हमने शिक्षा में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि प्रयोगशाला तक नहीं बन जाती हैं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जब प्रयोगशाला नहीं बनी तो मोमबत्ती कहां बनी, जैमजैली कहां बनी यह कागजों में दिखाया जाता है और जब तक प्रयोगशालायें नहीं बनती तब तक मेरा सुझाव है कि जो प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं चलती हैं उसके माध्यम से संस्थाएं चलायी जायें और उनको पारितोषिक दिया जाये।

[समय 4 बजकर पन्द्रह मिनट]

कितना अच्छा होता कि अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र भी एक विकास खण्ड में 3-4 खोले जाते और 3-4 केन्द्रों में, जहां जिस किस्म का कोई-व्यक्ति है, जैसे सिलाई मशीन का जानकार है, वह वहां के लोगों को प्रशिक्षण देता, जो दूसरे किस्म के लोग हैं, जो तकनीकी ज्ञान रखते हैं, वह प्रशिक्षण देते, इस प्रकार के यदि मानक बनाये जाते तो आने-वाले भविष्य में आपके पास शिक्षा प्राप्त किये हुये और प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये दोनों किस्म के लोगों की संख्या होती और तब हम लोग अनौपचारिक शिक्षा की बात स्वीकार कर सकते थे अन्यथा बाबाआदम के जमाने से कबीर, रहीम के दोहों को रटना, संस्कृत के उन्हीं श्लोकों को रटना, जो व्यवहार में कभी काम नहीं आते हैं, बेकार है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य समाप्त करें, उत्तर भाषण में भी कुछ सुझाव दे दीजियेगा।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग का बजट है, इस पर चर्चा का खुले तौर पर माननीय सदस्यों को मौका मिलना चाहिये, चूंकि मैं कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि मैं एक अध्यापक रहा हूं और अध्यापक होने के नाते मुझे शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं, उससे जुड़े लोगों की समस्याओं का अनुभव काफी हैं, जो लोग शिक्षा और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का ज्ञान लेकर, अपने अबोध बालकों को विद्याध्ययन करने के लिये गांव से पैदल चलकर आते हैं और टाटपट्टी पर पढ़ते हैं और उसके बाद वह विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिये जाते हैं। जहां तक प्राइमरी शिक्षा की बात है, पहले तो बच्चा प्राइमरी शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाता उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में 60 प्रतिशत लोग भी जा नहीं पाते और उसके बाद उच्च शिक्षा में 20 से 25 प्रतिशत लोग जा पाते हैं, इनमें गरीब घर का कोई बच्चा नहीं होता है और अगर होता है तो

जुगारियन की व्यवस्था उसको वापस घर पहुंचा देती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश भर में और पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां की हालत बता दूं।

अधिकांश विद्यालयों में विज्ञान और गणित के अध्यापकों की कमी हमेशा रहती है। सरकार ने कई बार घोषणा की, पिछली बार माननीय मुलायम सिंह जी ने भी इसी सदन में एक घोषणा की थी और उस घोषणा में उन्होंने 23 अगस्त, 94 को यह कहा कि जो अंशकालिक अध्यापक नियुक्ति पाने से वंचित रह गये थे, उन अंशकालिक अध्यापकों को समायोजित किये जाने की घोषणा की गई। उसका क्रियान्वयन शीघ्र कराया जाय। जो अंशकालिक तदर्थ नियुक्ति पा चुके थे, उनके नियमितीकरण की बात भी कही थी, लेकिन आज तक इस बात को अमलीजामा नहीं पहनाया गया। ऐसे नियुक्ति से वंचित 4-500 अंशकालिक शिक्षक दर-ब-दर घूम रहे हैं, उनकी उम्र भी राजकीय सेवाओं के लिये खत्म हो चली है। पूरे माननीय सदन के सदस्य उनकी नियुक्ति के बारे में सहमत होंगे, तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने और अंशकालिक शिक्षकों को समायोजित किये जाने के संबंध में। चूंकि अशंकालिक व्यवस्था ऐसे समय में की गई थी, जब स्टे आर्डर था तो मेरा निवेदन है कि आप इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करें। उत्तर प्रदेश के 1,12,566 गांवों में एक प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था हो। इसलिये निवेदन कर रहा हूं क्योंकि विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि 21वीं सदी तक दुनिया के निरक्षरों में आधे निरक्षर लोग सिर्फ भारत में होंगे और एक चौथाई निरक्षर उत्तर प्रदेश में होंगे। हमारे प्रदेश में औपचारिक, अनौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा की परियोजनायें चल रही हैं लेकिन आज भी साक्षरता की संख्या 27.16% है। स्थिति यह है कि 97.5 प्रतिशत आबादी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने नहीं जाती है, केवल ढाई प्रतिशत लोग ही जा रहे हैं तो हम ढाई प्रतिशत में क्या प्रतिभा निकाल पायेंगे ? जब तक 100 प्रतिशत आबादी से प्रतिभा नहीं निकालेंगे तब तक विकास सम्भव नहीं है।

मान्यवर, मैं 4-5 प्रान्तों के आंकड़े पेश कर रहा हूं—वेस्ट बंगाल में 40.94 प्रतिशत, तमिलनाडु में 46.76 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 47.18 प्रतिशत, केरल में 70.42 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में मान्यवर, मात्र 27.16 प्रतिशत साक्षरता है और हम पूर्ण साक्षरता की बात कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र फर्जी चल रहे हैं, मात्र कागजों पर चल रहे हैं और मेरी इस बात से सभी साथी सहमत होंगे। बजाय इसके जो पुरानी पद्धति चल रही थी उसमें विषयों का भार बांट दिये होते और उन्हीं विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों को भेजते होते तो आज शिक्षा में आमूलचूल परिर्वतन होता। इंग्लैण्ड और अमेरिका में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का वेतन एक इन्जीनियर और डाक्टर से अधिक है लेकिन आज इस देश में प्राइमरी शिक्षक का वेतन इतना है कि यदि उसके परिवार में 2-3 बच्चे हों तो वह उनका भरण-पोषण नहीं कर सकता। आज अध्यापक चाहे, प्राइमरी स्कूल या डिग्री कालेज का हो उसके पास आय के स्रोत का कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे वह बच्चों का भरण-पोषण कर सके। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग में डा० एल०पी० पाण्डेय एक ऐसे अधिकारी हैं जिनको पूरे उत्तर प्रदेश में ईमानदार अधिकारी के रूप में गिना जाता है। मैं यह आरोप वर्तमान शिक्षा मंत्री पर नहीं लगा रहा हूं लेकिन आपने पिछले सरकार में देखा कि डा० एल०पी० पाण्डेय का पिछली सरकार ने किस तरह से उत्पीड़न किया है, आज तक वह स्टे आर्डर पर रुके हुये हैं। मैं नहीं समझता कि आज भी उनके बारे में कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ जिससे शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़े हुये लोग संतुष्ट हो सकें। मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि ईमानदार चाहे एल०पी० पाण्डेय हों

या आपके प्राथमिक शिक्षा के अध्यापक हों, जब तक आप दण्ड और पुरस्कार की व्यवस्था नहीं रखेंगे तब तक शिक्षा जगत में जिस परिवर्तन की बात हम करते हैं, वह होने वाला नहीं है। हमको दण्ड और पुरस्कार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो अध्यापक पढ़ाते हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा होता है, शत प्रतिशत होता है या 80 प्रतिशत से ऊपर रख लिया जाये. उनको पुरुकृत किया जाना चाहिए। जो विद्यार्थियों के भविष्य से खेल रहे हैं, महीने में मात्र एक बार दस्तखत करने जाते हैं उनको, टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए, तभी सुधार होगा। मान्यवर, इसी के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

श्री राजबली यादव–

श्रीमान् माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस ढंग से और खूबसूरती से पहली बार शिक्षा का बजट जो रखा है उसके लिए मैं उन्हें तहे-दिल से धन्यवाद देता हूं और आज इस बजट को देखकर तबीयत खुश हो गयी। जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने कटौती का प्रस्ताव तो कम परन्तु एल०पी० पाण्डेय का वे नाम ले रहे थे उन्हीं की तारीफ वह कर रहे थे यदि एल० पी० पाण्डेय इतने ही सक्षम है तो शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ ? चूंकि अधिकारी सामने बैठे होंगे इसलिए चापलूसी और चाटुकारिता करने में ही उन्होंने सदन का इतना उपयोगी समय लगा दिया, जो अच्छी बात नहीं है। श्रीमन्, सरकार 557 प्राइमरी स्कूल खोलने जा रही है, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत पैसा लग जायेगा, पहले सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से स्कूल बनवाया करती थी परन्तु बाद में इसे प्रधान और हेडमास्टर बनाने लगे। प्रधान पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मुलायम सिंह सरकार से पहले इन पर थोड़ा बहुत अंकुश था और एस०डी०एम० इन्हें सस्पेन्ड कर सकता था परन्तु बाद में मुलायम सिंह सरकार ने इसे भी हटा दिया।

प्रधान चाहे जितना पैसा खर्च करें उस पर सरकार का कोई अंकुश है ही नहीं। और हेडमास्टर हमेशा दबाव में रहता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन स्कूलों को या तो हेडमास्टर बनवायें यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो दूसरी एजेंसी से बनवाया जाय। प्रधानाचार्य यदि स्कूलों को बनवायेगा तो हम उससे रिकवरी भी कर सकते हैं उसे सस्पेण्ड भी कर सकते है। प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर्स है कई गांवों में तो उसी गांव के ही टीचर है वह खेत खोदकर आते है जब नींद लगती है तो सो जाते है। बच्चे भगवान भरोसे पढ़ते है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को तहसील से बाहर नियुक्त किया जाए यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो कम से कम ब्लाक से बाहर कर दिया जाए। कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वेतन कम मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी के अध्यापक को आज 2600/- वेतन मिल रहा है हम विधायकों को 850 रुपया मिल रहा है। वह घर पर रहता है और हम रात दिन सेवा करते है तब भी हमारा वोटर और कार्यकर्ता मुंह फुला कर चला जाता है। आज शिशु मन्दिर, सरस्वती शिशु मन्दिर और मान्टेसरी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़वाने के लिए भेजते हैं। लड़के हैं नहीं अध्यापक पढ़ाता नहीं है। यह व्यवस्था बदली जानी चाहिये। यह सरकार दलितों और गरीबों की सरकार है। दलित लड़के ही ज्यादा गरीब होते हैं वही वहां पढ़ते हैं तो उनको अध्यापक पढ़ाते नहीं है। दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों

को कम से कम ब्लाक से दूर रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बजट रखा है मैं उसका हृदय से सम्मान करता हूं, समर्थन करता हूं। वास्तव में इस बजट को पढ़ कर ऐसा मालूम हुआ कि सरकार की नीयत सुधार लाने की है। मैं सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेगी। मैं माध्यमिक शिक्षक संघ से करीब 20 वर्षों तक जुड़ा रहा हूं। मुझे इस शिक्षा जगत की अनेक खामियों का ज्ञान है। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा में गिरावट जो पिछले 15 वर्षों से आई है उस पर किसी भी सरकार ने गम्भीरता से विचार नहीं किया। यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बेहद गंभीरता से विचार भी हुआ और सुधार भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से वह सुधार की प्रक्रिया मजबूत नहीं कर पाये, जब तक मजबूत करने का समय आया तो सरकार गिर गयी।

मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा मनुष्य जीवन की मारतुण्ड है, बिना शिक्षा के सुधार के मनुष्य का जीवन अधूरा रह जाता है। सरकार की नीतियों से शिक्षा जगत में गिरावट आई है; सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जिस देश की शिक्षा में पकड़ मजबूत होगी वही देश अपने में मजबूत होगा। शिक्षा सरकार का खिलौना बना उसने उसे अपने तरीके से मोड़ दिया। शिक्षा में नैतिक शिक्षा का होना अनिवार्य है। मनुष्य के जीवन में जब नैतिकता का अभाव आता है तो राष्ट्र में भी गिरावट आती है। अगर नैतिकता कहीं सिखाई जाती है तो वह शिक्षा के मंदिरों में सिखाई जाती है। मेरा शिक्षा मंत्री जी से सुझाव है कि "बंदे मातरम" गान बालकों को प्रारम्भ से ही जिस समय वह विद्यालय में प्रवेश करता है, कक्षा में प्रवेश करता है उसी समय से उसकी मानसिकता में आ जाय। "बंदे मातरम" शिक्षा जगत के हर विद्यालय में अनिवार्य कर दिया जाय और नैतिक शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया जाय।

मान्यवर, मैं पाठ्यक्रम के ऊपर संक्षिप्त विचार रखना चाहता हूं। आपने भी पहले की पुस्तकों में, पाठ्यक्रमों में पढ़ा होगा राणा प्रताप की कहानियां और शिवाजी की गाथायें आपने पढ़ी होंगी। वह सब आज पढ़ने को नहीं मिलती हैं। "ग" से गाय आज पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है आज "ग" से गधा पढ़ाया जाता है। तो पाठ्यक्रम के ऊपर सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये। सरकार का पाठ्यक्रम राष्ट्र का संकेत होता है, वही शिक्षा को आगे रास्ता दिखाता है। आज जितना भी शिक्षा में गिरावट आई है उसके लिये जितनी सरकार दोषी है उतना ही प्रबंधतंत्र भी दोषी है। आज कल एक विचित्र स्थिति चल रही है। हर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, लालबत्ती दिखा कर न डरायें। शिक्षा के मामलों में अहम भूमिका अदा करने लगा है। प्रबन्ध तंत्र चाहे जब कुर्सी से निकालकर बाहर फेंक दें, और सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाल दे। आज प्रदेश में विद्यालयों में हर जगह प्रबन्धतंत्र की लड़ाई चल रही है। शिक्षा जगत में जिला विद्यालय निरीक्षक की शिकायत उप शिक्षा निदेशक के पास जाती है और ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे है। आज जितना वहां भ्रष्टाचार चल रहा है शायद ही कहीं देखने को मिला हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मेरा निवेदन है और सुझाव है कि जिला स्तर पर जो शिकायतें हैं वहां जिलाधिकारी के माध्यम से दूर हों। आज उसमें जिलाधिकारी अपंग बनकर बैठ गया है। पदोन्नति होकर ऊपर जाने वाला शिक्षा निदेशक तथा दूसरे अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी का पक्ष लेते हैं। जिले की जो शिकायतें हैं शिक्षा की ओर भ्रष्टाचार की जिलाधिकारी उसमें अपनी तरफ से हस्तक्षेप करें और निर्णय लें, ये व्यवस्था की जाए। शिक्षा की दुर्दशा की जो सबसे बड़ी जड़ है वह यह है कि शिक्षकों का जो वेतन क्रम है वह बहुत कम है जिससे वह अपने बच्चों का ठीक ढंग से पालन पोषण भी नहीं कर सकते हैं। अध्यापक जो राष्ट्र के भविष्य को बनाता है उसके बच्चों का भविष्य आज अंधकारमय है। देहातों में सबसे बड़ी कठिनाई कन्या विद्यालयों की है। देहातों में काफी भवन सिंचाई आदि विभागों के आज खाली पड़े हैं। उन भवनों में कुत्ते और गदहें लोट रहे या फिर वहां चोर डकैत आश्रय पाते है। उनका उपयोग सरकार को करना चाहिए। उसमें अच्छे से अच्छा इण्टर कालेज और कन्या विद्यालय खुल सकता है। जैसा कि अभी पाण्डेय जी ने कहा अभी हमारे माननीय विधायक राजबली यादव ने यह कहा था कि एल०पी० पाण्डेय इतने ईमानदार और कुशल होते तो शिक्षा में सुधार अब तक आ गया होता। मान्यवर, मैं माध्यमिक शिक्षा संघ का लम्बे अरसे से कार्यकर्ता रहा हूं और मैं ही नहीं इस माननीय सदन में मेरे जैसे अनेक विधायक बैठे है जिन्होंने शिक्षा जगत में काम किया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वे सभी जानते है कि एल०पी० पाण्डेय जी एक जाने माने कुशल योग्य अनुभवी और ईमानदार अधिकारी है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय हो गया है आप बैठ जायें।

श्री उदयभान सिंह–

प्राइमरी विद्यालयों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज उनकी बड़ी ही दुर्दशा है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठे समय हो गया है। अब राम औतार मिश्रा जी (व्यवधान सर्वश्री उदयभान सिंह, रामऔतार मिश्रा और राम सजीवन निर्मल आदि सदस्य एक साथ बोलते रहे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)।

श्री उदयभान सिंह–

तो अम्बेडकर गांवों को उसके लिए आप अलग से धन आवंटित करें और मेरे दिये गये सुझावों को गम्भीरता से लिया जाए।

* श्री राम औतार मिश्र–

श्रीमन् मैं आपका आभारी हूं और मैं शिक्षा के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार के बाद इधर तीन-चार सरकारें आई, कभी समाजवादी सरकार और कभी भाजपा सरकार बी०जे०पी० की सरकार ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 1989 तक जब कांग्रेस

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

की सरकार रही तो शिक्षा में प्रगति होती रही । पांच सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है । शिक्षा का स्तर निरन्तर घट रहा है । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, वह दिशाहीन बजट है, उसमें मौजूदा शिक्षा की प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है । मान्यवर, मैं शाहजहांपुर के 65 ददरौला क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी इन्टर कालेज नहीं है । वहां पर मान्यता प्राप्त दो हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं । 11 जुलाई, 1993 में महामहिम राज्यपाल महोदय ने शाहजहांपुर में लाइन हैलीपैड में राजकीय इन्टर कालेज खोलने की घोषणा की थी । इसके बाद से निरन्तर कई बार मैंने मुख्य मंत्री जी से भेंट की और राज्यपाल महोदय से भी भेंट की । 5 एकड़ भूमि राजकीय इण्टर कालेज के लिये प्राप्त हो गयी है लेकिन फिर भी अभी तक उस इन्टर कालेज को खोलने में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है ।

शिक्षा के विषय में आज जो भी अवनति हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है । बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है । जब हम 1/2 दिन के लिये अपने क्षेत्र जाते हैं तो अभिभावक अपने बच्चों को लेकर हमारे पास आते हैं कि इनको प्रवेश दिलवा दीजिये । हम उनके साथ स्कूल जाते हैं तो प्रधानाचार्य कहते हैं कि आप सेन्शन बढ़वा लाइये । जब हम यहां इस प्रश्न को रखते हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है । हम इन बच्चों को प्रवेश नहीं दिला पाते हैं । जनता की सेवा नहीं कर पाते हैं । प्राइमरी विद्यालयों के लिये 3/4 साल पहले 90 हजार रुपया दिया जाता रहा है उस समय सीमेन्ट 50-55 रुपये बोरी थी, ईंटा 700-800 रुपये था आज महंगाई बढ़ जाने से सीमेन्ट 150 रुपये बोरी हो गयी है और उसी प्रकार ईंटा भी महंगा हो गया है । उस 90 हजार की धनराशि में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण नहीं हो सकता है । अतः उस धनराशि को भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ताकि प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हो सके । अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा इनके यहां केवल कागजों पर ही चल रही है । गांव के एक बेरोजगार को मानदेय मिल जाता है । उनको मिलने वाली सामग्री का कोई इस्तेमाल नहीं है वह सब बिक जाती हैं । भारत सरकार ने अभी एक मध्यान्ह भोजन की योजना निकाली है । हमारे बच्चों का तो नहीं, हां हमारे अध्यापकों का खाने पीने का साधन अवश्य बढ़ जायेगा । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र शाहजहांपुर में जो महामहिम राज्यपाल द्वारा इन्टर कालेज खोलना घोषित है, उसे पूरा करवाया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री शूरवीर सिंह सजवाण द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लालमणि प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है उससे ऐसा आभास हो रहा है कि आने वाले दिनों में एम० ज्योतिराव फूले, शाहू जी महाराज और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार होगा । गांव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया गया है । उसमें जो सबसे पिछड़ा तबका है जिसमें से एम० ज्योतिरावफूले, ई०वी० रामास्वामी ने उन गांवों से निकलकर इतिहास में अपना एक अलग स्थान बनाया है । इसी कड़ी में कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने हर पहलुओं पर विचार किया है, साथ ही साथ उन्होंने गांव के विकास की तरफ जहां शिक्षा अधूरी रहती है, गांव का विकास नहीं हो पाता है, वहां प्राइमरी स्कूल खुलवाने के लिये जो ध्यान दिया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । माननीय शिक्षा मंत्री जी का

ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज दोहरी शिक्षा नीति पूरे मुल्क में चल रही है और आज प्रदेश में भी चल रही है। मेरा अनुरोध है कि इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त किया जाय और समान शिक्षा नीति लागू की जाय। साथ ही साथ शिक्षा सत्र सुनिश्चित किया जाय क्योंकि अनियमित शिक्षा सत्र होने के कारण पढ़ाई अधूरी रह जाती है और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आज जो इन्टर कालेजों और डिग्री कालेजों में चुनाव होते हैं, उससे शिक्षा प्रभावित होती है और 6 माह तक पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसी तरह की चुनाव की प्रक्रिया है इसको समाप्त किया जाना चाहिए जहां तक हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि प्राइमरी स्कूल का निर्माण जो है यह अध्यापकों द्वारा होना चाहिए। प्राइमरी स्कूलों के निर्माण के लिए जो धन दिया जाता है 90 हजार है यह धन बहुत कम है। इसको डेढ़ लाख किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं प्राइमरी स्कूल में समय से अध्यापक नहीं जाते हैं, बच्चे टहलते हैं तमाम ऐसे अध्यापक हैं जिन्हें तन्ख्वाह लेने की भी फुरसत नहीं है इस नाते इस बात पर विचार किया जायें। अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र हैसर बाजार जो बस्ती जनपद का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां कम से कम 50-60 किलोमीटर दूरी पर डिग्री कालेज है वहां महिला इंटर कालेज खोला जाए। साथ ही साथ मैं एक डिग्री कालेज नाथ नगर में भी खोलने का अनुरोध कर रहा हूं। अन्त में मैं शिक्षा मंत्री जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं। ऐसा अच्छा बजट प्रस्तुत करके उन्होंने डाक्टर अम्बेदकर साहब के सपनों को साकार किया है।

श्री इन्द्र भद्र सिंह--

मान्यवर, आपने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आभारी हूं शिक्षा मंत्री जी जिन्होंने अपने बजट में, बेसिक शिक्षा परिषद् की तरफ जो हमारी शिक्षा की नींव है बहुत अधिक ध्यान दिया है। ध्यान यह दिया गया है कि गत वर्ष का 32 करोड़ का बजट बढ़ाकर 52 करोड़ का बजट कर दिया है। सबसे बड़ी विसंगति हम लोगों के सामने थी शिक्षा समितियां जनपद स्तर पर कार्यरत थीं इसमें विधायकों को सदस्य नियुक्ति किया गया है। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री का आभारी हूं सामान्यतः यह कठिनाई हम लोगों के सामने आती थी जब भी बेसिक शिक्षा अधिकारी से कोई निवेदन करते थे तो शिक्षा समिति जिसमें कोई विधायक प्रतिनिधि नहीं था, कुछ नहीं सुना जाता था। मान्यवर, इसी के साथ कहना चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो 90 हजार से ज्यादा धनराशि स्वीकार करने पर विचार कर रहे हैं।

जो भी गांव में प्राथमिक विद्यालय बन रहे हैं मैं उनके नक्शे की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं नक्शा इतना छोटा है कि मात्र दो कमरों का है एक कार्यालय का कमरा और एक बरंडा है। 90 हजार में यही बनता है। मान्यवर, कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक के स्कूल उस विद्यालय में लिए जाते हैं। बरसात और सर्दी के मौसम में नन्हें मुन्ने बच्चे एक से पांच कक्षा तक के विद्यालयों में रहते हैं उनकी अलग-अलग कमरों में बैठने की व्यवस्था नहीं है। जो 90 हजार से ज्यादा धन बढ़ाने पर विचार हो रहा है तो मौजूदा नक्शे में भी परिवर्तन करने की व्यवस्था करें जिससे पठन-पाठन में सुविधा हो। अध्यापकगण विद्यालय समय से नहीं जाते हैं उसमें जिला स्तर से अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है सबसे बड़ी कठिनाई इसमें यह है कि एस०डी०आई० यह पहली चेकिंग अथारिटी है लेकिन एक भी एस०डी०आई० अपने नियत स्थान पर नहीं रहता है। सभी शहर में रहते हैं और बाकायदा जब

उनको क्षेत्र में जाना होता है तो वह बता के जाते हैं । सभी अध्यापक चैतन्य हो जाते हैं । मैं सरकार का आभारी रहूंगा यदि सरकार एस०डी०आई० को क्षेत्र में रहने के लिए आदेशित कर दे । शिक्षा के लिए मंत्री जी ने बहुत ही बखूबी से बजट पेश किया है । बहुत सी बातों का उल्लेख किया है । चाहे आरक्षण की बात हो चाहे रिक्त पदों के भरने की बात हो । बहुत सी बातों का बजट में प्राविधान किया गया है । जहां आपने नारी समाज के उत्थान के लिए बेसिक शिक्षा में अपने विचार व्यक्त किए मैं उन भावनाओं की कद्र करता हूं । असेवित विकास खण्डों की छात्राओं की प्रवेश की समस्या के लिए नए विद्यालयों की स्वीकृति पिछले सत्र में 100 विद्यालयों की स्वीकृति हुई थी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन 100 विद्यालयों के लिए जी०ओ० किया जा चुका है । उनको पैसा तत्काल अवमुक्त कराएं । इस वर्ष हमारे क्षेत्र में तीन विकास खण्ड हैं तीनों ही असेवित हैं ।

छात्राओं की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । पिछले सत्र में एक कन्या विद्यालय हमारे क्षेत्र में मिला था । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में इस बार असेवित विकास खण्ड की छात्राओं के प्रवेश के लिए जो समस्या खड़ी हुई है, उसके लिए नये विद्यालयों के गठन की घोषणा करें । समारे साथी जो कटौती रख रहे थे उन्होंने सूरजकुण्ड हरियाना और श्री भजन लाल जी की बात कही है । वह शायद भूल गये कि इस प्रदेश में उनका 40 वर्ष तक राज्य रहा । तब वह हरियाणा की तरह विद्यालय नहीं खोल सके । पिछले पांच वर्षों व अभी मुश्किल से 4 महीने से यह सरकार काम कर रही है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात बजट के समर्थन के साथ समाप्त करता हूं ।

श्री राधे श्याम गुप्ता–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया । शिक्षा मंत्री जी यह बजट प्रस्ताव अनुदान 71-72 व 74-75 प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत सराहनीय है और उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है । इसकी जितनी भी सराहना की जाय, कम है । शिक्षा मंत्री जी कर्मठ भी हैं । इन शब्दों के अलावा मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । व्यवसायिक शिक्षा हेतु प्रदेश में 468 विद्यालय चयनित किये गये हैं । दो विद्यालय फतेहपुर नगर के इनमें और जोड़ दिये जाय । वहां पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं राजकीय इण्टर कालेज दोनों में व्यवसयिक शिक्षा लागू कर दी जाये । इससे बहुत से छात्र-छात्राओं का कल्याण होगा । दूसरा फतेहपुर नगर में एक माडल स्कूल से राजकीय विद्यालय है । फतेहपुर में माडल स्कूल नाम सेएक राजकीय विद्यालय जूनियर हाईस्कूल चलता है ।

इसमें हाई स्कूल की मान्यता के लिये प्रस्ताव आया है इसको हाई स्कूल की मान्यता दे दी जाय । मान्यता देने से किसी भी शिक्षक को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न सरकार को किसी तरह का धन खर्च करना पड़ेगा । छात्रों को पढ़ने के लिये आज प्रवेश नहीं मिल पा रहा है । कक्षा 9 और 10 के छात्रों को पढ़ने के लिये अच्छी व्यवस्था की जाय ताकि सरकार का नाम हो सके । इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला स्तर पर जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के कार्यान्वयन, अनुश्रवण

और समीक्षा के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की कमेटी बनायी गयी है उसमें कोई भी जन प्रतिनिधि नहीं रखा गया है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस कमेटी में जनप्रतिनिधियों और विधायकों को स्थान दिया जाय और उनके निर्णयों को माना जाय जिससे शिक्षा का विकास हो सके । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

* इंजी० राम लोटन सिंह पटेल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बजट स्वागत योग्य है । मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि अभी तक जितने शिक्षा मंत्रियों ने बजट रखें हैं वह कहीं न कहीं मनुवादी विचाराधारा से ओतप्रोत रहे हैं । यह एक ऐसा बजट है जिसको देखने से लगता है कि हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा में प्रचार और प्रसार के लिये कटिबद्ध हैं । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसको देखने से लगता है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी अम्बेदकरवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं और सबको शिक्षा देना चाहते हैं । मैं अपने कुछ सुझाव इस बजट के संबंध में देना चाहता हूं । प्राइमरी स्कूलों को खोलने के बारे में व्यवस्था की गयी है, जूनियर हाई स्कूल खोलने के बारे में व्यवस्था की गयी है और विद्यालयों में कक्ष तथा शौचालय और हैंड पंप लगाने की जो व्यवस्था की गयी है उसको देखकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि पूर्व में जो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं उनकी नेकनीयती नहीं थी, वह नहीं चाहते थे कि प्रदेश के सभी लोग शिक्षा पा सकें इसीलिये प्रौढ़ शिक्षा चलायी गयी थी और यह प्रौढ़ शिक्षा उनकी कथनी और करनी के अन्तर को प्रकट करती है । आज हर छात्र को मंत्री जी शिक्षा देना चाहते हैं इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी पाठ्यक्रम में उन लोगों का साहित्य आना चाहिये जिन लोगों ने समाज में भाई चारा पैदा करने का काम किया है । इसके अन्तर्गत साहू महराज साहब, नायकर साहब और महात्मा फुले साहब का साहित्य पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिये । इस देश में प्रथम महिला जिन्होंने शिक्षा देने का काम किया है उनका नाम सावित्री बाई है । सावित्री बाई के नाम से एक एवार्ड देने की घोषणा शिक्षा मंत्री को करनी चाहिये । आपने ग्राम शिक्षा समिति को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की है । मैं चाहूंगा कि 25 हजार रुपये का पुरस्कार सावित्री बाई के नाम पर रखा जाय ।

मान्यवर, थोड़ी बहुत समस्यायें जो हमारे क्षेत्र में है, उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारा जो क्षेत्र है वह आदिवासी इलाका है और बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां पर एक इंटरमीडिएट कालेज है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां पर बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, वहां पर भवन बनाने की स्वीकृत दी जाये । मान्यवर, वह इलाका सामंतशाहों का है, जो विद्यालय

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

बच्चों को पढ़ाने के लिये खोले गये हैं, उनमें पशु बांधे जाते हैं और जो अध्यापक हैं, उनसे खेती करायी जाती है । आप सोनभद्र जिले में स्थिति का पता लगायें, तो आपको असलियत मालूम हो जायेगी, कि स्कूलों के जो भवन हैं उनमें पशु बांधे जाते हैं और अध्यापकों से खेती करायी जाती है । मान्यवर, वहां पर एक बी० टी० सी० का स्कूल है, उसमें केवल 10 लोग पढ़ते हैं, मेरा निवेदन है कि उनकी संख्या 50 की जाये । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मुझे मूल रूप में यह कहना है कि जब प्रथम बजट पेश हुआ था तो उस समय यह घोषणा की गयी थी, कि लगातार शिक्षा के बजट को बढ़ाया जायेगा, लेकिन भारत सरकार ने जो इस साल बजट बनाया है उसमें डेढ़ प्रतिशत ही खर्च करेगी । भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ही समाप्त कर दिया है, कोई भी शिक्षा मंत्री नहीं है, यह हमारे देश के कर्णधारों का प्रेम है । कांग्रेस के भाई बहुत चिल्लाते है, कांग्रेस के लोगों ने ही शिक्षा मंत्रालय को समाप्त कर दिया है, शिक्षा मंत्री है ही नहीं । इस सरकार ने शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया है, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा है । प्राइमरी शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च होना चाहिये, बच्चों को कापियां, स्लेट और भोजन दिया जाना चाहिये । और जब तक इनकी व्यवस्था नहीं होगी, गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पायेंगे । जब हम बंगाल और केरल जाते हैं तो वह हमको कहते हैं कि गंवारों के देश से आये हो, उत्तर प्रदेश को वह गंवार बताते हैं । मैं अपने क्षेत्र की हालत बताता हूं, वहां पर 5-5 और 7-7 किलोमीटर तक कोई प्राइमरी स्कूल ही नहीं है, तो बड़ी तादाद में स्कूल खोले जाने चाहिये ।

(व्यवधान)

यह शोर मचाते हैं, जब एक दल का नेता बोल रहा होता है, तो इनको शांत होकर सुनना चाहिये, उसको बोलने देना चाहिये, तो मान्यवर, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा । 12 रुपये जिस छात्र को छात्रवृत्ति मिलती है, वह कैसे पढ़ पायेगा, किताबों और खाने का खर्च सरकार को वहन करना चाहिये, ऐसे में गरीब आदमी का बच्चा शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकेगा ।

फिर परिवार नियोजन पर व्यय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । केरल और बंगाल में सबसे कम जनसंख्या बढ़ती है । तो मैं कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन का पैसा इसी पर व्यय होना चाहिये । तभी उत्थान होगा और तभी विकास होगा बिना इसके न उत्थान हो सकता है और न विकास हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, एक उधर से हो तो तीन इधर से हो तो आसानी होगी ।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, आज इस बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने पहाड़ों की घोर उपेक्षा की है यह मेरा मानना है । मान्यवर, इस सदन में 4 दिन पूर्व नियम 300 में सूचना लाकर मैंने माननीय मंत्री जी को सूचना दी थी आज कितनी उपेक्षा शिक्षा विभाग में पहाड़ के अध्यापकों की हो रही है और पहाड़ की जनता की हो रही है । आज माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कोई ऐसा दिशा निर्देश पहाड़ की जनता को नहीं दिया । मान्यवर, आज पहाड़ के शिक्षक अपने वेतन के लिए साल भर से शासन से चिल्लाते आ रहे हैं केवल तीन महीने का वेतन टी आर 27 से जिलाधिकारियों के माध्यम से दिया जा रहा है । मान्यवर, जहां तक पहाड़ के विद्यार्थियों की बात है 600 पद द्वितीय श्रेणी के प्रधानाचार्यों के रिक्त हैं और सैकड़ों पद ऐसे हैं जहां हिन्दी के टीचर नहीं है, मैथमेटिक्स के टीचर नहीं है, अंग्रेजी के टीचर नहीं है इसलिए जो भी विद्यालय हैं वह बन्द हैं । विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं । मेरे जनपद में एक महाविद्यालय ऐसा है जो एक किराये के कमरे में चल रहा है । किराये के एक कमरे में महाविद्यालय चलता है और दूसरे कमरे में किरायेदार रहता है । मान्यवर, इस बजट में माननीय विद्वान मंत्री जी ने एक टूक बात कर दी शिक्षकों के आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में नौकरी की बात कह दी केवल इतने से ही मंत्री जी ने पहाड़ को टच कर दिया । मैं चाहता हूं कि सरकार जो अध्यापकों का वेतन रुका हुआ है एक साल से और उन्हें 3-3 माह का वेतन मिल रहा है तो उनको वेतन निर्गत करने की कृपा करें । और जो भवन विहीन विद्यालय चल रहे हैं चाहे वह लड़कों के हो या लड़कियों के हों वहां भवन बनवाये जाये । जिन विद्यालयों में प्रयोगशालाएं नहीं हैं, वहां उनको खोला जाय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद चाहे वह चपरासी के हों या और किसी के हों वह अभी तक भरे नहीं गये हैं ।

रिटायरमेन्ट की बात कही, पेंशन की बात कही, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं जो आज भी लंबित हैं । 20-20 साल से शिक्षक रिटायरमेंट में चले गये, पेंशन के बीमे के मामले लंबित हैं । पहाड़ में दिक्कत आ रही है । बेसिक शिक्षा में, बी० टी० सी० पालिसी जो गवर्नमेन्ट की बनी है उसमें 30 प्रतिशत मेल मेम्बर और 70 प्रतिशत फीमेल मेम्बर की है । आज वहां दूरदराज के क्षेत्रों में लड़कियां, अध्यापिकायें जाने के लिये तैयार नहीं है । यह सुझाव है कि जो यह परसेन्टेज 30 और 70 का है इसमें

पहाड़ के लिये विशेषकर 70 मेल और 30 फीमेल के परसेंटेज की व्यवस्था कर दें । यही नहीं मान्यवर, जो मानक बनता है वह शिक्षा के क्षेत्र के हिसाब से बनता है । आज तक माननीय सदस्य ने 80 रु० में सीमेंट की बात कही हमारे यहां मेरे जनपद में 150 रु० में सीमेंट का कट्टा मिलता है। यदि 80 हजार की लागत में मैदानी क्षेत्र में भवन बन सकता है तो पहाड़ में 90 हजार में मकान/भवन नहीं बन सकता है पहाड़ के लिये विशेष रूप से व्यवस्था हो ढाई लाख रु० प्राइमरी के लिये और 4 लाख रु० जूनियर हाईस्कूल के विद्यालय के लिये हो इस तरह की पालिसी बननी चाहिये वहां के लिये । जो स्थानान्तरण की नीति बनी है वह बिल्कुल इस तरह की नहीं है पहाड़ में आज ऐसे भी विद्यालय हैं कि वहां मैदानी क्षेत्र के शिक्षक भेजे जा रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद फिर पहाड़ के लिये नहीं देखते हैं इस कारण वहां घोर अव्यवस्था है । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिये में आपका आभारी हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं । मैं यहां से शुरूआत करता हूं :–

पिछली सरकार ने तो शिक्षा का गला ही घोंट दिया था,

शिक्षा में भ्रष्टाचार का अड्डा बना, घोर दुष्कर्म किया था,

पर आज यह सरकार फिर नई पहल करेगी,

शिक्षा को नई दिशा दे, नई प्रेरणा भरेगी । "

यह देश विश्वगुरू कहलाता है । तक्षशिला नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय थे, महापुरुषों की इस माटी में दुनिया के लोग यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे ।

स्वं स्वं चरित्र शिक्षन् पृथिव्या सर्वमानवः की उक्ति यहां चरितार्थ थी हमारे चरित्र से ही शिक्षा पाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग यहां पर आते थे । लेकिन आज शिक्षा की क्या दुर्व्यवस्था हो गयी है । इसमें आज यह देश के वे लोग, जो इस देश की चिन्ता करते हैं, जो लोग इस देश के प्रति समर्पित हैं, वे आज खून के आंसू बहाते है इस शिक्षा को देखकर ।

"साहित्य, संगीत कला विहीनः

साक्षात पशु पुच्छ विषणहीनः ।"

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

यह साहित्य, संगीत कला और यह तीन चीजें हैं इसको शिक्षा ही उजागर करती है। यह न हो तो मनुष्य साक्षात पशु से भी बदंतर हो जाता है बिना पूंछ का वह है। किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी शिक्षा होती है। मान्यवर, जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी टूट जाने से शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी शिक्षा है और राष्ट्र रूपी रीढ़ की हड्डी शिक्षा अगर टूट जायेगी, शिक्षा विछिन्न हो जायेगी, तो राष्ट्र खड़ा नहीं रह सकता है।

मान्यवर, लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो इस देश पर थोपी जा रही है। इस देश की संस्कृति, इस देश की भाषा, इस देश की निष्ठा, इस देश के महापुरुषों की माटी से जुड़ी शिक्षा होनी चाहिए और रोजगार परक, शिक्षा होनी चाहिए। लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर यह देश दल-दल पर खड़ा हुआ है। वह नीति काले अंग्रेजों का निर्माण करना चाहती है जो देश के लिए दुर्भाग्य जनक है, जिसको आज तक नहीं बदला गया है। जैसा कि मैंने कहा था कि नई पहल यह सरकार करेगी और लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति को बदल करके, इस देश की संस्कृति, निष्ठा और महापुरुषों की माटी से जुड़ी रोजगार परक शिक्षा का यहां निर्माण करेगी।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा हाई स्कूल और इण्टर कालेज अधिक हैं और उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हो इस उद्देश्य से वहां पर एक अपर निदेशक, शिक्षा की नियुक्ति की गयी थी। लेकिन मान्यवर, दुर्भाग्य यह है कि अपर शिक्षा निदेशक का कार्यालय इलाहाबाद में है और वह बैठते लखनऊ में हैं और उनका कार्य क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं है। मान्यवर, समुचित शिक्षा मिले इस हेतु गैर सैंण में एक कार्यालय की स्थापना की गयी थी और उसका उद्घाटन भी हुआ था लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहां पर ताला पड़ा हुआ है उसको तत्काल खुलवाया जाये। एक सप्ताह के अन्दर उसका ताला खुलवाया जाये और वहां पर जो अपर शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई है उन्हें पूरे निदेशक का अधिकार दें। मान्यवर, तदर्थ और अंशकालिक शिक्षकों की विनियमितीकरण की कार्यवाही होनी चाहिए नहीं तो साढ़े चार हजार युवक सड़क पर आ जायेंगे।

मान्यवर, चौपटाखाल में एक अध्यापक डिग्री कालेज चला रहा हैं जब वह भी छुट्टी पर चला जाता है तो वहां पर ताला पड़ जाता है। इसी तरह से वेदीखाल कर्ण प्रयाग में भी स्टाफ भेजा जाये। मान्यवर, अभी एल० पी० पांण्डे जी की बात कही। मैं उससे सहमत हूं। हमारे यहां एक नन्दानन्द पाण्डे हैं उनको पिछली सरकार ने प्रताड़ित किया। उन्हें नौ महीने से वेतन नहीं मिल रहा है अगर ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तो वह कैसे खड़ा रह पायेगा ? मैं यह मांग करता हूं कि उनका स्थानान्तरण तत्काल निरस्त किया जाये। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में हाई स्कूल और इण्टर कालेजों की नितान्त आवश्यकता है। बेसिक स्कूल 10 कि०मी० की दूरी पर है और बीच में नदी नाले जंगल पड़ते हैं। 12 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वह बेसिक स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। हमारी मांग यह है कि 1-2 कि०मी० की दूरी पर बेसिक स्कूल खोला जाये। मान्यवर, कई विद्यालय जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं कोई भी दुखद घटना वहां पर घट सकती है। कर्ण प्रयाग के विद्यालय के छात्रों का जीवन संकट में पड़ गया है मेरी मांग है कि उन्हें भवन बनाने के लिए तत्काल पैसा दिया जाये। दमदेवल, मेहलचौरी, मिपालीसैंण, भासीं, पावो के विद्यालयों को भी भवन बनाने हेतु पैसा दिया जाये।

सभी विद्यालय के एस० डी० आई० के पद जो 30 से 40 प्रतिशत कम है, भरे जायें। डायट सेंटर गौचर तुरन्त बनाया जाये, वी०टी०सी० के स्टाफ को डायट सेंटर में समायोजित किया जाये। नये हाईस्कूल, इण्टर कालेज खोले जायें मेरे क्षेत्र कर्ण प्रयाग में। इसी के साथ जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

* श्री मुरलीधर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का सुअवसर दिया इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, विद्वान शिक्षा मंत्री जी ने आज जो लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी बहुत से विद्वान साथियों ने अपनी बात रखी और यह चिंता दिखायी कि शिक्षा का स्तर नीचे गिरा है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मूल्यांकन करने बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज शिक्षा का स्तर नीचे गिरा नहीं है बल्कि और ऊंचा उठा है। मैं दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। समय वह था जब बहुत बड़े अल्पसंख्यक वर्ग को इस शिक्षा से वंचित रखा गया था, जुबान बन्द कर दी गयी थी, शिक्षा में पाबन्दी लगा दी गयी थी लेकिन हमारे बुजर्गों के प्रयास से यह सुअवसर प्रदान हुआ है जिन्हें शिक्षा पर रोक लगायी थी कि आप शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं शिक्षा किसी को दे नहीं सकते हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि शिक्षा मिले।

[समय 5 बजकर पन्द्रह मिनट]

विदेशों में जो शिक्षा हासिल करता है, उसको पुरस्कार वितरण किया जाता है। मान्यवर, भारतवर्ष में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, अगर वह शूद्र वर्ग का व्यक्ति है तो उसको सजा देने का प्राविधान है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी जुबान से किसी को शिक्षित करता है तो उसकी जुबान काट ली जाती है। यदि शूद्र वर्ग का व्यक्ति ग्रन्थों का अध्ययन करता है तो उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाल दी जाती है और यदि शूद्र वर्ग का व्यक्ति वेद सुन लें तो उसके कानों में गर्म सीसा पिघला दिया जाता है, इस तरह की व्यवस्था रही है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर गिरा नहीं, बल्कि ऊंचा उठा है और उसका जीता जागता उदाहरण शूद्र वर्ग में जन्मा व्यक्ति मैं बोल रहा हूं। इसके अलावा और भी जो दूषित व्यवस्थायें हैं, मैं उनके संबंध में भी निवेदन करना चाहूंगा। हमारे समाज में भी ऐसे मसीहा हुये हैं जैसे साहू महाराज, फूले जी महराज ऐसी ही एक विद्वान हुई हैं, महिला वर्ग में सबसे पहली शिक्षक सावित्री बाई फूले, इन लोगों का कहीं उल्लेख नहीं किया जाता, मैं तर्क रखना चाहता हूं कि सरस्वती कैसे विद्वान हो सकती हैं ?

मान्यवर, एक निवेदन है कि जो यहां के पाठ्यक्रम में व्यवस्था थी, जिसमें कभी भी भीमराव अम्बेडकर, जिसको विश्व ने सराहा, लेकिन यहां की व्यवस्था के अनुसार कभी विद्वान नहीं माना गया और उनको जीते जी कभी भी सम्मानित नहीं किया गया और मरने के बाद जब उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है तो यही विद्वान लोग उस मूर्ति को भी तोड़ देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे विद्वानों को पाठ्यक्रम में रखकर भारी भूल की गई है। इसी तरह दर्जा 3 में एक पाठ्यक्रम है, उसे मैं भी पढ़कर आया हूं, दर्जा 3 की किताब में है कि गंगा जी शंकर जी की जटा से निकलती हैं। अगर बच्चा गांव का पढ़ा हुआ है और कोई विद्वान उससे यह प्रश्न पूछे कि बेटे, गंगा जी कहां से निकली हैं तो वह बताता है कि गंगा जी शंकर जी की जटा से निकली हैं। मान्यवर, समुद्र मंथन की भी एक व्यवस्था है, जो यह पाठ्यक्रम पढ़ेगा, वह कैसे विद्वान हो सकता है ? मान्यवर, आज उच्च शिक्षा के लिये बड़े-बड़े डोनेशन दिये जाते हैं, एम०बी०बी०एस० में दो-दो, चार-चार लाख डोनेशन देना पड़ता है। गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति, किसान का बेटा जो मिट्टी के दीपक में शिक्षा हासिल किया है, डोनेशन नहीं दे सकता।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री मुरलीधर–

मैं छोटे तबके की बात कह रहा हूं, उसको सामने आने दीजिये। आज अनुदान के नाम पर तमाम फर्जी संस्थायें चल रही हैं, इसी तरह शिक्षण संस्थाओं के नाम पर हर साल लाखों के डोनेशन लिये जाते हैं। मान्यवर, अपने जनपद फतेहपुर के संबंध में बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले साल भी लिखकर दिया था, मेरे यहां मवाना गांव है, वहां पर कागज में स्कूल चलता है, इसकी जांच कराई जाय, इसी तरह 25 बीघा जमीन स्कूल के नाम दर्ज है, एक दुलारे पंडित जी हैं, वह चलाते हैं, आज तक इस मामले की जांच नहीं हो सकी। इसी तरह बटैची में एक संस्कृत विद्यालय है, वहां एक भी छात्र नही है और 8 अध्यापक नियुक्त हैं, इसकी भी जांच की मांग करता हूं। इसी तरह गनही में भी एक संस्कृत विद्यालय चलता है, जबकि वहां कोई विद्यालय नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, हर साल वहां सरकार का डोनेशन जाता है और मास्टरों को तन्ख्वाहें जाती हैं। मैं आपके माध्यम से पुरजोर मांग करता हूं कि इन सारे मामलों की जांच की जाय और डोनेशन बन्द किया जाय।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे यहां बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था चलाई जा रही है, इस प्रौढ़ शिक्षा का कोई उपयोग नहीं हो सकता। बच्चों के लिये शिक्षा की पहले पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, आपने इस लोक कल्याणकारी बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, जय भीम, जय भारत।

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे शिक्षा के इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट को आज माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत ही अच्छा है और इसमें कई मुददे उठाये गये हैं जो बहुत महत्व रखते हैं। खासकर प्राथमिक पाठशालाओं का निर्माण कार्य जो गांवों में चल रहे है, उसका बजट 90 हजार पूर्व

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में था, उस 90 हजार में देखा गया है कि गांव-गांव में जहां-जहां प्राथमिक पाठशालाओं का भवन निर्माण हो रहा था, वहां कहीं स्लैव नहीं पड़ रहा था, कहीं प्लास्टर नहीं था, दरवाजे, खिड़कियां नहीं लग पा रहे थे, इस तरह के अनेक मामलों के बारे में ग्राम प्रधान और वहां का प्रधानाध्यापक दोनों ही शिकायतें लेकर दौड़-भाग करते रहते थे। इसके बजट को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बढ़ाने का प्राविधान किया है, मैं इसका स्वागत करती हूं। इसी प्रकार से गांव-गांव में अभी प्राथमिक विद्यालय बहुत कम हैं, मैं जब अपनें निर्वाचन क्षेत्र में जाती हूं तो गांव के लोग प्राथमिक विद्यालय खुलवाने की मांग करते हैं। मान्यवर, आप स्वयं समझ सकते हैं कि जहां प्राथमिक विद्यालयों की मांग की जाय, वहां शिक्षा का स्तर क्या होगा और इसी कारण वहां बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अभी भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैं तो चाहती हूं कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करें और इसको संज्ञेय अपराध घोषित करें। जो माता-पिता अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा नहीं ग्रहण कराते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधायें उपलब्ध न करायी जाये। मान्यवर, प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण की बात एक माननीय सदस्य ने उठायी थी, मैं बताना चाहती हूं कि प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण में प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान में धन के लेन-देन के कारण बहुत गड़बड़ी हो रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक ग्राम सेहनी मऊ, वहां पर निर्माण कार्य हो रहा था, उसमें पीले ईंटें लगायी गयी, मेरे लिखकर देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और नतीजा यह हुआ कि वह भवन धाराशायी हो गया और आज तक यह भी नहीं ज्ञात हुआ कि क्या कार्यवाही हुई, विद्यालय के जो भवन बनते हैं उसमें विशेष धन रखकर निर्माण कराया जाना चाहिए जिससे बच्चों की सुरक्षा रहे। विद्यालय भवन की छत गिरने से भारी दुर्घटना घट सकती है।

आपने बालिकाओं की शिक्षा के लिए बजट में विशेष रूप से उल्लेख किया है। मैं कहना चाहती हूं कि मेरे जनपद में अभी बालिकाओं की शिक्षा का बहुत अभाव है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी बालिका हाईस्कूल या इण्टर कालेज नहीं है। बहुत प्रयास करने पर मुझे राम नगर क्षेत्र में एक जूनियर हाईस्कूल प्राप्त हुआ। असेवित क्षेत्रों की योजना में राम नगर क्षेत्र का सूरतगंज घोषित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर एक विद्यालय का चयन कराकर उत्तर प्रदेश शासन में भेजा, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी, इस वजह से हमारे स्कूल को मान्यता नहीं दी, उसको अस्वीकृत कर दिया गया और मेरे ही जिले में 3 विद्यालय स्वीकृत किये गये। मैं कहना चाहती हूं कि जब महिला विधायक होने के नाते मेरा अपमान हुआ तो बालिकाओं की शिक्षा के लिये सरकार कितनी चिन्तित है, इससे पता चलता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राम नगर और फतेहपुर तहसील है जहां एक भी ब्लाक में बालिका विद्यालय नहीं है। राम नगर तहसील मुख्यालय है, वहां पर सारी सुविधायें हैं, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वहां पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज की घोषणा माननीय मंत्री जी करे और अपने कर-कमलों द्वारा उसका शिलान्यास करें। मान्यवर, सेक्शन 9.4 में विद्यालय स्वीकृत होने वालें हैं, मैं चाहूंगी कि बालिकाओं के हित में पूरे प्रदेश में अधिक से अधिक विद्यालय स्वीकृत करें जिससे उनका ज्यादा से ज्यादा हित हो सके। जो भी इण्टर कालेज खुलें उनमें अध्यापिकाओं के आवास अवश्य बनावें क्योंकि जब महिलायें बाहर से स्थानान्तरित होकर आती हैं तो उनको आवास की बड़ी गम्भीर समस्या होती है। मेरे तहसील फतेहपुर में एक बालिका इण्टर कालेज है जहां शिक्षिकायें लखनऊ से अप एण्ड डाउन करती हैं आप सोच सकते हैं, ऐसी स्थिति में वहां क्या पढ़ाई होगी ? इसलिये जहां

भी इण्टर कालेज बने वहां अध्यापिकाओं के आवास अवश्य बनें। जिससे वह वहां रहें और शिक्षा का समुचित ज्ञान दे सकें।

मैं यह भी चाहूंगी कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज में खेलकूद आदि हेतु मैदान अवश्य दिये जाए ताकि बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, शिक्षा का जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और कुछ बिन्दुओं पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं जिस समाज से आया हूं उसे हजारों साल तक शिक्षा से वंचित रखा गया। मैं अग्रेंजों को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने गांवों में प्राइमरी स्कूल खोलकर हम लोगों को शिक्षा मुहैय्या कराई, और मैं भी उसी प्राइमरी स्कूल से पढ़कर आया हूं। जब आश्रम पद्धति की शिक्षा होती थी तब हमें शिक्षा से वंचित किया गया था और जब से यह नई शिक्षा व्यवस्था पद्धति लागू हुई तब से हम लोग पढ़ गये हैं।

श्रीमन्, आज जो बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसमें एक ओर यह कहा जाता है राहु और केतु जब सूर्य और चन्द्र पर लग जाते है तो सूर्य और चन्द्र ग्रहण हो जाता है वही दूसरी ओर यह भी शिक्षा दी जाती है कि सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा जब एक लाइन में आ जाते हैं तो सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण होता है, इस प्रकार से दो प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाने से वह बच्चा कैसा नागरिक बनेगा ? एक ओर यह कहा जाता है कि गंगा विष्णु के चरण से ब्रह्मा के कमण्डल से और शंकर की जटा से, पता नहीं कहां-कहां से भटक-भटक के आती है वहीं दूसरी ओर भी शिक्षा दी जाती है, गंगा गंगोत्री से निकल कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह जो दो प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है इससे आप स्वयं अन्दाजा लगाये कि वह बच्चा कैसा नागरिक बनोगा ? इसलिए मेरी मांग है जो इस प्रकार की फिजूल कल्पनायें व कथायें हैं, उन्हें पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाए और वैज्ञानिक शोध पर आधारित चीजों को पाठ्यक्रम में रखा जाए। आज प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों द्वारा मात्र फर्ज अदायगी की जाती है। यदि बच्चों को पढ़ाने की फर्ज अदायगी की जाती तब तो ठीक रहता परन्तु आज यह अध्यापक बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है जिस कारण आज बच्चे निराश होकर आपके प्राइमरी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। वे गरीब जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वे अपने बच्चे को शिशुमन्दिर, और मान्टेसरी स्कूलों में नहीं भेज सकते हैं परन्तु बच्चे के भविष्य को देखकर मजबूरी में वे अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजते हैं। आज आपके प्राइमरी स्कूल से पढ़कर अगर कोई बच्चा कुछ बनना चाहता है तो वह कुछ नहीं बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री माया शंकर पाठक–

श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही सुन्दर और सन्तुलित बजट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्तुत किया है अपने अल्प समय में ही माननीय शिक्षा मंत्री जी इस सदन में, सरकार में तथा पूरे प्रदेश में अपने सद्व्यवहार और अपने आचरण के कारण काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। हमें विश्वास हो चुका है कि माननीय राज नाथ सिंह जी ने अपने शिक्षा मंत्रित्व काल में जो काम अधूरे छोड़े थे उनको वह पूरा करेंगे हमारे वैदिक काल से ही शिक्षा मंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है हमारे विद्यालय पूजा के मंदिर हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि विद्यालय में जो शिक्षक हमें शिक्षा का ज्ञान देते हैं उन्हें गुरू का स्थान प्राप्त है और गुरू भगवान के बराबर होता है ऐसा हमें शिक्षा में बताया जाता रहा है। लेकिन आज शिक्षा में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है उसके मैं दो उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस बीच आप लाल बत्ती न दिखायें।

श्रीमन्, पिछली सरकार में दो घटनायें जो हुई उनको बताना चाहता हूं जिसको सुन कर शिक्षा जगत में मस्तिष्क लज्जा से नीचे झुक जाता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई दूंगा उन्होंने बहुत ही न्याय का काम किया है। मान्यवर, शिक्षा विभाग में जब प्रमुख सचिव श्री करनैल सिंह थे जिनका लोहा पूरे उत्तर प्रदेश का प्रमोशन मानता है, जिनकी इमानदारी और कार्य प्रणाली को सब जानते हैं। उन्होंने दों अनुसूचित जाति के लोगों के प्रमोशन के लिये पत्रावली पूर्व शिक्षा मंत्री साकिर अली जी के सामने रखी उसको देख कर उन्होंने कहा कि यह दो धोबियों की पत्रावली हमारे सामने से हटायें यह उन मंत्री के अलफाज थे तो इससे ज्यादा जघन्य बात और क्या हो सकती है एक मंत्री के लिये यह निन्दनीय बात है। मैं आभारी हूं वर्तमान शिक्षा मंत्री का उन्होंने इन दोनों अधिकारियों को जो इमानदार हैं प्रोन्नति ही नहीं दी बल्कि उच्च पदों पर बैठाया। तो यह इमानदार शिक्षा मंत्री के कारण हुआ है।

दूसरी बात पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह के सचिव ने शिक्षा निदेशक को टेलीफोन में 50 व्यक्तियों की लिस्ट भेजने की बात की और कहा कि इनको दरोगा बनाना है इसलिये इनको इण्टरमीडिएट पास करा दें। उन्होंने कहा हमारी परम्परा यह है कि पहले फार्म भरा जायेगा फिर इन्तहान होगा, रोल नम्बर एलाट होगा फिर सेंटर एलाट होगा। तब वह व्यक्ति परीक्षा में बैठ सकता है। उन्होंने उन 50 व्यक्तियों को पास करने से इन्कार कर दिया।

इसी तरह पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने पुस्तकों की छपाई और प्रश्न पत्रों की छपाई और कम्प्यूटर से रिजल्ट बनाने लिये विभिन्न कम्पनियों को ठेका देने के लिये कहा क्योंकि उसमें बड़ी रिश्वत खाई थी उन्हीं से कार्य कराने के लिये शिक्षा निदेशक पर दबाव डाला। शिक्षा निदेशक ने कहा कि इतने ऊंचे टेंडर पर कार्य नहीं करा सकते हैं जब 10 परसेंट पर ही काम होता है तो 100 परसेंट ज्यादा देने की क्या आवश्यकता है। उनका यह कार्य पूरा न करने के लिये उन शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा निदेशक एल० पी० पाण्डेय को सस्पेंड कर दिया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा और संरक्षण चाहूंगा कि एल० पी० पाण्डेय की पत्रावली मंगा कर देख लें, उनकी चरित्र पंजिका मंगा कर देख लें आपको मालुम हो जायेगा। उनके चादर में एक भी दाग नहीं है अगर दाग होगा तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। तो ऐसे चरित्रवान अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो क्या स्थिति होगी ? वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है उनके पास दो जोड़ी कपड़े है, घर में न फ्रिज है, न वी०सी०आर० है और 24 घंटे इस संस्था के लिये कार्य करते रहते हैं। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी कि उसे सस्पेंड कर दिया ? एक जाति विशेष का होने के नाते उसे प्रताड़ित किया जायेगा तो मैं इल्तजा करूंगा कि इस ईमानदार अधिकारी को संरक्षण दें, उनको उस पद पर पदस्त करें।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा विभाग के प्रस्तुत बजट के समर्थन पर बल देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, शिक्षा बजट के कटौती-प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। यह सरकार दलितों की सरकार है और गरीबों व पिछड़ों की सरकार है, जैसा कि यह सरकार हमेशा कहती आई है कि हमारे अलावा दलितों का मशीहा और कोई नहीं है। बाबा साहेब ने संविधान में लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 45 में यह लिखा है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी लेकिन सरकार ने अपने बजट में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को फ्री किताबें और कापी तथा अन्य लेखन-सामग्री देने का कोई प्रबन्ध नहीं किया है, ताकि दलित तबके के लोग ऊपर उठकर आवें और समाज अच्छा बन सके। जो इस समय प्राइमरी पाठशाला बन रहे हैं लेकिन लागत 90 हजार है। यह धनराशि बहुत ही कम है क्योंकि आज कल 150 रुपया बोरा सीमेंट और 900 रुपया हजार ईंट का भाव है। अध्यापक स्कूलों में जाते है और जो दलितों के बच्चे भेजे जाते हैं उनका वह शोषण करते हैं। फिर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिनकी यह जिम्मेदारी है कि जाकर देखे कि वास्तव में बच्चों को शिक्षा मिलती है या नहीं, वह आराम से जाकर जिन अध्यापकों के साथ उसका तालमेल होता है उनके पास से होकर चले आते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में यह बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल सिसवा, महेन्द्र नगर महेवा नानकाई और महेवा गोपाल यह सब भवनहीन है, लेकिन धन के अभाव में आज तक उनके भवन नही बन पाये है। आज दलितों के बरसात में उनके बच्चे बादल के नीचे पढ़ते है और बरसात में भीगते है। भवन नहीं बनेंगे तो दलित तबके के लोग उसी बादल के नीचे रह जायेंगे। अतः सरकार भवन निर्माण के लिए पैसा दें, जिससे भवन निर्माण हो सके। हमारे वहां जो राजकीय माध्यमिक कन्या महाविद्यालय मसकनवा है, वहां हाईस्कूल तक की लड़कियों को शिक्षा दी जाती है वहां की जनता की बराबर यह मांग रही है कि इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा वहां छात्राओं को उसमें दी जाए। इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ेगा मसकनवा में इण्टरमीडिएट कालेज न होने से अभिभावक अपनी लड़कियों को एडमिशन कराने के लिए या तो गोण्डा जनपद में जाते हैं या फैजाबाद उनको जाना पड़ता है इसलिए राजकीय कन्या महाविद्यालय, मसकनवां को इण्टरमीडिएट तक करने की आप घोषणा करें और विकास खण्ड वजीरगंज गोण्डा में शिक्षा में क्रान्ति लाने के लिए इण्टरमीडिएट कालेज कोलने की आप घोषणा करें।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिये स्कालर शिप दी जाय जिससे वह शिक्षा जगत में और आगे आ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री राज कुमार शिवहरे–

मान्यवर, जो इतना अच्छा बजट पेश किया गया है, गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिये सराहनीय है। मैं उस बजट पर बल देते हुए आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, अनुदान सूची में सहायता प्राप्त विद्यालयों को लिया जाना चाहिए।स्वकेन्द्र प्रणाली को बन्द किया जाना चाहिए। मान्यवर, प्रदेश में जितने असेवित विकास खण्ड हैं वहां पर कन्या विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। सैकड़ों हजारों विकास खण्डों में कन्या बेसिक स्कूल और जूनियर स्कूल नहीं हैं, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर बालिकाओं की शिक्षा के लिये स्कूल खोले जांय। इसी तरह से मान्यवर, सैकड़ों अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं, कोई नियुक्तियां नहीं की गई हैं। जब विद्यालय में अध्यापक नहीं होंगे तो हम शिक्षा का स्तर बढ़ा पाने में कैसे सक्षम होंगे, इस ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और गणित की कक्षाओं के लिये कुछ और पद स्वीकृत करने चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर अपेक्षित है कि प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इसमें जो सरकार का बजट है वह बहुत अधिक है। इन शिक्षाओं का वास्तविक लाभ नहीं होता है उल्टे इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अतएव इस पर ज्यादा बल न देकर इसका बजट कम किया जाय। जनपद बांदा की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जिला विद्यालय निरीक्षक जो कि जनपद में शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। हमारे जनपद बांदा में श्री बलिराम हैं जो कि 24 घंटे नशे में धुत् रहते हैं, इस बात से शिक्षा विभाग के अधिकांश लोग परिचित होंगे। इन्हें बांदा जैसी महान जगह पर पोस्ट किया गया है। मान्यवर, विद्यालय जो कि शिक्षा का मंदिर है, वहां शिक्षा है, संस्कृति है, सरस्वती है वहां डी० आई० ओ० एस० शराब पीकर बैठे तो शिक्षा का विकास कैसे होगा ? मान्यवर, उन्हें तत्काल वहां से हटाकर आफिस से अटैच करें।

मान्यवर, महीने में एक बार वह कम्पलसरी कर दें कि प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण एस० डी० आई० स्तर का अधिकारी करे और निरीक्षण के दौरान जो भी अनुपस्थित पाया जाय उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय। अधिकारियों का विकास खण्डों में हैड क्वार्टर कम्पलसरी होना चाहिए। एस० डी० आई० की विकास खण्डों में नियुक्ति होनी चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा का कुल बजट जो 963 करोड़ का है वह बहुत कम है। राजकीय और शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों का वेतन ही 72 करोड़ है। इसप्रकार 90 करोड़ रुपये बचता है तो वह उसमें अधिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था पर चला जाता है। शिक्षा के विकास के लिये आपके पास बचता ही क्या है ? बजट को बढ़ाया जाना चाहिए वित्त विहीन संस्था जिसको मान्यता मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है क्योंकि विभाग में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है। उत्तर प्रदेश में जिन विद्यालयों में शिक्षा का परसेन्टेज अच्छा हो, अंकों का प्रतिशत सर्वाधिक हो उनको पुरस्कार की सुविधा दी जानी चाहिए। जिन विद्यालय के शिक्षकों का करेक्टर खराब है उनको दडित किया जाना चाहिए। मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सजीवन निर्मल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा विभाग जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जिससे देश और प्रदेश जुड़ा है, इस विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखना चाहूंगा जो इलाहाबाद क्षेत्र में विद्यालय हैं, जो मेरे क्षेत्र में विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, जूनियर हाईस्कूल हैं बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिसमें 100 लड़के हैं उसमें अध्यापकों की संख्या एक या दो हैं। शहरी क्षेत्र में जो विद्यालय हैं या आसपास के विद्यालय हैं वहां पर 100 लड़कों पर बीस-बीस या पन्द्रह-पन्द्रह मास्टर पोस्ट किए गए हैं। इस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग में मैं अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहता हूं। सिराथू विधान सभा क्षेत्र में राजकीय बालिका विद्यालय हैं जूनियर हाईस्कूल विद्यालय हैं, भवनहीन विद्यालय हैं वहां भवनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा बालिका विद्यालय इण्टर कालेज बनाएं जाएं। वहां आस-पास 15–20 किलोमीटर में बालिकाओं के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है तो वहां बालिकाओं के विद्यालय खोले जाएं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से प्राइमरी विद्यालय एकदम जर्जर पड़े हैं। विश्वबैंक योजना के तहत विद्यालय बनाने की व्यवस्था है। जर्जर भवन को बनाने की व्यवस्था है लेकिन इस व्यवस्था को सुचारुरूप से नहीं चलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा प्राइमरी विद्यालय हमारे क्षेत्र में बहुत से ग्रामों में ऐसे हैं जहां बालकों बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं हैं। खतरा बना रहता है किस टाइम भवन गिर जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जैसे करामुद्दीन, परास अफजलपुर, विसारा ऐसे विद्यालय हैं उनको ठीक कराने की व्यवस्था की जाए यह भवन इतने जर्जर हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां अध्यापकों की पोस्टिंग नहीं हुई है। वहां अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। विश्वबैंक योजना के तहत विद्यालय बनाये जा रहे हैं एक ग्राम तो मेरे क्षेत्र में ऐसा है कि जहां विद्यालय बनाने को कोई तैयार नहीं होता है वह इसलिए कि वहां का प्रधान इतना दबंग है अगर कोई वहां विद्यालय बनाने गया तो वहां का प्रधान जबर्दस्ती पैसा निकलवा लेगा। विद्यालय बनने नहीं देगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री राम सजीवन निर्मल–

बहुत से विद्यालय विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत आते हैं कुछ विद्यालय निर्माणाधीन हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं उससे काम रुक जाता है उसका जल्दी निस्तारण करवाने की व्यवस्था की जाए।

जैसे कि रामपुर हटवा है। इस विद्यालय में स्टे कर दिया गया है। इसी तरह से एस० डी० आई० को मुख्यालय में रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिससे अध्यापकों की जो लापरवाही है, उसको देखा सुना जाए।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम सजीवन निर्मल–

हमारे क्षेत्र में शिक्षा विभाग का बी० आर० सी० सेन्टर बना हुआ है। वह बी० आर० सी० सेन्टर पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया। अधूरी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें लाखों रुपया सरकार का लगा हुआ है। हमारे क्षेत्र सिराथू में जो बालिका विद्यालय कड़ा ब्लाक में ग्राम कड़ा में है, वहां लड़कियों को काफी दूर तक जाना होता है। वह काफी इन्टीरियर में पड़ता है मैं चाहूंगा कि उसको देवीगंज बाजार में स्थापित किया जाए। इन शब्दों के साथ आपने मुझे जो खोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

* श्री हरिशंकर तिवारी–

आज जब शिक्षा का बजट एक शिक्षक द्वारा रखा जा रहा था तो मुझे बड़ी अपेक्षा थी कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी एक आमूल-चूल परिवर्तन शिक्षा के बजट द्वारा इस प्रदेश को देंगे। लेकिन आज जब यह बजट प्रस्तुत किया गया तो शिक्षा के मुख्य सचिव लाबी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी से सरकार की संवेदनहीनता का पता चलता है।

श्री अधिष्ठाता–

अभी माननीय सदस्य ने जो यह कहा था कि कोरम पूरा नहीं है ऐसी बात नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि 43 सदस्य बैठे हैं इसलिए कोरम पूरा है।

श्री हरिशंकर तिवारी–

आज जब शिक्षा मंत्री जी बजट रख रहे थे तो नारी शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत गौरवमयी तरीके से अपनी इच्छा प्रकट की थी लेकिन यह इच्छा किस तरह से प्रभावी होगी ? इसका कोई उल्लेख न तो बजट पुस्तिका में है और न ही उन्होंने अपने बजट भाषण में किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब वह अपना उत्तर भाषण दें तो इसके बारे में जरूर जिक्र करें। आप जब तक सस्ती शिक्षा के साथ-साथ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक भीमराव अम्बेदकर का सपना साकार नहीं कर सकेंगे। नारी शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है अभी हमारे तमाम साथी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार इतने दिनों तक थी शिक्षा के उत्थान के लिए क्या किया। जब कांग्रेस बजट प्रस्तुत करती थी तो बजट का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिए भी व्यय भार दिखाया जाता था। आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें केवल दो प्रतिशत यह व्यय भार रखा गया है। इसी से पता चलता है कि यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितनी जागरूक है। बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा हमारे समाज की रीढ़ है उसके प्रति सरकार चिन्तित नहीं है। केरल में जहां 70 प्रतिशत शिक्षा है हमारे प्रदेश में केवल 27 प्रतिशत शिक्षा है। इसके बावजूद दो प्रतिशत का व्यय भार रखा गया है। इसलिए जब तक इसको बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक कल्याण नहीं होगा।

हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि शिक्षकों को समय से जाना हम सुनिश्चित करेंगे। पठन-पाठन ठीक करने की व्यवस्था करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी व्यवस्था आप करने जा रहे हैं जिससे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कि सभी अध्यापक नियमित तरीके से कक्षाओं में जायेंगे ? क्या मंत्री जी समय पर न जाने वालों के लिए अध्यापकों व प्रधानाचार्यों को जिम्मेदार बनायेंगे ? अगर कहीं नियमित कक्षाएं नहीं होती हैं तो अध्यापक के साथ-साथ प्रधानाचार्य भी दोषी माना जाता है । क्या उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी ? जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक जो शासन की मंशा है वह पूरी नहीं होगी । बेसिक शिक्षा समाज की रीढ़ होती है इसलिए बेसिक शिक्षा पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए । आज 25 प्रतिशत अध्यापक स्कूलों में पढ़ाने जाते ही नहीं हैं । आप अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में जानते ही होंगे । 25 प्रतिशत अध्यापक अवकाश कालीन पेंशन नहीं लेते हैं बल्कि वह तन्ख्वाह के रूप में मासिक पेंशन लेते हैं । बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जो तन्ख्वाह लेने के लिये भी नहीं आते हैं सहायक अध्यापक या स्कूल का कर्मचारी उनको तनख्वाह घर पर दे जाता है । जब तक इसमें आप सुधार नहीं करते हैं तब तक बाबासाहब अम्बेदकर का सपना आप साकार नहीं कर सकते हैं । बेसिक शिक्षा पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये ताकि वर्तमान और भविष्य सुखी हो सके । मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप युवक भी हैं और शिक्षक भी हैं, आप कोई ऐसा कार्यक्रम चलायें जिससे हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूक परिवर्तन हो सके । आपने कहा कि स्वकेन्द्र परीक्षा व्यवस्था को समाप्त करने जा रहे हैं, मैं इसके लिये आपको बधाई देना चाहता हूं । आपने यह भी कहा कि जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्ताव लेकर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जायगा ।

मेरा निवेदन है कि जन प्रतिनिधियों के माध्यम से आप प्रस्ताव लें लेकिन जब तक गुणात्मक आधार पर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा । अभी इस सदन में एक विद्यालय विशेष का नाम लेकर चर्चा हुयी है कि नकल हुयी इसकी पुनरावृत्ति न हो । नकल पर रोक लगायी जाय । जब तक शिक्षा में आमूलचूक परिवर्तन नहीं किया जायगा तब तक बाबा साहब भीमराव अंबेदकर का सपना साकार नही होगा । चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के सपने को साकार करने की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है इसलिये मैं माननीय सजवाण द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

एक सदस्य–

मैं 2-3 दिन से बोलना चाहता हूं लेकिन समय नहीं दिया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपनी पार्टी से अकेले हैं और नेता हैं इसलिये उनको बुलवाया है । इसके बाद आपको बुलवा दूंगा ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, शिक्षा ऐसी वस्तु है जिसके लिए बहुत पहले उपमा दी गयी है कि बिना पढ़े नर पशु कहावे । आदमी अगर पढ़ता लिखता नहीं है तो उसकी तुलना जानवर से की जाती है इसलिए शिक्षा

हमारे समाज के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है । मान्यवर, शिक्षा के लिये सरकार की कोई नीति होनी चाहिये । शिक्षा लोकतंत्र और प्रजातंत्र के मुताबिक, देश की एकता, अखंडता, देश की साम्प्रदायिक एकता के हिसाब से होनी चाहिये । शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव या जाति या धर्म के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिये । पिछले दिनों इतिहास को विकृत किया गया । मैं आपसे बताना चाहता हूं कि विपिन चन्द्र समिति को भारत सरकार ने नियुक्त किया जिससे उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में शिक्षा को विकृत करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दिया है और कहा है कि जो हमारा इतिहास है, उसको तोड़ने मरोड़ने का काम किया गया है, इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है । श्रीमन् शिक्षा में किसी प्रकार का मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये । शिक्षा की हालत खराब है । शिक्षा विभाग वाले अगर मेरे साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह किसी को नहीं छोड़ते होंगे । हमारी स्त्री के नाम से स्वराजी देवी बालिका विद्यालय पिडरा–वाराणसी में है और उसके खुलने के 6 महीने के बाद वह मर भी गयी, तो उस स्कूल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गयी । मैंने 12-13 लाख रुपया चन्दा मांग कर उसमें लगाया और शिक्षा विभाग वालों ने उसको मान्यता नहीं दी । जब गवर्नर राज्य था, तो मैं श्री मोतीलाल वोरा जी से मिला था, तो उन्होंने मान्यता 1(4) में दी । मैं समझता हूं कि जितने भी आपके परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें अपर सचिव बैठे हैं, वह या तो जातिगत भावना से ग्रसित हैं या मजहबी भावना से ग्रसित हैं, वह नहीं चाहते कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो । शिक्षा संस्थाओं को मान्यता के लिये जो फार्म छपा है वह बहुत पुराना है । मैंने उस समय के जो प्रमुख सचिव थे शर्मा जी उनको दिखाया था, तो उसके बारे में उनको भी जानकारी नहीं थी, को स्वराजी देवी बालिका को मान्यता वाराणसी के अपर सचिव ने रिजेक्ट कर दिया, वह बालिकाओं का स्कूल है, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिये प्राइवेट शिक्षा संस्थायें खोलनी चाहिये, मुझको परेशान कर रहे हैं वैसे 12-13 लाख रुपया चन्दा मांग कर लगा दिया है, अगर आपको बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाना है तो आप उन संस्थाओं को तरजीह दें । आपको अनुदानित करने के लिये अलग से एक लिस्ट बालिका संस्थाओं की बनावें दूसरे जो शिक्षा के नियम हैं वह बहुत पुराने हैं, उसमें तब्दीली की जाये । जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनमें 10वीं और 12 वीं के बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं ।

मैं गोपालपुर इन्टर कालेज जौनपुर का नाम लेना चाहता हूं । उसमें बच्चों को दो साल तक सर्टीफिकेट नहीं जारी किये गये, तब मैंने विधान सभा मे प्रश्न किया, तो इनके जो अपर सचिव हैं, वे स्पेशल मैसेन्जर से उस कालेज के विद्यार्थियों को सर्टीफिकट भेजवा दिये और उस कालेज ने जब मान्यता के लिये एप्लाई किया तो उसको रिजेक्ट कर दिया । श्रीमन् जो वित्त विहीन मान्यता चाहते हैं, चाहे हाई स्कूल की हो और चाहे इण्टर की हो, आप उसको उदारता से दें, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो सके । लड़कियो की शिक्षा 39 प्रतिशत है और बालकों की शिक्षा 60 प्रतिशत है, हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है । अभी विश्व शिक्षा संगठन ने सर्वे किया था, आपके विभाग को जानकारी होगी, उन्होंने लिखा है कि 2000 बीतने के बाद 2001 में भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा अशिक्षित देश होगा ।

(इस समय 6 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

तो यह बात जो शिक्षा संगठन ने लिखा है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी कद्र करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं इसमें आप कुछ असर दिखाइये, कुछ करिश्मा कर दीजिए । मान्यवर, आपके जितने इण्टर कालेज हैं चाहे प्राइवेट हो या सरकारी उसमें जगहे रिक्त हैं हजारों अध्यापक नहीं है

60 हजार के लगभग पद रिक्त पड़े हैं। अध्यापकों की कमी हो गयी है अध्यापक नहीं है कुछ मर गये और कुछ रिटायर हो गये तो वहां पर आप अध्यापकों की नियुक्ति करा दीजिए और दूसरे सेक्शन की कमी है तो वहां पर सेक्शन बढ़ाये जाये ताकि विद्यार्थियों का जो हुजूम लग रहा है उनकी भर्ती हो जाय। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके बेसिक शिक्षा में बड़े-बड़े लोग बैठे हैं उनको सिर्फ एक ही ज्ञान है। मैं बेसिक शिक्षा सचिव से मिला था और मैंने उनसे निवेदन भी किया था मैं अपने ही गांव का नाम लेता हूं मेरा गांव रेलवे लाइन के पश्चिम है। पहले देवराई और सराय गांव सभा एक थी। देवराई सराय के नाम से सराय की आबादी के अन्दर एक स्कूल खुला लेकिन जिस जमीन पर वह स्कूल खुला वह देवराई गांव की सरहद पर है जिसके कारण शिक्षा विभाग सराय को असेवित कहता है और देवराई को सेवित कहता है उनका तर्क है कि देवराई में उक्त जमीन है जबकि पूरा गांव डबुल रेलवे लाइन के पश्चिम 95 फीसदी आबादी गांव की उधर है उक्त स्कूल को सराय में दे दें और देवराई में एक दूसरा स्कूल और खोले और जब स्कूल खोलने की नीति बनाई जाय तो उसमें पूरी आबादी को ध्यान में रखकर ही स्कूल खोला जाय।

मैंने अपनी बात को सचिव बेसिक शिक्षा से मिलकर बताई है और लिखकर भी दिया है और माननीय शिक्षा मंत्री को भी लिखकर दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उदारतापूर्वक उन लोगों को संस्था चलाकर बालकों के लिए अगर संस्थान खोलना चाहते हैं तो उनको आप मान्यता दीजिए और उनकी जो भी मदद कर सकते हों करिये। दूसरी बात शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की सम्प्रदायिकता की बू मजहब और जाति या धर्म की बू जिसको विकृत किया है लोगों ने पिछले 92-93 में और माननीय मुलायम सिंह ने उसको खत्म भी नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं खत्म कर दे रहा हूं। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन जो विश्व बैंक योजना चल रही है उसमें विश्व बैंक के अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सब मनमानी घरजानी कर रहे हैं। वर्षों से मंजूर प्राइमरी स्कूल और हाईस्कूल की इमारत बन नहीं पा रही है उसमें सब पैसा खा रहे हैं मैं चाहता हूं कि इसमें जांच करवा लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सहयोगी दल होने के नाते इस शिक्षा बजट का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और अपने महाराजगंज क्षेत्र जहां से मैं चुन कर आया हूं, की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे जनपद में कन्या इण्टर कालेज महाराजगंज सदर में जो स्थित है उसका न तो भवन है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न ही पर्याप्त कमरे है और न ही वहां अध्यापक है इस किराये के भवन में राजकीय इण्टर कालेज चल रहा है । मैं मांग करता हूं कि उसमें भूमि उपलब्ध करा के भवन का निर्माण करवा दें । प्राइमरी पाठशाला, उच्च प्राथमिक पाठशाला के पचासों भवन ऐसें है जो जर्जर की स्थिति में पड़े हुए हैं । विकास खण्ड मिठौरा, महराजगंज, फरेन्दा, घुघली, सिसवा आदि में यह स्थिति है । प्राइमरी पाठशालों की स्थिति यह है कि उनमें जो अध्यापक है वह वही के रहने वाले हैं न समय से आयेंगे न बच्चों को ठीक से पढ़ायेंगे ये सारी समस्यायें वहां है । वेतन नहीं मिलता । मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें गैर जनपद में स्थानान्तरण करने की व्यवस्था करें । बहुत से विद्यालय सरकार द्वारा जो दिये गये हैं उसमें कही भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है । कहीं भवन अधूरे बना कर छोड़ दिये गये है उसमें जिलाधिकारी को सख्त निर्देश देने का कष्ट करें ताकि भवनों का निर्माण हो सके । प्राइमरी विद्यालय बनाने के लिए जो 90 हजार की धनराशि रखी गयी है वह कम है उसको बढ़ाने का प्राविधान करें । साथ ही साथ अध्यापकों की बहुत कमी है । बहुत से ऐसे विद्यालय है जहां अध्यापक नहीं है । मैं मांग करता हूं कि वहां नये अध्यापकों की नियुक्ति की जाए विकास खण्ड मिठौरा में कन्या राजकीय महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था हो जिला बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा स्थानान्तरण की जो नीति बनाई गयी है उसे समाप्त करें । इसी के साथ मैं बजट प्रस्तावों पर बल देता हूं ।

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में आपने मुझे अपनी अभिव्यक्ति रखने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मा० मंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्तुत आय-व्ययक की प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं । साथ ही साथ उसका समर्थन करते हुए जनपद पीलीभीत की बेसिक शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । जनपद पीलीभीत में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बहुत संख्या में बन्द पड़े हुए हैं क्योंकि जो अनुमन्य मानक है, जो शिक्षकों की संख्या होती है अथवा छात्रों की संख्या की दृष्टि से जो शिक्षकों की नियुक्ति होने की व्यवस्था है, उसके अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है । विगत 1994 में जो जनपद में स्थानान्तरण समायोजन किये गये थे उनकी सूची आज तक कार्यान्वित नहीं हुई है । ठीक उसी प्रकार से इस वर्ष भी स्थानान्तरण समायोजन की सूची निर्गत नहीं की गयी है क्योंकि सूची में बहुत सी क्रम संख्यायें डालकर नाम लिखें जाने अवशेष थे, उनको जिला पंचायत के नामित सदस्यों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया इसलिए स्थानान्तरण नहीं हुए हैं । मान्यवर, जो प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियां है वह उनके आवासीय गांव में तथा 25–30 वर्ष से एक ही स्थान पर होने के कारण अनेकों विकृतियां आ गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठे ।

श्री राम सरन वर्मा–

घिसी पिटी लघु स्तरीय शिक्षा समितियों के माध्यम से जो स्थानान्तरण हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की संस्कृति के कारण लोगों ने अपना स्थानान्तरण रुकवा रखे है या स्थानान्तरण करवा रखें हैं ।

[समय 6 बजकर पन्द्रह मिनट]

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें मैंने जगदीश मुनि जी को पुकार लिया है ।

* श्री जगदीश मुनि–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे शिक्षा बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही पूर्व पार्टी के नेताओं ने शिक्षा बजट पर जो भाषण दिये हैं उससे मैं सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर,, हरद्वार जिले में तीन तहसीले हैं । हरिद्वार में अनेकों अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल हैं वहां पर अनेकों अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल हैं लेकिन हरिद्वार का यह दुर्भाग्य है कि वहां पर स्नाकोत्तर शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, साईंस पढ़ाने के लिए कोई कालेज नहीं है और उच्च शिक्षा के लिए ।

श्री अध्यक्ष–

आज उच्च शिक्षा का बजट नहीं है जब प्रस्तुत होगा तब आप इसमें बोलें ।

श्री जगदीश मुनि–

मान्यवर, हमारे जिले के अन्दर जो देहाती क्षेत्र हैं उसमें कितने ही प्राइमरी विद्यालय ऐसे हैं जिसमें पांच-पांच अध्यापकों की आवश्यकता है लेकिन वहां पर केवल एक ही अध्यापक है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदीश मुनि–

मान्यवर, मुझे वहां पर एक भी विद्यालय ऐसा देखने को नहीं मिला कक्षा पांच तक जिसमें उर्दू का अध्यापक हो ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । मैंने माननीय सफदर रजा खां को पुकार लिया है ।

(व्यवधान)

श्री सफदर रजा खां–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा जैसे बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री जगदीश मुनि–

मान्यवर, एक दो बातें और कह दूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें । माननीय सदस्य बोल रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सफदर रजा खां–

मान्यवर, शिक्षा मानव की सभ्यता और तहजीब तथा चर्तुमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा को विकास के मानव शक्ति का सदुपयोग संभव है । राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता शिक्षा की आधार शिला पर टिकी है । इस विषय पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और वह धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि इस बजट में सत्र 1994-95 में स्पेशल कम्पोनैन्ट प्लान के अन्तर्गत 137.03 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी लेकिन अबकी उसके विरुद्ध इस वर्ष 212.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो अपेक्षाकृत बहुत अधिक है । मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी मे अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिए 1994-95 में 31-36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी जबकि 95-96 में 52.44 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी यह प्रभावित करता है कि डा० भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो उनका उद्देश्य था उसको आपने कार्य रूप से पारणित करने का प्रयास किया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सफदर रजा खां–

मान्यवर, बजट में संस्कृत भाषा उर्दू भाषा और अरबी भाषा के लिए जो अच्छी व्यवस्था की गयी और जूनियर हाईस्कूल और बेसिक स्कूल मुस्लिम बस्तियों में खोलने की बजट में निश्चित व्यवस्था करके खोलकर आपने यह माननीय मंत्री जी ने साबित किया है कि मुस्लिम समाज को भी राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ने का उनका सही प्रयास है और सभी धर्मों एवं भाषाओं से उन्हें प्रेम है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री सफदर रजा खां–

मान्यवर, थोड़ा सा समय और चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं अब आप समाप्त करें । दूसरे सदस्यों को भी मौका दें । मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है ।

* श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जो पिछड़े तबके के लोग हैं, वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कोई होटलों में काम करता है, कोई जानवर चराता है, हम आपसे यह अपेक्षा करेंगे कि जब आप अन्त में उत्तर भाषण करें तो इस बात की घोषणा करें कि शुरूआत के तौर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में डा० भीमराव अम्बेदकर के नाम से एक अम्बेदकर विद्यालय स्थापित करें, जहां पर ऐसे पिछड़े बच्चों को रखने की व्यवस्था की जाय, उनके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिये हास्टल बनाया जाय, कापी किताब की व्यवस्था की जाय, कपड़ों की व्यवस्था की जाय और बाद में ऐसे विद्यालयों का विस्तार करके उसे न्याय पंचायत स्तर पर लाया जाय।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज नहीं है, मेरी मांग है कि एक राजकीय इण्टर कालेज वहां खोलने की आप घोषणा करें। वहां जमीन भी है, भवन भी है, उसको लेकर आप वहां इण्टर कालेज खुलवायेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, एक निवेदन मैं पहले कर दूं, अपनी बात कहने के लिये यदि आप पर्याप्त समय दें, तो मैं बोलूं, वरना मैंने आपको धन्यवाद तो दे ही दिया, मैं बैठ जाऊं।

श्री अध्यक्ष–

आप दो मिनट में बोल लें।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, मेरा ललितपुर जनपद बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। वहां महरौली बिधान सभा क्षेत्र 145 किमी० लम्बा और 165 किमी० चौड़ा है। वहां पर आज भी 20–20 किमी० पर प्राथमिक विद्यालय मौजूद हैं। इसी तरह का एक गांव सभा अलनाकलां हैं, जिसमें नौ गांव हैं। जिसकी दूरी 20.किमी० है, वहां एक विद्यालय स्थापित है, पूरा जंगल का रास्ता है, जंगली जानवर रहते हैं, आधे लड़के उस विद्यालय में विभिन्न गांवों के आ नहीं पाते। हमारा यह कहना है कि हमारे यहां जो ग्राम पंचायते हैं, आपको जिस स्तर पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना है, उसे 3 किमी० मानते हुये, यदि 3 किमी० में कोई गांव आता है तो कर दीजिये क्योंकि 3 कि०मी० पैदल चलकर कोई लड़का विद्यालय आ जायेगा, लेकिन 20–20 किमी० चलकर आना असम्भव है, इसी कारण तमाम बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा। कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जहां एक अध्यापक है और कक्षायें 5 हैं, इस प्रकार पंचमुखी अध्यापक है।

ग्रामीण क्षेत्र में यह स्थिति पैदा हो गई है कि कोई भी अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहता, वहां पर अध्यापकों का स्थानान्तरण किया जाता है तो वह अपना स्थानान्तरण रोड के किनारे करा लेते हैं। रोड के किनारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां पर 10–10 अध्यापक हैं, यह हालत वहां की है। विद्यालय के जो भवन प्रतिवर्ष बन रहे हैं, उसके संबंध में एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहां धौरी में प्रतिवर्ष विद्यालय का भवन बनता है और प्रतिवर्ष गिर जाता है। यह 3 बार बन चुका है और 3 बार गिर चुका है। केवल 90 हजार में विद्यालय का भवन गुणवत्ता युक्त बनना असम्भव है। इसके अलावा इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये न तो खेल की सामग्री है, न पानी पीने के लिये हैण्डपम्प की व्यवस्था है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वैसे ही जलस्तर काफी नीचे रहता है, मेरी मांग है कि वहां हर विद्यालय में एक-एक हैण्डपम्प अवश्य स्थापित करा दिया जाय। मान्यवर, हमारे यहां गौना में प्राथमिक पाठशाला की बिल्डिंग 89 में स्वीकृत हुई थी जो अभी तक निर्मित नहीं हुआ है। इसी तरह बमौरी गांव है, जहा हरिजन बस्ती है, उसका विद्यालय 3 किमी० दूर बनाया जा रहा है, इस तरह से कुल मिलाकर पूरी शिक्षा की व्यवस्था ललितपुर जनपद में खराब है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, कि वह स्वयं वहां आये और दौरा करें तथा देखें और पर्याप्त सुधार की दिशा में कदम उठायें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये थोड़ा समय दिया।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट पर वक्तव्य दिया, उसके संबंध में मैंने बजट पुस्तिका को गम्भीरतापूर्वक पढ़ा। कुल मिलाकर बजट स्वागत योग्य है और मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन भी करता हूं। लेकिन मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं

"शिक्षा है वह कला, कलित जिससे जग होता,

शिक्षा है वह धारा, जहां बहता पुण्य का सोता"।

मान्यवर, प्राचीन भारत से लेकर अर्वाचीन काल तक कई अभिनव प्रयोग किये गये और तबसे आज तक के भारत को देखें, नालन्दा स तक्षशिला तक को देखें, शिक्षा नीति में कई प्रयोग हुए हैं, कई परिवर्तन हुए हैं। मान्यवर, भारतीय शिक्षा पद्धति और विदेशी शिक्षा में अन्तर सिर्फ यह है कि भारतीय शिक्षा संस्कारों पर आधारित है, यह हमारी भारतीय संस्कृति ही है कि महात्मा कबीर जैसे ज्ञानियों पर विश्व के विश्वविद्यालयों में रिसर्च हो रही है। जिस शिक्षा पद्धति में संस्कार न हो, सोच न हो, जिस शिक्षा में नैतिकता न हो, जो राष्ट्रपरक न हो, उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। शिक्षा मूल्यों पर नहीं, संस्कारों पर आधारित होनी चाहिए इसलिये मेरा सुझाव है कि शिक्षा में संस्कारों पर बल दिया जाना चाहिए, शिक्षा में नैतिकता पर बल दिया जाय।

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की सभी योजनायें पढ़ी हैं, एक चीज में यदि माननीय मंत्री जी परिवर्तन कर लें, तो शिक्षा का उद्धार हो सकता है। प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में शिक्षकों पर कड़ाई से निर्देश जारी किये जायें कि वह बच्चों को पढ़ायें और पढ़ाई के समय में वह जो पंचायत किया करते हैं, इधर-उधर घूमा करते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं, पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए और इस ओर पूरा ध्यान दिये जाने की पूरी आवश्यकता है।

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहूंगा कि असेवित गांवों में विद्यालय खोले जायें और कम से कम न्याय पंचायत स्तर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की नितान्त आवश्यकता है। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि शिक्षा को रोजगारपरक होना चाहिए, ज्ञान परक होना चाहिए, हमें इस बात पर ध्यान देना होगा और शिक्षा में परिवर्तन करना होगा। पश्चिमी शिक्षा और भारतीय शिक्षा पद्धति में अन्तर सिर्फ इस बात का है कि भारतीय शिक्षा संस्कृतियों पर आधारित है।

श्री अध्यक्ष–

लक्ष्मी नारायण जी, अब आप समाप्त करें।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मान्यवर, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिये माननीय मंत्री जी को आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी संस्कृति संरक्षित रहे। मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री मोलई–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं। मैं दो-तीन बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, विज्ञान और गणित पढ़ाने की मान्यता तो दी गयी है लेकिन जो अध्यापक नियुक्त किये गये हैं उनको अवैतनिक अध्यापकों की मान्यता दी गयी है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसी विद्यालय में वही विषय पढ़ाने के लिये कुछ अध्यापकों को वेतन दिया जाता है और कुछ अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जाता है उसे दूर करने का कष्ट करें। इसी तरह से संस्कृत विद्यालय बहुत सारे चल रहे हैं, वहां स्थिति यह है कि न तो पढ़ाई का कार्य होता है और न पढ़ने वाले लोग ही हैं इस बात पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं ताकि इन विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य संचालित हो सके। वर्तमान में जो पाठ्यक्रम हैं उसमें जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि उसमें रुढ़िवादिता है तो उनको पाठ्यक्रमों से निकाला जाना चाहिए क्योंकि यह कहा गया है कि गंगा भगीरथ के कमण्डल से निकलती है या हिमालय पर्वत से निकलती है। इस रुढ़िवादिता को पाठ्यक्रम से निकाला जाये और इस भौतिकता के युग में इसे न पढ़ाया जाये। मान्यवर, आज शिक्षा पर शिक्षा माफिया हावी हैं, उनके द्वारा अपने विद्यालय खोले जा रहे हैं उनको मान्यता भी दे दी जाती है। जब तक ये शिक्षा माफिया जेल में नहीं जायेंगे, शिक्षा का विकास सम्भव नहीं हो सकेगा, मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की एक बात रखना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में दो कन्या राजकीय विद्यालय हैं एक तो बांसगांव में दूसरा हरनही में। इण्टरमीडिएट सैक्शन में अध्यापिकायें नहीं हैं जिससे पढ़ाई नहीं हो पाती है इसलिये वहां अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये ताकि पढ़ाई हो सके। एक बात शारीरिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाये। दूसरी बात मैं जिस गांव में रहता हूं, उस गांव में किसी भी प्रकार का कोई विद्यालय नहीं है। इसलिये वहां पर प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल खोला जाय। इन्हीं शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। कुछ माननीय सदस्यों को आप रोज बोलने का मौका दे देते हैं। हम जो लोग बैठे रहते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। अब हाउस 9 दिन चलना शेष है। इसलिये हर माननीय सदस्य को मौका दिया जाय, ऐसी व्यवस्था आप करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी व्यवस्था सुन ली है मैं उस पर विचार करुंगा।

* श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यदर, बड़े परिश्रम के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुआयामी और लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिये मैं अपनी तरफ से और अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर से इस बजट का प्रबल समर्थन करता हूं। "चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में अर्थी हो तो बारात बुरी लगती है, लाख समझाओ गर दिल में गम है तो हर बात बुरी लगती है।" मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि शिक्षा के जो छोटे मंत्री हैं, उनका दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है और कानपुर के मेडिकल कालेज में लम्बे समय से एडमिट हैं। अभी तक जितने वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये, उन सभी ने कहा कि बिना पढ़ा-लिखा आदमी जानवर के समान होता है परन्तु मेरा अनुभव ठीक इसके विपरीत है। गांव में जब किसी अनपढ़ आदमी से किसी गांव का रास्ता पूछते हैं तो वह अपने लड़के से कहता है कि इन्हें वहां तक पहुंचा दो परन्तु वहीं पर जब किसी टाई व सूटेड-बूटेड आदमी से पूछते हैं तो वह इधर की बजाय उधर का रास्ता बता देता है। आज जो हमारे डिग्री प्राप्त किये हुए पढ़े-लिखे विद्यार्थी हैं, वह इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आज हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिकता और राष्ट्रीयता का अभाव है। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की व्यवस्था करें।

श्रीमन्, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होगे कि हर जनपद में उनके माध्यम से स्कूल खोले जाते हैं। फतेहपुर जनपद में विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में विधायक द्वारा जो विद्यालय आवंटित किये गये उसमें एक विद्यालय भुल-भुलियापुर में भी दिया गया किन्तु प्रधान दूसरे गांव का था, उसने वहां भवन निर्माण की बात को नकार दिया। इस पर जिलाधिकारी ने जांच करायी कि किस जगह पर स्कूल बनाया जाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि जब विधायक ने भुल-भुलियापुर में विद्यालय खोलने की संस्तुति कर दी तो फिर जिलाधिकारी से जांच कराने की आवश्यकता क्यों हुई ? इस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। साथ ही मान्यवर, मैं आपका संरक्षण भी चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक माननीय सदस्य को आप बजट में बोलने के लिये दो मिनट दे रहे हैं दो मिनट में तो भूमिका भी नहीं बन पाती है दो मिनट में अपनी बात कैसे रख पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी लगभग 3 घंटे से चर्चा चल रही है। तमाम माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आज समय न हो तो कल से व्यवस्था की जाय कम से कम 5 मिनट बोलने के लिये दिये जायं। सम्पूर्ण बात रखने में दो मिनट का समय कम होता है।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। (व्यवधान) मैं आपके सुझाव से अवगत हो गया हूं उससे लाभ उठाऊंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अगर नियम 56 लिया है तो उसे दो बजे के बाद किसी प्रकार आगे न लें, उसके लिये समय सीमा रख दें।

श्री अध्यक्ष–

उसमें भी तो आप हल्ला करते हैं (व्यवधान) आप बैठें (व्यवधान) खन्ना जी अब जो बोलेंगे नहीं लिखा जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं ? माननीय सदस्यगण इस हाउस में कौन सा आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं ? (व्यवधान) मेरा सहयोग करें । जब ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोलना चाहते हैं तो समय कम करना पड़ेगा अगर मैं ज्यादा समय दूंगा तो कम सदस्य बोल पायेंगे । दोनों चीजें आप चाहते हैं यह कैसे होगा ? मैं आपका सहयोग चाहता हूं ।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण पहले भी रहे होंगे इतना अवसर कभी नहीं मिला होगा मेरी मंशा है कि अधिक सदस्य बोलें और नये सदस्य ज्यादा बोलें जितने बोले हैं उनमें आधे नये सदस्य हैं ।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, इससे पहले जो सरकार थी वह बहुत ही खराब असामाजिक व आपराधिक थी । 1991 में जो भारतीय जनता पार्टी ने नकल विरोधी कानून बनाया था उसको पूरे प्रदेश ने ही नहीं देश के हर कोने-कोने में सराहा गया था तो ऐसे अच्छे कानून को खतम करके पूर्व की सरकार ने बच्चों को एक संदेश भेजा कि खुल कर नकल करो । हमारी सरकार ने नकल रोकने का कानून बनाया था उसको बदल दिया जिससे हर बच्चे को नकल करने का संदेश पहुंच गया कि अब पढ़ना बंद कर दो बच्चों ने वही किया और पढ़ना बंद कर दिया । जब इनके मा० मंत्री जी के मन में इस बात की पीड़ा हो और इच्छा शक्ति हो तो यह नकल रोक सकते हैं । हम आपके सहयोगी हैं और आपके साथ इसे सुधार में और भी सहयोग और ज्यादा करना चाहते हैं । अब मैं बिन्दु वाईज कुछ आपको सुझाव देना चाहता हूं । एक तो ऐडहाक नियुक्तियों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए । यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा है । इसके कारण लोग कोर्ट में चले जाते हैं और लीव वैकेन्सी में शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रबन्धतंत्र लोगों को रख लेते हैं, वे भी मैनेजमेन्ट के लिये झगड़े की जड़ बन जाते हैं । इसलिये ऐसी व्यवस्था बने कि पूरे प्रदेश से ऐसे लोगों की एक मेरिट लिस्ट बनाई जाये, पेनल बने जिस स्कूल में स्थान रिक्त हों, उसमें से उन्हें लीव वेकेंशी पर भेजा जाये । जितने वित्त विहीन स्कूल हैं उन्हें खत्म कर दिये जाएं और उन्हें वित्त रहित मान्यता प्रदान कराने का कष्ट करें । एक मेरा और सुझाव यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हर स्कूल से जो फार्म भरकर जाते हैं, वे उनको सीधे लेना शुरू कर देते हैं । तो मैं समझता हूं कि जिनका कोई कहीं लेखा जोखा नहीं होता है ऐसे छात्रों के भी सीधे फार्म्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जमा हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत और भ्रष्ट चीज हो जाती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि एक निश्चित तिथि के बाद कहीं भी फार्म किसी के जमा नहीं होने चाहिए । अब मैं अपने क्षेत्र के मामले में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो 90 हजार रुपये की लागत के जो प्राइमरी स्कूल बन रहे हैं, यह राशि बहुत कम है, इससे कुछ सही काम नहीं हो सकता है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हमारे यहां एक राम मनोहर लोहिया इण्टर कालेज गढ़मुक्तेश्वर (गाजियाबाद) है, उसमें मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मिलकर, जो कई साल से चल रहा था, आज उसका वे स्थान बदलना चाहते हैं, उस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए और साथ ही हमारी सिम्भावली विकास खण्ड में एक भी कन्या विद्यालय नहीं है, कन्या पाठशाला खुलवाई जाय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाए, श्री मातवर सिंह कण्डारी जी ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया । सर्वप्रथम मैं बजट का स्वागत करता हूं और बजट का समर्थन करते हुए अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं । बेसिक शिक्षा में प्रत्येक विद्यालय में दो अध्यापक होने आवश्यक हैं तथा हर विद्यालय का अपना भवन होना चाहिए । सी० पी० एड० और ट्रैण्ड ग्रेजुएटों को बेसिक शिक्षा में नियुक्ति दी जानी चाहिए । राजकीय आदर्श विद्यालय एवं क्रमोत्तर विद्यालयों को समाप्त कर उन्हें परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में बदला जाए, ताकि वहां पर शिक्षा कार्य सुचारु रूप से चल सके । ग्राम प्रधानों को बेसिक पाठशालाओं के निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए, अन्यथा अधिकांश स्कूल बन्द पड़े रहते हैं । अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों को 18 माह से वेतन नहीं मिला है, उनको वेतन दिया जाए । माध्यमिक शिक्षा के बारे में मेरा कहना यह है कि तदर्थ अध्यापकों का विनियमितीकरण होना चाहिए और अंशकालीन अध्यापकों की नियुक्ति दी जानी चाहिए और उत्तरांचल में 50 प्रतिशत पद आजतक प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं, अध्यापकों और सहायक अध्यापकों के रिक्त पड़े हैं, उनको शीघ्र भरा जाना चाहिए, ताकि हमारे नवयुवकों को शिक्षा सुचारु रूप से अनवरत मिल सके ।

* श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, जो मुझे अवसर दिया इसका मैं आपका आभारी हूं । आपके माध्यम से इस उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में जो प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें आज किसी भी प्राइमरी स्कूल में बैठने के लिये टाट पट्टी की व्यवस्था नहीं है । आप किसी भी विद्यालय में चले जायें कहीं भी इसकी व्यवस्था नहीं है । जबकि हर वर्ष मुझे लगता है कि हर विद्यालय में टाट पट्टी के लिये कुछ धन दिया जाया करता है । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसकी व्यवस्था प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों में बैठने के लिये कराने का कष्ट करें । मैं समझता हूं तत्काल व्यवस्था कर देनी चाहिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षा का स्तर गिरा है । कही कहीं तो विद्यालय में इनमें एक-दो अध्यापक हैं वह भी स्कूल में जाया नहीं करते हैं । मैंने अभी अपने यहां परगना अधिकारी के साथ ही जाकर यही हाल देखा है कि अध्यापक आये तो हैं परन्तु सो रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं । इसके दोषी तो सीधे-सीधे एस० डी० आई० हुआ करते हैं । एक भी एस० डी० आई० अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं । मुख्यालय के शहर में रहते हैं । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एस० डी० आई० को अपने क्षेत्र में रहने के निर्देश दिये जायं । जिससे विद्यालय की व्यवस्था ठीक हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए बजट का समर्थन करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा पेश किये बजट पर बल देते हुए उससे सम्बद्ध करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं कि हम विद्यालयों को जिला पंचायत द्वारा जो शिक्षा की कमेटी बनायी जाती है, उसमें एडवाइज देने के लिये तो बुला लिया जाता है लेकिन अन्तिम निर्णय जब लिया जाता है तो उसमें हमको नजर अंदाज कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

अब तो अन्तिम निर्णय विधायकगण का होगा, यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, अपने विद्यालयों में शिक्षा अच्छी तरह की होनी चाहिए। आज बेसिक शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है और विद्यालयों में शिक्षा अच्छी प्रकार की हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। मान्यवर, जो अनुसूचित बस्तियां अम्बेडकर गांव की परिधि में नहीं आयी हैं और वहां आबादी भी अधिक है तो उन्हें भी अम्बेडकर गांव को दी जाने वाली सुविधायें प्रदान की जायं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

* प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

मान्यवर, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। शिक्षा किसी भी देश की तरक्की के लिये आवश्यक होती है। शिक्षा से चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र से नागरिक बनता है। जैसे नागरिक होंगे वैसा ही देश होगा। मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं। हम भी 15-20 साल पहले पढ़ते थे लेकिन आज जो शिक्षा का स्तर है वह पहले से कहीं गिर गया है। यह जो पब्लिक स्कूल बने है यह उद्योग बन गये हैं। समाज के जो गरीब बच्चे हैं वह इन पब्लिक स्कूलों में शिक्षा नहीं ले पाते। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसी योजना बनाये ताकि यह पब्लिक स्कूल बन्द हो जायं। स्कूलों की हालत बहुत खराब है। मेरे क्षेत्र में दर्जनों स्कूलों की छत कभी भी गिर सकती है। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके तहत उनका निर्माण हो सके। हम लोग बराबर प्रयास में लगे रहते हैं। बहुत से स्कूलों की हालत यह है कि यहां गोबर भरा हुआ है। जगह जगह स्कूलों में पानी भरा पड़ा है। मैनेजमेंट जो स्कूलों के हैं, वह भी उद्योग बने हुए हैं किसी भी तरीके से पैसा लेकर एप्वाइन्टमेंट करते हैं और नकल कराते हैं। मैनेजमेंट की व्यवस्था खत्म होनी चाहिये और स्कूल सरकार के नियंत्रण में होने चाहिये। शिक्षा रोजगार परख होनी चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री फ्रेन्सिस डब्लू मूर–

मान्यवर, मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय उत्तर प्रदेश में 32 स्कूल अंग्रेजी माध्यम के थे और उसमें डी० आई० ओ० एस० नेनीताल पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों के इन्सपेक्टर थे। आज 250 से ज्यादा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं और डी० आई० ओ० एस० लखनऊ इन स्कूलों के इन्सपेक्टर हैं। मेरा सुझाव यह है कि इन इन्सपेक्टर्स को हटाकर डिप्टी डायरेक्टर के पद कर दिये जायें जो स्कूलों की देखरेख करने के लिये प्रभावी हो जायं। इन स्कूलों के लिये जो एन० ओ० सी० मिलता है। सी० बी० एस० सी० और आई० सी० एस० सी० के लिए एक-एक डिप्टी डायेक्टर इंग्लिश माध्यम स्कूलों के बनायें जो इनकी जांच करके रिपोर्ट सचिव महोदय और मंत्री जी को दें एन० ओ० सी० और दिये जायें ताकि स्कूल और ज्यादा प्रदेश में बढ़ायें। अभी यह सुझाव आया कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और खोले जायें। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं ताकि वह भी पढ़ सकें। एन० टी० सी० का पैसा बढ़ाया जाय। मेरे क्षेत्र में चार हजार रुपया सालाना दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

*श्री रामजीत भारद्वाज–

सर, कस्टोडियन आफ कान्सीट्यूसन असेम्बली, द फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ इण्डिया मिस्टर सी० राज गोपालाचार्य ही हैज टोल्ड-ही हैज विन ए गुड मैसेज–

श्री अध्यक्ष–

सदन की भाषा हिन्दी है आप हिन्दी में भाषण दें। जो आप बोलेंगे लिखा नहीं जाएगा।

श्री रामजीत भारद्वाज–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं स्वागत करता हूं गांव के मजदूर किसान के बेटे की दशा वैसी ही है जिस तरह से सुपर हाउस में अरबी घोड़ा चना पिस्ता खाते हैं और एक खच्चर जिसको सूखी घास भी नहीं मिलती है उसको कम्पटीशन में बिठाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जब तक देश में व्यवस्था नहीं बदली जाएगी राजा के बेटे हो या चपरासी की संतान, भंगी ब्राह्मण की शिक्षा एक समान नहीं होगी। इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हाईस्कूल की पढ़ाई कराते हैं। विश्व के 22 देशों को मैंने देखा है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री रामजीत भारद्वाज–

[x x x]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

जो आप कह रहे हैं लिखा नहीं जायगा ।

श्री योगेन्द्र कुमार सागर–

मान्यवर, आपने जो इस बजट पर, शिक्षा के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री रामजीत भारद्वाज–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

जो भारद्वाज जी कह रहे हैं, लिखा नहीं जायगा ।

श्री योगेन्द्र कुमार सागर–

मान्यवर, शिक्षा के बारे में मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ा रहा है कि बदायूं जनपद में साक्षरता का जो प्रतिशत है वह 34 प्रतिशत है । महिलाओं का 12 प्रतिशत है । इससे आप समझ सकते हैं कि बदायूं जनपद में बदायूं जनपद शिक्षा के क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ है । मैं चाहता हूं कि बदायूं जनपद की ओर ध्यान दिया जाय । बदायूं जनपद को पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानकर केन्द्र सरकार की ओर से एक योजना चली समग्र साक्षरता अभियान जिसके तहत 6 करोड़ रुपया आया किन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 6 करोड़ रुपये का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है । मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार इस मामले में ध्यान दें । माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा वहां घोषणा की गई थी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो स्कूल एक हाई स्कूल एक इन्टर कालेज के लिये महामहिम द्वारा घोषणा की गयी थी । मैं सरकार से चाहता हूं कि उनकी गरिमा को रखते हुए उन घोषणाओं को पूरा किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें । श्री शूरवीर सिंह सजवाण अब अपनी बात कहें ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

(श्री सजवाण जी आप बैठ जायं मैं एक दो सदस्यों को बजट भाषण पर और बुलवाये देता हूं)

* श्री मोहर सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैंआपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मेरा सुझाव है जो टीचर की नियुक्ति माध्यमिक विद्यालयों में हुई थी वह मेरिट के हिसाब से हुई थी । मान्यवर, जिस तरह से बी० टी० सी० ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति होती है उसी तरह से बी० एड० ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति भी होनी चाहिये । बी० एड० ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षकों की जो 1990 में ट्रेनिंग लिये थी उनकी नियुक्ति हो गयी लेकिन पिछले दस-दस साल से जो ट्रेनिंग किये बैठे हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई । इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि इस बिन्दु को नोट कर लें । इससे पूरे प्रदेश का भला होगा । इसी के साथ मेरा कहना यह है कि जैसे शिक्षा बिकती है उससे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी पनपेगी । मेरे प्रदेश में यही हो रहा है जो गार्जियन अपने बच्चों को शिक्षा खरीद कर दे रहे हैं उनके बच्चो इस व्यवस्था में तेजी से तरक्की कर रहे हैं बाकी जो हैं चाहे उनके बच्चे माध्यमिक में या बेसिक

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में हो गरीब आदमी के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि शिक्षा एक समान होनी चाहिये । धन्यवाद ।

* श्री छोटे लाल–

मान्यवर, निवेदन केवल इतना है कि जब प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर, जूनियर में जाने के लिये उसका प्रमोशन होता है तो वह नहीं जाता है और जब जूनियर हाई स्कूल का हेड मास्टर बनने का नम्बर आता है तो वह जूनियर हाईस्कूल का हेड मास्टर हो जाता है । इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिये । उसको आप जूनियर हाई स्कूल का सहायक हेड मास्टर बनायें । इसी तरह से मेरा दूसरा सुझाव है कि शहरों के किनारे जो विद्यालय हैं वहां पर शहरी भत्ता दिया जाता है इसलिये शिक्षक वहां जाना चाहते हैं और गांवों में नहीं जाना चाहते । आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो इंटीरियर में, गांव में, जो 40 किलोमीटर दूर हैं वहां पर जो अध्यापक हैं उनको भत्ता दिया जाय यह व्यवस्था मैं चाहता हूं ।

* श्री स्वयंवर चौधरी–

मान्यवर, आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय हैं उनकी तरफ माननीय मंत्री जी ने ध्यान दिया है इसका मैं स्वागत करता हूं । इसके पहले जो सरकार थी उसने उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की थी और इनको प्राइमरी स्कूलों में पोस्ट किया गया था । मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे विद्यालयों में उनको पोस्ट किया गया है जहां पर कोई उर्दू पढ़ने वाला नहीं है और वह हिन्दू लड़कों को उर्दू पढ़ाने के लिये प्रेरित कर रहे हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । इन उर्दू अध्यापकों को ऐसे विद्यालयों में पोस्ट करना चाहिये जो मुस्लिम बाहुल्य वाले गांव हों । हमारे क्षेत्र में एक छेदी लाल इन्टर कालेज है ।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

*श्री छोटे लाल वर्मा–

मान्यवर, आपने शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे बजट पर मुझे बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं इस शिक्षा विभाग के बजट पर बल देता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अम्बेदकर गांवों की व्यवस्था रखी है परन्तु उनके लिये अलग से धन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मेरा निवेदन है कि उनके लिये अलग से धन की व्यवस्था की जाय । एक व्यवस्था और की गयी है कि जो गांधी विकास गांव हैं उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिये अलग से धन की व्यवस्था की जाय । जब हम जिले में जाते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलते हैं और कहते हैं कि अध्यापकों को नियुक्त किया जाय तो वह कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक नहीं हैं । मेरा निवेदन है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति की जाय ताकि बच्चे पढ़ सकें । जो असेवित ग्राम सभायें हैं वहां पर पहले प्राइमरी विद्यालय खोलने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगरनाथ चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ....

(श्री छोटे लाल वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य छोटेलाल जी अब आप बैठें, मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है।

श्री जगरनाथ चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए उस पर बल देता हूं। मान्यवर, शासन और प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत हाईस्कूल और इन्टर के जो विद्यालय चल रहे हैं, शासन से इनको सारी सुविधायें दी जाती हैं, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ आरक्षण के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनके साथ अन्याय होता चला आ रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दलितों की सरकार है, आप इस ओर ध्यान दें। क्योंकि अगर दलितों का उद्धार इस समय नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को भागीदारी नहीं दी गयी है माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहूंगा कि इसको कार्यवाही में करने की कृपा करें।

श्री शिवदानी–

मान्यवर, 1995-96 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने केवल 2-3 सुझाव दूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी राजकीय बालिका विद्यालय नहीं है। अधिकांश गांवों में प्राइमरी पाठशाला नहीं है और अगर हैं तो वह भवन विहीन हैं। चायल ब्लाक में तिवारा, लौकीपुर, दरियापुर, चलौली, लालापुर में प्राइमरी विद्यालय नहीं है, इसी तरह से मूरतगंज ब्लाक में मोनहापुर, कुरईघाट, सगरा, सपहा, हथियाभी, चन्दीपुर में प्राइमरी पाठशाला नहीं है और विकास खण्ड नेवादा में धनहजी, दरिया का पूरा, दरहा, धरी, इघना, वरई, कौड़िया, कठरा में विद्यालय नहीं है। अधिकांहा विद्यालय क्षतिग्रस्त हैं। 80 प्रतिशत विद्यालयों में मात्र एक या दो ही अध्यापक विद्यालय जा रहे हैं। मल्लीपुर, कटेया उमरवाल में साल भर में 10-15 दिन ही स्कूल खुलता है। मेरे क्षेत्र में एक भी संस्कृत पाठशाला नहीं है, एक संगम लाल संस्कृत पाठशाला हररायपुर सराया में 89 से चल रहा है, उसको वित्त-विहीन मान्यता मिली है, वह चन्दे से चलाया जा रहा है, इस विद्यालय को ग्रान्ट देने की मांग करता हूं।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में विद्यालयों का उच्चीकरण, प्रान्तीयकरण और मान्यता देने का कार्य कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है। इस कारण उच्च शिक्षा नहीं बढ़ रही है। बागेश्वर में प्रधानाचार्य नहीं हैं। बागेश्वर में कथकोट और गश्रड़ ब्लाक में कन्या हाई स्कूल इण्टर नहीं है और इनमें अनौपचारिक शिक्षा जो चल रही थी, वह बन्द कर दी गयी है। देवलधार में 90 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति के हैं पढ़ते उ० मा० वि० मटे, मनान, कन्या खाकर, सिरकोट, नामती चेता, वगड़ सींग, बघर, प्रान्तीयकरण व उच्चीकरण की नितान्त आवश्यकता है, उसको मान्यता दी जाये, वित्त सहित मान्यता दी जाये तथा देवलधार उक्त विद्यालयों का प्रान्तीयकरण किया जाय। क्योंकि वहां की परिस्थितियां भिन्न हैं। बेसिक शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, बेसिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उनके स्कूलों के जो कर्मचारी और अध्यापक हैं वह अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं और वह उन

विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इसलिये उनको मजबूर किया जाना चाहिये कि वह अपने बच्चों को इन्हीं विद्यालयों में पढ़ायें ।

* श्री लाल जी यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गुरू और शिष्य की जो परम्परा होती थी जो एक सम्मानित रिस्ता था पता नहीं उसमें कौन सी ऐसी खटास आ गयी है यह मैं बता नहीं सकता कि यह गुरू का ही दोष है या शिष्य ही कुछ ऐसे निकल गये हैं । मान्यवर, परीक्षाओं में शिष्य आज कलम का प्रयोग कम चाकू ज्यादा लेकर बैठते हैं । यह परम्परा क्या अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है ? इतिहास में मैंने सुना था कि तथाकथित किसी गुरू ने ही शिष्य से अंगूठा मांग लिया था, क्या उसके प्रतिवाद में ही सारे शिष्य अंगूठा ही दिखा रहे हैं । मान्यवर, जो भी बच्चे हैं जो छोटी कक्षाओं में या के० जी० में जाते हैं तो शहरों में देखते हैं कि उनके वजन से ज्यादा वजन उनके बस्ते का होता है तो इसको देखा जाय । मान्यवर, हमारे जनपद में डी० आई० ओ० एस० के आफिस के सामने नियुक्ति के संबंध में एक मैनेजमेन्ट कमेटी है पिछले हफ्ते वहां बम चले और गोलियां चलीं । इस क्षेत्र में अगर इस तरह से बाहुबली लोग यह काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री लाल जी यादव–

मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

* श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, विश्व में सर्वोच्च स्थान रखने वाली इस शिक्षा के विभाग के बजट पर आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उस बजट में काफी गरीबों का हित छिपा हुआ है । मान्यवर, आज यह दलितों की सरकार कही जाती है । भारत के राष्ट्र नेताओं ने तीन प्रकार की क्रान्तियां की थी आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर ने 4 प्रकार की क्रान्ति की थी जिसमें सामाजिक क्रान्ति भी थी । उनके तीन मूल मंत्र थे शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो । पहला मंत्र था शिक्षा तो आज शिक्षा विभाग का बजट है मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक इसमें सुधार हो और गरीब बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिले, जहां अध्यापक नहीं हैं वहां अध्यापक भर्ती किये जायं । जनपद रायबरेली में 300 पद अध्यापकों के रिक्त पड़े हुए हैं जिसमें कोई भर्ती नहीं हो पा रही है । अभी 47 लड़के जो बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापक हैं वह बी० एस० ए० के कमरे में पड़े हुए हैं, घेरे हैं । मैं उनको समझा बुझाकर आया हूं कि मैं मंत्री जी से बात करूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, आज मैंने दिन भर शालीनता दिखाई मैंने व्रत लिया है कि सदन में शान्त रहूंगा तो मुझे पुराने रास्ते पर लाने के लिए मजबूर न करें। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड छतोह में सन् 47 से लेकर आज तक एक भी हाईस्कूल पूरे ब्लाक में नहीं है। मान्यवर, सलोन विधान सभा क्षेत्र में 3 विकास खण्ड आते हैं तीनों में दो-दो इण्टर कालेज और दो हाईस्कूल दिये जायं। हमारे यहां ग्राम सभा कोढ़ई और ग्राम सभा डीह में मात्र 2 अध्यापक हैं जबकि बच्चे 400 हैं इसलिये बच्चों के अनुरूप अध्यापक दिये जाने की मांग करता हूं। इसके अतिरिक्त जो स्कूल भवन मेरे क्षेत्र में बने हैं वह गिरने की कगार पर हैं उनकी मरम्मत कराकर बनाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाय। ग्राम सभा परिसीमन होने के पहले जिन ग्राम सभाओं के लिये स्कूलों को संस्तुत किया गया था कृपया वही स्कूल खोले जायं।

[समय 7 बजकर पन्द्रह मिनट]

मान्यवर, जहां अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोग उस ब्लाक में हैं, वहां एक भी हाई स्कूल नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह एक पहला ब्लाक है जिसमें हाई स्कूल आज तक नहीं हुआ है। 47 साल देश को आजाद हुए हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी तरफ से मैं भी मंत्री जी से कह दे रहा हूं।

श्री दल बहादुर कोरी–

हमारे क्षेत्र में बीज विकास खण्ड में एक कन्या हाई स्कूल है। वहां बहनें जो पढ़ाने जाती थी तो उन्हें बैठने के लिये स्थान नहीं था। हम लोगों ने चन्दा करके टीन छोड़वा दी थी लेकिन तूफान में वह उड़ गयी। जब पानी बरस रहा था तो जो दूसरा हाई स्कूल है, उसमें विद्यालय बालिकाओं की पढ़ाई कराने की व्यवस्था की। मंत्री जी कृपया इस पर ध्यान दें और विकास खण्ड [illegible] के लिये बजट दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देते हुए बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री जवाहर लाल दिवाकर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। शिक्षा के इस बजट का समर्थन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे [illegible] क्षेत्र प्रतापपुर, इलाहाबाद में जो प्राइमरी पाठशाला है, उन पाठशालाओं की हालत बहुत खस्ता है।

मान्यवर, जो यह दोहरी शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तो उसमें बड़े [illegible] अपने बच्चों को [illegible] स्कूलों में नहीं भेजते हैं उनके लिये दूसरी पढ़ाई की व्यवस्था है वे जानते हैं कि इन स्कूलों में गरीब लोगों के बच्चे जायेंगे जहां न टाट पट्टी की व्यवस्था है और न बेंच कुर्सी की व्यवस्था है। मान्यवर, हमें यह आभास होता है कि यह दोहरी नीति हमारे देश के लिये बहुत ही घातक होगी। मान्यवर, हमारे यहां पर प्राइमरी पाठशाला में पांच-पांच कक्षों में एक-एक मास्टर होते हैं। जिले में जब [illegible] हैं तो वहां पर इंटीरियर में होने के नाते कोई भी टीचर जाने के लिये तैयार नहीं होता है। मेरा अनुरोध है कि प्राइमरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्यालयों में हर क्लास के लिये मास्टर अवश्य भेजे जायें। मैं इसी के साथ बजट प्रस्तावों का स्वागत करते हुए, अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं दो-तीन बिन्दु रखना चाहता हूं पहले तो इस बजट का समर्थन करते हुए स्वागत करता हूं। मान्यवर, जो मान्यता की शर्तें दी गयी है हाई स्कूल तथा इण्टर में, उसका सरलीकरण किया जाय, बहुत काम्पलीकेशन्स न किये जाएं, उसमें कठिनाइयां बढ़ती हैं। जो शर्त प्रशासन योजना की है उसमें 60 से 100 लोगों की कमेटी कंपलसरी है इससे ये पंचायत बन जाती है तथा इसमें ज्यादातर झगड़े खड़े हो जाते हैं और दो-तीन कमेटियां खड़ी होती है। वित्तहीन जितने विद्यालय हैं उनमें ये शर्तें न लगायी जायं। समान शिक्षा की हम बात तो करते हैं परन्तु करते कुछ नहीं बहुत से अच्छे-अच्छे विद्यालय हैं, दूसरी ओर बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें सुविधायें नहीं हैं तो जो हम समान शिक्षा की बात करते हैं जिनमें कोई सुविधा नहीं है, साज सामान नहीं हैं वह व्यवस्था हम करायें तो निश्चित रूप से समान शिक्षा नीचे से ऊपर आयेगी। समान सुविधा, समान शिक्षा से शिक्षा का स्तर उठेगा। मान्यवर, इसी तरह से जैसे राजस्थान सरकार ने किया है पांचवीं तक जो विद्यालय हैं जो वित्तहीन हैं उनको मान्यता की जरूरत नहीं है इसी प्रकार से यहां पर भी जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं पांचवीं कक्षा तक उनकी व्यवस्था है उनमें भी यदि वही व्यवस्था हो जाए तो अच्छा हो जायेगा। उसमें लोग पढ़ेंगे अच्छी व्यवस्था रहेगी और आपका जो लक्ष्य है वह भी बढ़ेगा और शत प्रतिशत शिक्षा का लक्ष्य भी पूरा होगा। मान्यवर, पिछले दिनों में बिना नींव के विद्यालय बन गये हैं हमारे गांव में भी बना। कितने दिन चलेगा भगवान ही मालिक है। इसलिये जो भवन बनाये जायें उनमें नींव जरूर डाली जाए। सरकारी स्कूलों को खोलने के निर्धारण की जो बात है जहां प्राइवेट स्कूल नहीं खुलवा रहे हैं या दूसरे लोग नहीं खोल पा रहे हैं वहां सरकारी विद्यालय खोले जायें। बहुत जगह दलित बस्तियों हैं शहरों में इस प्रकार की बस्तियों में कोई सरकारी स्कूल नहीं है ऐसे बस्तियों में सरकारी स्कूल खोले जायें। श्रीमन्, ऐसी नीति बनाये जिससे भ्रष्टाचार रुके और अच्छी शिक्षा लोगों को मिले। ऐसी नीति बने कि अच्छे विद्यालय पर अंकुश भी न लगानी पड़े और सरकारी स्कूलों का स्तर भी अच्छा हो जाये।

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज माननीय शूरवीर सिंह सजवाण जी ने जो शिक्षा विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में लगभग सभी जगह अध्यापकों की कमी है किसी विद्यालय में एक अध्यापक हैं, किसी में दो अध्यापक हैं और कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। मान्यवर, इस प्रदेश में दलित की सरकार आयी, गरीब की सरकार आयी और सबसे ज्यादा शिक्षा जो प्राप्त नहीं कर पाये हैं वह दलितों के बच्चे हैं इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इसके लिये विशेष ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। आपकी बात आ गयी है। मैंने माननीय शूरवीर सिंह सजवाण जी का नाम पुकार लिया है।

(व्यवधान)

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, हमारे मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मऊरानीपुर ब्लाक में एक भी उ० मा० विद्यालय नहीं है जिससे छात्र-छात्राओं को आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिये अन्यत्र जाना पड़ता है, जिससे दलित कमजोर वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके लिये ग्राम खेन एवं ग्राम चुरारा में रा० उ० मा० विद्यालय स्थापित किया जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। मैंने सजवाण जी का नाम पुकार लिया है।

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, कस्बा रानीपुर में जिसकी आबादी लगभग 25 हजार है एक मात्र राजकीय बालिका उ० मा० विद्यालय है इसे उच्चीकृत किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, इस देश में अनेकों अनेक ऐसे शिक्षाविद हुए हैं। स्वामी विवेकानन्द ने जीरों पर बोलना शुरू किया था तो विदेश में लोग उनके पीछे कतार में लग गये थे। मान्यवर, शिक्षक को हर व्यक्ति उदारतापूर्वक देखता है। मान्यवर, पहले मैं शिक्षा केन्द्रों में जब जाता था तो जो व्यक्ति शिक्षा केन्द्र में आते थे वे पहले सरस्वती वन्दना किया करते थे –

"या कुन्देन्दुतुषारहार धवला,
या शुभ्रवस्त्रावृता,
या वीणावरदण्डमण्डितकरा,
या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभितिभिः,
देवैः सदा वन्दिता,
साः माम् पातु सरस्वती भगवती,
निःशेषजाड्या पहाम्" ॥

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि सारे विद्यालय के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हैं। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपको स्मरण होगा कि वहां पर भूचाल आया था।

श्री अध्यक्ष–

यह शिक्षा का बजट है।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, सारे विद्यालय उस भूचाल से जीर्ण-शीर्ण हो गये थे। मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि विश्व बैंक की टीम आयी और उसने प्राइमरी स्कूलों के लिये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने

90 हजार रुपया दिया था विश्व बैंक ने एक लाख अस्सी हजार रुपया दिया। एक विद्यालय अगर प्रदेश सरकार नब्बे हजार में बना रही है तो उसे विश्व बैंक एक लाख अस्सी हजार में बना रहा है। मेरा निवेदन यह है कि इस असमानता को दूर करने के लिये हमको कारगर कदम उठाना चाहिए। मेरी एक अर्ज और है कि मान लीजिये अगर प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल या हाईस्कूल का जो भवन लखनऊ में, देहरादून में या नैनीताल में 9 लाख रुपये में बनता है तो पिछड़े क्षेत्र में जहां घोड़े-खच्चरों से ढुलान होती है, वहां कम से उसकी कीमत 3 लाख आंकी जानी चाहिए। यह व्यवस्था पिछड़े क्षेत्रों के लिये किया जाना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। 17 जून, 1994 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री माधव राव सिंधिया ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन के लिये राज्यों में बौद्धिक सम्मेलन किये जायेंगे। दो माह बीत जाने के बाद भी मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में भी बौद्धिक सम्मेलन आयोजित किये जायें। मान्यवर, डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के लिये पिछली सरकार ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी।

श्री अध्यक्ष–

इस बात को उच्च शिक्षा की बजट में कहियेगा और अपनी पीठ ठोंक लीजियेगा।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, चूंकि समय है इसलिये कह रहा हूं राज्य सरकार ने असमर्थता व्यक्त की तो केन्द्र सरकार ने दिया। मैं इसके लिये केन्द्रीय सरकार का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं। मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से हर उस व्यक्ति को, हर उस काश्तकार को काम मिलना चाहिए, जो काश्तकारी, दस्तकारी का काम जानता हो, चाहे वह कपड़ा सिलने का काम हो, चाहे फर्नीचर बनाने का, चाहे टोकरी बुनने का, चाहे टाट पट्टी बनाने का या जूता-चप्पल बनाने का काम हो, भवन निर्माण का काम हो, खेत-खलिहान का काम हो, चाहे आधुनिकतम इलेक्ट्रानिक उपकरणों से सम्बन्धित काम हो इसके लिये समाज सेवी संस्थाओं और प्राइवेट फर्मों का सहयोग लेना चाहिए ताकि विभाग द्वारा जो फर्जी आंकड़े पेश किये जाते हैं उन पर अंकुश लग सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अब अपनी बात समाप्त करें, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बुला रहा हूं।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, एक मिनट बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी कुछ बातें लिखकर दे दीजिये।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, इसे अकारण बोलने की परम्परा ही कही जायेगी।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

शुक्ला जी बैठ जाये, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक अध्यापिका कटोरी देवी वर्षों से विधान सभा के सामने धरने पर बैठी हैं, कई सरकारें

आयी और चली गयी, मैं नहीं कहता कि किस-किस की सरकारें थीं लेकिन आज तक कटोरी देवी का मसला हल नहीं हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री जी मैं आपका आभारी हूंगा यदि आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जिन बिन्दुओं की ओर मैंने अपने वक्तव्य में ध्यान आकर्षित किया है, माननीय मंत्री जी उसका जवाब देने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री सूरवीर सिंह जी ने अपने कुछ सुझाव एवं राय दिया। माननीय सदस्य श्री सूरवीर सिंह जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं वह अन्दर से जितने पवित्र हैं, उतने बाहर से भी दिखायी देते हैं, इसके साथ ही साथ मैं इनके नाम का बड़ा आदर करता हूं क्योंकि ये शूर भी हैं, वीर भी हैं और सिंह भी हैं। हमारे तमाम साथियों ने कहा है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसकी महत्ता को सभी लोगों ने समझा और माननीय साथियों ने विद्या भवनों के बारे में कहा कि ये मन्दिर के रूप में हैं। मान्यवर, मैंने इन विद्या भवनों के लिये, जो राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय जो भवन विहीन थे उनके लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्राइमरी पाठशाला के लिये 52 करोड़ रुपये की योजना बना दी है। साथ ही साथ माननीय सदस्य जानते हैं कि शहरों के विद्यालयों के भी भवन नहीं थे, उनके लिये भी पैसे की व्यवस्था की है। अनुसूचित जाति के प्रतिभाशाली छात्रों के लिये 8 राजकीय विद्यालयों में 300 रुपये प्रतिमाह की धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वह आगे बढ़ सकें। हमारे भाई शूरवीर सिंह जी इन विद्या मंदिरों का सम्मान करने वाले हैं। इसलिये मैं उनसे बाअदब निवेदन करूंगा कि आज विद्या मंदिरों के सम्मान के लिये अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शूरवीर सिंह जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

(श्री शूरवीर सिंह सजवाण के न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,90,43,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,03,44,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,22,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,02,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3-8-95 को नियम 51 के अन्तर्गत 30 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री राम कुमार शुक्ल जी की लखनऊ महानगर में समुचित विद्युत व्यवस्था के संबंध में है । इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । दूसरी सूचना श्री धनराज यादव जी की जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बानगंगा एवं कूहा नदियों से खतरे में पड़े सैकड़ो गांवों को बचाने के संबंध में है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । तीसरी सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी की होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों को न्यायालय के आदेशों के बावजूद प्रशिक्षण न दिये जाने एवं विद्यालयों की उपयोगिता समाप्त होने के

संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । चौथी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी की प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में तेजी से बस रही कालोनियों में सड़कों, पेयजल तथा बिजली एवं जलोत्सारण की समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जता है । पांचवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र जी की प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की आपूर्ति में की जा रही कालाबाजारी तथा शादी-विवाह के अवसरों पर उचित मूल्य की दुकानों से चीनी न उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । छठी सूचना डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" जी की गढ़वाल मण्डल में अतिवृष्टि से मोटर मार्गों के टूटने एवं अनेक लोगों की जान जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकृत किया जाता है ।

वाराणसी जिले के चोलापुर थानान्तर्गत रामगांव में हुए सामूहिक नरसंहार विषयक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि की नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

दिनांक 12-7-95 को पारसनाथ एवं हरिनाथ निवासी राम गांव ने यह कहकर कथा करवाई कि उन्हें दूसरे दिन बम्बई जाना है ।

श्री अध्यक्ष–

यदि आप लोग सहमत हों तो इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[इस संबंध में गांव में मेल मिलाप वाले घरों से एक-एक आदमी को दावत दी गयी, जिसमें शिव मूरत के लड़के मृतक शिवधनी एवं शिवसागर तथा उनकी औरतों और बच्चों ने भी खाना खाया । सम्भवतः खाना अथवा प्रसाद में जहरीला पदार्थ मिला दिया गया एवं रात्रि में धारदार औजार से सर पर चोट करके श्री शिव मूरत के परिवार के छः सदस्यगण शिवधनी, शिवसागर, श्रीमती मालती, श्रीमती देवी, श्रीमती विद्या एवं पीपा की हत्या कर कमरे में बन्द कर दिया । मुल्जिमान पारसनाथ मिश्र एवं हरिनाथ मिश्र सुबह करीब 8 बजे बाल बच्चों सहित आवश्यक घरेलू सामान लेकर फरार हो गये ।

दिनांक 13 जुलाई, 1995 को अपराह्न में सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर परगना मजिस्ट्रेट उत्तरी वाराणसी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी एवं पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पहुंच गये । मौके पर उपस्थित लोगों से बातचीत के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतकों की हत्या उनके चचेरे भाइयों जो उसी मकान में रहते थे द्वारा की गयी है । वस्तुतः शिवनाथ मिश्रा, शिवमूरत मिश्रा एवं शिवनाथ मिश्रा तीनों सगे भाई थे, जिसमें शिवनाथ मिश्रा की मृत्यु निःसन्तान हुई थी । अतएव दोनों जीवित भाइयों के वारिसान के मध्य भूमि विवाद उत्पन्न हुआ । घटनास्थल पर उपस्थित लोगों ने बताया कि तहसीलदार सदर के न्यायालय द्वारा समझौते के आधार पर शिवमूरत मिश्रा एवं विश्वनाथ मिश्रा के मध्य आधी-आधी भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया गया । निर्णय के मुताबिक शिवमूरत मिश्रा अपने हिस्से के जमीन पर काबिज हो गये किन्तु विश्वनाथ मिश्रा के उक्त दोनों लड़के पारस नाथ एवं हरिनाथ उनसे अन्दरूनी रंजिश मानते रहे, जिसका गांव वालों को भी आभास नहीं रहा । हत्यारे बम्बई भाग गये । जिन्होंने सोच समझ कर मारा कि नावल्द चाचा शिवनाथ की जमीन अकेले पा सके । इस संबंध में मुकदमा चला था जो डेढ़ वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था और दोनों परिवार को आधी-आधी जमीन न्यायालय द्वारा दे दी गयी थी । प्रकरण में विवेचना प्रचलित है ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय श्री गुप्ता जी इसमें सब स्पष्ट है ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट मान लें तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का बड़ा नुकसान हो जायेगा । यह घटना 12 तारीख की है और 13 तारीख को एफ० आई० आर० लिखाई जाती है और आज अगस्त की 3 तारीख हो गयी है परन्तु अभी तक कोई मुल्जिम नहीं पकड़ा गया जबकि मुल्जिम नामजद थे । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुल्जिम क्यों नहीं पकड़े गये ? दूसरा, मुल्जिमों को पकड़ने के लिये जो दूसरे तरीके होते हैं, जैसे कुर्की आदि की कार्यवाही, वह अभी तक क्यों नहीं की गयी ? जब सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि झगड़ा पारिवारिक था और सम्पत्ति का झगड़ा था और यह चार वर्ष से चल रहा था तो वहां पर पुलिस ने प्रिवेन्टिव कार्यवाही क्यों नहीं की ? 107 व 151 के तहत कार्यवाही क्यो नहीं की गयी ? यदि पुलिस ने यह कार्यवाही नहीं की तो इसमें पुलिस दोषी है जिससे एक सामूहिक रूप से परिवार के लोगों की हत्या हो गयी । एक मुल्जिम के बम्बई जाने की बात कही है तो फिर यहां की पुलिस ने उसे पकड़ने के लिये बम्बई की पुलिस से कोई पत्र-व्यवहार किया कि नहीं किया । इन सारे प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, श्री गुप्ता जी ने तीन सवाल पूछे हैं । पुलिस ने पहले कोई निरोधात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की, इसकी सूचना इस समय हमारे पास नहीं है ? दूसरी पुलिस ने कुर्की क्यों नहीं की ? इसके जवाब में मुझे कहना है कि इस घटना को हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं । माननीय गुप्ता जी भी इस बात से भिज्ञ होंगे कि पहले सी० आर० पी० सी० में 82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । जब यह सुनिश्चित हो जाय कि मुल्जिम अपनी सम्पत्ति को बेचकर बाहर भागने वाला है, तब इस पर कायवाही की जाती है फिर 83 में कुर्की की घोषणा की जाती है । जो सूचना उपलब्ध है, उसके आधार पर उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो सुझाव उन्होंने दिये हैं, उन पर अमल करने के लिये स्थानीय पुलिस को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये जायेंगे और मुल्जिमों को किसी भी प्रकार से गिरफ्तार किया जाय और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय । अगर मुल्जिम नहीं मिल रहे हैं तो उनके विरुद्ध 82 व 83 के अन्दर कार्यवाही भी की जाय ।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि 82-83 की कार्यवाही करने के लिये देखा जाता है कि कितना समय हो गया ? यह 12-7 की घटना है । उसके बाद आज तक भी 82-83 की कार्यवाही नहीं कराई, आप अधिवक्ता रहे हैं आज इस पीठ पर हैं तो विचार करें कि यह 12-7 की घटना है और स्थानीय पुलिस ने अभी तक उस पर कोई बात नहीं की उसके बाद धारा 83 की बात आती है । मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी को भ्रमित किया गया है वह अपने भ्रम का निवारण कर ले । मामला बहुत गम्भीर है 6 लोगों की हत्या हुई है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पूरी कार्यवाही करने के निर्देश अलग से जारी कर दिये जायेंगे । दण्ड प्रक्रिया संहिता में 82-83 के अन्तर्गत पुलिस को न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार है सीधे कार्यवाही स्वयं नहीं कर सकती है।

गाजियाबाद जिले में पीलिया रोग के भयंकर रूप से फैलने के संबंध में श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग राज्य मंत्री (श्री प्रवीण सिंह ऐरन)–

मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में दिनांक 1 जनवरी, 95 से दिनांक 9 जुलाई, 95 तक पीलिया.....

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

[से दिनांक 29 जुलाई, 1995 तक पीलिया (इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस) के कुल 7 रोगी सूचित हुए हैं, जिनमें से एक रोगी की मृत्यु हुई है । इन 7 रोगियों में से 3 रोगी एयरफोर्स एरिया हिंडन नगर गाजियाबाद के हैं जो 27 मई, 95 से पीलिया रोग का उपचार प्राप्त कर रहे थे । पीलिया के 4 रोगी नगर निगम क्षेत्र गाजियाबाद के हैं, जो 22 जुलाई, 95 को पीलिया से ग्रसित हुए थे । कुल 7 रोगियों में से श्रीमती कोची पत्नी वीरेन्द्र 30 वर्ष 21 जुलाई, 95 को जिला चिकित्सालय, गाजियाबाद में भर्ती की गयी थी जिसकी मृत्यु 22 जुलाई, को हिपेटिक कोमा से हुई है, 6 रोगी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं । पीलिया जल जनित रोग है और इसका सम्भावित कारण पेयजल का दूषित होना है । पेयजल के उपयुक्त स्तर तक नियमित क्लोरीनेशन के निर्देश हैं ।

वर्तमान में पीलिया तथा अन्य संक्रामक रोगों की स्थिति जनपद में सामान्य है । जिले में ओ० आर० एस० के 27.668 पैकेट्स वितरित किये गये हैं और कुल 1196 ओ० टी० टेस्ट किये गये हैं जिसमें से 534 धनात्मक तथा 662 ऋणात्मक पाये गये । समस्त निरोधक कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

प्रदेश में संक्रमक रोगों की रोकथाम हेतु विस्तृत कार्य योजना लागू है जिसमे निरोधात्मक कार्यवाही एवं उपचार के स्पष्ट निर्देश निहित हैं । इस हेतु संचारी रोग शाखा से रुपया 71.103.00 की औषधियां/विसंक्रमक दिये गये ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दैवी आपदा राहत निधि से रु० 2.40 लाख विसंक्रमक/औषधियों हेतु प्रदान किये गये हैं । मेरठ मण्डल को 10 मैट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर दिया गया तथा 50 बैग ब्लीचिंग पाउडर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पृथक से गाजियाबाद को उपलब्ध करायी गया है । वर्तमान में गाजियाबाद जनपद की स्थिति सामान्य है।]

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, यह सूचना गलत दी गयी है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह केवल वक्तव्य के लिये है त्यागी जी ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मैं इसे चुनौती देता हूं । पूर्णतया गलत सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिये । संगत नियमों में परीक्षण कराकर जो व्यवस्था होगी कार्यवाही करा दूंगा ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

जो वहां स्वास्थ्य अधिकारी है जी० वी० शर्मा वह मैन्डेक्स की गोली खाकर सोया रहता है । दूसरा डाक्टर वहां से तबादला कराकर चला गया ।

वहां नगर निगम का जो क्लोरीन मिलाने वाला ड्रम है वह खराब पड़ा है तो व्यवस्था कैसे ठीक होगी ?

श्री अध्यक्ष–

मैं नियमों के अन्दर ही तो कार्य करूंगा, यह केवल वक्तव्य के लिये हैं मैं कैसे एलाऊ कर दूं । आप लिखकर दे दें आप कहते हैं पूर्णतया असत्य है मैं संगत नियमों में परीक्षण करा लूंगा ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

3 आई० एम० ए० के डाक्टरों ने प्रेस कान्फरेंस में यह बात कही है कि पीलिया के 300 मरीज रोज आ रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय त्यागी जी आपकी अनुमति से ही बोले हैं विनती है कि इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर दें ।

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

ठीक है ।

आगरा नगर में जलोत्सारण की समुचित व्यवस्था न होने तथा एक सफाई कर्मी की नाले में डूबकर हुई मृत्यु के संबंध में श्री रमेश कान्त लवानियां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास मंत्री (श्री राम किशोर विन्द)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत माननीय सदस्य से सूचना प्राप्त हुई – नगर निगम आगरा के स्वास्थ्य अधिकारियों में आपस में टकराव है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री राम किशोर विन्द–

[और इनके कारण सफाई कर्मचारियों में धड़ेबाजी है । नगर निगम आगरा ने नाले नालियों की सफाई करने का आन्दोलन तो चलाया, लेकिन इससे निकली सिल्ट को उठाने के लिये गम्भीरता से प्रयास नहीं किये । अधिकतर सिल्ट को नाले नालियों के सहारे छोड़ दिया गया है । अतः गत दिनों में हुई बरसात के बाद कई क्षेत्रों में नाले नालियों की सफाई के लिये किया गया कार्य बेकार हो गया । छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मनटोला, नाला मन्टोला, नाला कन्सखार, नाला चून पचाम, नाला काजीपाड़ा व देवरी रोड पर जल भराव की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गयी है । वैसे तो यह स्थिति शहर के अन्य क्षेत्रों में भी है । यद्यपि गत वर्षों की अपेक्षा आगरा नगर निगम में वर्षा बहुत कम हुई है फिर भी शहर के अधिकांश क्षेत्रों में ताल तलइयों का रूप धारण कर लिया है । शहर के परम्परागत क्षेत्र जल प्लावित हो गये हैं । नगर निगम के ठीक नाक के नीचे सूर सदन चौराहे पर तथा शहर की मुख्य सड़क एम० जी० रोड पर सैन्ट जौन्स चौराहा तलैया का रूप धारण कर लेते हैं । नगर निगम के नियंत्रण कक्ष में दूरभाष की सुविधा नहीं है । जल भराव की शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम त्वरित कार्यवाही करने में असमर्थ है । यहां तक कि थाना नाई की मण्डी के अन्तर्गत मोहल्ला चून पचास निवासी सफाई कर्मचारी भगवान दास पुत्र डाल चन्द 18 जुलाई, 1995 को दिन में नाई की मण्डी स्थित पुलिया पार रहा था कि अचानक फिसल जाने के कारण नाले में गिर गये और उसकी मृत्यु हो गयी । जिससे जनता व विशेष रूप से बाल्मीकि समाज में भारी-रोष व्याप्त हो गया और रास्ता जाम कर दिया जिसको बहुत कठिनाई के बाद खुलवाया जा सका । उक्त सफाई कर्मी के परिवारीजन प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता के पात्र हैं । यदि नाले की सफाई ठीक हुई तो वर्षा का पानी तेज गति से निकल जाता और उक्त दुर्घटना से बचा जा सकता था ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस निश्चित विषय पर सम्बन्धित मंत्री का ध्यानाकर्षित करते हुए वक्तव्य दिलाने की कृपा करें ।

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि :—

नगर निगम, आगरा के स्वास्थ्य अधिकारियों मेंआपस में कोई टकराव नहीं है । वर्तमान में दो स्वास्थ्य अधिकारी कार्यरत हैं और दोनों में नगर निगम के कार्यों के प्रति सौहार्द है । सफाई कर्मचारियों के विभिन्न संगठन हैं । संगठनों से सम्बद्धता के आधार पर उनमें धड़ेबाजी हो सकती है ।

नगर निगम, आगरा ने नाले, नालियों की सफाई कराने का विशेष अभियान प्रारम्भ किया और 15 मई से 7 जुलाई तक नगर के समस्त छोटे-बड़े नालों की सफाई करायी गयी । इस प्रकार नालों की सफाई तलीझाड़ हुई है और यहां के समाचार पत्रों तथा यहां के लोगों द्वारा भी नालों की इस बार की सफाई की सराहना की गयी । नालों की सफाई के साथ ही साथ सिल्ट उठवाने की भी व्यवस्था की

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गयी । यह सम्भव है कि 1-2 नालों के पास थोड़ी सिल्ट बची हो, परन्तु समस्त नालों से निकाली गयी सिल्ट उठ गयी है और जहां सिल्ट थोड़ी मात्रा में नहीं उठ पायी है, वहां से नाले में सिल्ट बह जाने की सम्भावना नहीं है । और सम्पर्क मार्ग न होने के कारण वहां से हथठेलों से ही सिल्ट बाहर लाकर इकट्ठी की जाती है, इससे विलम्ब होना स्वाभाविक है ।

अब तक की बरसात में सिल्ट के कारण किसी नालें, नाली की हालत खराब नहीं हुई है । नाला मन्टोला, नाला कंसखार, नाला चून पचान तथा नाला काजीपाड़ा में कहीं भी पानी भराव की समस्या उत्पन्न नहीं हुई । देवरी रोड पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है । यहां पानी भराव की समस्या उत्पन्न होती है ।

सूर सदन चौराहे पर सूर सदन की मुख्य सड़क एम० जी० रोड तथा सेन्ट जौन्स चौराहे पर कहीं पानी भराव की समस्या नहीं है और बरसात होने पर इन स्थानों पर पानी नहीं भरा ।

अब तक की बरसात में उन क्षेत्रों में भी पानी भराव की स्थिति पैदा नहीं हुई । जहां प्रतिवर्ष बरसात में कई घण्टों तक पानी भरा रहता था । वस्तुतः जब बरसात बहुत होती है, तो निचले इलाकों में कुछ समय तक के लिये पानी भराव होता है, क्योंकि नालों की क्षमता के अनुसार ही पानी निकल पाता है, परन्तु सबसे निचले इलाके अशोक नगर में भी 2 घण्टे से अधिक समय तक पानी नहीं भरा रहा। महानगर के अन्य इलाकों में भी पानी भराव की शिकायत नहीं मिली । यह अच्छी स्थिति इसलिये बनी है कि नगर निगम ने इस वर्ष नालों की तली झाड़ सफाई कराई है और कई क्षेत्रों में 25 साल दबे पुराने नालों को भी खुदवाकर निकलवाया गया है ।

नगर निगम में नियंत्रण कक्ष पूरी सक्रियता से चल रहा है । नगर निगम कार्यालय परिसर में 3 दूरभाष नम्बर उपलब्ध हैं, जहां शिकायतें अंकित करने के लिये व्यवस्था है और नागरिकों को इसकी जानकारी भी समाचार पत्रों के माध्यम से दी गयी है ।

दिनांक 18 जुलाई, 1995 को भारी बरसात होने के कारण नाला चून पचान अपनी पूरी क्षमता से बह रहा था । यह महानगर का मुख्य नाला है, जिसकी गहराई 5 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है तथा यह नाला महानगर का दो तिहाई पानी लेकर यमुना नदी में गिरता है । श्री भगवान दास सफाई कर्मचारी पुलिया पार करते समय फिसलकर नाले में गिर गया और तेज बहाव के कारण आगे बह गया । उपस्थित लोगों के तमाम प्रयास करने के बाद भी श्री भगवान दास को नहीं बचाया जा सका । देर रात्रि तक प्रयास करने पर भी उसका पता नहीं चल पाया । चूंकि भगवान दास बाल्मीकि समाज का था इसलिये इस समाज के लोगों ने पुलिस एवं जिला प्रशासन के विरोध में रास्ता जाम किया था, जिसे नगर निगम के अधिकारियों ने खुलवाया और यह आश्वासन दिया था कि प्रातः काल हर हालत में कर्मचारी की लाश ढूंढ ली जायेगी । दूसरे दिन नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लगभग 2 घण्टे तक खोज करने के उपरान्त यमुना नदी से लगभग 500 मीटर पहले मुख्य नाले से लाश को बरामद किया । यह कथ कि नालें की सफाई यदि ठीक नहीं होती, तो वर्षा का पानी तेज गति से निकलता और दुर्घटना से बचा जा सकता था, विरोधाभासपूर्ण है । यदि नाले की सफाई पूर्णरूप से नहीं करायी जाती, तो वह सिल्टेड होता और पानी धीरे-धीरे बहता, जिससे इस नाले के किनारे बसी बस्तियों में कई घण्टों तक पानी भरता । इस नालें की सफाई जे० सी० बी० एक्सकैवेटर मशीन से करवायी गयी थी, जिससे नाला लगभग खाली था और इसलिये पानी की गति व गहराई इतनी थी कि मृतक श्री भगवान दास

बहकर लगभग 2 किलोमीटर दूर पहुंच गया था। स्वर्गीय भगवान दास नगर निगम सफाई कर्मचारी था और नगर निगम के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत उसके परिवार की पूर्ण सहायता की जा रही है।]

गोवंश वध हेतु प्रदेश से बड़े पैमाने पर की जा रही गोवंश की तस्करी विषयक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि की सूचनाओं पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल एवं श्री धनराज यादव द्वारा गोवध के संबंध में कहा गया है कि इस सारे प्रदेश से बड़े पैमाने पर गाय बैल बछड़े तथा बछियों को प्रदेश से बाहर.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[यांत्रिक बूचड़ खानों में कटने के लिये बंगाल ले जाया जा रहा है तथा बहराइच, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, पडरौना, देवरिया तथा बलिया जनपदों के सीमावर्ती पुलिस को मिलाकर भारी पैमाने पर बैलों को बंगलादेश अवैधानिक तरीके से ले जाने का कार्य जोरशोर पर है।

2–उत्तर प्रदेश गोबध निवारण अधिनियम, 1955 तथा उ० प्र० गोबध निवारण नियमावली, 1964, जैसा कि समय-समय पर संशोधन हुए, में गोवंश की सुरक्षा तथा प्रदेश से बाहर परमिट पर परिवहन की व्यवस्था है।

3–गोबध निवारण अधिनियम के प्राविधानों के विरुद्ध तस्करी या चोरी से पशुओं को बध के लिये ले जाना और इस प्रक्रिया में अनधिकृत पशु परिवहन का पुलिस द्वारा पकड़ा जाना और इस नियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना जिससे पशुओं की तस्करी बध के लिये न होने पाये के संबंध में पुलिस एवं गृह विभाग स्तर से कार्यवाही की जाती है।

4–जहां तक गोवंश की निकासी, गोमांस के अर्न्तराज्यीय व्यापार पर रोक तथा पूर्ण गोबध बन्दी के लिये मानीनय श्री कल्याण सिंह सरकार ने विधेयक पास किया था, उसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अनुदेश प्राप्त करने हेतु लिखा गया था जिस पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कुछ सम्बीक्षायें की गयी हैं। जो शासन के विचाराधीन हैं और सरकार इस सदन को आश्वस्त करती है कि भारत सरकार द्वारा की गयी सम्बीक्षाओं का उत्तर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा ताकि तस्करी, गोवंश की निकासी, गोमांस के अन्तर्राज्यीय व्यापार और पूर्ण गोबध बन्दी सुनिश्चित की जा सके।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, केवल दो सवाल पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य के अन्त में दर्शाया है कि जहां तक गोवंश की निकासी, गोमांस के अन्तर्राज्यीय व्यापार पर रोक तथा पूर्ण गोबध बन्दी के लिये

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय श्री कल्याण सिंह सरकार ने विधेयक पास किया था, उसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली को उनके अनुदेश प्राप्त करने हेतु लिखा गया था जिस पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कुछ समीक्षायें की गयी हैं। वहां से कुछ बातों पर राज्य सरकार से पूछा गया है जो शासन के विचाराधीन है यह बात सही है कि श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल में गौवंश के पूर्ण बध को अवैध करने के लिये नियम कानून बनाया था और वही समस्या का सही निदान है। राष्ट्रपति ने क्वेरीज की है, उस विधेयक के बारे में राष्ट्रपति की जो क्वेरीज आयी है, वे क्या है ? उनकी जानकारी आपको कब मिली और क्या उनका शासन ने कोई उत्तर दिया है ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

अब तक उत्तर प्रदेश शासन की ओर से कोई जवाब नहीं गया है। दिसम्बर, 94 में इस शासन को इस आशय का एक पत्र आया था। जो कुछ पूछा गया था वह शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि इसमें जो क्वेरीज की गयी हैं कृपा करके बता दें कि इस संबंध में अपने राज्य सरकार का उत्तर कब तक चला जायेगा ? दूसरे, पहले प्रश्न पर दिया हुआ है कि गोबध की तस्करी को स्वीकार किया है और कहा है कि उसको प्रभावी ढंग से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ? मैंने अपनी सूचना में सीतापुर की एक घटना का जिक्र भी किया था। मैं अपनी पार्टी की मीटिंग ले रहा था, नहर पर भारी संख्या में गायें जा रही थी। हमारी मीटिंग में एक पुलिस का दरोगा भी था उसने उसको रोका था। वह सबको तथा गायों को पकड़ कर ले गया। मैंने अपने सूचना में जिस घटना का उल्लेख किया था तो उसके संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? नहीं हो तो सूचना की आवश्यकता वह कह दें। लेकिन यदि मैंने अपनी सूचना में विशिष्ट जानकारी दी है तो उसका उत्तर नहीं दिया तो आप जाने, आप व्यवस्था दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, गुप्त जी की बात सही है, सीतापुर जनपद की घटना का अपनी नोटिस में विशेष उल्लेख किया है और यह भी सही है कि इस समय उसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है और, जो उत्तर नहीं है उसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही हम सुनिश्चित करायेंगे। पिछली सरकारों में उत्तर पूरा नहीं आता रहा लेकिन अब ऐसा नहीं। गुप्त जी की यह कृपा है कि उन्होंने कहा है कि उत्तर न हो कोई बात नहीं है। सरकार इस बारे में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी कि उन्होंने समय से उत्तर क्यों नहीं भेजा ? यह प्रश्न गुप्त जी की नोटिस के द्वारा हमारे लिये सतर्कता का प्रश्न भी बना गया है और मूल उत्तर में कहा भी गया है कि "शीघ्रातिशीघ्र"। तो शीघ्रातिशीघ्र इसका उत्तर भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा, यह स्पष्ट आश्वासन मैं दे रहा हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय मंत्री जी से मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कंडिका तीन नम्बर पर जो लिखा है कि पुलिस और गृह विभाग स्तर से कार्यवाही की जाती है कि तस्करी द्वारा गोवंश गोबध के लिये न जाये किन्तु अभी पिछले महीने मथुरा में ट्रक के ट्रक ऐसी गायों के पकड़े गये जो दुधारू थे और बध करने के लिये जा रहे थे। उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा परन्तु जनता ने पकड़ कर दिया यही स्थिति आगरा में भी हुई जहां जनता ने ही ऐसे मामले पकड़े और पुलिस को दिये फिर भी पुलिस द्वारा इसमें सक्रियता से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। तो क्या इसके लिये आपके पास कोई कार्य योजना है जो प्रभावी हो सके ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

किसी अधिनियम विशेष के बारे में अलग से कोई कार्य योजना लागू करने की परम्परा तो नहीं रही है, लेकिन जिन लोगों का जिक्र किया है उनकी ठीक से जांच करा ली जायेगी और पुलिस से भी कहा जायेगा कि इस तरह की घटनाओं पर वह अपनी ओर भी सतर्क रहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक सवाल और करना चाहता हूं मान्यवर, वक्तव्य का पैरा दो देखने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश गोबध निवारण अधिनियम, 1955 तथा उत्तर प्रदेश गोबध निवारण नियमावली, 1964 जैसा कि समय-समय पर संशोधन हुए, में गोवंश की सुरक्षा तथा प्रदेश से बाहर परमिट पर परिवहन की व्यवस्था है। लेकिन मान्यवर, देखा यह जाता है कि जैसा कि माननीय विकल जी ने भी उल्लेख किया है। सड़कों में भारी संख्या में झुंड के झुंड रात्रि में घूमते हैं और ऐसा नहीं कि उन्हें पकड़ा नहीं जाता। पकड़ा भी जाता है, उनके पास परमिट नहीं होता है। पुलिस की भी मजबूरी है कि वह अगर सौ को पकड़ ले तो उनको क्या खिलाये और कहां से खिलायें ? जो गोवध के खिलाफ हैं, मैं भी हूं इतना नहीं करते कि उनके खाने की व्यवस्था कोई कर सके। पुलिस भी लोगों को बुलाकर कहती है कि भई तू ले जा और पाल ले। नियमों में यह व्यवस्था है कि परमिट होना चाहिए। मेरा कहना है कि इस संबंध में जिले जिले को ऐसे कड़े निर्देश जारी होने चाहिए कि वहां इस कार्य को देखा जाय कि बिना परमिट के निर्यात तो नहीं हो रहा है। परमिट पहले 25 पैसे में बनता था अब वह 50 पैसे में बनता है। एक परमिट पर 500 तक गाय ले जाते हैं, इसकी व्यवस्था देखनी होगी। इसको कड़ाई के साथ प्रभावी किया जाय कि बिना परमिट के कोई गोवंश प्रदेश के बाहर निर्यात तो नहीं हो रहा है। नियमों में जो परमिट की व्यवस्था दी गयी है उसको कड़ाई से प्रभावी किया जाना चाहिए।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, समय-समय पर आदेश जाते रहते हैं। गुप्ता जी ने जो सुझाव दिया है, उस संबंध में भी आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

* श्री धनराज यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने अपने उत्तर में दर्शाया है कि प्रदेश के बाहर गोवंश जाने के लिये परमिट की व्यवस्था है। मेरा जो प्रश्न है वह बहराइच, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, पड़रौना, देवरिया तथा बलिया जनपदों जो कि नेपाल की सीमा पर हैं पहले बैलों को नेपाल ले जाते हैं फिर वहां से बंगलादेश ले जाते हैं। नेपाल एक दूसरा देश है तो वहां भी ले जाने के लिये परमिट व्यवस्था है। अगर नहीं तो इसको रोकने का आश्वासन देना होगा। नेपाल के पास ककरहवा बाजार है दो-तीन बार यहां बैलों को पकड़ा है हेमन्त कुमार ने। लेकिन तस्करियों ने उनको मारा और घर पर घुसकर भी मारा। पुलिस खड़ी थी। पुलिस कुछ नहीं करती है वह भी उन तस्करों के साथ मिली हुई है क्योंकि उनसे उनको कमीशन मिलता है। पब्लिक की ओर से इस देश की जाति और मर्यादा गाय और बैल की रक्षा करने वालों से यह ईर्ष्या करते हैं और यह तस्करी करने वाले उल्टा उन्हें मारते हैं और मुकदमा कायम करते हैं। जिस तस्करी करने वालों ने उन्हें मारा उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। बी० जे० पी० के जगदीश पाण्डेय ने भी 20-7- को बैल पकड़े।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप भाषण न दें। जो स्पष्टीकरण करना हो वह कहें।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, वह मुझे अभी उत्तर न दें, बाद में दे दें परन्तु मेरे सवालों को नोट कर लें। पब्लिक के कार्यकर्ता नेपाल सीमा पर बैल पकड़ कर पुलिस को देती है लेकिन पुलिस उन्हें छोड़ देती है। जगदीश पाण्डेय ने 20-7 को बैल पकड़ कर पुलिस को दिये लेकिन पुलिस ने छोड़ दिये। इन पुलिसजनों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, 94 में जब जगदीश पाण्डेय ने अपने कुछ साथियों के साथ बैल पकड़े तो पुलिस ने उन्हें गवाह बना दिया है। कोई हर्ज नहीं है, गवाही तो हम करेंगे। लेकिन उनको हतोत्साहित करने के लिये पुलिस ने सम्मन नहीं दिये वारन्ट जारी कर दिया। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं प्रार्थना करना चाहता हूं शक्ति होनी चाहिए अन्यथा बैल जाने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

बैल नहीं जाने देंगे, इन्होंने कहा, तो कहीं नहीं जाने देंगे। नेपाल को, हमारे देश के बाहर के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार कोई परमिट जारी नहीं करती है। आपने कुछ अनियमिततायें बतायी हैं।

श्री धनराज यादव–

कार्यवाही का आश्वासन दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जो इन्होंने कहा है इनके भाषण के आधार पर जांच करा लेंगे कोई कागज पर लिखकर देंगे तो उसको भी देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजियेगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जांच के लिये तैयार हैं।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, मैंने इण्डिया टुडे और माया जैसी पत्रिकाओं में गोबध के बारे में पढ़ा उससे जानकारी मिली।

श्री अध्यक्ष–

इसका संज्ञान नहीं ले सकते हैं।

श्री उदय भान सिंह–

ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता का नाम है जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं इसी माननीय सदन के सदस्य रहे हैं। वह चर्चा का विषय बने हुए हैं ऐसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। चर्चा के विषय में जाने-पहचाने व्यक्ति रहे हैं ऐसे व्यक्ति को आप गम्भीरता से लेकर कार्यवाही करायेंगे?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय सदस्य ने संकेतात्मक बात कही है मैं उनसे बात कर लूंगा और कार्यवाही करा दी जायेगी।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश, आगरा के पदाधिकारियों के सोलहवें दिन के आमरण अनशन विषयक श्री चदन सिंह आदि की सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)–

प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स ताज व्यू होटल.....

श्री अध्यक्ष–

यदि सहमत हों तो वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री श्याम लाल यादव–

[आगरा फतेहाबाद रोड. आगरा में कार्यरत महिला, कर्मचारी श्रीमती भूपेन्द्र कौर, फ्लोर सुपरवाइजर (टिकट नं० 297) के द्वारा जनरल मैनेजर मे० ताल व्यू होटल, आगरा को इनांक 21-3-95 को अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे जनरल मैनेजर द्वारा उसी दिन स्वीकार कर लिया गया । श्रीमती कौर ने भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों से शिकायत की कि उनका त्याग-पत्र जबरदस्ती लेकर स्वीकार किया गया । इस प्रकरण पर ताज व्यू होटल कर्मचारी संघ आगरा के पदाधिकारी (सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ) दिनांक 25-3-95 को महाप्रबन्धक के कक्ष में वार्ता हेतु गये जहां पर वार्तालाप के बाद दोनों पक्षों में मार-पीट की घटना घटित हुई । इस संबंध में प्रबन्धकों की ओर से 10 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या–98/95 के रूप में धारा 147, 342, 352, 504, 506 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज की गयी । दिनांक 26-3-95 को प्रबन्धकों ने 6 कर्मचारियों को, जो ताज व्यू होटल कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी थे, निलम्बित कर दिया तथा 2 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस का आरोप पत्र दिया गया । इन कर्मचारियों के विरुद्ध घरेलू जांच की कार्यवाही चल रही है ।

2–दिनांक 25-3-95 घटना के संबंध में श्रमिकों की ओर से श्री एस० पी० शर्मा द्वारा दिनांक 5-5-95 की धारा 323, 504, 506 भा० दं० वि० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर जांच के उपरान्त पुलिस ने दिनांक 26-5-95 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी ।

3–होटल के प्रबन्धकों ने जिला प्रशासन को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया कि कर्मचारियों ने पूर्व में हुए समझौते दिनांक 16-7-93 के अनुच्छेद 8 का उल्लंघन किया है जिसके कारण उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा–14 (ए) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये । जिलाधिकारी ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 14-7-95 को ए० सी० एम० (द्वितीय) को 11 कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति प्रदान की जिस पर ए० सी० एम० (द्वितीय) ने दिनांक 17-5-95 को सी० जे० एम० आगरा के न्यायालय में, समझौता दिनांक 16-7-93 का उल्लंघन करने के लिये उपालम्भ प्रस्तुत किये । सी० जे० एम० आगरा ने उपालम्भ पर दिनांक 24 जुलाई, 1995 के लिये निम्नांकित 11 श्रमिकों को नोटिस जारी की जिनमें से श्री एस० पी० शर्मा को छोड़कर शेष 10 ने जमानत करा ली है :–

(1) श्री एस० पी० शर्मा पुत्र श्री वी० एन० शर्मा

(2) श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री भीरू सिंह

(3) श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री राम स्वरूप

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(4) श्री राम प्रकाश दुबे पुत्र श्री हीरालाल दुबे

(5) श्री राम वरन सिंह पुत्र श्री झड़प सिंह

(6) श्री ट्रेवरदीन पुत्र श्री ई० दीन

(7) श्री मथुरा प्रसाद पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद

(8) श्री के० पी० राना पुत्र श्री टी० एन० राना

(9) श्री राजकुमार पुत्र श्री चन्दू राम

(10) श्री गोपी शर्मा पुत्र श्री हर प्रकाश शर्मा

(11) श्रीमती भूपेन्द्र कौर पुत्री श्री रघुवीर सिंह

4–कर्मचारियों के निलम्बन के विरोध में कर्मचारी संघ (सम्बद्ध भारतीय मजदूर (संघ) के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 3-4-95 से उप श्रमायुक्त कार्यालय, आगरा पर धरना दिया जा रहा था जो बाद में समाप्त कर दिया गया। प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के विरुद्ध सेवायोजकों द्वारा की गयी कार्यवाही के विरोध में दिनांक 22-5-95 से कलेक्ट्रेट आगरा में धरना दिया जा रहा है और 2 कर्मचारी सर्वश्री एस० पी० शर्मा एवं ज्ञानचन्द दिनांक 12-7-95 से आमरण अनशन पर बैठे थे। दिनांक 12-7-95 से आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारियों की तबियत खराब हो जाने के कारण दिनांक 21-5-95 को पुलिस ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया है जिसके उपरान्त दिनांक 21-7-95 से सर्वश्री एस० पी० शर्मा, राजेश शर्मा, आमरण अनशन पर बैठे थे जिनका समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। अभी उनके वजन में कोई कमी नहीं आयी है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है तथा उप श्रमायुक्त, आगरा के समक्ष पक्षों के मध्य वार्ता कराकर समस्या के समाधान हेतु प्रयास किया जा रहा है।]

* श्री बदन सिंह–

यह जो भारतीय मजदूर संघ का मामला नियम–56 में 27-7-95 को उठाया है यह मार्च, 1995 का है जिस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार का राज्य चलता था उस सरकार में गरीबों को शक्तिशाली लोगों के द्वारा पुलिस द्वारा प्रभावशाली लोगों के द्वारा दबा दिया जाता था अब सुश्री मायावती की सरकार आई है इससे आशा है कि गरीबों मजलूमों की सुनवाई की जाएगी। श्रीमन् यह जो वक्तव्य मिला है इससे लगता है कि उसको पुराने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं, असत्य सिद्ध हो जाएगा। ताज होटल की महिला कर्मचारी है भूपेन्द्र कौर इन्होंने 21-3-95 को मैनेजर, ताज होटल को अपना त्याग पत्र दे दिया था मैं जानना चाहता हूं कि यह महिला कर्मचारी ने प्रसूति अवकाश का प्रार्थना-पत्र 24 तारीख को दिया था तो ऐसी स्थिति में इस्तीफा मैनेजर ने घर पर जाकर लिया या महिला ने इस्तीफा होटल में आकर दिया।

* श्री श्याम लाल यादव–

भूपेन्द्र कौर एक वर्ष से अधिक समय तक कार्य पर अनुपस्थित रही। सेवायोजकों द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटस दिया गया। इसके बाद उन्होंने 21-3-1995 को त्याग-पत्र दे दिया।

श्री बदन सिंह–

यह बिल्कुल असत्य है। उनके घर पर जाकर प्रबन्ध तंत्र ने त्याग पत्र ले लिया। मारपीट तो दोनों तरफ से हुई। जैसा कि इस वक्तव्य में भी बताया गया है ; होटल तंत्र वालों की तरफ से तो उसी दिन रिपोर्ट लिख ली गई जबकि मजदूर तंत्र की तरफ की रिपोर्ट उसी दिन क्यों नहीं लिखी गयी ?

श्री श्याम लाल यादव–

भूपेन्द्र कौर 25-1-1995 से 23-3-1995 तक अवकाश पर थी। एफ० आई० आर० बाद में श्रमिकों द्वारा दर्ज कराया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

* श्री उदयभान सिंह–

श्रमिकों के साथ मारपीट 25-3-1995 को हुई । होटल के प्रबन्ध तंत्र ने 25-3-1995 को एफ० आई० आर० भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत धारा 147, 342, 352, 504 व 506 के अन्तर्गत दर्ज करवा दी और पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही करके श्रमिकों को जेल भेज दिया । मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जो पुलिस ने श्रमिकों की रिपोर्ट नहीं लिखी और उसके बाद दबाववश रिपोर्ट लिखी 25-3-1995 को रिपोर्ट लिखी और 26-3-1995 को अन्तरिम रिपोर्ट लगा दी ।

श्री श्यामलाल यादव–

पुलिस ने प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध धारा 323, 504 व 506 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की और जांच के बाद उसमें अन्तरिम रिपोर्ट लगा दी ।

श्री उदय भान सिंह–

प्रबन्ध तंत्र की रिपोर्ट पर तो श्रमिकों को हवालात में बन्द करके जेल भेज दिया । और जब श्रमिक रिपोर्ट लिखा रहे थे उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई । बाद में जब रिपोर्ट लिखी भी गई तो उनके पास ऐसा कौन सा कम्प्यूटर था जिससे उन्होंने 24 घंटे के अन्दर जांच करके अन्तरिम रिपोर्ट लगा दी ? मारपीट दोनों तरफ से हुई । एक तरफ तो वह चार्ज शीट लगा रहे हैं दूसरी तरफ एकदम फाइनल रिपोर्ट लगा दी । यह कैसे सम्भव हुआ ?

श्री श्यामलाल यादव–

श्रमिकों द्वारा सूचना बाद को दी गई ।

श्री बदन सिंह–

यह बिल्कुल असत्य है । इस वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि मारपीट दोनों तरफ से हुई । जब दोनों पक्षों में मारपीट हुई तो प्रबन्ध तंत्र की रिपोर्ट उसी दिन 26 तारीख को लिखी गयी और मजदूरों की रिपोर्ट उस दिन क्यों नहीं लिखी गयी और मजदूरों को जेल क्यों भेजा गया यह मैं जानना चाहता हूं ?

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आगरा में जो भारतीय मजदूरी संघ के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनमें से दो कर्मचारियों की हालत बहुत गम्भीर थी । उनकी यूरीन से कीटोन वाडी आनी शुरु हो गयी हैं और मृत्युशैय्या पर हैं । मेरे द्वारा अवगत कराने के बावजूद भी वहां का प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है । तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, श्री एस० पी० शर्मा ताज व्यू होटल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और श्री ज्ञान सिंह भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं जो दिनांक 12-7-95 से आमरण अनशन पर बैठे थे तथा दिनांक 21-7-95 को स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त अस्पताल में दाखिल किये गये । उन्होंने उप श्रमायुक्त आगरा द्वारा प्रश्नगत विवाद का निपटारा वार्ता द्वारा कराये जाने संबंधी आश्वासन देने के उपरान्त अपना अनशन समाप्त कर दिनांक 28-7-95 को घर चले गये । श्री एस० पी० शर्मा एवं श्री ज्ञान सिंह के चिकित्सालय में जाने के बाद श्री ओ० पी० शर्मा एवं श्री रमेश चन्द्र अनशन पर बैठे जिन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त दिनांक 30-7-95 को चिकित्सालय भेजा गया जहां पर दिनांक 2-8-95 को अनशन समाप्त कर वे घर चले गये । श्री मथुरा प्रसाद दिनांक 30-7-95 से अनशन पर बैठे उप श्रमायुक्त आगरा द्वारा दिनांक 11-4-95 को वार्ता हेतु बैठक बुलाई गयी पर कोई समाधान न होने की स्थिति में दिनांक 1-5-95 को अपर जिलाधिकारी नगर द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया परन्तु अपरिहार्य कारणों से श्रमिक प्रतिनिधि वार्ता में भाग नहीं ले सके ।

श्री अध्यक्ष–

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की है कि दोनों पक्षों में मारपीट हुयी तो दोनों पक्षों की एफ० आई० आर० क्यों नहीं लिखी गयी ?

श्री श्यामलाल यादव–

दोनों पक्षों की एफ० आई० आर० हुयी है लेकिन एक साथ नहीं हुयी है ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, दोनों पक्षों में मारपीट हुयी और एक पक्ष की रिपोर्ट लिखी गयी और दूसरे की नहीं लिखी गयी । इस बात की क्या सरकार उच्चस्तरीय जांच करेगी कि मजदूरों की रिपोर्ट पुलिस प्रशासन द्वारा क्यों नहीं लिखी गयी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, रिपोर्ट लिखी गयी है, मैं मानता हूं लेकिन मजदूरों की रिपोर्ट देर से लिखी गयी । धारा 506 की बात दोनों पक्षों ने कही है । धारा 506 जान से मारने की धमकी देने पर लगायी जाती है । इसमें 2 गवाह जरूरी हैं । गवाह वहीं होंगे जिनमें झगड़ा होगा । 506 में साक्ष्य दोनों ओर से उपलब्ध हो सकता है यह एक संज्ञेय अपराध है जमानत कोर्ट से होती है । अब इसमें शंका यह की जा रही है कि श्रम विभाग मजदूरों का पक्ष न लेकर पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण कर रहा है । क्या इस बात की उच्चस्तरीय जांच करायेंगे कि 506 दफा दोनों ओर लगी, लेकिन मजदूरों के बारे में फाइनल रिपोर्ट क्यों लगा दी गयी । आप मुख्यालय से किसी अधिकारी को भेज दें और वह समीक्षा कर लें, दोनों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिये । दूसरी बात यह है कि डी० एल० सी० का काम क्या है, लेबर कमिश्नर का काम है दोनों में समझौता कराकर पंचाट देना, क्या समझौता कराने में डी० एल० सी० असफल रही है, उन्हें तो कोई निर्णय देना है, क्यों उन्होंने कोई पंचाट दिया है, अगर दिया है तो वह क्या है ?

श्री श्याम लाल यादव–

श्रम विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही दिनांक 25-3-95 को घटित घटना के पश्चात् श्रमिक यूनियन ने दिनांक 27-3-95 को घटना के संबंध में उपालम्भ उप श्रमायुक्त आगरा को प्रस्तुत किया । दिनांक 1-8-95 को उप श्रमायुक्त स्तर पर वार्ता की तिथि निश्चित की गयी थी अब पुनः अगली तिथि दिनांक 4-8-95 को निश्चित की गयी है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, काफी सवाल हो चुके हैं, हमने इसे नियम 56 में उठाया था क्योंकि यह गम्भीर मामला है होटल मालिकों के दबाव में श्रमिकों पर अत्याचार हो रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस गम्भीर सवाल को समझते हुए क्या मुख्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर मामले की जांच करायेंगे, पुलिस का अलग और लेबर का अलग ? वक्तव्य से स्पष्ट है कि पक्षपात किया गया है और श्रमिकों को कुचलने की कोशिश की गयी है । इसका उत्तर दे दें कि क्या वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो सुझावात्मक है, क्या वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जांच करायेंगे ?

श्री श्यामलाल यादव–

कल की तिथि निर्धारित है, अगर कोई समाधान नहीं निकलता है, तो हम कमिश्नर द्वारा जांच करा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी जब अपने लेबर कमिश्नर को भेजेंगे, तो जांच हो जायेगी ।

श्री छोटे लाल वर्मा–

आप जांच किससे करायेंगे ? क्या श्रीमती कौर ने इस्तीफा दे दिया है, क्या इसकी जांच करायेंगे कि उन्होंने स्वयं दिया है या जबरदस्ती कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर बना कर लिखवा लिया गया है ?

[समय 8 बजकर पन्द्रह मिनट]

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, मैंने कहा कि कमिश्नर द्वारा इसकी जांच कराऊंगा, दोनों प्रकरण की जांच करा लेता हूं।

प्रदेश में सरकार द्वारा उद्योगों को सुविधायें एवं प्रोत्साहन देने की नीति से प्रभावित विभिन्न औद्योगिक समूहों/कम्पनियों द्वारा किए गए पूंजी निवेश के प्रस्तावों के विषय में श्री सत्यप्रकाश विकल की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि नियम 49 के अन्तर्गत आपने उद्योग विभाग पर चर्चा करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारा प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में औद्योगिक विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और खुशी की बात यह है कि जब से नई सरकार बनी है माननीय मुख्य मंत्री मायावती जी के नेतृत्व में तो वर्तमान सरकार औद्योगिक विकास के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछली जो सरकार थी माननीय मुलायम सिंह यादव की उस सरकार के कार्यकाल में इस बात का बड़ा ही शोर किया गया और बम्बई से लेकर लन्दन तक की यात्राएं की गयी कि पूंजीपति यहां आयें और अपना उद्योग लगाये पूंजी निवेश करें और ऐसा लगने लगा कि इस प्रदेश में उद्योगों की बड़ी भरमार होनी है लेकिन हुआ क्या ? मैंने देखा और प्राप्त उत्तर से जाना कि पिछले कुछ वर्षों में 3676 प्रस्ताव आये उद्योग लगाने के और उसमें पूंजीनिवेश के लिए जो राशि थी वह एक लाख नब्बे हजार दो सौ नौ करोड़ रुपये की थी।

मान्यवर, इतना भारीभरकम पूंजी पूंजीनिवेश के द्वारा प्रदेश में आकर उससे 3676 उद्योग लगे, इतना जोश था पूंजीपतियों को उद्योग लगाने का और अगर यह लगा होता तो निश्चित रूप से विकास होता और प्रदेश में लोगों को रोजगार मिलता और बेरोजगारी दूर होती लेकिन मान्यवर, हुआ बिल्कुल उल्टा। प्रदेश में पिछले डेढ़ साल में जो हालत रही जैसे अपहरण, हत्या, लूट; आतंक और हत्याओं की और असुरक्षा का वातावरण हुआ इसका परिणाम क्या हुआ ? यह हुआ कि 3676 प्रस्तावों में मात्र 660 उद्योग लग पाये और जो पूंजीनिवेश इनमें हुआ वह मान्यवर, केवल 8047 करोड़ रुपये का यानी कुल पूंजीनिवेश एक लाख 90 हजार का था उसका मात्र 4 प्रतिशत/यानि 96 प्रतिशत का पूंजीनिवेश प्रदेश में नहीं हो पाया और जो पूंजीनिवेश हुआ भी है 660 उद्योग स्थापित हुए हैं। उनमें से 142 उद्योग ऐसे हैं जिनमें केवल लाखों का ही निवेश हुआ एक करोड़ से कम हुआ। 514 उद्योग ऐसे लगे जिनमें एक करोड़ से 10 करोड़ या 20 करोड़ के बीच में निवेश हुआ, केवल 4 उद्योग ही ऐसे लगे जिनमें एक में 300 करोड़ का, एक में 267 का और 2 में 7–700 करोड़ का निवेश हुआ तो इस तरह से केवल 4 प्रतिशत पूंजी का निवेश हुआ 96 प्रतिशत पूंजी के निवेश वाले उद्यमी आये ही नहीं। एक भी भारी उद्योग जो एक हजार करोड़ या उससे ऊपर का हो प्रदेश में नहीं लगा और न उसके निवेश का प्रस्ताव करने वाले उद्योग लगाने के लिये आये।

मान्यवर, खुशी की बात यह है कि इस दयनीय स्थिति से प्रदेश को निकालकर नई सरकार अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह तब होगा जब प्रदेश में औद्योगिक

वातावरण उद्योग लगाने के लिए बनाना चाहिए कि अगर वे उद्योग लगायें तो सुरक्षा के वातावरण में लगायेगें किसी की हत्या नहीं होगी, किसी की लूट नहीं होगी उन पर हमला नहीं होगा वे और उनकी पूंजी सुरक्षित रहेगी । जब से नई सरकार बनी है प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बन रहा है । यह संतोष की बात है, परन्तु अपराधियों गुण्डों और माफियाओं के प्रति और भी कड़े और कठोर कदम उठाने की जरूरत है ताकि प्रदेश में शान्ति रहे और उद्यमी यहां पर उद्योग लगाने के लिये आयें । बिजली आपूर्ति का जो बिन्दु है, अभी पिछले दिन ऊर्जा विभाग का बजट था किस प्रकार से यहां बिजली का संकट है यह सबको पता चल गया न किसान को दे पा रहे हैं न जनता को दे पा रहे हैं और न उद्योग जो चल रहे हैं उनको दे पा रहे हैं । जो नये उद्योग लगेंगे उनको बिजली कैसे मिलेगी ? आपकी जो योजना है कि 5 साल में 5–7 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की उससे निश्चित रूप से उद्यमियों को सहायता मिलेगी । उद्यमियों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप यहां उद्योग लगायें, बिजली मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी । हमारे उद्योग विभाग से सम्बन्धित जितने विभाग हैं हर विभाग में उद्यमी को जाना पड़ता है उनका शोषण और उत्पीड़न किया जाता है । छोटे से छोटे काम के लिये परमिट लेने के लिये रजिस्ट्रेशन के लिये, भूमि अर्जन के लिये, चाहे कच्चा माल लेना हो, हर चीज के लिये उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है उनका शोषण उत्पीड़न होता है । जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में तो "इन वन रूम अंडर वन रूफ" उद्योग विभाग से संबंधित सभी विभागों के लोगों को एक कमरे में बैठाया गया सारी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर करने का प्रयास किया गया था ताकि उद्यमियों को सुविधा हो ।

श्री अध्यक्ष–

जो इसमें बिन्दु था पूंजी निवेश के बारे में कितने लोग उत्साहित हुए कितने लोगों ने पूंजी निवेश किया, कितना हुआ ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इसका उल्लेख मैं कर चुका हूं कि प्रस्तावित पूंजीनिवेश का केवल 4% ही हुआ है । इस पूंजी निवेश के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रदेश में हम औद्योगिक वातावरण बनाये और उद्योग विभाग से संबंधित सभी विभागों में इस प्रकार के कार्य का वातावरण पैदा करें जिससे उद्यमियों में विश्वास की भावना पैदा हो कि उनका शोषण नही होगा उनको सहयोग और सुविधा मिलेगी अगर वह कर पाये तो इस प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनेगा और प्रदेश को औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जा सकेंगे ? मैंने जो बिन्दु उठाये हैं उत्तर के समय माननीय मंत्री जी इन पर आश्वस्त करने की कृपा करेंगे ? प्रदेश में नयी सरकार है प्रदेश में एक अच्छा औद्योगिक वातावरण बनाया जायेगा और पूंजी निवेश के लिये कदम उठाये जायेंगे ।

(श्री शिव प्रताप शुक्ल व श्री राम कुमार शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इस पर अगर कुछ संक्षेप में उत्तर देना चाहे माननीय विकल जी ने जो कहा या फिर कुछ और माननीय सदस्यों के स्पष्टीकरण सुन लें फिर उत्तर दे दें ।

श्री नन्द लाल पटेल–

मान्यवर, कुछ लोगों को सुन लें।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, विस्तार से इस पर बजट में चर्चा हो जायेगी, आज बहुत देर हो रही है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, माननीय विकल जी ने बहुत अच्छे सुझाव सरकार के सामने रखे उत्तर प्रदेश में वास्तव में आज जरूरत है इस बात की ....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह था कि क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा उद्योगों को सुविधायें एवं प्रोत्साहन देने की नीति से प्रभावित विभिन्न औद्योगिक समूहों/कम्पनियों द्वारा किये गये पूंजी निवेश के प्रस्तावों के विषय में कितने उद्योग लगाये जाने प्रस्तावित हैं, कितना पूंजी निवेश हुआ और कितने लगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, आपने उनको मौका दिया, सरकार को मौका दिया जो प्रश्न रखा था उसी से जुड़ी कुछ अनुपूरक बातें हैं, जो कहने जा रहा हूं। उद्योगपति अगर यहां पर उद्योग लगाना चाहता है तो वास्तव में उनकी स्थिति क्या है ? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लंदन तक गये थे उद्योगपतियों से वार्ता की गयी कि उद्योग यहां आकर लगाये ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

लेकिन कोई ऐसी बात सामने नहीं आयी जिसके आधार पर आकर्षित होकर उद्योगपति आते। मान्यवर, विकल जी ने तीन हजार दो सौ छियत्तर प्रस्ताव तथा पूंजी निवेश की बात कही। उत्तर प्रदेश में उद्योग क्यों नहीं लग पा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह इस विषय से संबंधित नहीं है। जब उद्योग विभाग का बजट आयेगा तब आप इसमें बोल लीजियेगा। विषय यह है कि कितने प्रस्ताव आये और कितने लगे कितने नही लगे और कितनी धनराशि है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

तो फिर यह उसी पर बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर है कि 1980 से 95 के बीच 1733 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता थी और 1991 से 95 के बीच 1943 प्रस्ताव थे जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवप्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल यह करना चाहता हूं कि गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट जो उत्तर प्रदेश शासन ने स्थापित किया था, 'गीडा' के अन्तर्गत कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं और बाहर से कितने उद्योगपति 'गीडा' और 'जीडा' के अन्तर्गत उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं ?

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, दो बिन्दु उठाये गये थे । मैं ऐसी संस्थाओं में रहा हूं और मुझे अनुभव भी है ! मान्यवर, पूंजी निवेश कैसे ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए हम लोग चिन्तित हैं । दुनियां का जो सबसे ज्यादा आकर्षण है वह है सस्ता श्रम और वह उत्तर प्रदेश में है । दूसरा सस्ती बिजली वह भी उत्तर प्रदेश में है । कानून व्यवस्था की स्थिति आपने अच्छी कर दी है पहले खराब थी । कच्चा माल सब चीजों के लिए यहां है और लाभ का विश्वास सरकार में होगा । ऐसी स्थिति में जो सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, उन सबका फायदा उठाते हुए वह यह कोशिश करेगी कि व्यापारियों को इसलिये उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश हो ?

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)–

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया था उसका उत्तर हम दे चुके हैं । यह प्रथम मंगलवार के लिए था । माननीय सदस्य ने जो जानने की इच्छा व्यक्त की है और हमारे भी मन में बताने की चाहत है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा विशाल प्रदेश है और इसकी भौगोलिक स्थिति भी ठीक है । जो बेरोजगार है, वह 26 लाख हैं और 78 लाख अर्ध बेरोजगार है । इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से ज्यादा बेरोजगार कहीं नहीं है ।

इसके बावजूद भी, जब यहां पर तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, फिर भी उद्योग नहीं लग पाये, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर होगा । पहले की सरकारों और पूर्ववर्ती सरकारों ने जरूर गलती की होगी । अब यह सरकार आई है, इसके विषय में सभी जानते हैं । पहले की सरकारें बाहर कुछ और अन्दर कुछ और बात किया करते थे । जो उद्योगपति यहां उद्योग लगाना चाहते थे, उनको सुविधायें मिलने के बावजूद भी गुण्डा टैक्स तथा माफियाओं का भय लगा रहता था । इधर हमारी सरकार जो आई हैं, जो हम दोनों दलों ने मिलकर बनाई है, उसने इन गुण्डों और माफियाओं के आतंक को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाये हैं और काफी सुधार हुआ है । अभी आपके बीच में नई औद्योगिक नीति आपके सामने प्रस्तुत की गयी है, जो संशोधन किया गया है, उसको आप लोगों ने भी देखा होगा । हमने उद्योगपतियों के लिये जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिये तमाम सुविधायें दी गयी हैं, पहले सुविधायें देने में छपने थे । पहले जो वार्षिक लागत आती थी, वार्षिक किराया रहता था, उसमें 25 प्रतिशत कर टैक्स लगाया जाता था, उसमें भी तमाम धांधलियां होती थी, लेकिन अब जो नई औद्योगिक नीति का निर्धारण हुआ है, उसमें विकास के लिये तमाम सुविधायें दी गयी हैं, हम बिजली, सड़क, हर प्रकार की सुविधायें देंगे । इससे लोग काफी मात्रा में उद्योग लगा सकेंगे । हमारे साथी जानना चाहते हैं कि जितने भी लोग यहां पर टैक्स देते हैं उनके लिये लिस्ट बनी हुई है, इधर एक पूरी पुस्तिका छपी है । माननीय शुक्ला जी एवं विकल जी से चाहूंगा कि इस पुस्तिका का अध्ययन कर लें और बजट जब भी पेश होगा तो विस्तार से अपनी बात रखेंगे । अब सभी सदस्यों का मन घर की तरफ लगा हुआ

है, हम और आप बहस में लगे हैं। सभी साथियों की भावनाओं का आदर करता हूं, नहीं तो विस्तार से आपके जो प्रदेश की समस्यायें हैं, औद्योगिक नीति है, हमारे मन में विचार है, जो सुविधायें देना चाहते हैं उसे विस्तार से आपको बताते। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी सुझाव हैं, आपत्तियां हैं, 7 तारीख को जब बजट रखा जायेगा, उस पर विस्तार से बात करेंगे।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मुझे केवल एक प्रश्न करना है, हम आपसे मा० मंत्री जी बहुत प्रभावित भी हुये और सन्तुष्ट भी हुये कि इस सरकार के माननीय मंत्री जी इस संबंध में काफी जानते भी हैं और प्रयास भी कर रहे हैं।

एक प्रश्न यह करना है कि जो उत्तर आपने दिया है उस उत्तर के संदर्भ में पूछ रहे हैं, 3667 प्रस्ताव आये थे, एक लाख नब्बे हजार दो सौ करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश प्रस्तावित था जिसमें 8 हजार करोड़ रुपये का ही हुआ, 1 लाख 82 हजार करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश बाकी है, 3 हजार प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं तो इन प्रस्तावों को पूरा कराने के लिये उसके पूंजी निवेश के लिए या उनसे सम्पर्क करने के लिये उन्हें उत्साहित करके प्रदेश में पूंजीनिवेश करवाने के लिये इस सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये, उसके क्या परिणाम निकले और अगर नहीं किये तो क्या प्रयास किया जायेगा ?

श्री नन्दलाल सिंह पटेल–

माननीय विकल जी, आपको भी उम्मीद होगी और हमारी चाहत भी है कि हम लोग मिलजुल कर उद्योगपतियों से सम्पर्क करें और प्रदेश में उद्योग लगवायें।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 3 अगस्त, 1995 में सदन के दिनांक 4 अगस्त, 1995 से 23 अगस्त, 1995 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं।

4 शुक्रवार

1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–<u>5.00 बजे अपराह्न</u>

(क) उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित पर विचार एवं उनका पारण–आधा घण्टा।

(ख) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा।

5 शनिवार
6 रविवार
7 सोमवार

बैठक नहीं होगी ।

1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–5.00 बज अपराह्न

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा ।

8 मंगलवार

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

9 बुधवार

बैठक नहीं होगी ।

10 गुरुवार

(ईद-ए-मिलाद का अवकाश)

11 शुक्रवार
12 शनिवार
13 रविवार
14 सोमवार

बैठक नहीं होगी ।

15 मंगलवार

(स्वतंत्रता दिवस का अवकाश)

बैठक नहीं होगी ।

16 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

17 गुरुवार

1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण–एक घण्टा ।

18 शुक्रवार

बैठक नहीं होगी (जन्माष्टमी का अवकाश)

19 शनिवार

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

20 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

21 सोमवार
22 मंगलवार

1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

23 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 1995 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना मा० अध्यक्ष ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति के कार्यक्रम के संबंध में जो प्रस्ताव मा० संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन रात्रि 8 बजकर 35 मिनट पर शुक्रवार 4 अगस्त, 1995 अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।

लखनऊ :

3 अगस्त, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

दिनांक 1 जुलाई, 1992 से 28 फरवरी, 1993 तथा 10 मार्च, 1994 तक बनकटवा, तुलसीपुर, भांभर तथा रामपुर रेंजों में हुआ अवैध पातन।

(क) दिनांक 1 जुलाई, 1992 से 28 फरवरी, 1993 तथा 10 मार्च, 1994 तक उत्तर गोण्डा वन प्रभाग में हुए अवैध कटान का विवरण जो वन कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया।

रेंज का नाम	बीट का नाम	अवैध कटे वृक्षों की प्रजाति	अवैध कटे वृक्षों का मूल्य
1	2	3	4
बनकटवा	उ० खैरमान	शीशम, साखू,	19343.00
	द० खैरमान	शीशम, सागौन	27658.00
	रहटावल	साखू, सागौन, खैर	12530.00
	टिकुलीगढ़, पूर्वी	वेल, खैर, सागौन	4860.00
	चौधरीडीह	शीशम, सागौन	53270.00
तुलसीपुर	नवलगढ़	साखू	3600.00
	उदयपुर	शीशम, सागौन	29949.00
	जनकपुर	शीशम, सागौन, साखू	119777.00
	बघेलखण्ड	शीशम, सागौन	152875.00
	नवानगर	साखू, खैर, कुकाठ, शीशम, सागौन	38067.00
	भैसासूर	शीशम, सागौन	118144.00
	हसनापुर	शीशम, सागौन, खैर, कुकाठ	41957.00
भांभर	वीरपुर	शीशम, सागौन, साखू, खैर, हल्दू, कुकाठ	39179.00
	बेलभरिया	सागौन, शीशम, खैर	10702.00
	ढठवलिया	शीशम, सागौन, खैर, साखू, हल्दू, कुकाठ	23459.00

1	2	3	4
	मडनी	शीशम, सागौन, खैर	698.00
	भगवानपुर	साखू	425.00
	उ० चनदनपुर	शीशम	200.00
	द० चनदनपुर	शीशम	1870.00
	रेहरा	सागौन, साखू, खैर, शीशम	5669.00
रामपुर	पटखोली	शीशम	23737.00
	जरवा	शीशम, साखू, सागौन कुकाठ	18877.00
	रामपुर	साखू, शीशम, जलौनी	6045.00
	मंसुरवा	साखू	1480.00
	सोनगढ़ा	साखू	12413.00
	रजडेरवा	साखू, सागौन	2656.00
	सकरा	शीशम, साखू	18163.00
			787603.00

(ख) कूम्बिंग के दौरान पाया गया अवैध कटान का विवरण :–

रेंज का नाम	बीट का नाम	प्रजाति	अवैध कटान का मूल्य
1	2	3	4
तुलसीपुर रेंज	बघेलखण्ड	शीशम	1,26,560.00
		खैर	930.00
		सागौन	2,145.00
		रोहणी	53.00
		साल	140.00
		तुन	22.00
		योग :–	1,29,850.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
रामपुर रेंज	मंसुरवा	शीशम	
		साल	
		सागौन	
		खैर	
		गूलर	11,132.00
		बेल	
		लता	
		असना	
		धौ	
		कुकाठ	
		योग :–	11,132.00
		महायोग :–	9,28,585.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 22 का उत्तर पीछे पृष्ट 29 पर)

वर्ष 1994 में सृजित तहसील

तहसील का नाम	सृजन की तिथि	निर्माण मद में स्वीकृत धनराशि	प्रतिकर मद में स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि
1–बिल्थरा रोड बलिया)	1-9-94	—	13,00,000/-	13,00,000
2–सैंफई (इटावा)	12-9-94	1,89,23,000/-	11,68,050/-	2,00,91,050
3–सिकन्दरपुर (बलिया)	17-9-94	–	–	–
4–सिरौली गौसपुर (बाराबंकी)	17-9-94	1,86,96,000/-	—	1,86,96,000
5–बड़ौत (मेरठ)	10-11-94	—	—	—
6–बक्शी का तालाब (लखनऊ)	25-11-94	—	—	—
7–महसी (बहराइच)	30-12-94	—	—	—

वर्ष 1995 में सृजित तहसील

1–माधवगढ़ (जालौन)	4-1-95
2–मिल्कीपुर (फैजाबाद)	11-1-95
3–निगोह (जौनपुर)	7-2-95
4–कसया (पड़रौना)	7-2-95

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

दिनांक 1-7-1992 से 28-2-1993 के मध्य हुआ अवैध कटान

रेंज का नाम	बीट का नाम	प्रजाति
1	2	3
बनकटवा	द० खैरमान	शीशम
		साखू
	चौधरीडीह	शीशम
		सागौन
	टिकुलीगढ़	शीशम
	रहटावल	शीशम
	उ० खैरमान	शीशम
तुलसीपुर	बघेलखण्ड	शीशम
		शीशम
		खैर
		सागौन
		रोहणी
		साल
		तुन
	बघेलखण्ड	सागौन
		शीशम
	भैसासुर	शीशम
		सागौन
	हसनापुर	शीशम
	नवलगढ़	शीशम
	जनकपुर	सागौन
	उदयपुर	सागौन
भांभर	वीरपुर	शीशम
		सागौन
		कुकाठ
	भगवानपुर	साखू
	रेहरा	खैर
	बेलभरिया	सागौन
		शीशम
		खैर
		हल्दू

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
		द० चन्दनपुर	साखू
		मुढबलिया	सागौन, शीशम, जामुन कोकाठ
भांभर		बेल भरिया	सागौन, खैर शीशम
		भडनी	सागौन शीशम खैर
		भगवानपुर	साखू
		रेहरा	साखू
			आवला

दिनांक 10 मार्च, 1993 से 20 मार्च, 1994 तक हुआ अवैध कटान

रेंज का नाम	बीट का नाम	प्रजाति
1	2	3
बनकटवा	चौधरीडीह	शीशम
	टिकुलीगढ़	सागौन
	द० खैरमान	शीशम
		सागौन
	उ० खैरमान	सागौन
	टिकुलीगढ़	सागौन
	चौधरीडीह	शीशम
तुलसीपुर	बघेलखण्ड	शीशम
		सागौन
	जनकपुर	शीशम
		सागौन
	भैसासुर	शीशम
		सागौन
		शीशम
		सागौन
	हसनापुर	शीशम
		सागौन
	उदयपुर	शीशम
		सागौन
	नवलगढ़	शीशम
		सागौन
	नवानगर	शीशम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
			साखू
	भांभर	दूठवलिया	शीशम
			सागौन
			साखू
			हल्दू
			सेमल
			खैर
			कुकाठ
		द० चन्दनपुर	शीशम
		वीरपुर	शीशम
			खैर
			सागौन
			हल्दू
			साखू
	रामपुर	पटखौली	शीशम
		जरवा	शीशम
			साखू
		मंसुरवा वीट	शीशम
			साल
			सागौन
			खैर
			जामुन
			गूलर
			बेल
			लता
			असना
			धौ
			कुकाठ
			झींगन
		रामपुर	शीशम
			जामुन
		सोनगढ़ा	साखू

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

जिला पंचायत, ललितपुर के निजी श्रोतों से वर्ष 1989-90 से वर्ष 1994-95 तक का आय-व्यय का वर्षवार विवरण

वर्ष	आय	व्यय	अभ्युक्ति
1989-90	19,47,956.05	18,70,866.60	(+) 77,089-45
1990-91	20,92,466.47	24,90,151.85	(–) 3,97,685.38
1991-92	18,40,029.55	21,77,946.82	(–) 3,37,917.27
1992-93	18,15,663.03	24,13,860.85	(–) 5,98,197.82
1993-94	19,96,437.97	1889,380.44	(+) 1,07,057.53
1994-95	36,01,674.52	28,01,259.50	(+) 8,00,415.02
योग :	1,32,94,227.59	1,36,43,466.06	3,49,238.47

पी० एस० यू० पी०–एल० 191 LA (462)–1996–572 (डी०पी०टी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा